

# भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए



supreme Audit Institution of India लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2024

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

हरियाणा सरकार प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2024

# विषय सूची

الماء لأما	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	3	<u> </u>
कार्यकारी सार		ix-xv
अध्याय-1		
विहंगावलोकन		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1-4
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-4
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	5-9
वित्तों के स्नैपशॉट	1.3.1	8-9
सरकार की परिसंपतियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट	1.3.2	9
राजकोषीय शेषः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	10-13
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.5	14-16
राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	1.5.1	14
लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण	1.5.2	14-16
अध्याय-2		
राज्य के वित		
प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	17-18
राज्य के संसाधन	2.3	19-34
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	19-21
राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	21-32
पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	32-33
संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.3.4	33-34
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	34-52
व्यय की वृद्धि एवं सरंचना	2.4.1	34-36
राजस्व व्यय	2.4.2	36-46
पूंजीगत व्यय	2.4.3	46-51
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	51-52
प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	52
लोक लेखा	2.5	52-60
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	53-54
आरक्षित निधियां	2.5.2	54-58
राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर की निधियां	2.5.3	58-60
लोक देयता प्रबंधन	2.6	61-68
देयता प्रोफ़ाइल: घटक	2.6.1	61-65
ऋण प्रोफ़ाइलः परिपक्वता और पुनर्भुगतान	2.6.2	65-68
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	68-77
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	73-74

i

	अन्च्छेद	पृष्ठ
गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	2.7.2	74-76
रोकड़ शेष का प्रबंधन	2.7.3	76-77
निष्कर्ष	2.8	77-79
सिफारिशें	2.9	79
अध्याय-3		
बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	81-89
सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन	3.1.1	83-86
वितीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का	3.1.2	86
सारांश		
बजट मार्क्समैनशिप	3.1.3	86-89
विनियोग लेखे	3.2	89-90
बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता	3.3	90-97
बिना सलाह के नए उप-शीर्ष/विस्तृत लेखा शीर्ष खोलना	3.3.1	90-91
अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.2	91-92
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुन:विनियोग	3.3.3	92
निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना	3.3.4	93
बचत	3.3.5	93-96
अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण	3.3.6	96-97
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां	3.4	97-102
बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर	3.4.1	97-99
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय	3.4.2	99-101
बजट भाषण में विभिन्न योजनाओं और निधियों की घोषणा	3.4.3	101
व्यय की अधिकता	3.4.4	101-102
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	102-119
अनुदान संख्या 10 की समीक्षा	3.5.1	103-112
अनुदान संख्या 19 की समीक्षा	3.5.2	113-119
निष्कर्ष	3.6	119-120
सिफारिशं	3.7	120
अध्याय-4		
लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार		
ब्याज वहन करने वाले जमा के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का	4.1	121
निर्वहन न करना		
बजट से बाहर उधार	4.2	121-122
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां	4.3	122
स्थानीय निधियों की जमा राशि	4.4	122
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	4.5	122-124
सार आकस्मिक बिल	4.6	124
व्यक्तिगत जमा खाते	4.7	124-125

	अन्च्छेद	पृष्ठ
लघ् शीर्ष-800 का अविवेकी उपयोग	4.8	125-126
उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष	4.9	126-127
विभागीय आंकड़ों का मिलान	4.10	127
नकद शेष का मिलान	4.11	127-128
सरकारी निधियों को बैंक खातों में रखना	4.11.1	128
लेखांकन मानकों की अनुपालना	4.12	129
लेखों के संकलन से संबंधित मामले	4.13	129
ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान	4.13.1	129
प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	4.14	129-130
लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब	4.15	130
विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां	4.16	131
लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.17	131
दुर्विनियोग, हानियां, चोरी, इत्यादि	4.18	131-132
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.19	133
निष्कर्ष	4.20	133
सिफारिशें	4.21	133-134
अध्याय-5		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
सरकारी कंपनी की परिभाषा	5.1	135
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.2	135
राज्य के सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यम तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू	5.3	136-137
उत्पाद में उनका योगदान		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	137-139
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण	5.4.1	137-138
बजटीय सहायता	5.4.2	138
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण	5.4.3	138
विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	5.4.4	139
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न	5.5	139-142
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	139-140
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान	5.5.2	140
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	5.5.3	141
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न	5.5.4	141-142
ऋण सर्विसिंग	5.6	143
ब्याज कवरेज अनुपात	5.6.1	143
हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	5.7	144-146
उठाई गई हानियां	5.7.1	144-145
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण	5.7.2	145-146
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न	5.8	146-148
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.9	148

	अनुच्छेद	पृष्ठ
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के	5.10	149
सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.11	149-150
समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.11.1	149
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों को तैयार करने में	5.11.2	149-150
समयबद्धता		
सांविधिक निगमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता	5.11.3	150
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और	5.12	151-152
अनुपूरक लेखापरीक्षा		
वितीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क	5.12.1	151
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.12.2	151
सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	151-152
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	152-153
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.13.1	152
सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के अनुपूरक	5.13.2	152-153
के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां		
प्रबंधन पत्र	5.14	154
निष्कर्ष	5.15	154
सिफारिशं	5.16	154-155

# परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	Ť
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	157
1.2	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की संक्षेपित वितीय स्थिति	1.3.2	158
2.1	वर्ष 2022-23 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	2.2	159-160
2.2	राज्य सरकार के वितों का समय क्रम डाटा	2.3.2.1	161-162
2.3	राजस्व प्राप्तियों के कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2023 तक	2.3.2.2 (iii)	163
	राजस्व का बकाया		
2.4	वर्ष 2022-23 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण	2.4.3.2 (ii)	164
	संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में वित लेखों के		
	अनुसार सरकारी निवेश		
2.5	कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवसंरचना	2.4.3.2 (iii)	165
	परियोजनाओं का विवरण		
3.1	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में	3.1.3 (iii)(क)	166
	₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था		
	लेकिन संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया		
3.2	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमान में	3.1.3 (iii)(ख)	167-168
	₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान कम किया गया था		
	लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया		
3.3	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान और	3.1.3 (iii)(ग)	169
	संशोधित अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का		
	प्रावधान किया गया था लेकिन कोई ट्यय नहीं किया गया था		
3.4	उन योजनाओं का विवरण जहां ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक	3.1.3 (iii)(घ)	170
	के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था, लेकिन ट्यय मूल प्रावधान		
0.5	के 80 प्रतिशत से कम था	0.4.0 (***)(=)	474 470
3.5	उन योजनाओं का विवरण (₹ 50 करोड़ और अधिक) जिनके	3.1.3 (III)(5)	1/1-1/3
	लिए संशोधित बजट कम हुआ लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित		
3.6	अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था	2 1 2 (;;;)/==	174
3.0	उन योजनाओं (₹ 10 करोड़ और अधिक) का विवरण जिनमें बजट अनुमान संशोधित अनुमान में कम कर दिया गया था लेकिन	3.1.3 (111)(4)	174
	वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक था		
3.7	उन योजनाओं का विवरण जिनमें मूल अनुमान और संशोधित	3 1 3 (iii)(cg)	175-176
0.7	अनुमान (₹ 10 करोड़ और अधिक का प्रावधान) समान थे	5.1.5 (III)( <i>O</i> )	175-176
	लेकिन व्यय प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम था		
3.8	उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक	3.1.3 (iii)(ਤਾ)	177-178
	के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था लेकिन व्यय संशोधित	()(-1)	
	अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था		
3.9	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए मूल अनुमान और	3.1.3 (iii)(झ)	179
	संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान		
	समान था लेकिन व्यय प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक था		
3.10	उन मामलों का विवरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले	3.3.2	180-181
	में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध ह्आ		
3.11	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के	3.3.3	182-190
	अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुन:विनियोग का विवरण		
	*		

परिशिष्ट	विवरण	संद	f
		अन्च्छेद	पृष्ठ
3.12	मार्च 2023 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के	3.3.4	191-192
	अभ्यर्पण का विवरण		
3.13	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहां प्रत्येक मामले में	3.3.5 (i)	193-194
	बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी		
3.14	उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक	3.3.5 (i)	195-199
	थी		
3.15	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के	3.3.5 (ii)	200-203
	दौरान ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान था और		
0.40	बचत कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक थी	0.4.4	004
3.16	वर्ष की अंतिम तिमाही/महीने में व्यय की अधिकता को दर्शाने	3.4.4	204
	वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ और कुल व्यय का 50 प्रतिशत और उससे अधिक है		
2 17	2022-23 के दौरान तिमाहीवार व्यय दर्शाने वाला विवरण	2 4 4	205
3.17	-	3.4.4	205
3.18	अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार बचत	3.5.1 (v)	206
3.19	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में वित्त विभाग के अन्मोदन	3.5.1 (xii)	207
3.13	के बिना बैंक खातों के संचालन का विवरण	3.3.1 (XII)	207
4.1	राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित	4.3	208
	निधियां		
4.2	31 मार्च 2023 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता	4.5	209-211
	प्रमाण-पत्रों के विवरण		
4.3	स्वायत निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखों के	4.14	212-213
	प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के		
	प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी		
4.4	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम	4.15	214-215
	दर्शाने वाली विवरणी		
5.1	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची	5.3	216
5.2	30 सितंबर 2023 तक अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार	5.3	217-218
	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की सारांशित वितीय		
	स्थिति और कार्यचालन परिणाम		
5.3	नवीनतम वर्ष के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की	5.7.2	219
	संचित हानि का सारांश, जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया		
	गया था	E 44.0	000
5.4	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखों के संबंध	5.11.2	220
	में जानकारी		

#### प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 से 3 में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 4 'लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग' चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

अध्याय 5 में 'राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वितीय निष्पादन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वितीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर चर्चा की गई है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा (स्टैंडअलोन) तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।



#### कार्यकारी सार

#### प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वितीय रिपोर्टिंग व्यवहार और राज्य के वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगा।वलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सार इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है तथा महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजटीय प्रयोजन के विरुद्ध निष्पादन, राजस्व एवं व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (मौजूदा कीमतों पर) 9.41 प्रतिशत की औसत दर से बढ़कर 2018-19 में ₹ 6,98,940 करोड़ से 2022-23 में ₹ 9,94,154 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 12.11 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,41,732.90 करोड़ से 2022-23 में ₹ 2,21,110.07 करोड़ हो गया।

2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 और 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 14.22 प्रतिशत की दर से बढ़ी और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 8.97 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 16.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्व-कर राजस्व में 17.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हरियाणा राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) 2021-22 में ₹ 1,10,437 करोड़ से 9.14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 1,20,533 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 से 8.11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व घाटा ₹ 20,333 करोड़ से घटकर ₹ 17,212 करोड़ हो गया, जिसमें 2021-22 की तुलना में 15.35 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबिक राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹ 31,778 करोड़ से थोड़ा कम होकर 2022-23 में ₹ 31,027 करोड़ हो गया, जिसमें 2.36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

#### प्राप्ति-व्यय बेमेल

प्राप्तियों और व्यय के मध्य निरंतर बेमेल बढ़ते राजकोषीय दबाव को दर्शाता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का स्व-राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण, संघ सरकार से सहायता अनुदान एवं अंतरण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपित निर्माण, ऋण एवं अग्रिम, निवेश, आदि) पर व्यय शामिल है।

2018-19 से 2022-23 तक, राजस्व प्राप्तियां 7.49 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 65,885 करोड़ से बढ़कर ₹ 89,194 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां (अर्थोपाय अग्रिम सहित) भी ₹ 39,686 करोड़ से बढ़कर ₹ 80,961 करोड़ हो गई।

राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 10.74 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 7.97 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार को वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,920 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के अवसरंचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। 2018-19 और 2022-23 के मध्य, राजस्व व्यय ₹ 77,155 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 11.04 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 1,06,406 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.70 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार आठ प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (82 से 93 प्रतिशत) बना रहा।

#### साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में ₹ 11,270 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.61 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 17,212 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.73 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने पूंजीगत लेखा में ₹ 11,665 करोड़ खर्च किए। वर्ष 2022-23 में यह कुल व्यय का 9.68 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय कुल उधारी का केवल 14 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान व्यय को पूरा करने और उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018-19 में ₹ 21,912 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.14 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹ 31,027 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.12 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की प्रमात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला प्रभार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय ने 2018-19 (54 प्रतिशत) और 2022-2023 (55 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का 54-55 प्रतिशत संघटित किया। प्रतिबद्ध व्यय औसतन 8.43 प्रतिशत की दर से बढ़ा अर्थात 2018-19 में ₹ 41,454 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 58,909 करोड़ हो गया {2021-22 (₹ 53,215 करोड़) की तुलना में 10.70 प्रतिशत की वृद्धि)}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, 2018-19 से 2022-23 के दौरान अनम्य व्यय राजस्व व्यय के 5.21 प्रतिशत से बढ़कर 5.51 प्रतिशत हो गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति का परिचायक है। अनम्य व्यय 2021-22 में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,179 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 5,865 करोड़ हो गया।

कुल मिलाकर, 2022-23 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 64,774 करोड़ था; राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजीगत निर्माण के लिए कम नम्यता के साथ छोड़ देती है।

# सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा है

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी पर व्यय 2018-19 में ₹ 8,549 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ हो गया, 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,535 करोड़ हो गया और 2022-23 में घटकर ₹ 9,360 करोड़ हो गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का 10.49 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 8.80 प्रतिशत था। विद्युत के लिए: ₹ 7,066 करोड़ (75.49 प्रतिशत), कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए: ₹ 1,839 करोड़ (19.65 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग के लिए: ₹ 336 करोड़ (3.59 प्रतिशत) और सामाजिक सेवाओं के लिए: ₹ 119 करोड़ (1.27 प्रतिशत) की सब्सिडी वितरित की गई।

#### बजट से बाहर उधार

राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 2022-23 के दौरान ₹ 22.05 करोड़ जुटाए, जिसे लेखों में राज्य सरकार की उधारी के रूप में दर्शाया नहीं गया, तथापि ऋण का प्नर्भगतान राज्य बजट के माध्यम से किया जाना है।

#### गारंटियों के कारण आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2023 तक ₹ 23,058.07 करोड़ की कुल गारंटी में से 95.31 प्रतिशत (₹ 21,977.13 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 11,528.75 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसरंचना विकास निगम (₹ 2,962.99 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5,249.21 करोड़), हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 264.41 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,971.77 करोड़) के संबंध में थी। 2022-23 के दौरान दी गई गारंटी के लिए सरकार द्वारा किसी राशि का भ्गतान नहीं किया गया।

#### राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट से बाहर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के मध्य मेल न होने का प्रश्न है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज इत्यादि और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता से सृजित होने वाले व्यय, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों में अंतरण आदि भी शामिल हैं।

# राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम आवश्यकताएं और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की निश्चित प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2022-23 में, राजस्व घाटा 0.98 प्रतिशत की आवश्यकता के विरुद्ध 1.73 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 2.98 प्रतिशत की आवश्यकता के विरुद्ध 3.12 प्रतिशत था; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए कुल बकाया देयता का अनुपात 24.52 प्रतिशत की आवश्यकता के विरुद्ध 29.48 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, हरियाणा सरकार का लोक ऋण 2018-19 से 2022-23 के मध्य बकाया लोक ऋण का औसतन 12.84 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा है। हरियाणा में, ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2018-19 में 22.44 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 27.70 प्रतिशत हो गया और 2021-22 से ऋण स्थिरीकरण (प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार) के कारण 2022-23 में घटकर 25.68 प्रतिशत हो गया।

राज्य में 2018-19 के दौरान प्राथमिक घाटा और धनात्मक डोमर गैप है, जो दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाना चाहिए। तथापि, 2019-20 और 2020-21 (कोविड अविध) के दौरान डोमर गैप ऋणात्मक हो गया और प्राथमिक घाटा हुआ, जिसने दर्शाया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर आए बिना बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाएगा। 2021-22 और 2022-23 के दौरान, डोमर गैप (कोविड प्रभाव से उभरा) धनात्मक हो गया और प्राथमिक घाटे में भी थोड़ा सुधार हुआ जो दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर आ जाएगा। तथापि, लोक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा उधारों के पुनर्भुगतान में उपयोग किया जा रहा था, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास इतना मजबूत नहीं है कि ऋण का भृगतान किया जा सके।

जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है, विश्लेषण और परिणामों के अनुसार, हरियाणा राज्य के वित प्राप्ति और व्यय के मध्य निरंतर मेल न होने के कारण दबाव में है। हरियाणा में, डोमर गैप 2021-22 और 2022-23 के दौरान धनात्मक रहा, हालांकि, लोक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास पर्याप्त मजबूत नहीं था।

#### बजट निष्पादन

# कुल व्यय परिणाम

बजटीय प्रयोजन और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस सीमा तक अधिकता और बचत दोनों के संदर्भ में वास्तविक रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व भाग में, बजट अनुमान (बी.ई) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 9.19 प्रतिशत था। यह 12 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और पांच अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था। पूंजीगत भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 0.86 प्रतिशत था। यह पांच अनुदानों में 25 प्रतिशत तक, छः अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य; और छः अनुदानों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था।

#### व्यय संरचना परिणाम

बजट निष्पादन यह भी दर्शाता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुन: आबंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस सीमा तक योगदान दिया है। यह जांच अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के मध्य भिन्नता की सीमा को दर्शाती है। राजस्व भाग में, संशोधित अनुमान (आर.ई.) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.25 प्रतिशत था। यह 13 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और चार अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था। पूंजीगत भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 4.88 प्रतिशत था। ऐसा 13 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक की बचत, तीन अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य की बचत और एक अनुदान में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य की बचत के कारण हुआ।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 20 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 6,059.12 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। चार मामलों में, ₹ 19,620.72 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता (₹ 18,498.83 करोड़) से ₹ 1,121.89 करोड़ अधिक था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन दर्शाता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और वास्तविक बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के मध्य विचलन 10 प्रतिशत से कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे भी अधिक तक विचलन थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक प्रावधान थे जहां व्यय वास्तविक अनुदान तक भी नहीं पहुंचा। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजटीय व्यवहार अपेक्षित है।

### लेखों की गुणवता और वितीय रिपोर्टिंग

लेखों की गुणवता और वित्तीय रिपोर्टिंग उन मदों, लेन-देन और इवेंट्स को कवर करती है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मामलों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मामलों जैसे कि ब्याज वाली जमा राशि के संबंध में देयता का निर्वहन न करना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी, बैंक खातों में निधियों की पार्किंग और लेखांकन मानकों का अन्पालन पर भी प्रकाश डालता है।

### अन्दान/विनियोग से अधिकता का नियमितीकरण

राज्य सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किए गए अनुदान/विनियोग पर अधिकता प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी अनुदान एवं विनियोग के अंतर्गत आधिक्य संवितरण का कोई मामला सामने नहीं आया। तथापि, वर्ष 2019-20 से 2021-22 से संबंधित ₹ 238.79 करोड़ के आधिक्य संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक विनियमित नहीं किया गया है।

# भारत सरकार लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने भारत सरकार लेखांकन मानक-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया क्योंकि ऋण एवं अग्रिम के अंतिम शेष का ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा समाधान नहीं किया गया था।

#### एकल नोडल एजेंसी को निधियां

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है। सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खजाना खातों में वर्ष के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,737.87 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने खजाना खातों में प्राप्त केंद्र का हिस्सा ₹ 3,018.71 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹ 3,168.11 करोड़ एकल नोडल एजेंसी को अंतरित कर दिया। 31 मार्च 2023 तक, एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 2,378.76 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया कि उसे वर्ष के दौरान केंद्र का हिस्सा ₹ 3,034.10 करोड़ प्राप्त हुआ था और वर्ष के दौरान केंद्र का हिस्सा ₹ 3,034.10 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 3,183.57 करोड़ एकल नोडल एजेंसी को अंतरित कर दिया गया था। ₹ 6,217.67 करोड़ के कुल अंतरण में से, ₹ 425.42 करोड़ सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से, ₹ 4,847.48 करोड़ सहायतानुदान बिलों के माध्यम से और ₹ 944.77 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों और अन्य श्रेणी के बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एकल नोडल एजेंसी से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली की एकल नोडल एजेंसी रिपोर्ट के आंकड़ों और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मध्य अंतर का समाधान करना अपेक्षित है।

#### बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

निर्धारित समय अविध के भीतर सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक ₹ 17,976.65 करोड़ के 2,660 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे।

# सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल

इसी प्रकार, सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिम धन के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 305.73 करोड़ के 715 सार आकस्मिक बिल विस्तृत आकस्मिक बिल के विरुद्ध जमा करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 25.34 करोड़ की राशि के 223 सार आकस्मिक बिल 2021-22 तक की अविध से संबंधित थे।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वितीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वितीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करना; सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत न करना; भारत सरकार लेखांकन मानक-3 का अनुपालन न करना; और एकल नोडल एजेंसी से व्यय के विवरण की आपूर्ति न होने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

# राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 तक, हिरयाणा में 37 राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) थे, जिनमें दो सांविधिक निगम और 29 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सिहत) और छः सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों, जिनके 62 खाते बकाया थे, द्वारा वितीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया गया था। 19 कार्यरत राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित ₹ 1,049.20 करोड़ के कुल लाभ में से 66.16 प्रतिशत का अंशदान केवल तीन राज्य सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया गया था। 11 कार्यरत राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 51.05 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 23.68 करोड़ (46.39 प्रतिशत) और ₹ 21.43 करोड़ (41.98 प्रतिशत) की हानि क्रमशः अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों और सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों के वितीय विवरणों पर अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का वितीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 55.71 करोड़ और वितीय स्थिति पर ₹ 4,254.96 करोड़ था।

राज्य सरकार अपने वितीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन पर दबाव डाले। अंतिमकृत खातों के अभाव में, ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार घाटे में चल रहे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जिनकी निवल संपत्ति समाप्त हो गई है, में घाटे के कारणों का भी विश्लेषण करे और उनके संचालन को कुशल एवं लाभदायक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए।

# अध्याय-1 विहंगावलोकन

#### अध्याय 1: विहंगावलोकन

#### 1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित है। इसके 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। यह 44,212 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21वें स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या अनुमान के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 3.02 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 2.18 प्रतिशत है और जनसंख्या के मामले में राज्यों में 17वें स्थान पर है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 683.28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राष्ट्रीय औसत 422.26 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11.16 थी जो अखिल भारतीय औसत 21.92 से कम है। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.60 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (परिशिष्ट 1.1)।

#### 1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.), एक निश्चित समयाविध में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयाविध में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है जिनका संबंध कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियां *तालिका 1.1* में दर्शाई गई हैं; और 2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान और क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः *चार्ट 1.1* और *1.2* में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में प्रवृत्तियां (वर्तमान मुल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सकल घरेलू उत्पाद	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
(2011-12 श्रृंखला)					
सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.)	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
गत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू	10.59	6.37	(-)1.36	18.36	16.06
उत्पाद (स.घ.उ.) की वृद्धि दर					
(प्रतिशत में)					
पिछले वर्ष की तुलना में सकल	11.03	7.02	(-)1.05	17.87	15.41
मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) की वृद्धि					
दर (प्रतिशत में)					
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
(₹ में)					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,98,940	7,32,195	7,41,850	8,70,665	9,94,154
(स.रा.घ.उ.) (2011-12 श्रृंखला)					
राज्य सकल मूल्य वर्धित	6,23,848	6,51,152	6,45,241	7,60,935	8,70,227
(जी.एस.वी.ए.)					
गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य	9.41	4.76	1.32	17.36	14.18
घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर					
(प्रतिशत में)					
गत वर्ष की तुलना में राज्य सकल	14.42	4.38	(-)0.91	17.93	14.36
मूल्य वर्धित की वृद्धि दर					
(प्रतिशत में)					
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू	2,47,798	2,55,958	2,55,713	2,95,923	3,33,162
उत्पाद (₹ में)					

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

वर्तमान मूल्यों पर 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 9,94,154 करोड़ था और वर्तमान मूल्यों पर 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2,72,40,712 करोड़ था। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,33,162 था जबिक देश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,96,983 था। 2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 34.45 प्रतिशत थी, जबिक इसी अविध के दौरान देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 38.31 प्रतिशत थी। राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत जो 2018-19 में देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से 73.99 प्रतिशत अधिक था, वर्ष 2022-23 के अंत में घटकर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का 69.13 प्रतिशत हो गया था।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। सकल मूल्य वर्धित को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल अचल पूंजीगत सृजन या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की


जा सकती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में निवल करों के प्रतिपादन में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए सकल मूल्य वर्धित और राज्य सकल मूल्य वर्धित (जीएसवीए) डेटा की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

2018-19 से 2022-23 की अविध के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राज्य सकल मूल्य विधित की प्रवृत्तियां *चार्ट 1.1* में दर्शाई गई हैं।

्रिस्टिक्टि 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 -0.91 ■ पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ■ पिछले वर्ष की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर

चार्ट 1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद बनाम राज्य सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (2018-19 से 2022-23)

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।



चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि में 2018-19 से 2020-21 के दौरान सभी तीन क्षेत्रों में गिरावट देखी गई और उसके बाद 2021-22 में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। 2022-23 में, पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में उप-गतिविधियों अर्थात विनिर्माण, निर्माण, रेलवे, सड़क परिवहन, परिवहन से जुड़ी सेवाओं आदि की वृद्धि दर में कमी के कारण उद्योग और सेवा क्षेत्रों में गिरावट देखी गई। इसके अलावा, कृषि एवं सहायक क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि मुख्य रूप से 2020-21 से 2022-23 के दौरान फसलों, पशुधन, मछली पकड़ने और जलीय कृषि में वृद्धि दर में वृद्धि के कारण देखी गई।

## 1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाएंगे। राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत तैयार तथा प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक रूप से राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों को खजानों, कार्यालयों और राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले विभागों, जो इन लेखों को रखने के उत्तरदायी हैं, द्वारा प्रदान किए गए वाऊचरों, चालानों और प्रारंभिक एवं संबंधित लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों से तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रमाणित की जाती है।

इस प्रतिवेदन के लिए मूल सामग्री राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मानदंडों और आबंटन वरीयताओं अर्थात् परिपेक्ष्यों के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभाविकता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अन्पालन के मूल्यांकन के लिए;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और खजानों के पास उपलब्ध अन्य डाटा;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का डाटा और राज्य से संबंधित अन्य आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम 2005 और भारत सरकार (भा.स.) के श्रेष्ठतम प्रचलनों और मार्गनिर्देशों के संदर्भ में भी किया जाता है।

#### 1.3 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

# भाग ।: राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अन्च्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार से प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलत हैं। इस निधि से भारतीय संविधान में निहित कानून के अनुसार और उद्देश्य के अतिरिक्त किसी भी तरह से धन का विनियोग नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगियां, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होते हैं और विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन हैं।

# भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अन्च्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जो कि राज्य विधानसभा द्वारा कानूनी रूप से स्थापित की जाती है और राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट करके की जाती है।

# भाग III: राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, प्राप्त सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) अग्रिम, आरिक्षित निधियां (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण और उचंत शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लंबित रहते अंतरण शीर्ष हैं) जैसे वापसी योग्य सिम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अधीन शामिल है। लोक लेखा विधानसभा के मतदान का विषय नहीं है।

#### बजट दस्तावेज

भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की एक विवरणी प्रस्तुत की जाती है। 'वार्षिक वित्तीय विवरणी' में मुख्य बजट दस्तावेज हैं। आगे, बजट में राजस्व लेखा पर व्यय को अन्य व्ययों से अलग होना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा), गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वितीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। इसका संबंध सरकारी और अन्य सेवाओं के सामान्य कार्यचालन हेतु सरकार द्वारा ऋण पर किए गए ब्याज भुगतानों, विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन हेतु हो सकते हैं) हेतु किए गए व्यय से है।

# प्ंजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:


- ऋण प्राप्तियां: बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि, तथा
- गैर-ऋण प्राप्तियां: विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वस्तियां।

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर किए गए व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में, सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण			
लेखा महानियंत्रक द्वारा मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)			
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंक)			
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)			
राज्यों के लिए छोड़ी	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)			
गई नम्यता	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)			
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष - वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक)			

कार्यात्मक वर्गीकरण से विभाग, कार्य, योजना अथवा कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य का पता चलता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में अंतर्निहित नंबरिंग लॉजिक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्व प्राप्तियों के लिए 0 और 1, राजस्व व्यय के लिए 2 और 3, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ प्रयोजन शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यत: "वेतन" प्रयोजन शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" प्रयोजन शीर्ष पूंजीगत व्यय है। प्रयोजन शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।



स्रोत: बजट मैन्अल पर आधारित

लोक ऋण और सार्वजनिक देयता: इस प्रतिवेदन में 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों आदि को शामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004-लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेनदेन ऐसे होते हैं कि सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि को वसूल करने का दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबंधित लेन-देन में खजानों और करंसी चेस्टों के मध्य नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा सर्कल के मध्य अंतरण जैसे लेनदेन को समायोजित करना शामिल है।

इस प्रतिवेदन में, 'सार्वजनिक देयता' में मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेनदेन के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेनदेन को शामिल किया गया है।

#### बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अन्च्छेद 202 के अन्सार, राज्य के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2022-23 के

लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय की विवरणी को वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाना है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरणी राज्य विधानसभा को अनुदानों/विनियोगों के लिए मांग के रूप में प्रस्तुत की जाती है और इनके अनुमोदन के बाद समेकित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा विनियोग बिल पारित किया जाता है।

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को बजटीय अनुमान तैयार करने और इसके व्यय की गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गदर्शन करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिया गया है।

# 1.3.1 वित्तों के स्नैपशॉट

तालिका 1.2 में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान (बी.ई.) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वास्तविक वितीय परिणामों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों की त्लना में वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण

(₹ करोड़ में)

豖.	घटक	2021-22	2022-23	2022-23	वास्तविक से	वास्तविक
सं.		(वास्तविक)	(बजट अनुमान)	(वास्तविक)	बजट अनुमान	से स.रा.घ.उ.
					की प्रतिशतता	की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	63,099.32	82,653.48	73,338.80	88.73	7.38
	(i) स्व-कर राजस्व	53,377.16	73,727.50	62,960.80	85.40	6.33
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	9,722.16	8,925.98	10,378.00	116.27	1.04
2	कर-भिन्न राजस्व	7,394.13	12,205.36	8,742.63	71.63	0.88
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	7,598.24	11,565.86	7,113.26	61.50	0.72
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	78,091.69	1,06,424.70	89,194.69	83.81	8.97
5	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	500.24	766.87	237.75	31.00	0.02
6	अन्य प्राप्तियां	67.15	5,393.89	73.91	1.37	0.01
7	उधार एवं अन्य देयताएं (क)	31,777.78	29,618.32	31,026.88	104.76	3.12
8	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	32,345.17*	35,779.08	31,338.54	87.59	3.15
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	1,10,436.86	1,42,203.78	1,20,533.23	84.76	12.12
10	राजस्व व्यय (ख)	98,425.03	1,16,198.63	1,06,406.21	91.57	10.70
11	ब्याज भुगतान	18,361.60	20,994.48	20,095.57	95.72	2.02
12	पूंजीगत व्यय	12,011.83	26,005.15	14,127.02	54.32	1.42
	(i) पूंजीगत परिव्यय	11,045.56	22,343.56	11,664.95	52.21	1.17
	(ii) संवितरित ऋण एवं अग्रिम	966.27	3,661.59	2,462.07	67.24	0.25
13	आकस्मिक निधि का	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	विनियोजन					
14	कुल व्यय (10+12+13)	1,10,436.86	1,42,203.78	1,20,533.23	84.76	12.12
15	राजस्व घाटा (-)/	(-)20,333.34	(-)9,773.93	(-)17,211.52	176.10	1.73
	आधिक्य (+) (4-10)					
16	राजकोषीय घाटा (-)/	(-)31,777.78	(-)29,618.32	(-)31,026.88	104.76	3.12
	आधिक्य (+){(4+5+6)-14}					
17	प्राथमिक घाटा (-)/	(-)13,416.18	(-)8,623.84	(-)10,931.31	126.76	1.10
	आधिक्य (+) (16-11)					

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बजट एक नजर में।

<sup>(</sup>क) उधार एवं अन्य देयताएं: लोक ऋण के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंतिम नकद शेष के निवल।

<sup>(</sup>ख) राजस्व खाते पर व्यय में ब्याज भुगतान शामिल हैं।

इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, तथापि राज्य की राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 14.22 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन बजट अनुमान से 16.19 प्रतिशत कम रही। चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (₹ 89,194.69 करोड़) से अधिक राजस्व व्यय (₹ 1,06,406.21 करोड़) था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17,211.52 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर ₹ 5,654.41 करोड़, राज्य उत्पाद शुल्क ₹ 1,739.95 करोड़, वाहनों पर कर ₹ 966.58 करोड़, स्टांप एवं पंजीकरण ₹ 1,008.75 करोड़ और गैर-कर राजस्व (₹ 1,348.50 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय करों की निवल आय के हिस्से के अंतरण में भी ₹ 655.84 करोड़ की वृद्धि हुई।

#### 1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से मृजित परिसंपितयों को सिम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2023 तक ऐसी देयताओं और पिरसंपितयों का सार गत वर्ष की तत्कालीन स्थिति से तुलना को पिरिशिष्ट 1.2 में दर्शाया गया है। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल होती हैं और पिरसंपितयों में मुख्यतः पूंजीगत पिरव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल होते हैं। पिरसंपितयों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

		देयताएं		परिसंपतियां					
		31 मार्च	31 मार्च	प्रतिशत			31 मार्च	31 मार्च	प्रतिशत
		2022 को	2023 को	वृद्धि		2022 को 2023		2023 को	वृद्धि
समेकित निधि									
क	आंतरिक कर्ज	2,26,208.23	2,52,780.77	11.75	क	सकल पूंजीगत	1,29,013.56	1,40,604.60	8.98
						परिव्यय			
ख	भारत सरकार से	13,234.58*	14,290.07	7.98	ख	ऋण एवं अग्रिम	8,350.07	10,574.39	26.64
	ऋण एवं अग्रिम								
आकि	हेमक निधि	1,000.00	1,000.00	0.00					
				लोक र	लेखा				
क	लघु बचतें, भविष्य	18,394.45	18,663.82	1.46	क	अग्रिम	0.74	0.74	0.00
	निधियां, इत्यादि								
ख	जमा	11,724.95	12,110.24	3.29	ख	प्रेषण	-	-	-
ग	आरक्षित निधियां	8,848.92	10,258.96	15.93	ग	उचंत एवं विविध	=	-	-
घ	उचंत एवं विविध	241.40	425.44	76.24	नकद	शेष (चिहिनत निधि	4,946.11	3,833.55	-22.49
	शेष				में निवे	शि सहित)			
ङ	प्रेषण	314.60	352.16	11.94	कुल	_	1,42,310.48	1,55,013.28	8.93
					राजस्व	लेखा में घाटा	1,37,656.65	1,54,868.18 <sup>1</sup>	12.50
कुल		2,79,967.13	3,09,881.46	10.68	कुल		2,79,967.13	3,09,881.46	10.68

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

 इसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से चुकाया नहीं जाना है।

9

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.02 करोड़ शामिल हैं।

# 1.4 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब सरकार एकत्र राजस्व से अधिक व्यय करती है तो यह घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को अधिकृत करते हैं।

घाटे को उधार से पूरा किया जाता है जिससे सरकारी ऋण बढ़ता है। घाटे और ऋण की धारणाओं में निकट का संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण स्टॉक में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल-दर-साल उधार लेना जारी रखती है तो इसके परिणामस्वरूप ऋण का संचय होगा और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ये ब्याज भृगतान स्वयं ऋण में योगदान करेंगे।

उधार लेकर सरकार कम हुए उपभोग का भार भावी पीढ़ियों पर डालती है। यह इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है परंतु कुछ बीस वर्ष बाद कर बढ़ाकर या व्यय कम करके बॉण्ड्स चुकाने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने के कारण निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को भी कम करता है। इस हद तक कि यह पूंजीगत सृजन और विकास को कम करता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर 'भार' के रूप में कार्य करता है।

तथापि, यदि सरकारी घाटे उनके उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में सफल हों तो और अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में सरकार और उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, यदि सरकार अवसंरचना में निवेश करती है, भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को भार नहीं समझा जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी द्वारा कम किया जा सकता है। तथापि, अधिक बल सरकारी व्यय में कमी की तरफ ही रहा है। सरकारी गतिविधियों को कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

कंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों ने एक मध्यम अविध के ढांचे में राजस्व घाटे को खत्म करने, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करने, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करने और पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अिधनियम पारित किए हैं। इस संदर्भ में, ये अिधनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा अन्पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करते हैं।

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 06 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को किसी विशेष वर्ष में प्रचलित राजकोषीय मापदंडों के साथ संरेखित करने के लिए, जैसा कि 15वें वित आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा इसकी प्रदानगी अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए अनुमोदित किया गया है, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राज्य सरकार द्वारा 30 मार्च 2022 को संशोधन किया गया था।

मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों तथा मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 1.4 तथा तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

ताालका	1.4: 3 <del>1</del>	नुमाना	स	प्रमुख	तथा	राजकाषाय	सकतका	म	ाभन्नताए	(स.रा.घ.उ.	का	प्रातशतता)	

राजकोषीय संकेतक	2022-23								
	15वें वित्त	बजट में	पांच वर्षीय	वास्तविक	अनुमानों से वास्तविकों की भिन्नता				
	आयोग द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	प्रस्तावित लक्ष्य	राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए अनुमान		15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के अनुमान		
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	0.80	(-) 0.98	(-) 0.98	(-) 1.73	(-) 2.53	(-) 0.75	(-) 0.75		
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 3.50	(-) 2.98	(-) 2.98	(-) 3.12	0.38	(-) 0.14	(-) 0.14		
कुल बकाया देयता का स.रा.घ.उ. से अनुपात∗	31.40	24.52	24.52	29.48	(-) 1.92	4.96	4.96		

 वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया देयता अनुपात से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 30.67 प्रतिशत है। कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,745.79 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे को छोड़कर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (29.48 प्रतिशत) के लिए ऋण की गणना की गई है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

आगे, यदि हम समेकित ऋण शोधन निधि में कम अंशदान और पिरभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत शेष राशि में ब्याज का भुगतान न करने के कारण ₹ 1,013.64 करोड़ का कम विवरण लेते हैं (जैसा कि पैराग्राफ 1.5.1 में दर्शाया गया है), तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 0.10 प्रतिशत तक अधिक हो जाएगा।


तालिका 1.5: 2022-23 के लिए वास्तविकों की तुलना में मध्य अविध राजकोषीय नीति में अनुमान (₹ करोड में)


क्र.	राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी. के	वास्तविक	भिन्नता
सं.		अनुसार अनुमान	(2022-23)	(प्रतिशत में)
1	स्व-कर राजस्व	73,727.50	62,960.80	(-) 14.60
2	गैर-कर राजस्व	12,205.36	8,742.63	(-) 28.37
3	केंद्रीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा	8,925.98	10,378.00	16.27
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,565.86	7,113.26	(-) 38.50
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	1,06,424.70	89,194.69	(-) 16.19
6	राजस्व व्यय	1,16,198.63	1,06,406.21	(-) 8.43
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (5-6)	(-) 9,773.93	(-) 17,211.52	(-) 76.10
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 29,618.32	(-) 31,026.88	(-) 4.76
9	ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	24.52	29.48*	20.23
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	11	14.18	28.91

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से
 ₹ 11,745.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के
 अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्रीय करों एवं शुल्कों के हिस्से को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के सभी घटकों में 14.60 प्रतिशत और 38.50 प्रतिशत के मध्य की कमी के कारण सरकार मध्य अवधि राजकोषीय नीति में अनुमानित स्तर के साथ राजस्व घाटे को नियंत्रित करने में असमर्थ थी जिसमें 16.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। परिणामस्वरूप, राजकोषीय घाटा भी मध्य अवधि राजकोषीय नीति में अनुमानित लक्ष्य से 4.76 प्रतिशत अधिक हो गया।

चार्ट 1.4 और चार्ट 1.5 2018-23 की अविध में क्रमशः घाटे के मापदंडों में प्रवृत्तियों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।





- राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है, 2021-22 के दौरान ₹ 20,333 करोड़ था लेकिन 2022-23 में घटकर ₹ 17,212 करोड़ हो गया जो ₹ 9,774 करोड़ के बजट अनुमान से अधिक था। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा राज्य को वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व अधिशेष राज्य के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया जा सका।
  - ₹ 17,212 करोड़ का राजस्व घाटा इंगित करता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत सृजन की जगह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।
- राजकोषीय घाटा जो राज्य की कुल उधारी, अर्थात इसके कुल संसाधन अंतर को दर्शाता है, 2021-22 में ₹ 31,778 करोड़ था, 2022-23 के दौरान से घटकर ₹ 31,027 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अविध राजकोषीय नीति और बजट अनुमानों में 2.98 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.12 प्रतिशत था, लेकिन 15वें वित आयोग के अंतर्गत निर्धारित 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।
- प्राथमिक घाटा, जो गैर-ऋण प्राप्तियों पर प्राथमिक व्यय (ब्याज भुगतान का निवल कुल व्यय) की अधिकता को इंगित करता है, 2021-22 में ₹ 13,416 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 10,931 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे की विद्यमानता इंगित करती है कि राज्य को अपनी उधार ली गई निधियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी।

# 1.5 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

### 1.5.1 राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

राज्य के लिए गणना के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि ऋण शोधन निधि में कम अंशदान, स्पष्ट देयताओं के स्थगन आदि के कारण प्रभावित होता है। वास्तिवक घाटे के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करने, ऋण शोधन और मोचन निधियों आदि के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत समेकित ऋण शोधन निधि में कम अंशदान और शेष राशि में ब्याज के गैर-समायोजन के कारण राजस्व और राजकोषीय घाटा ₹ 1,013.64 करोड़ कम बताया गया था जैसा कि *तालिका 1.6* में दर्शाया गया है।

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		निवल प्रभाव से पहले अनुपात (प्रतिशत में) राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा/		भाव के बाद (प्रतिशत में)
	(अवकथित)	(अवकथित)				
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	स.रा.घ.उ.	स.रा.घ.उ.	स.रा.घ.उ.	स.रा.घ.उ.
समेकित ऋण शोधन निधि में कम अंशदान	1,012.31	1,012.31				
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में ब्याज का भुगतान न करना	1.33	1.33	(-) 1.73	(-) 3.12	(-) 1.83	(-) 3.22
कुल	1,013.64	1,013.64				

तालिका 1.6: राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

स्रोत: वित्त लेखे

2022-23 के दौरान, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 17,211.52 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.73 प्रतिशत) और ₹ 31,026.88 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.12 प्रतिशत) था, जैसा कि चार्ट 1.4 और 1.5 में दर्शाया गया है। यदि उपर्युक्त लेन-देन को ध्यान में रखा जाए, तो वास्तविक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 18,225.16 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.83 प्रतिशत) और ₹ 32,040.52 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.22 प्रतिशत) होगा और वास्तविक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा मध्य अविध राजकोषीय नीति लक्ष्य क्रमशः ₹ 8,451.23 करोड़ (86.47 प्रतिशत) और ₹ 2,422.20 करोड़ (8.18 प्रतिशत) से अधिक होगा। इस प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के राजस्व घाटे के साथ-साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय घाटे को 0.10 प्रतिशत अंक से कम करके आंका गया है।

### 1.5.2 लेखापरीक्षा पश्चात - क्ल लोक ऋण

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत देयताएं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहनों और गारंटी सहित अन्य समकक्ष

उपकरणों जहां मूल और/या ब्याज राज्य बजट में से आहरित किए जाने हैं। लंबित ऋणों/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि *तालिका 1.7* में दिया गया है।

तालिका 1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
आंतरिक ऋण (क)	2,52,780.77
ब्याज वाले बाजार ऋण	2,19,185.53
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.02
प्रतिकर और अन्य बांड	17,300.00
बैंकों तथा अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	9,266.97
केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,356.48
अन्य	671.77
केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)	14,290.07*
गैर-योजना ऋण	5.99
राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण	631.48
अन्य	13,652.60
लोक लेखों पर देयताएं (ग)	37,797.53
लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,663.82
जमा	12,110.25
आरक्षित निधियां	7,023.46
कुल (क+ख+ग)	3,04,868.37

स्रोत: वित्त लेखे

 इसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को ₹ 11,745.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण शामिल हैं, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/ दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा कुल देयताओं का अनुपात मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी और बजट के अंतर्गत 24.52 प्रतिशत के मानक निर्धारण की तुलना में 29.48 प्रतिशत की दर पर अधिक था, लेकिन 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था।

इसके अलावा, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीएचसीएल) ने इन ऋणों के लिए राज्य सरकार की गारंटी के विरुद्ध हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) की राशि के दो ऋण उठाए। गृह विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, मूलधन के साथ-साथ ब्याज का पुनर्भुगतान ऋण करार के अनुसार किया जाएगा और राज्य सरकार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज सहित ऋण करार में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में निर्धियों का वार्षिक आबंटन करेगी। वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को अपेक्षित निर्धियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब राज्य सरकार किसी अलग कानूनी इकाई की देयताओं को बिना शर्त और पर्याप्त रूप से चुकाने का कार्य करती है, तो उसे राज्य की उधारी के रूप में ऐसी देयता को दर्शाना होगा। हरियाणा पुलिस

हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उठाए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा सरकार की देयता (₹ 845.35 करोड़, जिसमें से ₹ 22.05 करोड़ 2022-23 के दौरान उठाए गए थे) को लेखों में हरियाणा सरकार के ऋण के रूप में दर्शाया नहीं गया था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) को इन ऋणों के लिए ₹ 85 करोड़ (₹ 55 करोड़ जमा ₹ 30 करोड़) की राशि चुकाई, जबिक वर्ष के प्रारंभ अर्थात 1 अप्रैल 2022 को बकाया ऋण राशि ₹ 342.05 करोड़ थी। वर्ष के दौरान ₹ 22.05 करोड़ जुटाए गए हैं, जबिक वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च 2023 को शेष राशि ₹ 279.10 करोड़ है। इस प्रकार, उस सीमा तक उधार को कम बताने के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा 0.01 प्रतिशत कम बताया गया।

अध्याय-2 राज्य के वित

### अध्याय 2: राज्य के वित्त

# 2.1 प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन

पिछले वर्ष की तुलना में वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन *तालिका 2.1* में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: 2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय संचय में परिवर्तन

पाजस्व प्राप्तियां  ✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 14.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 17.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ स्व गैर-कर प्राप्तियों में 18.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 6.75 प्रतिशत बढ़ गया  ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 6.40 प्रतिशत की कमी आई  राजस्व  ठयय  ✓ राजस्व व्यय में 8.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ भार्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ  पूंजीगत  पूंजीगत प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  और-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की कमी आई  पूंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई  सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई  पूंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई  सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई  पार्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई  अर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की कमी आई  अर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 154.86 प्रतिशत की कमी आई  अर्थाय पं अर्थिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की कमी आई  क्रिण एवं अर्थिमों की वस्ली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई  लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  निक्त की आई			
प्राचित की स्थानियों में 18.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई  पं केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 6.75 प्रतिशत बढ़ गया  शारत सरकार से सहायता अनुदान में 6.40 प्रतिशत की कमी आई  राजस्व  प राजस्व व्यय में 8.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई  सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई  सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई  आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई  2022-23 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ  पूंजीगत  पूंजीगत  पूंजीगत प अहण पूंजीगत प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 44.97 प्रतिशत की कमी आई  पूंजीगत  प्राणितयां  पूंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई  सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई  प्राणितयां  प्राणित्यां  प्राणित्यां	राजस्व	✓	राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 14.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई
<ul> <li>कंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 6.75 प्रतिशत बढ़ गया</li> <li>शारत सरकार से सहायता अनुदान में 6.40 प्रतिशत की कमी आई</li> <li>राजस्व</li> <li>राजस्व व्यय में 8.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>2022-23 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ</li> <li>पूंजीगत</li> <li>मूंजीगत प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 44.97 प्रतिशत की कमी आई</li> <li>पूंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>ऋण एवं</li> <li>अधिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>ऋणों एवं अधिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक ऋण पाप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>नकद शेष पे पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)</li> </ul>	प्राप्तियां	✓	राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 17.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई
प्राजस्व प्राणस्व प्राजस्व प्राणस्व प्रव  प्रा		✓	स्व गैर-कर प्राप्तियों में 18.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व  ✓ राजस्व व्यय में 8.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ  प्रजीगत प्रण्तियां  ✓ ऋण प्रंजीगत प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ﴿ ग्रीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई  प्रंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ﴿ सामान्य सेवाओं पर प्रंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई  ﴿ सामान्य सेवाओं पर प्रंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई  ﴿ सामाजिक सेवाओं पर प्रंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई  ﴿ आर्थिक सेवाओं पर प्रंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की कमी आई  ﴿ आर्थिक सेवाओं पर प्रंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ऋण एवं  ऋण एवं  ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ﴿ लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  नकद शेष   ✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)		✓	केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 6.75 प्रतिशत बढ़ गया
च्यय		✓	भारत सरकार से सहायता अनुदान में 6.40 प्रतिशत की कमी आई
प्राणिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई  अार्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई  2022-23 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ  प्राणितयां  म्पूजीगत प्राण्तियां में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  गैर-ऋण प्र्जीगत प्राप्तियों में 44.97 प्रतिशत की कमी आई  प्रजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई  सामान्य सेवाओं पर प्रजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई  सामाजिक सेवाओं पर प्रजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई  सामाजिक सेवाओं पर प्रजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की कमी आई  आर्थिक सेवाओं पर प्रजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ऋण एवं  अधिम  मार्जिक सेवाओं के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ऋणों एवं अधिमों के वस्ती में 52.47 प्रतिशत की कमी आई  लोक ऋण  लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  नकद शेष  पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)	राजस्व	✓	राजस्व व्यय में 8.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई
<ul> <li>अार्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>पंजीगत</li> <li>मूंजीगत प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>गैर-ऋण प्ंजीगत प्राप्तियों में 44.97 प्रतिशत की कमी आई</li> <li>पंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>पंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>सामान्य सेवाओं पर प्ंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर प्ंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई</li> <li>आर्थिक सेवाओं पर प्ंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>ऋण एवं</li> <li>ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>ऋणों एवं अग्रिमों के वस्त्ती में 52.47 प्रतिशत की कमी आई</li> <li>लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)</li> </ul>	व्यय	✓	सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई
प्रंजीगत प्राप्तियां प्रंजीगत प्राप्तियां में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई ग्रीर-ऋण प्रंजीगत प्राप्तियों में 44.97 प्रतिशत की कमी आई प्रंजीगत प्रंजीगत प्राप्तियों में 44.97 प्रतिशत की कमी आई प्रंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई व्यय प्रंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई सामान्य सेवाओं पर प्रंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई सामाजिक सेवाओं पर प्रंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई आर्थिक सेवाओं पर प्रंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई ऋण एवं अग्रिम प्रंजीगत व्यय में 52.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई ऋणां एवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई ऋणां एवं अग्रिमों की वस्ली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई लोक ऋण लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा प्राप्तियों में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई प्रं लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई निकद शेष  पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)		✓	सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूंजीगत प्राप्तियां  प्रजीगत प्राप्तियां में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 44.97 प्रतिशत की कमी आई  पूंजीगत प्रजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई ऋण एवं अग्रिम अग्रिम लोक ऋण पवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई ऋणों एवं अग्रिमों के वस्ती में 52.47 प्रतिशत की कमी आई लोक ऋण लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई निक्द शेष  पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नक्द शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)		✓	आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई
प्राप्तियां  √ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 44.97 प्रतिशत की कमी आई  पूंजीगत  ✓ पूंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई  रयय  ✓ सामाज्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई  ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई  ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ऋण एवं  ¾णों एवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ¾णों एवं अग्रिमों की वसूली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई  लोक ऋण  ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत' की वृद्धि हुई  ✓ लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  नकद शेष  ✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)		✓	2022-23 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ
प्ंजीगत  प्ंजीगत  प्ंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई  सामान्य सेवाओं पर प्ंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई  सामाजिक सेवाओं पर प्ंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई  आर्थिक सेवाओं पर प्ंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ऋण एवं  ऋण एवं  ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ऋणों एवं अग्रिमों की वस्ली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई  लोक ऋण  लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  नकद शेष  पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)	पूंजीगत	✓	ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई
व्यय      सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई     सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई     आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई  क्रण एवं अग्रिम    अणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई अग्रिम    लोक ऋणं एवं अग्रिमों की वसूली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई  लोक ऋण    लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई     लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा    लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  नकद शेष    पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)	प्राप्तियां	✓	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 44.97 प्रतिशत की कमी आई
प्राणिष्य सर्वाजा पर पूंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई  प्राणिष्क सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ऋण एवं  ऋणें एवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई  लोक ऋण  लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  नकद शेष  पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)	पूंजीगत	✓	पूंजीगत व्यय में 5.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई
<ul> <li>अार्थिक सेवाओं पर प्ंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>ऋण एवं</li> <li>ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई</li> <li>लोक ऋण</li> <li>लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा</li> <li>लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>नकद शेष</li> <li>पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)</li> </ul>	व्यय	✓	सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.65 प्रतिशत की कमी आई
ऋण एवं अध्यमं पवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई अग्रिम ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वस्ली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई लोक ऋण ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई नकद शेष ✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)		✓	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 31.35 प्रतिशत की कमी आई
अगिम  √ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई  लोक ऋण  √ लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  √ लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  √ लोक लेखा प्राप्तियों में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  नकद शेष  √ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)		✓	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 46.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई
अगिम  √ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 52.47 प्रतिशत की कमी आई  लोक ऋण  √ लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई  √ लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई  लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  √ लोक लेखा प्राप्तियों में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  नकद शेष  √ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)	ऋण एवं	✓	ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 154.86 प्रतिशत की वृद्धि ह्ई
<ul> <li>✓ लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>✓ लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>नकद शेष</li> <li>✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)</li> </ul>	अग्रिम	✓	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई  ✓ लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई  नकद शेष  ✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)	लोक ऋण	✓	लोक ऋण प्राप्तियों में 69.03 प्रतिशत <sup>*</sup> की वृद्धि हुई
✓       लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई         नकद शेष       ✓       पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)		✓	लोक ऋण की अदायगी में 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई
<b>नकद शेष</b> ✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,112.57 करोड़ (22.49 प्रतिशत)	लोक लेखा	✓	लोक लेखा प्राप्तियों में 25.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई
		✓	लोक लेखा संवितरण में 31.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई
	नकद शेष	<b>✓</b>	

वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त हुए ₹ 7,394 करोड़ के
 भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

### 2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

पिछले वर्ष (2021-22) की तुलना में चालू वर्ष (2022-23) के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का सार *तालिका 2.2* में दिया गया है।

तालिका 2.2: 2021-22 और 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के विवरण (₹ करोड में)


	विवरण	2021-22	2022-23	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारंभिक नकद शेष	3,147.94	4,946.11	1,798.17 (57.12)
	राजस्व प्राप्तियां	78,091.69	89,194.69	11,103.00 (14.22)
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	500.24	237.75	(-) 262.49 (52.47)
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	67.15	73.91	6.76 (10.07)
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	29,632.65 <sup>@</sup>	27,628.01	(-) 2,004.64 (6.76)
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	3,943.31	2,286.33	(-) 1,656.98 (42.02)
	कुल	1,15,382.98	1,24,366.80	8,983.82 (7.79)
उपयोग	राजस्व व्यय	98,425.03	1,06,406.21	7,981.18 (8.11)
	पूंजीगत व्यय	11,045.56	11,664.95	619.39 (5.61)
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	966.27	2,462.07	1,495.80 (154.80)
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम नकद शेष	4,946.11	3,833.55	(-) 1,112.56 (22.49)
	कुल	1,15,382.97 <sup>1</sup>	1,24,366.78 <sup>2</sup>	8,983.81 (7.79)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

@ इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं (दिसंबर 2021)।

परिशिष्ट 2.1 में गत वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

1 पूर्णांकन के कारण ₹ 0.01 करोड़ का अंतर है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पूर्णांकन के कारण ₹ 0.02 करोड़ का अंतर है।

### 2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का वर्णन नीचे दिया गया है:

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश), गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल हैं।
- 2. पूंजीगत प्राप्तियों (ऋण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों) में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वितीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. निवल लोक लेखा प्राप्तियां: कुछ लेनदेन जैसे लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियां


यह पैराग्राफ समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा, राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए निवल लोक लेखा प्राप्तियों का भी उपयोग किया जाता है। 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना को चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है जबकि 2018-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृतियां चार्ट 2.4 में दी गई हैं।



चार्ट 2.3: 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

#### स्रोत: वित्त लेखे

- निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,286 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियों (₹ 70,111 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 67,825 करोड़) के बाद।
- पूर्णांकन के कारण घटक-वार कुल और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार की कुल प्राप्तियां 2018-19 की तुलना में 2022-23 में ₹ 42,842 करोड़ (39.50 प्रतिशत) बढ़ गईं। राजस्व प्राप्तियां ₹ 23,309 करोड़ (35.38 प्रतिशत) बढ़ गईं, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 20,646 करोड़ (52.69 प्रतिशत) बढ़ गईं, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल हैं, और इसी अविध के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 1,113 करोड़ (32.74 प्रतिशत) की कमी आई।

#### 2.3.2 राजस्व प्राप्तियां

# 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि

2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि *तालिका 2.3* में दी गई है और चार्ट 2.5 एवं चार्ट 2.6 में भी दर्शाई गई है। 2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संरचना को परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मानक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	65,885	67,858	67,561	78,092	89,194
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.09	2.99	(-) 0.44	15.59	14.22
कर राजस्व	50,836	49,936	48,352	63,099	73,339
स्व-कर राजस्व	42,581	42,825	41,914	53,377	62,961
संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	8,255	7,111	6,438	9,722	10,378
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.04	(-) 1.77	(-) 3.17	30.50	16.23
गैर-कर राजस्व	7,976	7,400	6,961	7,394	8,742
भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,073	10,522	12,248	7,599	7,113
सहायता अनुदान की वृद्धि दर	36.41	48.76	16.40	(-) 37.96	(-) 6.40
स्व-राजस्व (स्व-कर एवं गैर-कर राजस्व)	50,557	50,225	48,875	60,771	71,703
स्व-राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.69	(-) 0.66	(-) 2.69	24.34	17.99

मानक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 सीरीज)	6,98,940	7,32,195	7,41,850	8,70,665	9,94,154
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.41	4.76	1.32	17.36	14.18
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	9.43	9.27	9.11	8.97	8.97
(प्रतिशत)					
उत्पलावकता अनुपात <sup>3</sup>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व	0.54	0.63	(-) 0.33	0.90	1.00
उत्पलावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राज्य की	0.07	(-) 0.14	(-) 2.04	1.40	1.27
स्व-राजस्व उत्पलावकता					
राजस्व प्राप्तियों के संबंध में राज्य के कर राजस्व	0.99	(-) 0.59	*	1.96	1.14
में उत्पलावकता					

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार


### उत्पलावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि राजस्व प्राप्ति की वृद्धि ऋणात्मक थी।


यह देखा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2018-19 में 5.09 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 14.22 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्तियों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2018-19 में 9.43 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 8.97 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1,06,424 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध ₹ 89,194 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियां थी।

दूसरी ओर, भारत सरकार से सहायता अनुदान में 2020-21 तक वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, लेकिन 2020-21 की त्लना में वर्ष 2022-23 के दौरान 41.93 प्रतिशत की कमी आई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2018-19 में 0.54 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 1.00 प्रतिशत हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की अपनी राजस्व उत्पलावकता भी 2018-19 में 0.07 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 1.40 प्रतिशत हो गई, तथापि, 2022-23 में यह घटकर 1.27 प्रतिशत हो गई। 2020-21 की तुलना में 2021-22 और 2022-23 में स्व-राजस्व उत्पलावकता में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से राज्य के स्व-कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण हुई। प्रमुख वृद्धि राज्य वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर, राज्य आबकारी और स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के अंतर्गत प्राप्तियों में थी। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में गैर-कर राजस्व में भी वृद्धि हुई। स्व-कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के घटकों की प्रवृतियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

उत्पलावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दी गई मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलेपन की मात्रा को इंगित करता है।





स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पूर्णांकन के कारण घटकों के विभाजन और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान 35.38 प्रतिशत बढ़ गई। इसी अविध के दौरान राज्य का स्व-कर राजस्व 47.86 प्रतिशत बढ़ गया, भारत सरकार से सहायता अनुदान 0.57 प्रतिशत बढ़ गया तथा केंद्रीय कर अंतरण 25.72 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व प्राप्ति में राज्य के स्व-राजस्व (कर राजस्व और गैर-कर राजस्व) का अंश 2018-19 में 76.74 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 80.39 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्ति में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश 2018-19 में 10.74 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 7.97 प्रतिशत रह गया। राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय कर अंतरण का अंश 2018-19 से 2022-23 के दौरान 12.53 प्रतिशत से घटकर 11.64 प्रतिशत रह गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 14.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का स्व-कर एवं गैर-कर राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 10,932 करोड़ (17.99 प्रतिशत) बढ़ गया।

#### 2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्व-कर और गैर-कर स्रोत शामिल होते हैं।

#### (i) स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण *तालिका 2.4* में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाईन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	8,998	8,398	8,660	11,221	11,262	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	18,613	18,873	18,236	22,922	28,577	
राज्य उत्पाद कर	6,042	6,323	6,864	7,934	9,673	
वाहनों पर कर	2,908	2,916	2,495	3,265	4,231	-
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	5,636	6,013	5,157	7,598	8,607	
भू-राजस्व	19	20	17	21	23	1
माल एवं यात्रियों पर कर	21	16	4	6	3	
अन्य कर	344	266	481	410	585	\ \
कुल	42,581	42,825	41,914	53,377	62,961	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूर्णांकन के कारण अंतर। अन्य करों में समायोजन किया गया है ताकि स्व-कर राजस्व के कुल आंकड़े का
 मिलान किया जा सके।

स्व-कर राजस्व में 2018-19 की तुलना में 2022-23 में ₹ 20,380 करोड़ (47.86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बिक्री, व्यापार, राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस आदि पर करों में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई जैसा कि *तालिका 2.4* में दर्शाया गया है।

राज्य का स्व-कर राजस्व ₹ 62,961 करोड़ था जो बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अंतर्गत ₹ 73,728 करोड़ के अनुमानों की तुलना में ₹ 10,767 करोड़ कम था लेकिन 15वें वित आयोग द्वारा ₹ 62,892 करोड़ के मानक निर्धारण की तुलना में ₹ 69 करोड़ अधिक था।

### (ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त लेखा बिहयों के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा कर की राशि क्रमशः ₹ 29,434.87 करोड़ और ₹ 28,576.56 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 तक ₹ 1,024.62 करोड़ (वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 858.31 करोड़ और वर्ष 2021-22 तक ₹ 166.31 करोड़) के अंतर का समाधान किया जा रहा है।

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 32,825 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण ₹ 28,576.56 करोड़ (87.06 प्रतिशत) था।

#### (iii) राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2023 तक राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों में राजस्व के बकाया की राशि ₹ 34,173.07 करोड़ थी जिसमें से ₹ 10,587.82 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसाकि *तालिका 2.5* में दर्शाया गया है। विभिन्न चरणों में वसूली की स्थिति का विवरण पिरिशब्द 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.5: 31 मार्च 2023 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.	राजस्व शीर्ष	कुल	पांच वर्ष से अधिक
सं.		बकाया राशि	समय से बकाया राशि
1	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	31,075.87	9,421.34
2	राज्य उत्पाद शुल्क	541.72	261.68
3	स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर वस्तुओं पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	208.11	207.97
4	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.11	11.11
5	पुलिस	131.13	40.91
6	बिजली पर कर एवं शुल्क	448.69	187.24
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,756.44	457.57
कुल		34,173.07	10,587.82

स्रोत: विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

### (iv) निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं, **तानिका 2.6** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.6: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार	2020-21	35,570	3,606	39,176	34,140	5,036	87
इत्यादि पर	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33
कर/वैट	2022-23	6,180	4,473	10,653	3,576	7,077	34

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

# (v) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अंतिमकृत मामलों और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, *तालिका 2.7* में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वर्ष 2022-23 के दौरान पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों के विवरण

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 तक लंबित मामले	2022-23 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ जांच पूरी हुई तथा पेनल्टी आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई मामलों मांग राशि की संख्या (₹ करोड़ में)		31 मार्च 2023 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
1	0039- राज्य उत्पाद शुल्क	49	100	149	112	0.85	37
2	0040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	0	1	0	0	1

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

## (vi) रिफंड मामले

वर्ष 2022-23 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग दवारा सूचित किया गया, *तालिका 2.8* में दी गई है।

तालिका 2.8: वर्ष 2022-23 के दौरान रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

豖.	विवरण	बिक्री कर/वै	ट	राज्य उत्पाद शुल्क		
सं.		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
1	बकाया दावों का प्रारंभिक शेष	438	140.37	33	2.21	
2	प्राप्त दावे	393	199.52	122	15.02	
3	किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	614	152.81	118	13.81	
4	बकाया दावों का अंतिम शेष	217	187.08	37	3.42	

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

# (vii) गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां *तालिका 2.9* में दी गईं हैं।

तालिका 2.9: राज्य के गैर-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)


राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाईन
ब्याज प्राप्तियां	1,954	1,975	1,562	1,378	1,464	
लाभांश एवं लाभ	57	87	163	1,008	192	
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	5,965	5,338	5,236	5,008	7,086	
क) प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	164	172	210	232	360	
ख) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	131	21	8	12	1,345	
ग) सड़क परिवहन	1,197	1,115	585	1,077	1,333	
घ) शहरी विकास	2,316	1,855	1,954	1,241	1,284	
ड.) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	272	458	595	220	678	
च) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	583	702	1,021	838	834	
छ) अन्य या विविध.	1,302	1,015	863	1,388	1,252	<b>✓</b>
कुल	7,976	7,400	6,961	7,394	8,742	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2018-23 के दौरान गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तिविक प्राप्तियों में ₹ 766 करोड़ (9.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। गैर-कर राजस्व (₹ 8,742 करोड़) ने मुख्यतः लाभांश एवं लाभ में ₹ 816 करोड़ तक प्राप्तियों में कमी द्वारा ऑफ सेट अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 1,333 करोड़ तक, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में ₹ 458 करोड़ तथा सड़क परिवहन में ₹ 256 करोड़ तक वृद्धि के कारण गत वर्ष से ₹ 1,348 करोड़ (18.23 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 9.80 प्रतिशत संघटित किया। ₹ 1,464 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों में सिंचाई परियोजना, अनाज आपूर्ति योजना तथा सड़क परिवहन पर ₹ 1,312 करोड़ का बही समायोजन शामिल है। बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व में ₹ 3,463 करोड़ और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 9,163 करोड़ के मानक निर्धारण के प्रति ₹ 421 करोड़ की कमी थी।

### 2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

2013-14 से 2022-23 के दौरान केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां *चार्ट 2.7* में दर्शाई गई हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

### (i) केंद्रीय कर अंतरण

तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.048 तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों की बांटने योग्य राशि 42 से घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की।

केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 2013-14 में ₹ 3,343 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,255 करोड़ हो गया और उसके बाद 2020-21 में घटकर ₹ 6,438 करोड़ हो गया तथा फिर 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,722 करोड़ और 2022-23 में ₹ 10,378 करोड़ हो गया जैसा कि *तालिका 2.10* में विवरण दिए गए हैं।

तालिका 2.10: केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग अनुमान	बजट	वास्तविक	अंतर
		अनुमान	कर अंतरण	
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2010-11	13वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य को	2,194	2,302	108
2011-12	केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि	2,765	2,682	(-) 83
2012-13	का 32 प्रतिशत	3,180	3,062	(-) 118
2013-14		3,484	3,343	(-) 141
2014-15		4,010	3,548	(-) 462
2015-16	14वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को	5,680	5,496	(-) 184
2016-17	केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि	6,189	6,597	408
2017-18	का 42 प्रतिशत	8,372	7,298	(-) 1,074
2018-19		9,300	8,255	(-) 1,045
2019-20		11,216	7,111	(-) 4,105
2020-21	15वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को	8,485	6,438	(-) 2,047
2021-22	केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि	7,275	9,722	2,447
2022-23	का 41 प्रतिशत	8,926	10,378	1,452

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2018-19 से 2022-23 तक केंद्रीय कर अंतरण का विवरण *तालिका 2.11* में दिया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	2,037.54	2,018.07	1,907.46	2,763.35	2,932.91
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	162.60			1	4
निगम कर	2,870.86	2,424.73	1,946.54	2,846.17	3,478.57
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	2,114.27	1,899.93	1,996.13	2,874.79	3,397.23
सीमा शुल्क	585.17	450.77	338.27	709.48	407.99
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	388.87	313.42	215.83	390.43	128.00
सेवा कर	75.03	1	28.52	127.53	16.22
अन्य कर <sup>5</sup>	20.26	4.61	4.84	10.41	17.08
केंद्रीय कर अंतरण	8,254.60	7,111.53	6,437.59	9,722.16	10,378.00
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	13	(-) 14	(-) 9	51	7
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	13	10	10	12	12

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2022-23 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 10,378 करोड़) 2021-22 की तुलना में ₹ 656 करोड़ (6.75 प्रतिशत) अधिक था। यह बजट अनुमान 2022-23 (₹ 8,926 करोड़) में किए गए अनुमानों से भी ₹ 1,452 करोड़ अधिक था।

<sup>4</sup> वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात/निर्यात पर उप-मुख्य शीर्ष-01-एकीकृत माल एवं सेवा कर और वस्तुओं एवं सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर उप-मुख्य शीर्ष-02-एकीकृत माल एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य (लघु शीर्ष-901) को सौंपी गई शुद्ध आय के हिस्से की बुकिंग लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा जारी सुधार पर्ची के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से बंद कर दी गई है।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> संपत्ति कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सिहत।

### (ii) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2022-23 में ₹ 486 करोड़ की कमी हुई जैसा कि *तालिका 2.12* में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	2,843.09	2,851.99	3,135.18	3,332.31	2,919.81
वित्त आयोग अनुदान	1,274.26	2,005.74	2,364.00	1,192.05	1,617.56\$
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति	2,820.00	5,453.43	5,065.81*	2,908.67**	2,575.89
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	136.19	210.75	1,683.14	165.21	0.00
कुल	7,073.54	10,521.91	12,248.13	7,598.24	7,113.26
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	36	49	16	(-)38	(-) 6
राजस्व प्राप्तियों से सहायतानुदान की प्रतिशतता	11	16	18	10	8

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-ट्र-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल नहीं हैं।
- इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल नहीं हैं।
- \$ 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

2022-23 के दौरान सहायतानुदान का 36.21 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के बदले क्षतिपूर्ति के कारण था।

# (क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

2022-23 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ₹ 2,919.81 करोड़ के अनुदान में से, प्रमुख राशियां निम्नलिखित को दी गई:

- अमृत (कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन)
   (₹ 245 करोड़- पिछले वर्ष की तुलना में 260.29 प्रतिशत की वृद्धि)।
- आंगनवाड़ी सेवा (आईसीडीएस) (₹ 197.07 करोड़- पिछले वर्ष की तुलना में 12.39 प्रतिशत की वृद्धि)।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना (₹ 180.39 करोड़)।
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन- समग्र शिक्षा माध्यमिक शिक्षा (₹ 296.84 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में 23.85 प्रतिशत की वृद्धि) समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा (₹ 373.37 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 31.54 प्रतिशत की वृद्धि)।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- (₹ 1,682.25 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में 52.37 प्रतिशत की कमी)।
- प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पोषण) (₹ 152.90 करोड़)।

 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹ 161.38 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 176.76 प्रतिशत की वृद्धि)।

### (ख) एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को निधियों का अंतरण

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13)पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत निधियां जारी करने और एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए, एकल नोडल एजेंसी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में अंतरित करना है।

सार्वजिनक वितीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खजाना खातों में वर्ष के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,737.87 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने खजाना खातों में प्राप्त ₹ 3,018.71 करोड़ का केंद्र का हिस्सा और ₹ 3,168.11 करोड़ का राज्य का हिस्सा एकल नोडल एजेंसी को अंतरित कर दिया। 31 मार्च 2023 तक, एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 2,378.76 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया कि उसे वर्ष के दौरान ₹ 3,034.10 करोड़ का केंद्र का हिस्सा प्राप्त हुआ था और वर्ष के दौरान ₹ 3,034.10 करोड़ का केंद्र का हिस्सा, ₹ 3,183.57 करोड़ का राज्य का हिस्सा एकल नोडल एजेंसी को अंतरित कर दिया गया था। ₹ 6,217.67 करोड़ के कुल अंतरण में से, ₹ 425.42 करोड़ एसी बिलों के माध्यम से, ₹ 4,847.48 करोड़ सहायता अनुदान (जीआईए) बिलों के माध्यम से और ₹ 944.77 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों और अन्य श्रेणी के बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एकल नोडल एजेंसी से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली की एकल नोडल एजेंसी रिपोर्ट के आंकड़ों और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मध्य अंतर का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

# (iii) पंद्रहवें वित्त आयोग के अन्दान

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के विवरण तालिका 2.13 में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: सहायतानुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक विमोचन तथा अंतरण

(₹ करोड़ में)

	15वें वित्त आयोग की सिफारिश				भारत सरकार द्वारा वास्तविक विमोचन			राज्य सरकार द्वारा किए गए अंतरण			
अंतरण	2021-22	2022-23	कुल	2021-22	2022-23	कुल	2021-22	2022-23	कुल		
स्थानीय निकाय											
(i) पंचायती राज संस्थाओं	935.00	968.00	1,903.00	467.50	660.96	1,128.46	467.50	660.96	1,128.46		
(पं.रा.सं.) को अनुदान											
(क) सामान्य मूल अनुदान	374.00	387.20	761.20	187.00	380.46	567.46	187.00	380.46	567.46		
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	561.00	580.80	1,141.80	280.50	280.50	561.00	280.50	280.50	561.00		
(ii) शहरी स्थानीय निकायों	461.00	477.00	938.00	199.75	394.00	593.75	223.75	400.25	624.00		
(श.स्था.नि.) को अनुदान											
(क) सामान्य मूल अनुदान	154.80	160.40	315.20	77.40	157.60	235.00	77.40	157.60	235.00		
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	306.20	316.60	622.80	122.35	236.40	358.75	146.35	242.65	389.00		
स्थानीय निकायों का योग	1,396.00	1,445.00	2,841.00	667.25	1,054.96	1,722.21	691.25	1,061.21	1,752.46		
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	491.00	516.00	1,007.00	392.80	412.80	805.60	392.80	412.80	805.60		
कुल योग	1,887.00	1,961.00	3,848.00	1,060.05	1,467.76	2,527.81	1,084.05	1,474.01	2,558.06		

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

- पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 1,903 करोड़ की राशि के विरूद्ध, भारत सरकार ने 2021-22 और 2022-23 की अविध के दौरान ₹ 1,128.46 करोड़ जारी किए। भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि उसी अविध के दौरान हिरयाणा सरकार द्वारा जारी की गई थी।
- शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में, ₹ 938 करोड़ की अनुशंसित राशि के विरूद्ध,
   भारत सरकार ने 2021-22 और 2022-23 की अविध के दौरान ₹ 593.75 करोड़
   जारी किए, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने इसी अविध के दौरान ₹ 624 करोड़
   जारी किए।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संबंध में, 15वें वित्त आयोग ने 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी की सिफारिश की। ₹ 1,007 करोड़ के अनुशंसित हिस्से के विरूद्ध, भारत सरकार ने 2021-22 और 2022-23 की अविधि के दौरान
   ₹ 805.60 करोड़ जारी किए। राज्य सरकार ने इसी अविधि के दौरान
   ₹ 805.60 करोड़ जारी किए।

### 2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वस्तियां, आंतिरक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2018-19 से 2022-23 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण *तालिका 2.14* में दिया गया है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं सरंचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूंजीगत प्राप्तियां	39,685.88	49,878.46	49,959.64	48,279.20	80,960.95
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	49.01	54.01	62.96	67.15	73.91
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	5,371.90	5,392.63	431.95	500.24	237.75
लोक ऋण प्राप्तियां	34,264.97	44,431.82	49,464.73	47,711.81	80,649.29
आंतरिक ऋण <sup>6</sup>	34,140.14	44,329.43	49,340.05	47,568.21	79,378.99
वृद्धि दर	59.92	29.85	11.30	-3.59	66.87
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	124.83	102.39	124.68*	143.60**	1,270.30
वृद्धि दर	(-) 11.47	(-) 17.98	21.77	<i>15.17</i>	784.61
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	59.45	29.67	11.33	(-) 3.54	69.03
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 15.04	0.47	(-) 90.91	14.65	(-) 45.07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.41	4.76	1.32	17.36	14.18
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	42.39	25.68	0.16	(-)3.36	67.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर।
- क्रिंग वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान आंतिरक ऋण प्राप्तियों में ₹ 31,810.78 करोड़ की वृद्धि हुई। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में विविध पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 6.76 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके अलावा, 2021-22 (₹ 500.24 करोड़) की तुलना में 2022-23 में ऋणों और अग्रिमों की वसूली में ₹ 262.49 करोड़ (₹ 237.75 करोड़) की भारी कमी आई।

# 2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्व-कर एवं गैर-कर स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग तथा मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा गैर-कर प्राप्तियां *तालिका 2.15* में दी गई हैं।

तालिका 2.15: 15वें वित्त आयोग तथा मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारण की त्लना में वास्तविक कर एवं गैर-कर प्राप्तियां

	15वें	बजट	म.अ.रा.नी.वि.	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
	वि.आ.	अनुमान	अनुमान		15वें वि.आ.	बजट	म.अ.रा.नी.वि.
	अनुमान				अनुमान	अनुमान	अनुमान
		(₹	ं करोड़ में)				
कर राजस्व	62,892	73,728	73,728	62,961	0.11	(-) 14.60	(-) 14.60
गैर-कर राजस्व	9,163	12,205	12,205	8,742	(-) 4.59	(-) 28.37	(-) 28.37

राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए

-

<sup>6</sup> अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत सकल आंकड़ों सिहत (₹ 21,134.24 करोड़)।

अनुमानों से 0.11 प्रतिशत थोड़ा अधिक था लेकिन बजट अनुमानों तथा मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों से 14.60 प्रतिशत कम था। गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तिवक प्राप्तियां 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों से 4.59 प्रतिशत और बजट अनुमानों एवं मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों से 28.37 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार राज्य सरकार बजट और मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी में अनुमानित अपने स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

# 2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के पास राजकोषीय उत्तरदायित्व विधियों के फ्रेमवर्क के भीतर व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है और उसी समय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चालू राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर निर्देशित व्यय की लागत पर नहीं है। संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षकों जैसे व्यय की वृद्धि एवं सरंचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वितीय सहायता के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

# 2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं सरंचना

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व व्यय में रखरखाव, मरम्मत, सुव्यवस्था तथा कार्यशील व्ययों पर प्रभारों, जो परिसंपत्तियों को चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए अपेक्षित हैं, के साथ-साथ स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए अन्य सभी व्यय भी शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय में परियोजना के पहले निर्माण के सभी प्रभारों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव, जबिक सेवा के लिए नहीं खोला गया, के प्रभार और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धनों और सुधारों के प्रभार भी शामिल हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं।


गत पांच वर्षों (2018-23) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना *तालिका 2.16* में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना


(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (कु.व्य.)	93,218	1,03,823	96,742	1,10,437	1,20,533
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	77,155	84,848	89,946	98,425	1,06,406
पूंजीगत व्यय	15,307	17,666	5,870	11,046	11,665
ऋण एवं अग्रिम	756	1,309	926	966	2,462
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	698,940	732,195	741,850	870,665	9,94,154
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	13.34	14.18	13.04	12.68	12.12
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	11.04	11.59	12.12	11.30	10.70
पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.19	2.41	0.79	1.27	1.17
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.11	0.18	0.12	0.11	0.25

पांच वर्षों (2018-23) की अविध में कुल व्यय में 29.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान राजस्व व्यय में 37.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबिक पूंजीगत व्यय में 23.79 प्रतिशत की कमी आई।



जैसा कि *चार्ट 2.8* में दर्शाया गया है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2018-19 में 82.77 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 88.28 प्रतिशत हो गया, जबिक कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2018-19 में 16.42 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 6.07 प्रतिशत रह गया लेकिन 2022-23 में बढ़कर 9.68 प्रतिशत हो गया। 2018-19 में ऋण एवं अग्रिम का अंश 0.81 प्रतिशत था जो 2022-23 में बढ़कर 2.04 प्रतिशत हो गया।



जैसा कि चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं का अंश, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल हैं, 2018-19 से बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई और 2018-19 में 30.98 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 36.30 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2022-23 में यह घटकर 35.36 प्रतिशत रह गया। सामाजिक सेवाओं का अंश भी 2021-22 में 35.99 प्रतिशत से बढ़कर 42.01 प्रतिशत हो गया तथापि 2022-23 में यह घटकर 39.36 प्रतिशत रह गया। आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2018-19 में 31.98 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 22.24 प्रतिशत रह गया, जो 2022-23 में थोड़ा बढ़कर 23.24 प्रतिशत हो गया। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर संयुक्त व्यय,

जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, 2018-19 में 67.97 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 62.60 प्रतिशत रह गया। अन्य, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, में 2018-19 के दौरान कुल व्यय का 1.05 प्रतिशत था जो 2022-23 के दौरान बढ़कर 2.04 प्रतिशत हो गया।

### 2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं करता है। *तालिका 2.17* पांच वर्षों (2018-23) में राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.17: 2018-23 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (कु.व्य.)	93,218	1,03,823	96,742 <sup>7</sup>	1,10,437	1,20,533
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	77,155	84,848	89,946	98,425	1,06,406
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.32	9.97	6.01	9.43	8.11
कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	82.77	81.72	92.98	89.12	88.28
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	11.04	11.59	12.12	11.30	10.70
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व	117.11	125.04	133.13	126.04	119.30
व्यय					119.30
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	65,885	67,858	67,561	78,092	89,194
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.09	2.99	(-) 0.44	15.59	14.22
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,98,940	7,32,195	7,41,850	8,70,665	9,94,154
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.41	4.76	1.32	17.36	14.18


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2018-23 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 29,251 करोड़ (37.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसकी प्रतिशतता 2018-19 में 11.04 से बढ़कर 2020-21 में 12.12 हो गई और 2022-23 में घटकर 10.70 प्रतिशत रह गई। राजस्व व्यय 2021-22 में ₹ 98,425 करोड़ से आठ प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,06,406 करोड़ हो गया।

2022-23 में ₹ 1,06,406 करोड़ का राजस्व व्यय बजट और मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 1,16,199 करोड़) में किए गए अनुमान से कम था। तथापि, राजस्व व्यय 15वें वित्त आयोग के निर्धारित मानक (₹ 77,225 करोड़) की तुलना में ₹ 29,181 करोड़ अधिक था। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण चार्ट 2.10 में प्रस्तुत किया गया है।

\_

<sup>₹ 800</sup> करोड़ की आकस्मिक निधि के विनियोग को छोड़कर।



# 2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

राजस्व व्यय 2021-22 में ₹ 98,425 करोड़ से ₹ 7,981 करोड़ (आठ प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,06,406 करोड़ हो गया। मुख्य रूप से पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, पुलिस सेवा, ब्याज भुगतानों और अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि के कारण सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 4,120.75 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय में वृद्धि के कारण शहरी विकास पर व्यय में कमी के कारण सामाजिक सेवाओं पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,752.71 करोड़ बढ़ गया। फसल पालन, अन्य ग्रामीण विकास, कमांड क्षेत्र विकास, ग्राम एवं लघु उद्योगों और सहयोग पर व्यय में वृद्धि और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर व्यय में कमी द्वारा ऑफसेट के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 1,107.72 करोड़ की वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रमुख बदलाव *तालिका 2.18* में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.18: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी (-)
सामान्य सेवाएं	37,947.91	42,068.66	4,120.75
2049-ब्याज भुगतान	18,361.60	20,095.57	1,733.97
2055-पुलिस	5,065.07	5,568.95	503.88
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	140.11	239.49	99.38
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10,616.71	12,403.83	1,787.12
सामाजिक सेवाएं	40,927.67	43,680.38	2,752.71
2202-सामान्य शिक्षा	14,483.90	17,247.22	2,763.32
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	5,763.24	6,044.38	281.14
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,856.25	2,243.26	387.01

मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी (-)
2217-शहरी विकास	4,679.28	3,758.13	(-) 921.15
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	9,750.56	10,035.81	285.25
आर्थिक सेवाएं	19,549.45	20,657.17	1,107.72
2401-फसल पालन	1,965.03	2,243.09	278.06
2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	573.00	142.88	(-) 430.12
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,586.22	2,140.93	554.71
2705-कमांड क्षेत्र विकास	315.28	683.54	368.26
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	264.61	512.95	248.34
2425-सहयोग	447.25	572.01	124.76

#### स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- 'ब्याज भुगतान' में ₹ 1,734 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'बाजार ऋण पर ब्याज' में ₹ 1,797 करोड़ के ब्याज भुगतान और 'आरक्षित निधि पर ब्याज' में ₹ 242 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जिसमें 'अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज' में ₹ 130 करोड़, 'केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज' में ₹ 116 करोड़ और 'राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज' में ₹ 102 करोड़ की कमी से आंशिक रूप से भरपाई हुई;
- 'जिला पुलिस' में ₹ 292 करोड़, 'वायरलेस एवं कंप्यूटर' में ₹ 169 करोड़ और 'पुलिस के आधुनिकीकरण' में ₹ 43 करोड़ की वृद्धि के कारण 'पुलिस' में ₹ 504 करोड़ की वृद्धि थी;
- 'अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण' में ₹ 91 करोड़ की वृद्धि के कारण 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' में ₹ 99 करोड़ की वृद्धि थी;
- 'पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों' में ₹ 1,787 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से
  'अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते' में ₹ 944 करोड़, 'ग्रेच्युटी' में ₹ 128 करोड़,
  'पारिवारिक पेंशन' में ₹ 237 करोड़ और 'परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए
  सरकारी अंशदान' में ₹ 381 करोड़ की वृद्धि के कारण थी;
- 'सामान्य शिक्षा' में ₹ 2,763 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'सरकारी प्राथमिक विद्यालयों' में ₹ 407 करोड़, 'सर्व शिक्षा अभियान' में ₹ 169 करोड़, 'स्कूलों में मध्याहन भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम' में ₹ 109 करोड़, 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में ₹ 116 करोड़, 'छात्रवृत्ति' में ₹ 874 करोड़ और 'सरकारी माध्यमिक विद्यालयों' में ₹ 766 करोड़ की वृद्धि के कारण थी;
- 'अस्पतालों एवं औषधालयों' में ₹ 279 करोड़ की वृद्धि के कारण 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' में ₹ 281 करोड़ की वृद्धि थी;
- 'निदेशन एवं प्रशासन' में ₹ 253 करोड़ की वृद्धि के कारण 'जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' में ₹ 387 करोड़ की वृद्धि थी;

- 'शहरी विकास' में ₹ 921 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'स्थानीय निकायों, निगमों को सहायता' में ₹ 957 करोड़ की कमी और 'नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता' में ₹ 688 करोड़ की कमी के कारण थी, जिसमें 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता' में ₹ 441 करोड़, 'नगर निगम को सहायता' में ₹ 231 करोड़ और 'अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में ₹ 47 करोड़ की वृद्धि से आंशिक रूप से भरपाई हुई;
- 'सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन' में ₹ 242 करोड़ की वृद्धि के कारण
   'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' में ₹ 285 करोड़ की वृद्धि थी;
- 'वाणिज्यिक फसलों' में ₹ 256 करोड़ की वृद्धि के कारण 'फसल पालन' में
   ₹ 278 करोड़ की वृद्धि थी;
- 'उप-प्रमुख शीर्ष-01-फसल पालन के अंतर्गत शिक्षा' में ₹ 421 करोड़ की कमी के कारण 'कृषि अन्संधान एवं शिक्षा' में ₹ 430 करोड़ की कमी थी;
- 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम' में ₹ 555 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'पंचायती राज' में ₹ 369 करोड़, 'ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान' में ₹ 118 करोड़ और 'ग्राम को पंचायतों सहायता' में ₹ 193 करोड़ की वृद्धि के कारण थी जिसमें 'जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता' में ₹ 96 करोड़, 'ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर को सहायता' में ₹ 71 करोड़ की कमी से आंशिक रूप से भरपाई हुई;
- 'कमांड एरिया डेवलपमेंट' में ₹ 368 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'स्वायत निकायों को सहायता' से संबंधित लघु शीर्षों के अंतर्गत ₹ 125 करोड़, 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता' में ₹ 260 करोड़ की वृद्धि के कारण थी, जिसमें 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में ₹ 30 करोड़ की कमी के कारण आंशिक रूप से भरपाई हुई;
- 'लघु उद्योग' में ₹ 231 करोड़ की वृद्धि के कारण 'ग्राम एवं लघु उद्योग' में
   ₹ 248 करोड़ की वृद्धि थी; तथा
- 'ऋण सहकारी समितियों को सहायता' में ₹ 114 करोड़ की वृद्धि के कारण
   'सहकारिता' में ₹ 125 करोड़ की वृद्धि थी।

### 2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशनों पर व्यय शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है।

उपर्युक्त के अलावा, पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत, अपरिवर्तनीय व्यय की कुछ वस्तुएं हैं, जिन्हें सामान्य रूप से बदला या बदला नहीं जा सकता है या वार्षिक

आधार पर वैधानिक रूप से अपेक्षित हैं, उदाहरण के लिए निम्नलिखित मदों को अपरिवर्तनीय व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- (i) स्थानीय निकायों को अंतरण वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक अंतरण (पूंजीगत व्यय के लिए अंतरण/अंतरण)।
- (ii) आरक्षित निधि में अंशदान की वैधानिक आवश्यकताएं समेकित सिंकिंग निधि (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), आदि में अंशदान।
- (iii) आकस्मिकता निधि की वसूली वर्ष के भीतर वसूल की गई राशि।
- (iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में अंतरित करना, जो वैधानिक रूप से अपेक्षित है।
- (v) प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध समेकित सिंकिंग निधि का शेयर अंशदान राज्य के हिस्से की राशि एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को अंतरित की जाएगी/राज्य द्वारा खर्च की जाएगी।
- (vi) ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करना जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रभारित व्यय - ब्याज भ्गतान के रूप में किया जा सकता था।

प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रह गया है। 2018-23 के दौरान प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय तथा उनके घटकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण *तालिका 2.19* में दर्शाया गया है और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा *चार्ट 2.11* में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	19,763	22,365	22,595	24,236	26,409 <sup>8</sup>
पेंशन पर व्यय	8,140	8,833	9,713	10,617	12,404
ब्याज भुगतान	13,551	15,588	17,115	18,362	20,096
कुल	41,454	46,786	49,423	53,215	58,909
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
प्रतिबद्ध व्यय					
वेतन एवं मजदूरी	30.00	32.96	33.44	31.04	29.61
पेंशन पर व्यय	12.35	13.02	14.38	13.60	13.91
ब्याज भुगतान	20.57	22.97	25.33	23.51	22.53
कुल	62.92	68.95	73.15	68.15	66.05
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	25.62	26.36	25.12	24.62	24.82
पेंशन पर व्यय	10.55	10.41	10.80	10.79	11.65
ब्याज भुगतान	17.56	18.37	19.03	18.66	18.89
कुल	53.73	55.14	54.95	54.07	55.36
अपरिवर्तनीय (इनफलेक्सीबल) व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्थानीय निकायों को वैधानिक अंतरण	3,537.38	4,903.07	5,094.39	3,074.55	4,908.10
आरक्षित निधि में अंशदान	456.81	1,786.26	784.41	1,153.64	955.82
आकस्मिकता निधि की पुनर्प्राप्ति	12.00	0	0	900.00	0
ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का	13.17	10.23	54.05	51.10	1.33
भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता					
था और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान					
प्रभारित व्यय के रूप में करना					
कुल	4,019.36	6,699.56	5,932.85	5,179.29	5,865.25
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में	6.10	9.87	8.78	6.63	6.58
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में	5.21	7.90	6.60	5.26	5.51
गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	35,701	38,062	40,523	45,210	47,497
राजस्व व्यय की प्रतिशतता	46.27	44.86	45.05	45.93	44.64
कुल व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता	38.30	36.66	41.89	40.94	39.41
सब्सिडी	8,549	8,105	7,650	9,535	9,360
गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप	23.95	21.29	18.88	21.09	19.71
में सब्सिडी					

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.19 दर्शाती है कि 2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान राजस्व व्यय में गैर-प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता 46.27 प्रतिशत और 44.64 प्रतिशत के मध्य थी, जिसमें उसी अविध के लिए सब्सिडी का प्रमुख अनुपात 18.88 प्रतिशत और 23.95 प्रतिशत के मध्य था।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> इसमें ₹ 962 करोड़ की मजदूरी शामिल है।



वेतन (मजदूरी को छोड़कर), ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया कुल व्यय (₹ 57,947 करोड़), सरकार द्वारा मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 60,196 करोड़) में किए गए अनुमानों से ₹ 2,249 करोड़ (3.74 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 64.97 प्रतिशत खर्च हुआ था।

### वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 26,409 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 24,236 करोड़) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 8.97 प्रतिशत बढ़ गया तथा राजस्व व्यय का 24.82 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 29.61 प्रतिशत संघटित किया। वेतन पर व्यय (₹ 25,447 करोड़) मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी में राज्य सरकार के अनुमान (₹ 28,001 करोड़) से ₹ 2,554 करोड़ कम था और राजस्व प्राप्तियों का 28.53 प्रतिशत खर्च किया गया।

### ब्याज भ्गतान

वर्ष 2022-23 के दौरान, ब्याज भुगतान ₹ 20,096 करोड़ (राजस्व व्यय का 18.89 प्रतिशत) था। बाजार उधार पर ब्याज (₹ 14,809.81 करोड़), उदय बांड (₹ 1,772.13 करोड़), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण (₹ 450.72 करोड़) और केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 707.47 करोड़) ब्याज भुगतान का प्रमुख घटक बनी रही। ब्याज भुगतान (₹ 20,096 करोड़) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में राज्य सरकार के अनुमान (₹ 20,994 करोड़) से ₹ 898 करोड़ कम था और राजस्व प्राप्तियों का 22.53 प्रतिशत खर्च किया गया।

# पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के पेंशनरों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाओं पर व्यय ₹ 12,404 करोड़ था और राजस्व व्यय का 11.65 प्रतिशत संघटित किया। पेंशन भ्गतान राज्य सरकार के अनुमान से बजट में ₹ 1,203 करोड़ और मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी में ₹ 11,201 करोड़ अधिक था तथा राजस्व प्राप्तियों का 13.91 प्रतिशत उपभोग किया।

2018-19 से 2022-23 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज तथा पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण राजस्व व्यय 53.73 प्रतिशत से बढ़कर 55.36 प्रतिशत हो गया और राजस्व प्राप्तियों का 66.05 प्रतिशत उपभोग किया।

#### अपरिवर्तनीय व्यय

अपरिवर्तनीय व्यय के घटकों में स्थानीय निकायों को वैधानिक अंतरण और आरक्षित निधि में अंशदान शामिल है, जिसमें 2018-19 से 2019-20 की अविध के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, किंतु उसके बाद 2020-21 और 2021-22 में कमी आई। वर्ष 2022-23 के दौरान, यह 2021-22 में ₹ 5,179.29 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,865.25 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अपरिवर्तनीय व्यय 2018-19 में 5.21 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 7.90 प्रतिशत हो गया और इसके बाद 2022-23 (5.51 प्रतिशत) तक घटती प्रवृत्ति देखी गई।

## 2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताएं

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' नामक नई पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है। 1 जनवरी 2022 से, राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार के हिस्से के मासिक अंशदान को 10 प्रतिशत की मौजूदा दर के बजाय बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है और पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ने.सि.डि.लि.) के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कर्मचारियों का ₹ 1,004.06 करोड़ का अंशदान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक खाते में सरकारी कर्मचारियों के मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा 117- परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत दर्ज किया गया था। ₹ 1,321.09 करोड़ का सरकारी हिस्सा मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, 01-सिविल, 117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा, 117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सार्वजनिक खाते में अंतरित कर दिया गया। कर्मचारी के हिस्से के साथ नियोक्ता का हिस्सा सार्वजनिक खाते से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में अंतरित कर दिया जाएगा।

कर्मचारियों के ₹ 1,004.06 करोड़ के अंशदान के विरुद्ध, राज्य सरकार ने ₹ 1,321.09 करोड़ के सरकारी हिस्से सहित ₹ 2,343.02 करोड़ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अंतरित कर दिए, जिससे 31 मार्च 2023 तक ₹ 0.80 करोड़ शेष रह गया।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कोई भी अंशदान खाता शीर्ष '8342-117' अन्य जमा - परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अस्थाई उपाय के रूप में भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 0.80 करोड़ की राशि उपर्युक्त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक रखी गई थी जैसाकि *तालिका 2.20* में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान और निवेश का विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक	कर्मचारी	राज्य सरकार	वर्ष के दौरान	ने.सि.डि.लि.	ने.सि.डि.लि.
	शेष	अंशदान	द्वारा अंशदान	कुल प्राप्ति	को कुल अंतरण	को कम अंतरण
	1	2	3	4 = (2+3)	5	6 =5-(1+4)
2008-09 <sup>9</sup>	0.02	0.02	0	0.02	0	0.04
2009-10	0.04	28.88	9.18	38.06	23.91	14.19
2010-11	14.19	78.29	37.07	115.36	101.13	28.42
2011-12	28.42	104.35	67.64	171.99	183.00	17.41
2012-13	17.41	163.58	98.76	262.34	302.80	(-) 23.05
2013-14	(-) 23.05	240.47	143.25	383.72	421.26	(-) 60.59
2014-15	(-) 60.59	314.54	283.69	598.23	529.53	8.11
2015-16	8.11	328.94	278.83	607.77	596.45	19.43
2016-17	19.43	382.15	378.04	760.19	729.70	49.92
2017-18	49.92	479.94	460.44	940.38	975.76	14.54
2018-19	14.54	565.88	534.30	1,100.18	1,086.16	28.56
2019-20	28.56	717.91	694.20	1,412.11	1,407.78	32.89
2020-21	32.89	778.53	766.83	1,545.36	1,535.18	43.07
2021-22	43.07	875.35	939.66	1,815.01	1,839.41	18.67
2022-23	18.67	1,004.06	1,321.09	2,325.15	2,343.02	0.80

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार को कारणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कर्मचारियों का अंशदान और उसके समान सरकारी अंशदान पूर्ण रूप से समय पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अंतरित कर दिया जाए।

आगे, राज्य सरकार नई पेंशन योजना की शेष राशि के विलंबित अंतरण पर सामान्य भविष्य निधि ग्राहकों के लिए लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत पड़ी ₹ 1.33 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान न करने के कारण राजस्व और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम बताया गया था।

#### 2.4.2.4 सब्सिडी

जर

सब्सिडी पर व्यय 2018-19 में ₹ 8,549 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ रह गया, 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,535 करोड़ हो गया और 2022-23 में घटकर ₹ 9,360 करोड़ रह गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 10.49 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 8.80 प्रतिशत था जैसा कि *तालिका 2.21* में विवरण दिया गया है। विद्युत: ₹ 7,066 करोड़ (75.49 प्रतिशत),

<sup>2008-09</sup> से पहले के आंकड़े हजारों में हैं जिन्हें करोड़ में बदलने के बाद तालिका में दर्शाना संभव नहीं है। इसलिए, नई पेंशन योजना के आंकड़े 2008-09 से तालिका में दर्शाए गए हैं।

कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों: ₹ 1,839 करोड़ (19.65 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग: ₹ 336 करोड़ (3.59 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाएं: ₹ 119 करोड़ (1.27 प्रतिशत) पर सब्सिडी वितरित की गई। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले टैरिफ के लिए सब्सिडी सिहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ₹ 6,763 करोड़ की कुल सब्सिडी मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 5,983 करोड़) के अनुमान से अधिक थी।

तालिका 2.21: 2018-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8,549	8,105	7,650	9,535	9,360
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	12.98	11.94	11.32	12.21	10.49
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	11.08	9.55	8.51	9.69	8.8

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

# 2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वितीय सहायता

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वितीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(क) स्थानीय निकाय					
शहरी स्थानीय निकाय	2,092.31	2,279.46	2,766.64	3,472.10	2,542.27
पंचायती राज संस्थाएं	2,547.17	3,098.12	3,235.92	954.97	1,357.53
कुल (क)	4,639.48	5,377.58	6,002.56	4,427.07	3,899.80
(ख) अन्य					
विश्वविद्यालय	2,093.14	2,496.64	2,468.29	2,632.82	2,706.57
विकास प्राधिकरण	865.54	812.88	1,104.22	1,072.47	802.91
सांविधिक निगम	1,350.08	1,745.08	2,107.65	1,686.01	0.00
अन्य (स्वायत निकाय)	1,129.59	905.17	1,329.75	2,627.44	4,264.19
कुल (ख)	5,438.35	5,959.77	7,009.91	8,018.74	7,773.67
कुल (क+ख)	10,077.83	11,337.35	13,012.47	12,445.81	11,673.47
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए	3,874.79	4,863.28	5,709.07	4,145.71	3,780.18
सहायता अनुदान					
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा	6,203.04	6,474.07	7,303.40	8,300.10	7,893.29
अन्य के लिए सहायता अनुदान					
हितकर के रूप में दिया गया सहायता अनुदान	55.55	50.06	42.99	52.62	49.48
राजस्व व्यय	77,155	84,848	89,946	98,425	106,406
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	13.06	13.36	14.47	12.64	10.97

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वितीय सहायता 2018-19 में ₹ 10,077.83 करोड़ से 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का 10.97 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 11,673.47 करोड़ हो गई। इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 772.34 करोड़ (6.21 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों को वितीय सहायता जारी करने में कमी के कारण हुई।

पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान में 2018-21 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और 2021-23 के दौरान इसमें कमी आई। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के अलावा अन्य सहायता अनुदान में भी 2018-22 की अवधि के दौरान वृद्धि की

प्रवृत्ति देखी गई लेकिन वर्ष 2022-23 में इसमें मामूली कमी आई। 2018-23 की अविध के दौरान पूंजीगत परिसंपितयों के सृजन के लिए वितीय सहायता का हिस्सा 32.38 प्रतिशत और 43.87 प्रतिशत के मध्य था और पूंजीगत परिसंपितयों के सृजन के अलावा अन्य के लिए वितीय सहायता का हिस्सा 56.13 प्रतिशत और 67.62 प्रतिशत के मध्य था।

जिन योजनाओं को बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई उन्हें *तालिका 2.23* में दर्शाया गया है।


तालिका 2.23: वे योजनाएं जिन्हें वर्ष 2022-23 के दौरान बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई

योजना	राशि
	(₹ करोड़ में)
सर्व शिक्षा अभियान	483.50
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	386.66
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को सहायता	140.75
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय को सहायता	231.20
सहायता प्राप्त गैर-सरकारी महाविद्यालयों के लिए पेंशन योजना की शुरूआत	250.00
गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान	470.00
राजकीय पॉलिटेक्निक का विकास	87.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य योजना के रूप में सहायता अनुदान	901.00
ग्रामीण अस्पताल और डिस्पेंसरी को जारी रखते हुए इसका नाम बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य	235.00
सेवा कर दिया गया	
महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन, अग्रोहा	132.00
आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	170.00
पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक की स्थापना	730.00
राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर पालिका को सहायता अनुदान	1,123.67
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	142.88
हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और हरको बैंक को वसूली से जुड़े प्रोत्साहन के लिए	251.74
एकबारगी निपटान योजना	
राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	370.00

स्रोत: वित्त लेखे

# 2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कों, भवनों आदि के सृजन पर किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय और कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय का विवरण *चार्ट 2.12* में दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2018-23 की अविध के दौरान, पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.79 प्रतिशत और 2.41 प्रतिशत के मध्य रहा।

# 2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

₹ 11,664.95 करोड़ का पूंजीगत व्यय जिसमें सामाजिक सेवाओं पर ₹ 3,755.82 करोड़, आर्थिक सेवाओं पर ₹ 7,356.33 करोड़ और सामान्य सेवाओं पर ₹ 552.80 करोड़ शामिल थे। वर्ष 2022-23 में ₹ 619.39 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग एवं खनिज और सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। 2022-23 के दौरान जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय में ₹ 1,963.58 करोड़ की बड़ी कमी आई थी जैसा कि *तालिका 2.24* में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में बदलाव

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी (-)
पूंजीगत व्यय	11,045.56	11,664.95	619.39
सामान्य सेवाएं	562.07	552.80	(-) 9.27
सामाजिक सेवाएं	5,471.24	3,755.82	(-) 1,715.42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	895.70	1,381.89	486.19
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	3,811.77	1,848.20	(-) 1,963.57
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	578.6	389.03	(-) 189.57
आर्थिक सेवाएं	5,012.25	7,356.33	2,344.08
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	100.04	407.27	307.23
उद्योग एवं खनिज	22.68	157.72	135.04
सड़क परिवहन	2,823.86	4,391.39	1,567.53
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,807.54	2,171.19	363.65

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

# 2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों, जिनका निवल मूल्य पूरी तरह से खत्म हो गया है, में निवेश करती रहेगी तो निवेश पर रिटर्न की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार, अनुभव से पता चला है कि घाटे में चल रहे निगमों और चीनी मिलों, वितीय निगमों आदि जैसे अन्य निकायों को दिए गए ऋणों को माफ करने की अनिवार्यता है। ऐसे वितीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए। यह भाग वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

#### (i) निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2023 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 38,020.05 करोड़ निवेशित थे *(तालिका 2.25)*। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.80 प्रतिशत था जबिक सरकार ने 2018-23 के दौरान अपने उधारों पर 7.48 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	30,747.91	36,922.92	37,566.55	37,865.68	38,020.05
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)*	56.60	87.01	163.14	1,007.59	192.00
प्रतिलाभ (प्रतिशत)*	0.18	0.24	0.43	2.66	0.50
सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर	8.81	8.31	6.50	7.05	6.72
(प्रतिशत)					
ब्याज दर और प्रतिलाभ के मध्य अंतर	8.63	8.07	6.07	4.39	6.22
(प्रतिशत)					
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर	2,653.54	2,979.68	2,280.29	1,662.30	2,364.85
प्रतिलाभ में अंतर (₹ करोड़ में) <sup>#</sup>					

तालिका 2.25: निवेशों पर प्रतिलाभ

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (विवरण संख्या 19)

- ऐतिहासिक लागत पर
- # (वर्ष के अंत में निवेश X ब्याज दर और प्रतिलाभ के मध्य अंतर)/100

₹ 38,020.05 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 36,035.96 करोड़ (94.78 प्रतिशत) का निवेश चार विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में किया गया था। राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है।

#### (ii) कंपनियों के लेखों के साथ सरकारी निवेशों का मिलान

राज्य के सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश का सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों और वित्त लेखों में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। वित्त लेखों के अनुसार, सरकार ने 2022-23 में ₹ 38,020.05 करोड़ की इक्विटी में निवेश किया था। लेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 38,020.05 करोड़ की इक्विटी में निवेश में से

सार्वजिनक क्षेत्र के 25 उपक्रमों की इक्विटी में सरकारी निवेश ₹ 29,720.31 करोड़ था जबिक सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार यह ₹ 36,989.81 करोड़ था। पिरिशिष्ट 2.4 में वर्णित अनुसार ₹ 7,269.50 करोड़ का अंतर था। अंतरों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाना चाहिए।

## (iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

अवसंरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से सामाजिक और भौतिक, जो आर्थिक उन्नित बनाए रखने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, राज्य सरकार ने अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (सा.नि.भा.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2023 तक, ₹ 4,353 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली आठ सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की स्थिति *परिशिष्ट 2.5* में दर्शाई गई है।

# (iv) राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी सिमितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए गए थे। तालिका 2.26 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.26: पांच वर्षों के दौरान ऋणों की संवितरित एवं वस्ल की गई मात्रा

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	16,090	11,474	7,390	7,884	8,350
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	756	1,309	926	966	2462
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	5,372	5,393	432	500	238
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	11,474	7,390	7,884	8,350	10,574
निवल जोड़	(-) 4,616	(-) 4,084	494	466	2,224
प्राप्त ब्याज	720	398	92	106	75
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	5.22	4.22	1.20	1.31	0.79
सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.78	7.80	7.46	7.08	6.92
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य	2.56	3.58	6.26	5.77	6.13
- अंतर (प्रतिशत)					

शिक्षा विभाग (₹ 659.46 करोड़), नगर निगम (₹ 172.52 करोड़), कृषि एवं संबद्ध गितविधियां (₹ 788.39 करोड़), हिरयाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड (₹ 70.73 करोड़) और सहकारी चीनी मिलों (₹ 657.73 करोड़) को अधिक ऋण के कारण 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों में 26.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध 31 मार्च 2022 तक ₹ 4,509.53 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 657.73 करोड़ वितरित किए। 2022-23 के दौरान इन ऋणों के विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। 2022-23 के अंत में इन सहकारी चीनी मिलों पर ₹ 5,167.26 करोड़ का ऋण बकाया था। सरकार ने इन

चीनी मिलों को इन नियमों एवं शर्तों के साथ ऋण संवितिरत किए कि ऋणों को पांच वर्षों में समान किस्तों में 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ चुकाया जाएगा। वर्ष 2022-23 के दौरान ऋणों के मूलधन और ब्याज की कोई वसूली नहीं हुई, जो इन सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध बकाया ऋणों की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का परिचायक था।

ऋण से संबंधित विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों (अनुदान प्राप्तकर्ता) को ₹ 659.46 करोड़<sup>10</sup> की राशि के ऋण संस्वीकृत एवं संवितरित किए गए।

आगे, कृषि विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को वर्ष 2022-23 के दौरान ब्याज मुक्त सतत ऋण के रूप में गैर-वसूली योग्य वितीय सहायता के रूप में ₹ 570.34 करोड़<sup>11</sup> की ऋण राशि स्वीकृत की गई।

ये सभी सहायता अनुदान और राजस्व प्रकृति के व्यय थे जबिक राज्य सरकार ने इन ऋणों को पूंजीगत प्रकृति के व्यय के रूप में संवितरित किया है। इसने राजस्व व्यय को कम बताया और पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर बताया और साथ ही राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को भी उस सीमा तक कम बताया था।

इसी प्रकार, स्वास्थ्य और आयुष विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान 'एमएच 6210 - चिकित्सा संस्थानों के गरीब योग्य छात्रों को ऋण का नाम बदलकर चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए ऋण' के अंतर्गत गैर-वसूली योग्य वितीय सहायता के रूप में ₹ 22.50 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की (दिसंबर 2022)। यह राजस्व प्रकृति का व्यय है जबिक राज्य सरकार ने सरकारी लेखांकन नियमों का उल्लंघन करते हुए पूंजीगत प्रकृति के ऋण व्यय के रूप में संवितरित किया है। इस प्रकार राजस्व व्यय को कम बताया गया और पूंजीगत व्यय को उस सीमा तक बढ़ाकर बताया गया था।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) के विरूद्ध वर्ष 2022-23 के आरंभ में ₹ 1,068.87 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। आगे, इस बैंक को ₹ 40 करोड़ का ऋण इस शर्त पर दिया गया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार को ब्याज सहित ऋण चुकाने में कोई चूक न हो। वर्ष के दौरान कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 के अंत तक बकाया राशि ₹ 1,108.87 करोड़ हो गई। इस प्रकार, 2022-23 के दौरान ऋण स्वीकृत किए गए, भले ही पिछले वर्षों के ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक हुई थी।

2022-23 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 75 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 0.79 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त ह्आ।

\_

उच्च शिक्षा विभाग (₹ 372.52 करोड़), तकनीकी शिक्षा विभाग (₹ 230.36 करोड़), कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (₹ 56.58 करोड़)।

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> महानिदेशक बागवानी हरियाणा (₹ 20 करोड़), महानिदेशक पशुपालन एवं डेयरी हरियाणा (₹ 121.49 करोड़), महानिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (₹ 428.85 करोड़)।

# (v) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृतियों का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभ से वंचित करता है। आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियां ऋण एवं ब्याज देयताओं की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

31 मार्च 2023 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना *तालिका 2.27* में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निर्धारित समयाविध 31 मार्च 2023 तक समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 2.27: 31 मार्च 2023 को अध्री परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
सिंचाई एवं जल संसाधन	2	64.10	11.32
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	7	61.16	61.86
कुल	9	125.26	73.18

स्रोत: वित्त लेखे

विभागों की नौ परियोजनाओं के पूर्ण करने की निर्धारित समयाविध अगस्त 2022 से मार्च 2023 के मध्य थी, परन्तु ये परियोजनाएं 31 मार्च 2023 तक अपूर्ण थी, परिणामस्वरूप ₹ 73.18 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

## 2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवता को भी उतना ही बेहतर माना जाएगा। 2022-23 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण तालिका 2.28 में किया गया है।

तालिका 2.28: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल	पूंजीगत व्यय/	शिक्षा/	स्वास्थ्य/
	राज्य घरेलू उत्पाद	कुल व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2018-19	13.34	16.42	14.02	4.30
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य	16.38	15.58	14.76	5.07
राज्य (सा.श्रे.रा.) औसत (अनुपात) 2018-19				
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2022-23	12.12	9.68	15.84	6.39
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य	15.79	15.22	14.85	5.68
राज्य (अनुपात) 2022-23				


कु.व्यः कुल व्यय, पूं.व्यः पूंजीगत व्यय, सा.श्रे.रा.ः सामान्य श्रेणी राज्य

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा

हरियाणा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2018-19 के साथ-साथ 2022-23 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में कम था। 2018-19 के दौरान हरियाणा में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात अन्य राज्यों के औसत से अधिक था, लेकिन 2022-23 में इसमें काफी गिरावट आई है। 2018-19 के दौरान पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात कम था किंतु 2022-23 में अधिक था।

#### 2.4.5 प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय

प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय, व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी *चार्ट 2.13* में दर्शाई गई है।



टिप्पणी: वाउचर लेवल कम्प्यूटराइजेशन (वी.एल.सी.) से प्राप्त प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय में सभी मुख्य शीर्षों में वेतन, ब्याज और पेंशन पर प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय होता है जो इन मदों पर प्रतिबद्ध व्यय से भिन्न होता है (जैसा कि पैरा 2.4.2.2 में दर्शाया गया है)।

#### 2.5 लोक लेखा

कुछ प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भिविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती है।

#### 2.5.1 निवल लोक लेखा शेष


लोक लेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत घटक-वार निवल शेष *तालिका* 2.29 और *चार्ट 2.14* में दिए गए हैं।

तालिका 2.29: 31 मार्च 2023 को लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आई. लघु बचतें, भविष्य	लघु बचतें, भविष्य निधि	15,715.23	16,962.46	17,996.91	18,394.45	18,663.82
निधि आदि	आदि					
जे. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित	3,086.92	4,962.35	5,476.92	5,756.67	6,554.17
	निधियां					
	(ख) गैर-ब्याज वाली	3,228.68	3,532.00	2,347.00	3,092.25	3,704.79
	आरक्षित निधियां					
	कुल	6,315.60	8,494.35	7,823.92	8,848.92	10,258.96
के. जमा और अग्रिम	(क) ब्याज वाले जमा	403.41	421.76	451.94	443.53	442.63
	(ख) गैर-ब्याज वाले जमा	8,001.14	7,500.04	9,019.62	11,281.42	11,667.62
	(ग) अग्रिम	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74
	कुल	8,403.81	7,921.06	9,470.82	11,724.21	12,109.51
एल. उचंत तथा विविध <sup>12</sup>	उचंत तथा विविध	(-) 57.23	(-) 70.49	(-) 24.24	241.40	425.44
एम. प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य	343.72	306.84	330.58	333.65	370.71
	प्रेषण					
	(ख) अंतर-राजकीय	(-) 16.24	(-) 33.10	(-) 17.73	(-) 19.05	(-) 18.55
	समायोजन लेखा					
	कुल	327.48	273.74	312.85	314.60	352.16
कुल योग	30,704.89	33,581.12	35,580.26	39,523.58	41,809.89	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित लेखे

वनकद शेष निवेश खाते के आंकड़ों को छोड़कर।

मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 269 करोड़), जमा (₹ 385 करोड़), प्रेषण (₹ 38 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 1,410 करोड़) और उचंत एवं विविध (₹ 184 करोड़) में वृद्धि के कारण निवल लोक लेखा शेषों में गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में 5.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

#### 2.5.2 आरक्षित निधियां

राज्य सरकार के लोक लेखे के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरिक्षत निधि बनाई जाती है। ये निधियां समेकित निधि या बाहरी एजेंसियों के अंशदान या अनुदान से पूरी की जाती हैं। इनमें ब्याज वाली आरिक्षत निधियां और गैर-ब्याज वाली आरिक्षत निधियां शामिल हैं।

वित लेखों की विवरणी 21 और 22 में आरक्षित निधियों का विवरण उपलब्ध है। 31 मार्च 2023 तक 11 आरक्षित निधियां (पांच ब्याज वाली आरक्षित निधियां और छः गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां) रखी गई थी। ब्याज वाली आरक्षित निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, यदि इसे निवेश न किया जाए, सरकार द्वारा किया जाता है जबिक गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों के संबंध में शेष राशि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों में किया जाता है। 31 मार्च 2023 को विभिन्न आरक्षित निधियों (ब्याज वाली और गैर-ब्याज वाली) में पड़े निधि शेष तालिका 2.30 में दिए गए हैं।

तालिका 2,30: आरक्षित निधि के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2023 को शेष
क	ब्याज वाली आरक्षित निधियां	6,554.17
1	मूल्यहास आरक्षित निधि - सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	567.20
2	मूल्यहास आरक्षित निधि - सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	18.73
3	सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	5.15
4	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	4,996.68
5	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	966.41
ख	गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,704.79
1	ऋणशोधन निधि	1,694.47
2	खदान कल्याण निधि	463.47
3	विकास योजनाओं के लिए निधि	1.41
4	हरिजन उत्थान हेतु ग्राम पुनर्निर्माण के लिए निधि	2.29
5	गारंटी मोचन निधि	1,540.86
6	उपभोक्ता कल्याण निधि	2.29
	कुल योग	10,258.96

उपर्युक्त में से, गैर-ब्याज वाली दो आरिक्षित निधियां, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हिरजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि पांच वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरिक्षित निधियों को बंद करना है और राज्य की समेकित निधि में उनके शेष को अंतरित करना है।

#### 2.5.2.1 समेकित ऋणशोधन निधि

राज्य सरकार ने 2002 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋणशोधन निधि (स.ऋ.नि.) का गठन किया। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण जमा लोक लेखा) का 0.5 प्रतिशत समेकित ऋणशोधन निधि में अंशदान देना अपेक्षित था।

चालू वर्ष के आरंभ में निधि में ₹ 1,286.08 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। 31 मार्च 2022 तक, राज्य की बकाया देयताएं ₹ 2,62,461.82 करोड़ (आंतरिक ऋण और लोक लेखा) थी। तदनुसार, राज्य सरकार को 2022-23 के दौरान न्यूनतम ₹ 1,312.31 करोड़ (0.50 प्रतिशत) का अंशदान देना अपेक्षित था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने निधि में ₹ 300 करोड़ का अंशदान दिया था, जिसे निवेश किया गया था और ₹ 108.39 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के अंत में ₹ 1,694.47 करोड़ का शेष था।

#### 2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से बदल दिया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (सितंबर 2010 और जुलाई 2015) के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान दे रहे थे। अंशदान को लोक लेखे के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय मुख्य शीर्ष-2245 के संचालन दवारा किया जाता है।

राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज छमाही आधार पर जमा किया जाएगा। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि, जब तक भारत सरकार द्वारा विपरीत निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए खजाना बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियों और जमाराशियों के प्रमाण-पत्रों में निवेश किया जाएगा।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए तथा आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और शमन का प्रावधान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधि आदि में शामिल किया जाना चाहिए।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 4,234.06 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार ने ₹ 412.80 करोड़ जारी किए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 412.80 करोड़ की तुलना में राज्य का अंश ₹ 137.60 करोड़ था। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 900 करोड़ की राशि अंतरित की जिसमें केंद्रीय अंशदान के ₹ 412.80 करोड़, राज्य अंशदान के ₹ 137.60 करोड़, ₹ 51.82 करोड़ की अव्ययित शेष राशि और ₹ 297.78 करोड़ के ब्याज

शामिल हैं। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 137.38 करोड़ का व्यय किया गया था। 31 मार्च 2023 को निधि में ₹ 4,996.68 करोड़ का अंतिम शेष था।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। *तालिका 2.31* में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 137.38 करोड़ का व्यय प्रभारित किया गया था।

तालिका 2.31: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	2022-23 के				
		दौरान व्यय				
		(₹ करोड़ में)				
2245-प्राकृतिक आपदाओं	101-नि:शुल्क राहत	98.07				
के कारण राहत,	111-पीड़ित परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान	0.00				
02-बाढ़, चक्रवात आदि	113-सदनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता	0.02				
	117-पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता	0.01				
	282-जन स्वास्थ्य	1.75				
	800-अन्य	0.04				
	उप-कुल	99.89				
2245-प्राकृतिक आपदाओं के	800-अन्य व्यय	166.51				
कारण राहत, 80-सामान्य	उप-कुल	166.51				
	कुल योग	266.40				
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901- कटौती - राज्य आपदा से मिली राशि	137.38				
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय (र	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय (राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य					
व्यय)						

#### 2.5.2.3 राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)

राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अंतर्गत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि, 130-राज्य आपदा शमन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा शमन निधि नहीं बनाई है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 149.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 49.93 करोड़ है। राज्य सरकार निधि में कोई राशि अंतरित नहीं कर सकी क्योंकि निधि अभी तक मृजित नहीं की गई थी। इस प्रकार, ₹ 199.73 करोड़ अंतरित नहीं किए गए और परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम बताया गया।

#### 2.5.2.4 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों की ओर से जारी गारंटियों से सृजित दायित्वों को पूरा करने के लिए गारंटी मोचन निधि 2003 का गठन किया। राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन, जो 2020-21 से प्रभावी है, यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार शुरू में न्यूनतम एक प्रतिशत का अंशदान देगी और उसके बाद अगले पांच वर्षों में तीन प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करेगी। निधि को

धीरे-धीरे पांच प्रतिशत के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। इस निधि का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2023 तक निधि का कुल संचय ₹ 1,540.86 करोड़ था (जो कि ₹ 23,058.07 करोड़ की बकाया गारंटी का 6.68 प्रतिशत है) जो निवेशित था। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि में किसी राशि का अंशदान नहीं किया, यद्यपि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 48.31 करोड़ की गारंटी फीस एकत्र की गई थी।

# 2.5.2.5 खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि

इस निधि की स्थापना (जुलाई 2015) राज्य में खनन क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों के लिए की गई थी। यद्यपि निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इस पर छ: प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान की गई 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के 10 प्रतिशत (अधिसूचना मई 2021 द्वारा 7.5 प्रतिशत तक संशोधित) के बराबर राशि को पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभारों' के तौर पर खनिज रियायत धारकों से प्रभारित किया जाना और निधि में जमा किया जाना है। इसके साथ ही, एक वितीय वर्ष में 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत (अधिसूचना मई 2021 द्वारा 2.5 प्रतिशत तक संशोधित) के बराबर राशि को निधि में सरकारी अंशदान के रूप में जमा/अंतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2022 को निधि में ₹ 373.89 करोड़ का शेष था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने डेड रैंट आदि के रूप में ₹ 725.45 करोड़ की राशि और रियायत धारकों से 'अन्य प्रभारों' के रूप में ₹ 41.52 करोड़ की राशि प्राप्त की। ₹ 72.54 करोड़ की राशि {डेड रैंट का 7.5 प्रतिशत (₹ 54.41 करोड़) जमा ₹ 725.45 करोड़ के डेड रैंट का राज्य का अंश 2.5 प्रतिशत (₹ 18.13 करोड़)} का अंशदान निधि में किया जाना अपेक्षित था। तथापि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 52.76 करोड़ (रियायत धारकों का अंशदान: ₹ 37.29 करोड़ और राज्य का अंशदान: ₹ 15.47 करोड़) और ₹ 42.73 करोड़ के ब्याज की राशि का अंशदान दिया। इस प्रकार ₹ 19.78 करोड़ का कम अंशदान था। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 5.91 करोड़ का व्यय वहन किया गया था, जिससे 31 मार्च 2023 को निधि में ₹ 463.47 करोड़ का शेष रह गया।

# 2.5.2.6 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 5-1/2009-एफ.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2009 द्वारा जारी अनुदेशों तथा 2 जुलाई 2009 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण प्राप्त राशि का प्रबंधन करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का

संरक्षण एवं सुरक्षा, अवसंरचना का विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य संबंधित गतिविधियों और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए एकत्र राशि का उपयोग करेगा। प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करेगा। यह ब्याज वाली आरक्षित निधि है, जिसका निवेश किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष के आरंभ में निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 934.67 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण निधि का राज्य हिस्सा होने के कारण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से निधि में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष के दौरान बैंक खाते में शेष (₹ 31.01 करोड़) सहित राज्य सरकार द्वारा ब्याज के रूप में ₹ 167.20 करोड़ की राशि जमा की गई। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 135.46 करोड़ का व्यय किया गया था। राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है जबिक 31 मार्च 2023 तक निधि में ₹ 966.41 करोड़ की राशि शेष थी।

#### 2.5.3 राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर की निधियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा। अनुच्छेद 266 (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए, जैसा भी मामला हो, सभी अन्य सार्वजनिक धन राज्य के लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

यह देखा गया है कि राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा में जमा की जाने वाली निधियों को राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा से बाहर रखा गया है जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

#### (i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2022 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 3,546.84 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के दौरान कॉर्पस फंड में अंशदान/अतिरिक्त ₹ 472.45 करोड़ था और वर्ष के दौरान व्यय ₹ 179.61 करोड़¹³ (आय से अधिक) था। 31 मार्च 2023 को बोर्ड के पास ₹ 3,839.68 करोड़ की निधियां थी।

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> आय: ₹ 177.51 करोड़ - व्यय: ₹ 357.12 करोड़ = निवल व्यय: ₹ 179.61 करोड़।

## (ii) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री में सुधार के लिए हिरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हिरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से यथामूल्य आधार पर शुल्क (उपकर) लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्रित राशि बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा गोदामों के निर्माण के लिए खर्च की जाती है। 2011-21 के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 5,901.75 करोड़ थी तथा ₹ 4,867.61 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों के अनुसार निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 639.60 करोड़ थी और ₹ 153.96 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2011-22 की अवधि के दौरान निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 6,541.35 करोड़ और कुल व्यय ₹ 5,021.57 करोड़ था। वर्ष 2022-23 का वार्षिक लेखा अभी तक (सितंबर 2023) प्राप्त नहीं हुआ है।

# (iii) हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य के लाभ के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के प्रयासों का समन्वय करने के लिए हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3एए के अंतर्गत हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया, जिसमें राज्य के बजट द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से निजी भागीदारी और वित पोषण शामिल है।

हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियमन अधिनियम, 1975 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कालोनाइजर को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर राज्य अवसंरचना विकास प्रभार जमा करवाना अपेक्षित है। कालोनाइजर द्वारा जमा की गई अवसंरचना प्रभारों की राशि निधि का गठन करेगी। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा निधि का संग्रहण एवं प्रबंधन किया जाएगा तथा इसके आगे उपयोग के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित बोर्ड को अंतरित किया जाएगा। कालोनाइजरों द्वारा जमा करवाए गए राज्य अवसंरचना विकास प्रभारों और अवसंरचना वृद्धि प्रभारों की राशि, केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से ऋण एवं अनुदान या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों से ऋण एवं अनुदान और ऐसे म्रोत से कोई अन्य धन, जैसा कि राज्य सरकार निर्णय ले, निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य के लाभ के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। निधि का उपयोग निधि के प्रबंधन की लागत को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा राज्य सरकार की समेकित निधि/लोक लेखा के बाहर सीधे बैंक खाते में निधियां प्राप्त की जाती हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की प्राप्ति ₹ 14.46 करोड़ थी तथा व्यय ₹ 5.17 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के अंत में निधि का कुल कोष ₹ 2,538.59 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है (सितंबर 2023)।

# (iv) हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

शहरी अवसंरचना; नगर नियोजन कार्यान्वयन की तकनीकों के प्रावधान और उन्नयन हेतु संसाधन जुटाने; शहरी प्रबंधन में प्रशिक्षण सुविधाएं/मानव संसाधन विकास प्रदान करने और नगर पालिकाओं की अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं के समन्वय, योजना एवं कार्यान्वयन के लिए हरियाणा म्युनिसिपल (एच.एम.) अधिनियम, 1973 में संशोधन करके हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एच.यू.आई.डी.बी.) का गठन (अप्रैल 2002) किया गया था।

हरियाणा म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 203एल के अनुसार हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने एक निधि<sup>14</sup> का गठन किया जिसमें लाइसेंस फीस, संवीक्षा फीस, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रभार, निजी डेवलपरों को लाइसेंस देने के लिए कंपोजीशन फीस और राज्य नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान, ऋण एवं वितीय सहायता तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य फीस/प्रभार शामिल हैं।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान बोर्ड की प्राप्तियां क्रमशः ₹ 35.71 करोड़ और ₹ 31.26 करोड़ और व्यय क्रमशः ₹ 23 करोड़ और ₹ 18.88 करोड़ थे। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वार्षिक लेखे प्रक्रियाधीन हैं और अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

ये निधियां राज्य की समेकित निधि/राज्य के लोक लेखा से बाहर हैं और इसलिए इन निधियों में धन के संग्रहण एवं उपयोग पर कोई विधायी निरीक्षण नहीं है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी सार्वजनिक व्यय को बजट से नामित निधियों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की जो विधायिका के प्राधिकार के बाहर संचालित होते हैं और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं किए जाते हैं।


भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में, अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। तथापि, हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं करते हैं।

\_

हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड।

#### 2.6 लोक देयता प्रबंधन

लोक देयता प्रबंधन, अपेक्षित निधियां जुटाने, इसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, तथा सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से नियत या किन्हीं अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की देयता के प्रबंधन हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के साथ राज्य की बकाया देयता चार्ट 2.15 में दी गई है।



वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष
2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों
(अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना
जाना था।

#### 2.6.1 देयता प्रोफाइल: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में सामान्यतः राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताएं होती हैं। 2022-23 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को चार्ट 2.16 में प्रस्तुत किया गया है। 2018-19 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार देयता प्रवृत्तियों को तालिका 2.32 में प्रस्तुत किया गया है।


तालिका 2.32: घटक वार देयता प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया कुल देयता	1,84,216	2,15,562	2,38,708	2,63,950	2,93,122
लोक ऋण	1,56,835	1,85,491	2,05,458	2,27,697	2,55,325
आंतरिक ऋण	1,54,968	1,83,786	2,03,958	2,26,208	2,52,781
भारत सरकार से ऋण	1,867	1,705	1,500*	1,489 <sup>@</sup>	2,544
लोक लेखा देयताएं	27,381	30,071	33,250	36,253	37,797
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	15,715	16,962	17,997	18,394	18,664
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,087	4,963	5,477	5,757	6,554
गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	174	224	304	377	469
ब्याज वाले जमा	404	422	452	444	443
गैर-ब्याज वाले जमा	8,001	7,500	9,020	11,281	11,667
बकाया समग्र देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.27	17.02	10.74	10.57	11.05
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,98,940	7,32,195	7,41,850	8,70,665	9,94,154
देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	26.36	29.44	32.18	30.32	29.48
उधार और अन्य देयताएं (वित्त लेखे के विवरण 6 के अनुसार)					
कुल प्राप्तियां	65,227	79,530	93,337	91,027	1,38,564
कुल पुनर्भुगतान	45,087	48, 184	70, 191	65,785	1,09,392
उपलब्ध निवल निधियां	20,140	31,346	23, 146	25,242	29,172
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	69.12	60.59	75.20	72.27	<i>78.95</i>

- वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।
- @ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।


चार्ट 2.16: 31 मार्च 2023 के अंत में समग्र बकाया देयता का विघटन



 वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है। राज्य की कुल देयताएं 2018-19 में ₹ 1,84,216 करोड़ से 59.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2022-23 में ₹ 2,93,122 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण लोक ऋणों (₹ 98,490 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 10,416 करोड़) में वृद्धि थी। गत वर्ष के 10.57 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में कुल देयताओं में 11.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल देयताओं का अनुपात 2018-19 में 26.36 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 29.48<sup>15</sup> प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 3.29 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.09 गुणा थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 2,93,122 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2022-23 में मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में अनुमानित ₹ 2,79,153 करोड़ की सीमा से अधिक थी।

2018-23 की अविध के दौरान लोक ऋण में ₹ 98,490 करोड़ (62.80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबिक आंतरिक ऋण में ₹ 97,813 करोड़ (63.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और भारत सरकार से ऋण में केवल ₹ 677 करोड़ (36.26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उसी अविध के दौरान लोक लेखा देयताओं में ₹ 10,416 करोड़ (38.04 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2018-19 से 2022-23 की अविधि के दौरान लिए गए की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतिरिक ऋण की प्रवृत्ति को *चार्ट 2.17* में दर्शाया गया है। 2022-23 के दौरान आंतिरिक ऋण पर ₹ 18,101.86 करोड़ का ब्याज दिया गया।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार उधारी का है, जिसमें ब्याज दर 4.40 से 9.89 प्रतिशत के मध्य है। 2022-23 में ₹ 79,379 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 45,158 करोड़ का बाजार ऋण था। ₹ 52,806 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण

ें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

63

पुनर्भुगतान में से, बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान ₹ 11,330 करोड़ था। 31 मार्च 2023 को बकाया बाजार उधारी ₹ 2,19,185.55 करोड़ थी। वर्ष के दौरान बाजार उधार की निवल वृद्धि 18.25 प्रतिशत (₹ 33,828 करोड़) थी।


राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धिति में संरचनागत बदलाव चार्ट 2.18 और तालिका 2.33 में दर्शाया गया है। 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 2.34 में दिए गए हैं।

तालिका 2.33: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवर	ण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजव	नोषीय घाटे की संरचना	(-) 21,912	(-)30,519	(-)29,486	(-) 31,778	(-) 31,027
1	राजस्व घाटा	(-)11,270	(-)16,990	(-)22,385	(-) 20,333	(-) 17,212
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-)15,258	(-)17,612	(-)5,807	(-) 10,978	(-) 11,591
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	4,616	4083	(-) 494	(-) 466	(-) 2,224
4	आकस्मिक निधि का विनियोग	-	-	(-) 800	=	0
राजव	नोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1	बाजार उधार	17,970	20,677	25,550	24,141	33,828
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 74	(-) 162	4,147	7,383	1,055
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की	(-) 981	(-) 1,004	(-) 1,004	(-) 1,000	(-) 1,004
	गई विशेष प्रतिभूतियां					
4	बॉण्ड	0	0	0	(-) 3,460	(-) 5,190
5	वितीय संस्थाओं से ऋण	166	9,146	(-) 4,373	2,569	(-) 1,061
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,168	1,247	1,034	397	269
7	आरक्षित निधि	553	1,925	(-) 671	1,025	1,410
8	जमा एवं अग्रिम	1,338	(-) 483	1,550	2,253	385
9	उचंत एवं विविध	1,296	(-) 1,624	1,563	266	184
10	प्रेषण	171	(-) 54	39	2	38
11	आकस्मिक निधि का विनियोग	0	0	800	0	0
12	समग्र घाटा	21,607	29,668	28,635	33,576	29,914
13	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	305	850	851	(-) 1,798	1,113
14	सकल राजकोषीय घाटा	21,912	30,518	29,486	31,778	31,027

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण (₹ करोड़ में)

विवरप	т	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	45,158	11,330	33,828
2	भारत सरकार से ऋण	1,270	215	1,055
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0	1,004	(-) 1,004
4	बॉण्ड	0	5,190	(-) 5,190
5	वितीय संस्थाओं से ऋण	13,087	14,148	(-) 1,061
6	आकस्मिक प्राप्तियां	0	0	0
7	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,620	3,351	269
8	जमा एवं अग्रिम	52,493	52,108	385
9	आरक्षित निधियां	1,801	391	1,410
10	उचंत और विविध	1,745	1,561	184
11	प्रेषण	10,451	10,413	38
12	समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	1,29,626	99,712	29,914
13	रोकड़ शेष में वृद्धि(-)/कमी(+)	4,946	3,833	1,113
14	सकल राजकोषीय घाटा	1,34,572	1,03,545	31,027

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, भारत सरकार से ऋण आदि शामिल हैं, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

# 2.6.2 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

लोक ऋण की परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल मूल राशि के ऋण पुनर्भुगतान के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता इंगित करती है जैसा कि *तालिका 2.35* और *चार्ट 2.19* में दर्शाया गया है।

तालिका 2.35: लोक ऋण परिपक्वता प्रोफाइल (मूलधन राशि)

पुनर्भुगतान की	मूलधन राशि	ब्याज राशि <sup>16</sup>	लोक ऋण (ब्याज सहित)	प्रतिशतता (कुल लोक
अवधि (वर्ष)		(₹ करोड़ में) ऋण के		ऋण के संबंध में)
0 - 1	25,657.02	19,660.79	45,317.81	11.21
1 - 3	42,125.70	34,466.12	76,591.82	18.95
3 - 5	40,463.20	27,423.39	67,886.59	16.79
5 - 7	37,821.24	21,621.77	59,443.01	14.71
7 - 10	56,647.87	21,844.57	78,492.44	19.42
10 से ऊपर	52,781.34	23,698.33	76,479.67	18.92
कुल#	2,55,496.37 <sup>17</sup>	148,714.97	404,211.34	100.00


स्रोत: वित्त लेखों के आधार पर गणना की गई।

# वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,745.79 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,393.79 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> बाजार ऋण पर ब्याज की गणना वित्त लेखे में उपलब्ध परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर की जाती है। बाजार ऋण के अलावा लोक ऋण पर अनुमानित ब्याज की गणना 7.90 प्रतिशत की औसत ब्याज दर (पिछले पांच वर्षों की औसत उधार ब्याज दर जैसा कि तालिका 2.37 में दिया गया है) के आधार पर की जाती है।

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> लोक ऋण के अंतर्गत परिपक्वता प्रोफाइल और शेष राशि के मध्य ₹ 171.31 करोड़ के अंतर का समाधान किया जा रहा है।

मार्च 2023 तक, कुल बकाया लोक ऋण (अनुमानित ब्याज सहित) ₹ 4,04,211.34 करोड़ था। तालिका 2.35 इंगित करती है कि राज्य सरकार को अपने लोक ऋण (अनुमानित ब्याज सहित) का 30.16 प्रतिशत (₹ 1,21,909.63 करोड़) अगले तीन वर्षों के भीतर, 16.79 प्रतिशत (₹ 67,886.59 करोड़) तीन से पांच वर्षों के मध्य, 14.71 प्रतिशत (₹ 59,443.01 करोड़) पांच से सात वर्षों के मध्य और 19.42 प्रतिशत (₹ 78,492.44 करोड़) सात से 10 वर्षों के मध्य चुकाना है। इसका अर्थ है कि राज्य को अगले दस वर्षों में अपने कर्ज का 81.08 प्रतिशत (₹ 3,27, 731.67 करोड़) चुकाना है।



31 मार्च 2023 को अगले 10 वर्षों में ब्याज<sup>18</sup> सिहत बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार पुनर्भुगतान अनुसूची *तालिका 2.36* और *चार्ट 2.20* में दी गई है।

तालिका 2.36: अगले 10 वर्षों के दौरान बकाया लोक ऋण और ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची का विवरण


(₹ करोड़ में)

वर्ष		का पुनर्भुगतान	
	लोक ऋण	ब्याज	कुल
2023-24	25,657.02	19,660.79	45,317.81
2024-25	20,490.44	17,991.46	38,481.90
2025-26	21,635.26	16,474.67	38,109.93
2026-27	20,546.60	14,433.18	34,979.78
2027-28	19,916.60	12,990.21	32,906.81
2028-29	19,799.02	11,518.91	31,317.93
2029-30	18,022.22	10,102.86	28,125.08
2030-31	18,919.76	8,577.74	27,497.50
2031-32	18,315.57	7,063.86	25,379.43
2032-33	19,412.54	6,202.98	25,615.52
कुल	202,715.03 <sup>\$</sup>	125,016.66	327,731.69

वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,745.79 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,393.79 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

\_

<sup>18</sup> बाजार ऋण पर ब्याज की गणना वित्त लेखे में उपलब्ध परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर की जाती है। बाजार ऋण के अलावा लोक ऋण पर अनुमानित ब्याज की गणना 7.90 प्रतिशत की औसत ब्याज दर (पिछले पांच वर्षों की औसत उधार ब्याज दर जैसा कि तालिका 2.37 में दिया गया है) के आधार पर की जाती है।



टिप्पणी: वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर लोक ऋण के लिए अगले 10 वर्षों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित की गई है, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।


2023-24 से 2032-33 की अविध के लिए ब्याज सिंहत ₹ 3,27,731.69 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से ब्याज सिंहत ₹ 45,317.81 करोड़ (14 प्रतिशत) 2023-24 में देय है, ब्याज सिंहत ₹ 1,44, 478.42 करोड़ (44 प्रतिशत) 2024-25 से 2027-28 की अविध के दौरान देय है, जबिक शेष 42 प्रतिशत (₹ 1,37, 935.46 करोड़) पांच वर्ष से अधिक के बाद भुगतान किया जाना है। 2027-28 तक अगले पांच वर्षों के दौरान लोक ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में वार्षिक व्यय लगभग ₹ 37, 959.25 करोड़ होगा।

2028-29 से 2032-33 की अविध में, ₹ 1,37, 935.46 करोड़ (मूलधन: ₹ 94,469.11 करोड़ और ब्याज: ₹ 43,466.35 करोड़) का लोक ऋण पुनर्भुगतान देय होगा। इस प्रकार राज्य को वर्ष 2028-29 से 2032-33 की अविध में लगभग ₹ 27,587.09 करोड़ का वार्षिक पुनर्भुगतान करना होगा।

संसाधन अंतर को कवर करने के लिए ब्याज सिहत बकाया लोक ऋण के पुनर्भुगतान के कारण व्यय राज्य की उधारी आवश्यकता में वृद्धि के साथ आगे बढ़ सकता है।

#### बाजार उधार/ऋण

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची चार्ट 2.21 में दी गई है।



टिप्पणी: 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।

राज्य को बाजार ऋणों के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2025-26 तक ₹ 40,646 करोड़ का पुनर्भुगतान और ₹ 47,995 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों, 2027-28 तक ₹ 34,940 करोड़ का मूलधन और ₹ 26,270 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों, 2027-28 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 29,970 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

2028-29 से 2032-33 की अविधि में ₹ 91,679 करोड़ के ऋण और ₹ 42,639 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को 2028-29 से 2032-33 की अविधि के दौरान लगभग ₹ 26,864 करोड़ का प्रतिवर्ष प्नर्भगतान करना होगा।

# 2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण निष्पादन; डोमर दृष्टिकोण और संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्यों के लिए मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन, के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

(क) ऋण स्थिरता राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को चुकाने की क्षमता को संदर्भित करती है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण *तालिका 2.37* और *चार्ट 2.21* में दिया गया है।

तालिका 2.37: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)


ऋण स्थिरता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया लोक ऋण <sup>*</sup>	1,56,835.74	1,85,491.05	2,05,458.18	2,27,697.02 <sup>*</sup>	2,55,325.05*
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	12.22	18.27	10.76	10.82	12.13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	698,939.76	732,194.51	741,850.07	870,664.53	9,94,154.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.41	4.76	1.32	17.36	14.18
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.44	25.33	27.70	26.15	25.68
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल - डिफाल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	5,054.18	5,840.63	12,132.69	16,057.12	24,466.68*
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.16	8.17	7.94	7.72	7.52
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	12,099.99	13,978.97	15,517.87	16,717.68	18,172.37
ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	829.57	(-) 3,011.11	(-) 6,867.72	(-) 3,615.66	960.85
ब्याज भुगतान के कारण राजस्व घाटा	107.36	82.28	69.32	82.22	105.58
राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	18.37	20.60	22.97	21.41	20.37
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	50.15	35.50	59.63	53.39	65.74
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण#	4,981.11	14,677.34	4,449.26	5,521.18	9,455.64
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	14.54	33.03	8.99	11.57	11.72
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार <sup>\$</sup> + प्राथमिक घाटा)	(-) 6,399.86	(-) 21,255.85	(-) 25,972.74	8,533.81	6,073.34

#### स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आंतिरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 11,745.79 करोड़ (₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़) को वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्नोतों से चुकाया नहीं जाना है।
- # राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।
- \$ क्वांटम प्रसार = (ऋण X प्रसार दर) जहां प्रसार दर = (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर ब्याज दर)।

ऋण स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते कि प्रारंमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मध्यम ऋणात्मक हो। इस प्रकार, यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा और यदि धनात्मक हो जाता है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर या घट जाएगा।

हरियाणा में, ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2018-19 में 22.44 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 27.70 प्रतिशत हो गया और 2021-22 में क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के धनात्मक आंकड़े के कारण 2022-23 में घटकर 25.68 प्रतिशत हो गया। 2018-19 से आरंभ होने वाले पांच वर्षों की ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां चार्ट 2.22 में दर्शाई गई हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी: वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 11,745.79 करोड़ (₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़) को वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

- घटते ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2018-19 में 22.44 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 27.70 प्रतिशत हो गया, जिसे स्थिरता की ओर अग्रसर नहीं माना जा सकता। इसके बाद, 2022-23 तक ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में थोड़ी गिरावट (25.28 प्रतिशत) की प्रवृत्ति दर्शाई। इसके अलावा ऋण स्थिरीकरण की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या अंततः ऋण स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा एक साथ ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह धनात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः घट जाएगा। तालिका 2.37 से पता चलता है कि यह प्रवृत्ति 2021-22 से धनात्मक रही है जो दर्शाती है कि ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः घट जाएगा।
- 2022-23 में लोक ऋण पर ब्याज भुगतान राजस्व घाटे का 105.58 प्रतिशत था,
   जो काफी अधिक था।
- राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का अनुपात भी ऋण स्थिरता का एक अच्छा
   उपाय है। अनुपात 18.37 प्रतिशत और 22.97 प्रतिशत के मध्य था, जो काफी
   अधिक था।

- लोक ऋण प्राप्तियों में लोक ऋण चुकौती का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उत्पादक उपयोग के बजाय ऋण भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले ऋण का अनुपात उतना ही अधिक होगा। 2018-23 की अवधि के दौरान लोक ऋण चुकौती का लोक प्राप्तियों से अनुपात 35.50 प्रतिशत और 65.74 प्रतिशत के मध्य था, जिसका अर्थ है कि लोक उधार का उपयोग पहले के उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे उत्पादक रूप से उपयोग करने के लिए कम जगह बची थी।
- (ख) ई.डी. डोमर<sup>19</sup> [डोमर, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट शेष के आधार पर लोक ऋण की गतिशीलता इस प्रकार है:

g-r (g-वास्तविक आर्थिक विकास	s<0 (प्राथमिक घाटा)	s>0 (प्राथमिक सरप्लस)	
दर; r-वास्तविक ब्याज दर)			
g-r> 0	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की	
(मजबूत आर्थिक विकास)	रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर	प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण	
	स्तर पर लाना चाहिए।	को शून्य से कम स्थिर स्तर पर	
		लाना चाहिए जिससे सार्वजनिक	
		बचत हो सके।	
g-r<0	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के	अपरिभाषित स्थिति	
(धीमी आर्थिक वृद्धि)	रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए		
	बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।		

हरियाणा के मामले में उपर्युक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम *तालिका 2.38* में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.38: डोमर मॉडल पर आधारित ऋण स्थिरता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक	वास्तविक	g-r	प्राथमिक घाटा (-)/सरप्लस (+)	<b>अ</b> भ्युक्तियां
	वृद्धि (g)	ब्याज (r)	(डोमर गैप)	(₹ करोड़ में)	
2018-19	10.57	5.28	5.29	(-) 8,361	g-r>0 एवं s<0; सकल राज्य घरेलू उत्पाद की
					प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य
					से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए।
2019-20	2.12	3.91	(-) 1.79	(-) 14,930	जैसा कि g-r<0 एवं s<0; सकल राज्य घरेलू
2020-21	(-) 6.24	2.08	(-) 8.32	(-) 12,371	उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक
					ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित
					काल तक बढ़ना चाहिए।
2021-22	11.32	2.16	9.16	(-) 13,416	जैसा कि g-r>0 एवं s<0; सकल राज्य घरेलू
2022-23	7.10	0.02	7.08	(-) 10,931	उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण को
					शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए।

टिप्पणी: स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए वास्तविक विकास दर की गणना की गई। वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नाममात्र ब्याज दर है।

प्रारंभिक वर्ष 2018-19 में, राज्य में प्राथमिक घाटा और धनात्मक डोमर है जो दर्शाता है कि

71

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> डोमर मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता प्रोफ़ाइल, संरचना, लागत और जोखिम विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाना चाहिए। तथापि, 2019-20 और 2020-21 (कोविड अविध) के दौरान डोमर गैप ऋणात्मक हो गया और प्राथमिक घाटा हुआ, जिसने दर्शाया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर आए बिना बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाएगा। तथापि, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, डोमर गैप (कोविड प्रभाव से उभरता हुआ) धनात्मक था और प्राथमिक घाटे में भी थोड़ा सुधार हुआ, जो दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर आ जाएगा। तथापि, लोक ऋण प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा उधार के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो 2018-2023 की अविध के दौरान 35.50 प्रतिशत और 65.74 प्रतिशत के मध्य था, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास ऋण च्यकाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

राजकोषीय मापदंड	मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में						
	निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति						
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
राजस्व घाटा (-)/सरप्लस (+)	लक्ष्य	(-) 1.20	(-) 1.53	(-) 1.64	(-) 3.29	(-) 0.98	
(स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)	प्राप्ति	(-) 1.61	(-) 2.32	(-) 3.02	(-) 2.34	(-) 1.73	
राजकोषीय घाटा (-)/सरप्लस (+)	लक्ष्य	(-) 2.82	(-) 2.86	(-) 4.00	(-) 3.83	(-) 2.98	
(स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)	प्राप्ति	(-) 3.14	(-) 4.17	(-) 3.97	(-) 3.65	(-) 3.12	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल	लक्ष्य	23.44	22.86	21.14	25.92	24.52	
बकाया देयता का अनुपात (प्रतिशत में)	प्राप्ति	26.36	29.44	32.18	30.32	29.48	
पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की	लक्ष्य	राज्य सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है					
प्रतिशतता के संदर्भ में गारंटी	प्राप्ति	27.65	30.56	34.12	31.17	25.85	

2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान बकाया देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का लक्ष्य अप्राप्त रहा। सरकार 2021-22 को छोड़कर 2018-19 से 2022-23 के दौरान मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्ष्यों को भी पूरा करने में असमर्थ रही। मध्य अविध राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 2022-23 में प्राप्त नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है, तथापि 2018-23 की अविध के दौरान गारंटी-राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 25.85 और 34.12 प्रतिशत के मध्य था।

# राजकोषीय स्थिरता जोखिम:

- (i) तालिका 2.37 में दर्शाए गए विभिन्न राजकोषीय और ऋण मापदंडों के अनुसार, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात ने 2018-19 से 2020-21 की अविध के दौरान 22.44 से 27.70 प्रतिशत तक बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई, इसके बाद वर्ष 2022-23 के दौरान घटकर 25.68 प्रतिशत हो गया।
- (ii) डोमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार, ब्याज दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (वर्ष 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर) से कम रही। इससे संकेत मिलता है कि

सकल राज्य घरेल् उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर आ जाएगा।

(iii) बकाया देयता और सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2018-19 से 2022-23 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के भीतर शामिल नहीं किया जा सका और सरकार 2022-23 में राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में भी विफल रही। राज्य सरकार ने गारंटी की सीमा सरकार द्वारा तय नहीं की थी। ये प्रवृत्तियां सरकार को राजकोषीय असंतुलन को दूर करने और स्थायी वित्तीय प्रबंधन की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

उपर्युक्त के आधार पर, यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की राजकोषीय स्थिरता में अल्प से मध्यम अविध में जोखिम है जब तक कि व्यय को तर्कसंगत बनाने, आगे के स्रोतों का पता लगाने, राजस्व आधार का विस्तार करने और राजस्व उत्पन्न करने वाली संपितयों में निवेश करने के लिए उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं।

# 2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना टिकाऊ नहीं है। 2018-23 की अविध के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण तालिका 2.39 में दिया गया है।

तालिका 2.39: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल उधार	34,264.97	44,431.82	49,464.73 <sup>20</sup>	47,711.81 <sup>21</sup>	80,649.29
पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	17,183.87	15,775.51	29,497.60	25,472.95	53,021.27
(प्रतिशतता)	(50)	(36)	(60)	(53)	(66)
निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)*	10,067.59	12,421.92	5,806.74	10,978.41	11,591.04
,	(29)	(28)	(11)	(23)	(14)
निवल ऋण एवं अग्रिम"	573.74	1,106.62	493.75	466.02	2,224.32
	(2)	(2)	(1)	(1)	(3)
उपलब्ध निवल उधार से किए गए राजस्व व्यय	6,439.77	15,127.77	13,666.64	10,794.43	13,813
का भाग	(19)	(34)	(28)	(23)	(17)
राज्य का कुल बजट	1,41,732.90	1,56,449.71	1,80,004.84	1,95,689.44	2,21,110.07
कुल बजट के विरुद्ध व्यय	1,21,362.76	1,29,856.27	1,42,409.10	1,50,162.15	1,85,288.25
कुल व्यय पर उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	14.16	12.15	20.71	16.96	28.62

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कोष्ठक में कुल उधारों की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।

निवल का अर्थ है व्यय/भ्गतान घटा प्राप्तियां।


<sup>20</sup> वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

2018-23 की अविध के दौरान राज्य के कुल व्यय में उधार का पुनर्भुगतान (मूलधन) 12.15 से 28.62 प्रतिशत के मध्य रहा। इस अविध के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी वर्तमान उधारी का 36 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के मध्य उपयोग पिछली उधारी (मूलधन) के पुनर्भुगतान के लिए किया। निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय 17 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के मध्य रहा। 2022-23 में, मौजूदा उधार का केवल 14 प्रतिशत हिस्सा निवल पूंजीगत व्यय पर उपयोग किया गया था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान खपत को पूरा करने और पहले के उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को राजस्व घाटे को कम करने और अंततः समाप्त करने तथा सभी उधारों को पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जा रहा है। 2022-23 में, जो कि वित्त आयोग की अविध का दूसरा वर्ष है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कोई राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिला है, तथापि राज्य सरकार ने अपने राजस्व घाटे को घटाकर ₹ 3,121 करोड़ (2021-22 में ₹ 20,333 करोड़ से 2022-23 में ₹ 17,212 करोड़) कर लिया है, लेकिन अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया है।

2018-23 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को *चार्ट 2.23* में दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


# 2.7.2 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली

गारंटियों की एक सीमा, जहां तक गारंटी दी जा सकती है, निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की गारंटियों की स्थिति और 31 मार्च 2023 तक क्षेत्रवार गारंटियों की स्थिति *चार्ट 2.24* और *2.25* में दी गई है।





स्रोत: वित्त लेखे

2022-23 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया। 31 मार्च 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के संबंध में गारंटियों का विवरण *तालिका 2.40* में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: संस्थाओं को दी गई गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों का नाम	गारंटी	31 मार्च 2023 को
सं.		की संख्या	गारंटी की राशि
1	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)	11	11,528.75
2	हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	7	2,962.99
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	23	5,249.21
4	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	5	264.41
5	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2	279.10
6	हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा	7	265.79
7	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	10	1,971.77
8	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1	103.28
9	नगर निगम, फरीदाबाद	1	47.80
10	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	4	9.43
11	हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड, पंचकुला	1	20.35
12	पानीपत सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, पानीपत	1	78.57
13	शाहबाद सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, शाहबाद	1	47.57
14	करनाल सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, करनाल	1	66.79
15	हैफेड-नाबार्ड	2	148.58
16	हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम	2	13.68
	कुल	79	23,058.07

स्रोत: वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे

31 मार्च 2023 तक कुल गारंटी में से 95.31 प्रतिशत (₹ 21,977.13 करोड़) मुख्य रूप से हिरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 11,528.75 करोड़), हिरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (₹ 2,962.99 करोड़), उत्तर हिरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5,249.21 करोड़), हिरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 264.41 करोड़) और दक्षिण हिरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,971.77 करोड़) के संबंध में थी।

# 2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष करार न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 2.41 में दिए गए हैं।

तालिका 2.41: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष
क. सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	(-) 371.24	(-) 716.63
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	(-) 370.70	(-) 716.09
रोकड़ शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	2,597.52	1,310.12
कुल (क)	2,226.82	594.03
ख. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे कि लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास	4.41	3.91
रोकइ		
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.12	0.11
चिहिनत निधियों में निवेश	2,714.76	3,235.50
कुल (ख)	2,719.29	3,239.52
कुल (क + ख)	4,946.11	3,833.55
वसूल किया गया ब्याज	25.45	4.36

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.42: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	2,554.85	2,084.53	(-) 470.32	94.89
2018-19	2,084.53	721.57	(-) 1,362.96	91.54
2019-20	721.57	2,332.87	1,611.30	76.54
2020-21	2,332.87	1,564.72	(-) 768.15	29.49
2021-22	1,564.72	2,597.52	1,032.80	25.45
2022-23	2,597.52	1,310.12	(-) 1,287.40	4.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

रोकड़ शेष में चिहिनत निधियों से ₹ 3,235.50 करोड़ का निवेश था। उक्त निवेश, जिसमें ऋण शोधन निधि निवेश खाता (₹ 1,692.34 करोड़) तथा गारंटी मोचन निधि निवेश खाता (₹ 1,540.86 करोड़) शामिल हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। वर्ष 2022-23 में सरकार 177 दिन के लिए ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में समर्थ थी। सरकार द्वारा न्यूनतम रोकड़ को बनाए रखने के लिए 120 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.) और 64 दिन के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) लिया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 10.36 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

2022-23 के दौरान राज्य के पास ₹ 4,946 करोड़ का प्रारंभिक रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 45,158 करोड़ उधार लिया था। अंतिम रोकड़ शेष ₹ 3,834 करोड़ था (चार्ट 2.26)।



#### 2.8 निष्कर्ष

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समय अविध में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है। राज्य में पिछले वर्ष के दौरान 17.36 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2022-23 की अविध के दौरान 14.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित (मार्च 2022 में संशोधित) किया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्रीय करों एवं शुल्कों के हिस्से, जिसमें 16.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के सभी घटकों में 14.60 प्रतिशत और 38.50 प्रतिशत के मध्य की कमी के कारण सरकार मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में अनुमानित राजस्व घाटे को नियंत्रित करने में असमर्थ थी।

राजस्व घाटा 2021-22 के दौरान ₹ 20,333 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 17,212 करोड़ हो गया किंतु बजट अनुमान ₹ 9,774 करोड़ से अधिक था। 2022-23 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 31,027 करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.12 प्रतिशत था तथा मध्य अविध राजकोषीय नीति और बजट अनुमान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटे को मुख्यतः बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2018-19 में 5.09 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में (-) 0.44 प्रतिशत रह गई, जो 2022-23 में बढ़कर 14.22 प्रतिशत हो गई। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्व-राजस्व ने पिछले वर्ष की तुलना में 17.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

राज्य ने केवल 45 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए छोड़ते हुए कुल राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया। वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान के कारण व्यय, राजस्व व्यय के 19 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों के 23 प्रतिशत के बराबर था। हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुल व्यय का प्रतिशत 2022-23 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से अधिक था।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 38,020 करोड़) पर केवल 0.50 प्रतिशत रिटर्न अर्जित किया। राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान औसतन 6.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण जुटाया।

राज्य लेखों के अनुसार तथा 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 7,270 करोड़ का अंतर था।

सहकारी चीनी मिलों को पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 657.73 करोड़ का ऋण दिया गया था। राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 75 करोड़ (0.79 प्रतिशत) प्राप्त किए और बकाया ऋण पर 6.92 प्रतिशत पर ब्याज का भ्गतान किया।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य प्रतिअनुपूरक वनीकरण निधि और खदान एवं खनिज पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 6,426.56 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सिहत कुल बकाया देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.48 प्रतिशत थी (वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है)। गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में कुल देयताओं में 11.05 प्रतिशत की वृद्धि

हुई। राज्य सरकार ने ₹ 80,649 करोड़ का लोक ऋण लिया और ₹ 53,021 करोड़ का ऋण च्काया।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने अपने वर्तमान उधार का 36 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के मध्य पहले के उधार के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया। निवल उपलब्ध उधार से पूरा किया गया राजस्व व्यय 17 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के मध्य था। 2022-23 में, मौजूदा उधार का केवल 14 प्रतिशत हिस्सा निवल पूंजीगत व्यय पर उपयोग किया गया था।

# 2.9 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- सहकारी चीनी मिलों, हिरयाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और अन्य ऋणी संस्थाओं से लंबित ऋणों की वस्त्री के लिए कार्य योजना तैयार करना;
   और
- आरिक्षत निधियों का निवेश करना तािक इन निधियों के अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए इन निधियों का सृजन किया गया था।

# अध्याय-3 बजटीय प्रबंधन

#### अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

#### 3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वितीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वितीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यय के अनुमान 'प्रभारित' और 'दत्तमत़' मदों के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।


पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अन्सार वित विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अन्मान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्त्त किया जाता है। वित्त विभाग अन्मानों को समेकित करता है और विस्तृत अन्मान तैयार करता है जिसको 'अन्दानों के लिए मांग' कहते हैं। वितीय वर्ष 2022-23 के बजट में, हरियाणा राज्य सरकार ने 47 मौजूदा बजटीय अन्दान मांगों को 20 बजटीय अन्दान मांगों में इकट्ठा करके बजटीय प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। इस विलय के परिणामस्वरूप कई विभागों के साथ-साथ इन विभागों के कई म्ख्य शीर्षों को एक अन्दान के दायरे में लाया गया है, जो वित विभाग को विनियोग की एक इकाई, जहां बचत का अन्मान है, से अन्दान के भीतर निधियों को दूसरी इकाई में अंतरित करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जहां अन्दान/विनियोग से अतिरिक्त संवितरण के जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भारत के संविधान के अन्च्छेद 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का नियमितीकरण अपेक्षित होता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, किसी भी अन्दान एवं विनियोग (पैरा 3.3.6) के अंतर्गत अधिक संवितरण का कोई मामला नहीं था। *चार्ट 3.1* में दिए अन्सार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।

प्रभारित व्यय: व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। दत्तमत व्यय: अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका दवारा मतदान किया जाता है।

बजट दस्तावेज प्राप्तियों के राजस्व व्यय के पूंजीगत व्यय के विस्तृत अनुमान विस्तृत अनुमान विस्तृत अनुमान परिसम्पतियों के सृजन राज्य का स्व राजस्व हेत् पूंजीगत परिव्यय (कर एवं कर-भिन्न) केंद्रीय हस्तांतरण उधार का पुनर्भुगतान (कर एवं अनुदान) एवं ऋणों और अग्रिमों का संवितरण उधार, ऋणों एवं अग्रिमों की प्राप्ति प्रतिबद्ध व्यय अर्थात् वेतन, केंद्र प्रायोजित योजनाओं राज्य की योजनाओं/ पेंशन, ब्याज, इत्यादि के लिए प्रावधान कार्यक्रमों के लिए प्रावधान

चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण

बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।



चार्ट 3.2: 2022-23 के दौरान व्यय की तुलना में कुल बजट प्रावधान

स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोग लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

### 3.1.1 सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन

हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर नीति नियोजन में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को शामिल किया है। इसने वितीय वर्ष 2018-19 से इन लक्ष्यों के लिए अपने बजटीय आबंटन का विस्तृत मूल्यांकन किया। इसने सतत विकास लक्ष्यों को बजटीय आबंटन के साथ जोड़ दिया है।

### (i) लैंगिक बजटिंग

तैंगिक बजिटंग का संबंध कानून, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों; संसाधनों के आबंटन; कार्यान्वयन; व्यय की ट्रैकिंग, लेखापरीक्षा और प्रभाव मूल्यांकन के लिंगानुकूल निर्माण से है। यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों को अलग-अलग लिंग आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कुशलतापूर्वक एकत्र और खर्च किया जाए। लैंगिक बजट महिलाओं के लिए अलग बजट नहीं है; न ही उनका तात्पर्य यह है कि निधियों को पुरुषों और महिलाओं के लिए आधे-आधे में विभाजित किया जाना चाहिए या बजट को आधे-आधे में विभाजित किया जाना चाहिए। वे सरकार के बजट को विभिन्न लिंगों पर इसके अलग-अलग प्रभाव के अनुसार अलग-अलग करने और लिंग अंतर को कम करने के लिए आबंटन को दोबारा प्राथमिकता देने का प्रयास हैं।

हरियाणा राज्य में कोई लैंगिक बजिटिंग नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ने अपने बजट के साथ सतत विकास लक्ष्य-5 लैंगिक समानता को जोड़ दिया है। लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय के प्रमुख केंद्र बिंदु के क्षेत्र (फोकस एरिया) निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वितीय सहायता, एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी), लाडली (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना), अपनी बेटियां अपना धन जिसका नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) कर दिया गया है, अपनी बेटियां अपना धन जिसका नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) कर दिया गया है के अंतर्गत अन्सूचित जाति के परिवारों को वितीय सहायता, मुख्यमंत्री विवाह शग्न योजना हैं।

सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत 13 विभिन्न विभागों द्वारा 70 योजनाएं/कार्यक्रम लागू किए गए थे। इन 70 योजनाओं में से, राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित 57 योजनाओं के संबंध में ₹ 1,884.54 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,577.28 करोड़ (कुल प्रावधान का 83.69 प्रतिशत) की राशि खर्च की गई थी। 2022-23 में लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत विभागवार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: 2022-23 में लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय का विभाग-वार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम (योजनाओं की संख्या)	बजट प्रावधान	व्यय
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (5)	1,077.54	1,013.86
2	महिला एवं बाल विकास (29)	524.92	399.97
3	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (4)	91.22	63.89
4	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा (1)	0.05	0.02
5	स्वास्थ्य (4)	2.47	1.87
6	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (1)	0.10	0.00
7	शिक्षा (उच्च) (3)	2.10	1.50
8	शिक्षा (माध्यमिक) (5)	12.76	5.95
9	परिवार कल्याण (11)	19.88	10.63
10	उच्च न्यायालय (1)	30.00	0.00
11	पुलिस (4)	101.00	61.90
12	सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग (1)	20.00	15.94
13	ग्रामीण विकास (1)	2.50	1.75
	कुल (70 योजनाएं)	1,884.54	1,577.28

स्रोतः सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2022-23 और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यय आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 13 विभागों में से चार विभागों अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, पुलिस और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ने लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट अनुमान 2022-23 में 95 प्रतिशत से अधिक का अंशदान दिया।

आगे यह देखा गया कि 70 योजनाओं में से 13 योजनाओं के संबंध में सतत विकास लक्ष्य-5 के अंतर्गत कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था जैसा कि *तालिका 3.2* में बताया गया है।

तालिका 3.2: उन योजनाओं का विवरण जिनमें वर्ष 2022-23 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया था

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम
1	महिला एवं बाल	पी-01-12-2235-02-001-97-99-एन-वी- मुख्यालय के लिए कर्मचारी (डब्ल्यूसीडी) -सूचना प्रौद्योगिकी
2	विकास	पी-03-12-2235-02-103-66-51-एन-वी- महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण
3		पी-03-12-2235-02-103-69-51-एन-वी- महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित करने की
		योजना
4		पी-03-12-4235-02-103-96-51-एन-वी- महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर योजना की
		स्थापना हेतु भवन निर्माण
5		पी-01-12-4235-02-103-99-51-एन-वी-युवतियों/महिलाओं और निराश्रित महिलाओं और विधवाओं के
		लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र
6	स्वास्थ्य	पी-01-14-2210-80-199-98-98-एन-वी- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन -अटल जननी वाहिनी सेवा
7	शिक्षा (माध्यमिक)	पी-01-09-4202-01-202-98-51-एन-वी- सीनियर सेकेंडरी/हाई स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग
		शौचालय/ हैंडपंप का निर्माण (नाबार्ड)
8		पी-02-12-2202-02-109-84-51-एन-वी- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में माध्यमिक और उच्च
		माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण और संचालन
9	परिवार कल्याण	पी-01-14-2211-51-001-99-51-एन-वी- राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो
10		पी-01-14-2211-51-003-96-51-एन-वी- एमपीडब्ल्यू (महिला) के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग स्कूल, भिवानी
11		पी-01-14-2211-51-003-99-51-एन-वी- क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केंद्र रोहतक
12		पी-01-14-2211-51-102-99-51-एन-वी- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं
13	पुलिस	पी-03-05-2055-51-114-96-51-एन-वी- अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम
		(सीसीटीएनएस) आरएसबी - सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग

# (ii) जलवायु कार्रवाई के लिए बजटिंग (सतत विकास लक्ष्य-13)

राज्य सरकार ने अपने बजटीय आबंटन के साथ सतत विकास लक्ष्य-13 जलवायु परिवर्तन को जोड़ दिया है। जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत प्रमुख केंद्र बिंदु के क्षेत्र (फोकस एरिया) बाढ़ सुरक्षा और आपदा तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण (आपदा मित्र), एकीकृत वन संरक्षण, सिंचाई दक्षता के लिए फसल अवशेष सूक्ष्म सिंचाई का प्रबंधन, इको-कलब की स्थापना, गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन हैं।

2022-23 के दौरान, जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत आठ अलग-अलग विभागों द्वारा 42 योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 2,175.09 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान किया गया था। इन 42 योजनाओं में से, वर्ष 2022-23 के दौरान केवल 29 योजनाएं लागू की गई। 2022-23 में जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत विभाग-वार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत विभाग-वार बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम (योजनाओं की संख्या)	बजट प्रावधान	व्यय
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (6)	358.52	458.70
2	भूमि अभिलेख (2)	0.50	0.51
3	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन (12)	15.61	5.69
4	राजस्व (8)	717.13	139.23
5	वन (3)	0.96	15.92
6	उद्योग निदेशालय (1)	2.00	0.35
7	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (6)	1,076.47	837.51
8	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (1)	3.90	3.38
	कुल (42 योजनाएं)	2,175.09	1461.29

स्रोतः सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2022-23 और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यय आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, आठ विभागों में से तीन विभागों अर्थात सिंचाई एवं जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और कृषि एवं किसान कल्याण ने जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत बजट अनुमान 2022-23 में 98 प्रतिशत से अधिक का अंशदान दिया।

इन 42 योजनाओं में से 13 योजनाएं सतत विकास लक्ष्य-13 के अंतर्गत बजट का प्रावधान न होने के कारण क्रियान्वित नहीं की गई जैसा कि *तालिका 3.4* में वर्णित है।

तालिका 3.4: उस योजना का विवरण जिसमें वर्ष 2022-23 के दौरान प्रावधान नहीं किया गया था

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम
1	कृषि एवं किसान	पी-01-10-2401-51-111-91-51-एन-वी- मौसम आधारित फसल बीमा योजना
2	कल्याण विभाग	पी-02-10-2401-51-111-92-98-एन-वी- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना -एससीएसपी घटक
3		पी-02-10-2401-51-111-92-99-एन-वी- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-सामान्य योजना
4	भूमि अभिलेख	पी-03-04-2029-51-103-97-99-एन-वी- लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण मुख्यालय
		कर्मचारी - सूचना प्रौद्योगिकी
5	पर्यावरण और जलवायु	पी-01-10-3435-03-001-96-51-आर-वी- ईएनवी-पर्यावरण का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय
	परिवर्तन	(पीएलओ) (ईएनवी-पीएलओ-आरईवी)
6		पी-01-10-3435-03-188-99-51-आर-वी- अपीलीय प्राधिकारी
7		पी-01-10-3435-03-800-84-51-एन-वी- जलवायु परिवर्तन मंडल
8		पी-01-10-3435-03-800-88-98-एन-वी- राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण-स्थापना व्यय
9		पी-01-10-3435-03-800-89-51-एन-वी- गुरूग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
10	राजस्व	पी-03-04-2245-80-102-96-51-एन-वी- आपदा मित्र- आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक
		स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण
11		पी-03-04-2245-80-102-97-51-एन-वी- मॉक एक्सरसाइज
12	नवीन एवं नवीकरणीय	पी-01-19-2810-51-103-99-51-एन-वी- शहरी औद्योगिक और वाणिज्यिक एप्लिकेशनों के लिए
	ऊर्जा विभाग	नई और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना
13	विद्युत	पी-03-19-2801-02-800-99-51-एन-वी- राज्य सरकार के माध्यम से प्रतिपूर्ति के आधार पर
		एचपीजीसीएल को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) अनुदान

# 3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2018-23 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति *तालिका 3.5* में दी गई है।

तालिका 3.5: 2018-23 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत प्रभारित		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2018-19	1,07,759.20	33,973.70	90,304.44	31,058.32	17,454.76	2,915.38
2019-20	1,19,003.62	37,446.09	98,167.61	31,688.66	20,836.01	5,757.43
2020-21	1,27,589.40	27,589.40 52,415.44		46,873.19	32,053.49	5,542.25
2021-22	1,47,174.90	48,514.54	1,06,051.98	44,110.17	41,122.92	4,404.37
2022-23	1,45,926.23	75,183.84	1,11,846.45	73,441.80	34,079.78	1,742.04

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

#### 3.1.3 बजट मार्क्समैनशिप

## (i) कुल बजट परिणाम

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें कुल बजट व्यय परिणाम/वास्तविक व्यय, अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान मूल रूप से अनुमोदित बजट के विरुद्ध वास्तविक परिणाम की सारांशित स्थिति तालिका 3.6 में दी गई है।

तालिका 3.6: मूल बजट के विरुद्ध वास्तविक परिणाम का विवरण

विवरण	मूल बजट	वास्तविक परिणाम	वास्तविक परिणाम और मूल बजट के मध्य अंतर
राजस्व	1,17,662.58	1,06,853.27	(-) 10,809.31
पूंजीगत	77,767.36	78,434.98	667.62
कुल	1,95,429.94	1,85,288.25	(-) 10,141.69

 मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 9.19 प्रतिशत था। पूंजीगत भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 0.86 प्रतिशत था। अनुदान के अनुसार प्रतिशतता विचलन *तालिका 3.7* में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का विवरण

बजट अनुमान और	राजस्व भाग में	राजस्व	पूंजीगत भाग में अनुदान	पूंजीगत
वास्तविक परिणाम के	अनुदान संख्या	भाग में	संख्या	भाग में
मध्य विचलन का प्रतिशत		कुल अनुदान		कुल अनुदान
0-25	1, 2, 3, 5, 6, 10, 12,	12	3, 4, 7, 14, 17	5
	14, 16, 17, 19, 20			
25-50	4, 11, 13, 15, 18	5	5, 11, 12, 13, 15, 19	6
50-75			6, 8, 10, 20	4
75-100			16	1
100 से अधिक			18	1

### (ii) व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुन:आबंटन ने अनुमोदित व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है जो तानिका 3.8 में दिया गया है।

तालिका 3.8: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, संशोधित अनुमान, संवितरण तथा वास्तविक और संशोधित बजट अनुमान के मध्य अंतर

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल	संशोधित	वास्तविक	बजट अनुमान और संशोधित	वास्तविक और संशोधित
	बजट	अनुमान	परिणाम	अनुमान के मध्य अंतर*	अनुमान के मध्य अंतर*
राजस्व	1,17,662.58	1,16,457.53	1,06,853.27	(-) 1,205.05	(-) 9,604.26
पूंजीगत	77,767.36	82,462.30	78,434.98	4,694.94	(-) 4,027.32
कुल	1,95,429.94	1,98,919,83	1,85,288.25	3,489.89	(-) 13,631.58

 मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.25 प्रतिशत था। पूंजीगत भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 4.88 प्रतिशत था। अनुदान के अनुसार प्रतिशतता विचलन *तालिका 3.9* में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: संशोधित बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का विवरण

बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के	राजस्व भाग में राजस्व पूंजीगत भाग में अनुदान संख्या भाग में अनुदान संख्या		पूंजीगत भाग में	
मध्य विचलन का प्रतिशत		कुल अनुदान		कुल अनुदान
0-25	1, 2, 4, 5, 6, 10, 12,	13	3, 4, 6, 7, 8, 10,	13
	14, 15, 16, 17, 19, 20		11, 12, 13, 14, 17,	
			18, 19	
25-50	3, 11, 13, 18	4	5, 15, 20	3
50-75	-	-	-	-
75-100	-	-	16	1

## (iii) बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक में कमियां

वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं का संशोधित अनुमान ₹ 1,98,919.83 करोड़ आंका गया। विभिन्न योजनाओं पर ₹ 1,85,288.25 करोड़ की राशि खर्च की गई जो संशोधित अनुमान का 93.15 प्रतिशत थी। ऐसे मामले जिनमें अनुमोदित बजट परिव्यय संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया था, अनुमोदित परिव्यय संशोधित अनुमानों में कम कर दिया गया था या अनुमोदित परिव्यय संशोधित परिव्यय में प्रावधान किया गया था लेकिन दोनों स्थितियों में कोई व्यय नहीं किया गया था, आदि पर निम्नलिखित उप-पैरा में चर्चा की गई है।

- (क) बीस योजनाओं में ₹ 6,585.02 करोड़ की राशि (₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) अनुमोदित परिव्यय में प्रदान की गई थी, जिसे योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारण संशोधित अनुमान में वापस ले लिया गया था (परिशिष्ट 3.1)।
- (ख) 2022-23 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 41 योजनाओं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) के लिए किए गए ₹ 3,558.21 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 694.05 करोड़ कर दिया गया, लेकिन इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 3.2)।
- (ग) अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 17 योजनाओं (₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) के लिए ₹ 476.50 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2022-23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 3.3)।
- (घ) सोलह योजनाओं के लिए किए गए ₹ 2,654.63 करोड़ के प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और मूल प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम) को बढ़ाकर ₹ 3,566.02 करोड़ कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1,107.11 करोड़ का व्यय किया गया जो मूल अनुमान का 41.70 प्रतिशत था। अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधियों की वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमान से कम था (परिशिष्ट 3.4)।
- (ङ) चौसठ योजनाएं (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत से कम) जिनके लिए 2022-23 के दौरान निष्पादन के लिए अनुमोदित ₹ 12,875.12 करोड़ का परिव्यय संशोधित अनुमान में घटाकर

- ₹ 7,558.73 करोड़ कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 3,596.44 करोड़ खर्च किए गए जो संशोधित परिव्यय का 47.58 प्रतिशत था (*परिशिष्ट 3.5*)।
- (च) दस योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक) जिनके लिए 2022-23 के दौरान निष्पादन के लिए ₹ 660.50 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 369.27 करोड़ कर दिया गया, लेकिन ₹ 500.16 करोड़ का व्यय हुआ जो संशोधित अनुमान का 135.45 प्रतिशत था जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में बताया गया है।
- (छ) उनचास (४९) योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और मूल प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम) जिसके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमान में ₹ 4,040.40 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 2,487.20 करोड़ (61.56 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जो किए गए प्रावधान से कम था जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में वर्णित है।
- (ज) सत्ताईस योजनाओं के लिए किए गए ₹ 2,503.66 करोड़ के प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत से कम) को बढ़ाकर ₹ 4,325.11 करोड़ कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,724.36 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अलावा, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधियों की वृद्धि अत्यधिक सिद्ध हुई, क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमान का 62.99 प्रतिशत था (परिशिष्ट 3.8)।
- (झ) नौ योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक) जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमान में ₹ 422.24 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 891.07 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि किए गए प्रावधान से 111.03 प्रतिशत अधिक था जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में वर्णित है।
- (ञ) योजना "फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड [पी-02-20-2217-80-190-99-51]" जिसके लिए संशोधित अनुमान में ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 196 करोड़ का व्यय हुआ जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधान से 196 प्रतिशत अधिक था।

### 3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए प्रभारित और दत्तमत विनियोग अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोग

अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं। अत:, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की स्विधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

## 3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

### 3.3.1 बिना सलाह के नए उप-शीर्ष/विस्तृत लेखा शीर्ष खोलना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार रखा जाना है। 2022-23 के दौरान, हरियाणा राज्य सरकार ने संविधान के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना, बजट में तीन नए उप-शीर्ष (पूंजीगत भाग के अंतर्गत) खोले। राज्य सरकार ने इन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,110 करोड़ का बजट प्रदान किया और 2022-23 के दौरान इन शीर्षों में पूंजीगत भाग के अंतर्गत ₹ 519.33 करोड़ का व्यय किया जैसा कि *तालिका 3.10* में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.10: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना अनिधकृत शीर्षों का संचालन/नए उप-शीर्षों/विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम एवं वर्गीकरण	बजट	वास्तविक
सं.		प्रावधान	व्यय
1	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिका को सहायता अनुदान	720.00	341.00
	(अनिधकृत योजना) [पी-01-20-4217-60-051-87]		
2	राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक हेतु नगरपालिकाओं		158.33
	को सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99]		
3	बागवानी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता [पी-01-10-6401-51-800-90]	110.00	20.00
	कुल	1,110.00	519.33

स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखों की टिप्पणियां।

इन उप-शीर्षों को खोलने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिरयाणा के कार्यालय ने राज्य सरकार के साथ मामला उठाया था (अगस्त 2022 और मई 2023) कि इन योजनाओं को पूंजीगत भाग के बजाय राजस्व भाग के अंतर्गत खोला जाना चाहिए, क्योंकि नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान को पूंजीगत प्रकृति के बजाय राजस्व प्रकृति के व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। इसके अलावा, लेखों के पूंजीगत भाग का उद्देश्य

सरकार की स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यय को रिकॉर्ड करना है, जबिक नगरपालिकाएं अलग संस्थाएं हैं। नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई पूंजीगत परिसंपित को सरकार की परिसंपित के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। एमएच 6401-51-800-90-51-23 के अंतर्गत वितीय सहायता के मामले में, निधियां राज्य के एसओई 23 (ऋण) के अंतर्गत जारी की गई थी, लेकिन नामकरण का उल्लेख बागवानी के लिए वितीय सहायता के रूप में किया गया था।


इस मामले को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के साथ बार-बार उठाया गया है, लेकिन अभी तक (दिसंबर 2023) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

# 3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 20 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 6,059.12 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। चार मामलों में, ₹ 19,620.72 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता (₹ 18,498.83 करोड़) से ₹ 1,121.89 करोड़ अधिक था (परिशिष्ट 3.10)।

अनावश्यक एवं अत्यधिक अनुपूरक प्रावधानों का विवरण *चार्ट 3.3* में दिया गया है। चार्ट 3.3: अनावश्यक एवं अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान




स्रोत: विनियोग लेखे

इस प्रकार से काफी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (नवंबर 2023), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने भविष्य के अन्पालन के लिए मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

## 3.3.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुन:विनियोग

पुन:विनियोग, विनियोग की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 35,821.82 करोड़ की वास्तविक बचत में से ₹ 39,804.31 करोड़ की राशि पुन:विनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,982.49 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जैसा कि *चार्ट 3.4* में दर्शाया गया है।



चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर बचत और अभ्यर्पण

पुनःविनियोग अत्यधिक अभ्यपंणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में ₹ पांच करोड़ से अधिक 73 उप-शीर्षों में ₹ 5,610.58 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ और 24 उप-शीर्षों के अंतर्गत, जहां विनियोग इससे अधिक था, ₹ 2,243.20 करोड़ से अधिक की बचतें हुई जैसा कि परिशिष्ट 3.11 में वर्णित हैं। 74 उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक थी। पांच² मामलों में, पुनःविनियोग के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और अनुपूरक प्रावधानों से अधिक था और 17³ मामलों में, जहां मूल प्रावधान की संपूर्ण राशि को पुनःविनियोग के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बजट प्रावधान के बिना व्यय करना पड़ा। पांच⁴ मामलों में, निधियों का पुनःविनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि बचत पुनःविनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक थी। इसी तरह, 11⁵ मामलों में निधियों का पुनःविनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय पुनःविनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक थी। इसी तरह, 11⁵ मामलों में निधियों का पुनःविनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय पुनःविनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

\_

परिशिष्ट 3.11 की क्रम संख्या 1, 26, 29, 54 और 86.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> **परिशिष्ट 3.11** की क्रम संख्या 5, 7, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 55, 66 और 78.

<sup>4</sup> **परिशिष्ट 3.11** की क्रम संख्या 2, 34, 46, 53 और 72.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> **परिशिष्ट 3.11** की क्रम संख्या 14, 27, 31, 32, 35, 37, 44, 47, 80, 87 और 88.

### 3.3.4 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर, 37 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गई। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 2,20,820.72 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,85,016.31 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35,804.41 करोड़ की बचत हुई। इन बचतों में से ₹ 39,792.80 करोड़ अभ्यर्पित किए गए (परिशिष्ट 3.12), जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक बचत से ₹ 3,988.39 करोड़ अधिक अभ्यर्पित किए गए। यह अपर्याप्त बजटीय तथा वितीय नियंत्रण को दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि सात मामलों में ₹ 12,341.79 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 1,428.12 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा में भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरूद्ध था। 28 मामलों में, ₹ 23,421.19 करोड़ की बचत के विरूद्ध ₹ 28,837.70 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5,416.51 करोड़ का अतिरिक्त अभ्यर्पण हुआ। दो मामलों में ₹ 41.43 करोड़ की सभी बचतें अभ्यर्पित की गई। निधि के कम अभ्यर्पण या अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए।

#### 3.3.5 बचत

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल के पैरा 5.3 के अनुसार, अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना अपेक्षित हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तविक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वितीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। कुछ शीर्षों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

# (i) आबंटनों की तुलना में बचत

कुल बचत ₹ 35,821.82 करोड़ थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 27 मामलों में ₹ 35,452.21 करोड़ की बचत थी *(परिशिष्ट 3.13)*। इन 27 मामलों में, ₹ 2,19,554.72 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,84,102.51 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 35,452.21 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में ₹ 500 करोड़ से अधिक की पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें *तालिका 3.11* में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.11: ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत वाले अनुदानों का विवरण

क्र.सं.	अनुदान की संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व	(दत्तमत)					
1	4	2,416.83	0.00	2,416.83	1,809.54	607.29
2	5	7,503.92	668.04	8,171.96	6,700.69	1,471.27
3	6	13,530.83	0.00	13,530.83	12,841.46	689.37
4	10	5,453.59	105.37	5,558.96	4,140.84	1,418.12
5	11	1,586.16	538.90	2,125.06	1,088.45	1,036.61
6	12	20,330.10	1,766.06	22,096.16	19,046.99	3,049.17
7	14	7,126.03	229.63	7,355.66	6,298.23	1,057.43
8	15	1,822.02	187.43	2,009.45	1,183.25	826.20
9	16	10,335.24	178.13	10,513.37	9,556.08	957.29
10	17	4,224.54	439.69	4,664.23	3,628.54	1,035.69
11	19	9,714.30	876.63	10,590.93	10,060.93	530.00
12	20	10,025.05	1,007.10	11,032.15	8,551.69	2,480.46
	कुल	94,068.611	5,996.98	100,065.59	84,906.69	15,158.90
राजस्व	(प्रभारित)					
13	6	21,161.48	1.00	21,162.48	20,095.57	1,066.91
	कुल	21,161.48	1.00	21,162.48	20,095.57	1,066.91
पूंजीगत	(दत्तमत)					
14	10	1,256.88	8.10	1,264.98	618.33	646.65
15	11	16,416.60	0.00	16,416.60	11,006.11	5,410.49
16	12	1,850.18	30.00	1,880.18	1,007.26	872.92
17	14	1,803.29	155.00	1,958.29	1,424.39	533.90
18	17	4,765.31	350.00	5,115.31	4,611.63	503.68
19	19	4,256.49	30.00	4,286.49	2,154.20	2,132.29
20	20	9,469.56	0.00	9,469.56	2,399.56	7,070.00
	कुल	39,818.31	573.10	40,391.41	23,221.48	17,169.93
पूंजीगत	(प्रभारित)					
21	8	35,052.21	18,536.00	53,588.21	53,021.27	566.94
	कुल	35,052.21	18,536.00	53,588.21	53,021.27	566.94
	कुल योग	1,90,100.61	25,107.08	2,15,207.69	1,81,245.01	33,962.68

स्रोत: विनियोग लेखे

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की संवीक्षा से पता चला कि 2022-23 के दौरान 79 योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं के अतिरिक्त) में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (*परिशिष्ट 3.14*)। इतनी बड़ी बचत दोषपूर्ण बजटिंग की सूचक है।

बजटीय आबंटन के विरूद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को *चार्ट 3.5* में वर्गीकृत किया गया है।

11,707.86 10,413.00 9,139.23 (र करोड़ भनुदानों की संख्या बचत की साश 3,655.30 906.43 0-10 10-20 30-40 40-50 20-30 प्रतिशत बचत **====** अनुदानों की संख्या 🚤 बचत की राशि

चार्ट 3.5: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों (विनियोगों की संख्या

स्रोत: विनियोग लेखे

## (ii) निरंतर बचतें

अनुदानों और विनियोग की आगे की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व दत्तमत में सात अनुदानों और पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत 10 अनुदानों में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बचत के साथ अनुदानों का विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
सं.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज	स्व (दत्तमत)					
1	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	88.44	209.71	163.35	144.22	353.66
		(19)	(31)	(28)	(21)	(37)
2.	5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च	923.82	662.16	1,210.85	2,013.93	1,471.27
	न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	(16)	(11)	(18)	(25)	(18)
3.	10-खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी	1,261.76	1,950.83	2,137.11	2,029.07	1,418.12
	विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	(29)	(41)	(35)	(32)	(26)
4.	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	126.17	238.79	268.32	301.31	185.00
		(28)	(42)	(58)	(47)	(31)
5.	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	235.23	278.09	601.36	661.08	826.20
		(26)	(23)	(39)	(33)	(41)
6.	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं	268.91	147.25	117.63	121.90	223.88
	स्टेशनरी	(45)	(32)	(34)	(30)	(42)
7	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय	3,663.80	4,427.37	6,478.12	8,495.14	2,480.46
	शासन (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं	(30)	(33)	(39)	(50)	(22)
	सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य					
	अभियांत्रिकी विभाग					

\_

अनुदान संख्या 9-आकस्मिकता निधि को शामिल नहीं िकया गया था, इस अनुदान में कोई बजट प्रावधान नहीं िकया गया था।

क्र.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि					
सं.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
पूंजी	गत (दत्तमत)						
8	5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च	154.20	180.30	259.20	119.33	150.05	
	न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	(38)	(44)	(49)	(36)	(35)	
9	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	310.14	172.39	200.58	153.58	325.05	
		(44)	(42)	(65)	(37)	(59)	
10	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,256.31	373.02	286.82	1,162.11	251.89	
		(62)	(22)	(24)	(55)	(20)	
11.	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल	177.01	227.84	1,432.43	128.11	872.92	
	विकास	(68)	(93)	(80)	(21)	(46)	
12.	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	27.92	25.16	76.91	72.42	66.24	
		(29)	(23)	(37)	(34)	(26)	
13.	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	422.80	371.78	516.71	523.91	533.90	
		(75)	(54)	(40)	(37)	(27)	
14	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	53.44	32.14	60.71	72.61	36.01	
		(78)	(42)	(45)	(61)	(49)	
15	16-अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय	13.04	24.02	31.77	30.96	49.74	
	एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	(38)	(91)	(80)	(83)	(81)	
16	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं	31.23	10.00	11.89	11.29	20.28	
	स्टेशनरी	(59)	(19)	(13)	(13)	(11)	
17	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय	390.68	1,484.55	2,154.19	1,065.80	7,070.00	
	शासन (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं	(12)	(42)	(57)	(22)	(75)	
	सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य						
	अभियांत्रिकी विभाग						

#### कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान आगे की जांच में, राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत 61 योजनाओं में लगातार बचत देखी गई जिनमें प्रावधान (मूल अनुमान + अनुपूरक अनुमान) ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक था और कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी। योजनाओं का विवरण *परिशिष्ट 3.15* में दिया गया है।

#### 3.3.6 अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से नियमित करवाए जाएं। यद्यिप अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी अनुदान एवं विनियोग के अंतर्गत अधिक वितरण का कोई मामला सामने नहीं आया। तथापि, वर्ष 2019-20 से 2021-22 से संबंधित ₹ 238.79 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण, जैसा कि *तालिका 3.13* में दर्शाया गया है, अभी तक राज्य विधानमंडल (सितंबर 2023) से नियमित नहीं किया गया है।

तालिका 3.13: पिछले वर्षों से संबंधित अतिरिक्त व्यय को नियमित किया जाना अपेक्षित है (₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान का नाम/ विनियोग	कुल प्रावधान	व्यय	विनियोग लेखे में टिप्पणी के अनुसार अतिरिक्त राशि को नियमित किया जाना अपेक्षित है
2019-20	08	भवन एवं सड़कें	1,172.78	1,299.78	127.00
	23	खाद्य एवं आपूर्ति	432.34	458.73	26.39
2020-21	35	पर्यटन	29.01	50.94	21.93
2021-22	07	योजना एवं सांख्यिकी	46.90	110.33	63.43
	23	खाद्य एवं आपूर्ति	0.20	0.24	0.04
	कुल		1,681.23	1,920.02	238.79

#### 3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

## 3.4.1 बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य सब-ऑप्टिमल आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2022-23 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 2,21,110.07 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तिविक सकल व्यय ₹ 1,85,288.25 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2022-23 में ₹ 35,821.82 करोड़ (16.20 प्रतिशत) की बचत हुई, जिसमें से ₹ 39,804.31 करोड़ (111.12 प्रतिशत) अभ्यर्पित कर दिया गया। विवरण *तालिका 3.14* में दिया गया है।


तालिका 3.14: वर्ष 2022-23 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय	की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	2022-23 अभ्य	
			विनियोग				राशि	प्रतिशतता
ь	। राजस्व	96,238.25	6,182.98	1,02,421.23	86,465.82	15,955.41	17,162.68	107.57
दत्तमत	॥ पूंजीगत	38,943.56	728.12	39,671.68	22,918.56	16,753.12	17,320.53	103.39
Ю	III ऋण एवं अग्रिम	3,661.59	171.73	3,833.32	2,462.07	1,371.25	1,539.11	112.24
कुल	दत्तमत	138,843.40	7,082.83	1,45,926.23	1,11,846.45	34,079.78	36,022.32	105.70
ht.	IV राजस्व	21,424.33	61.30	21,485.63	20,387.45	1,098.18	3,356.40	305.63
प्रभारित	V पूंजीगत	110.00	0.00	110.00	33.07	76.93	75.82	98.56
ᅜ	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	35,052.21	18,536.00	53,588.21	53,021.28	566.93	349.77	61.70
कुल	प्रभारित	56,586.54	18,597.30	75,183.84	73,441.80	1,742.04	3,781.99	217.10
कुल	योग	1,95,429.94	25,680.13	2,21,110.07	1,85,288.25	35,821.82	39,804.31	111.12

स्रोत: विनियोग लेखे

नोटः ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियों राजस्व शीर्ष (₹ 447.06 करोड़) और पुंजीगत शीर्ष (₹ 11,286.68 करोड़) की परिगणना नहीं की गई। अनुप्रक प्रावधान द्वारा ₹ 25,680.13 करोड़ के मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत संघटित किया गया जो कि गत वर्ष के समान था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट उपयोग *चार्ट 3.6* में दिया गया है।



राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 1,95,429.94 करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित कर ₹ 1,98,919.83 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 1,85,288.25 करोड़ था। 2018-19 से 2022-23 की अविध के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय का डेटा *वालिका 3.15* में दिया गया है और प्रवृत्ति *चार्ट 3.7* में दी गई है।

तालिका 3.15: 2018-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	1,25,495.89	1,47,065.11	1,59,777.68	1,73,901.32	1,95,429.94
अनुपूरक बजट	16,237.01	9,384.60	20,227.16	21,788.12	25,680.13
कुल बजट (टीबी)	1,41,732.90	1,56,449.71	1,80,004.84	1,95,689.44	2,21,110.07
संशोधित अनुमान (आरई)	1,33,758.39	1,45,467.89	1,55,707.22	1,67,830.96	1,98,919.83
वास्तविक व्यय (एई)	1,21,362.76	1,29,856.27	1,42,409.10	1,50,162.15	1,85,288.25
बचत	(-) 20,370.14	(-) 26,593.44	(-) 37,595.74	(-) 45,527.29	(-) 35,821.82
मूल प्रावधान से अनुपूरक की	12.94	6.38	12.66	12.53	13.14
प्रतिशतता					
समग्र बचत/समग्र प्रावधान से अधिक	(-) 14.37	(-) 17.00	(-) 20.89	(-) 23.27	(-) 16.20
की प्रतिशतता					
कुल बजट - संशोधित अनुमान	7,974.51	10,981.82	24,297.62	27,858.48	22,190.24
संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय	12,395.63	15,611.62	13,298.12	17,668.81	13,631.58
(कुल बजट - संशोधित अनुमान) कुल	5.63	7.02	13.50	14.24	10.04
बजट के प्रतिशत के रूप में					
(संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय)	8.75	9.98	7.39	9.03	6.17
कुल बजट के प्रतिशत के रूप में					

स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज और विनियोग लेखे

2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान, संशोधित अनुमान लगातार कुल बजट से कम था। इस प्रकार, 2018-19 से 2022-23 की अविध के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक

चार्ट 3.7: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दर्शाने वाली प्रवृत्तियां 1,85,288.25 1,50,162.15 1,42,409.10 1,29,856.27 1,21,362.76 (र करोड़ में) 1,98,919.83 1,95,429.94 1,73,901.32 1,67,830.96 1,59,777.68 1,55,707.22 1,45,467.89 1,47,065.11 1,33,758.39 1,25,495.89 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 🛮 बजट अनुमान 🛮 संशोधित अनुमान **—** वास्तविक व्यय

सिद्ध हुए क्योंकि समान अविध के दौरान व्यय मूल बजट प्रावधानों की सीमा तक भी नहीं आया जैसा कि *चार्ट 3.7* में दर्शाया गया है।

यह दर्शाता है कि बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान लगातार बढ़े हुए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

# 3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय *तालिका 3.16* में दर्शाया गया है:

तालिका 3.16: वर्ष 2022-23 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं (₹ करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट	वास्तविक	बचत (+)/
सं.		प्रावधान	व्यय	आधिक्य (-)
		(ओ+एस)		
1	फसल अवशेष प्रबंधन योजना (2401-51-113-82)	100.00	31.17	68.83
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2401-51-109-80)	200.00	53.45	146.55
3	हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण-राज्य योजना के लिए सड़कों का	150.00	125.22	24.78
	मुद्ददीकरण/चौड़ाईकरण और मुधार (5054-03-337-88-99)			
4	फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना (2401-51-108-83)	160.00	473.69	-313.69
5	राज्य वित आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वितीय	820.00	205.20	614.80
	सहायता (4515-51-101-96)			
6	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	200.00	34.71	165.29
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु योजना-सामान्य	300.00	11.07	288.93
	योजना (2515-51-102-93-99)			
8	बागवानी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता (6401-51-800-90)	110.00	20.00	90.00
9	राज्य में सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना (2810-51-101-98)	400.00	297.91	102.09
10	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (2235-02-102-99)	400.00	380.39	19.61
11	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (2235-60-102-98)	4,350.00	4,216.90	133.10
12	अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95)	120.00	89.01	30.99
13	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को वित्तीय सहायता (6416-51-190-99)	696.87	428.85	268.02

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
		(ओ+एस)		
14	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-51-111-90)	600.00	416.39	183.61
15	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) (4515-51-101-97)	500.00	98.68	401.32
16	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना (2401-51-108-81)	150.00	85.04	64.96
17	कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (2401-51-109-78)	200.00	102.85	97.15
18	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य	450.00	178.16	271.84
	योजना (2505-02-101-99-99)			
19	भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज हेतु ऋण (6408-02-190-99)	120.00	97.89	22.11
20	औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव का नाम बदलकर नई	150.00	24.03	125.97
	उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना का विकास कर दिया			
	गया है (2851-51-101-95)			
21	नहरों और नालों पर पुलों और संरचना का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन	200.00	150.72	49.28
	और निर्माण (4700-80-800-97)			
22	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	500.00	483.50	16.50
23	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याहन भोजन- (2202-01-112-99)	380.70	310.00	70.70
24	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51)	404.00	386.66	17.34
25	खेल अवसंरचना योजना (4202-03-102-99)	100.00	99.56	0.44
26	निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वितीय सहायता (2235-60-102-96)	2,000.00	1,910.82	89.18
	कुल	13,761.57	10,711.87	3,049.70

स्रोतः वित्त लेखे और विनियोग लेखे

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2022-23 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 13,761.57 करोड़ के विरुद्ध ₹ 10,711.87 करोड़ (77.84 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। कुल 26 योजनाओं में से नौ योजनाओं में बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम व्यय हुआ और एक योजना में बजट प्रावधान से अधिक व्यय हुआ। इन योजनाओं के बचत/आधिक्य के कारणों की चर्चा तालिका 3.17 में की गई है।

तालिका 3.17: बचत/आधिक्य के कारणों का विवरण

योजना का नाम और वर्गीकरण	बचत/आधिक्य के कारण
फसल अवशेष प्रबंधन योजना (2401-51-113-82)	सब्सिडी के लिए कम दावे।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2401-51-109-80)	भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी की गई।
फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना (2401-51-108-83)	अनुमान से अधिक सब्सिडी के दावे प्राप्त हुए और इस प्रकार अत्यधिक व्यय हुआ।
राज्य वित आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (4515-51-101-96)	पंचायत राज संस्थाओं के देर से चुनाव अर्थात वितीय वर्ष 2022-23 के छः माह बीतने के बाद।
दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) से कम निधियां प्राप्त हुई।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु योजना- सामान्य योजना (2515-51-102-93-99)	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना।
हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) (4515-51-101-97)	कार्य परिव्यय को अंतिम रूप न दिया जाना।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना (2505-02-101-99-99)	भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होना।
औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव का नाम बदलकर नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना का विकास कर दिया गया है (2851-51-101-95)	समूहों के विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा न करना और स्टायर अप वेयरहाउसिंग इनक्यूबेशन केंद्रों के दावों की प्राप्ति न होना।

स्रोत: विनियोग लेखे

इससे लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा। यह दर्शाता है कि बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे।

### 3.4.3 बजट भाषण में विभिन्न योजनाओं और निधियों की घोषणा

2022-23 के बजट भाषण दस्तावेज की जांच के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं, जैसा कि *तालिका 3.18* में विवरण दिया गया है, को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, इन योजनाओं को बजट दस्तावेज (2022-23) में सूचीबद्ध नहीं पाया गया, जो दर्शाता है कि इन योजनाओं के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं था।

तालिका 3.18: विभिन्न योजनाओं का विवरण जिनमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था

क्र.सं.	बजट में दिया गया योजना का नाम
1	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
2	द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना
3	सुषमा स्वराज पुरस्कार
4	हरियाणा मातृशक्ति उदयमिता योजना
5	फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम
6	प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन
7	प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली
8	पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए राज्य लघु पुर्नीत्थान योजना निधि
9	लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्यम उन्नति (एमएसएमई एडवांसमेंट) हेतु त्वरित विकास कार्यक्रम [पदमा]
10	लघु उद्यमिता समर्थन निधि
11	विवादों का समाधान

स्रोत: बजट भाषण 2022-23 और बजट दस्तावेज 2022-23

आगे, सरकार ने तीन समर्पित निधि स्थापित करने का प्रस्ताव रखाः (1) जलवायु एवं सतत विकास निधि, (2) अनुसंधान एवं नवाचार निधि और (3) उद्यम पूंजी निधि। बजट दस्तावेज की जांच करने पर, यह पाया गया कि इन निधियों के विरुद्ध कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

मामला राज्य सरकार के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया (सितंबर 2023)। अपर मुख्य सचिव, वित विभाग ने बताया (अक्तूबर 2023) कि संबंधित विभागों से उक्त निधियों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से नई योजनाएं खोली जाएंगी। तथापि, तथ्य यह है कि राज्य सरकार बजट भाषण में घोषित अपने स्वयं के प्रस्तावों को पूरा करने में विफल रही।

#### 3.4.4 व्यय की अधिकता

सरकारी निधियों को पूरे वर्ष समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। व्यय की स्थिर गित बनाए रखना मजबूत सार्वजनिक वितीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है। वित्त विभाग, हरियाणा ने चरणबद्ध ढंग से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए तिमाही-वार प्रतिशतता (पहली तिमाही:

25 प्रतिशत; दूसरी तिमाही: 20 प्रतिशत; तीसरी तिमाही: 25 प्रतिशत, चौथी तिमाही: 30 प्रतिशत) निर्धारित की (अप्रैल 2016)।

व्यय की अधिकता विशेषकर वितीय वर्ष के अंतिम महीनों में वितीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत *परिशिष्ट 3.16* में सूचीबद्ध नौ अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 21 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो क्ल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

इन मामलों में, वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कुल ₹ 15,375.54 करोड़ के व्यय में से ₹ 4,566.78 करोड़ (29.70 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2023 में किया गया। इस प्रकार अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र एक महीने में 29.70 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 59.44 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वितीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परिशिष्ट 3.16 में दिए गए 21 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान किया गया व्यय 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था। आगे यह देखा गया कि अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत के संबंध में ₹ 6,764.86 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 3,556.53 करोड़ (53 प्रतिशत) चौथी तिमाही में खर्च किए गए थे।

मार्च 2023 की तिमाहियों के दौरान किए गए अनुदान-वार आबंटन और व्यय का विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि पहली तिमाही में तीन अनुदानों<sup>7</sup>, दूसरी तिमाही में नौ अनुदानों<sup>8</sup>, तीसरी तिमाही में चार अनुदानों<sup>9</sup> और अंतिम तिमाही में सात अनुदानों<sup>10</sup> में वित्त विभाग के उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण **परिशिष्ट 3.17** में दर्शाया गया है।

अंतिम तिमाही के दौरान, विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय की अधिकता, वितीय औचित्य का अन्पालन न करने को दर्शाती है।

## 3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

#### प्रस्तावना

दो चयनित अनुदानों अर्थात अनुदान  $10^{11}$  और अनुदान  $19^{12}$  के संबंध में बजटीय प्रक्रिया

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> अनुदान संख्या 5, 14 और 20.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15 और 16.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> अन्दान संख्या 10, 15, 17 एवं 19.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> अनुदान संख्या 2, 4, 13, 17, 18, 19 और 20.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण।

<sup>12</sup> सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरण ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी।

और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, जिसमें मूल अनुदान, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में भिन्नता की मात्रा का विश्लेषण किया गया।

## 3.5.1 अनुदान संख्या 10 की समीक्षा

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत कार्यात्मक शीर्षों के अधीन आबंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति *तालिका 3.19* में दी गई है।

तालिका 3.19: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व	दत्तमत	5,453.60	105.37	5,558.97	4,140.84	(-) 1,418.13 (26)
	प्रभारित	1.58	0	1.58	1.00	(-) 0.58 (37)
पूंजीगत <sup>13</sup>	दत्तमत	1,256.88	8.10	1,264.98	618.33	(-) 646.65 (51)
क्ल योग		6,712.06	113.47	6,825.53	4,760.17	(-) 2,065.36 (30)

उपर्युक्त अनुदान संख्या 10 से, दो विभागों अर्थात (i) वन और वन्यजीव और (ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को आगे की समीक्षा के लिए चुना गया था।

दो मुख्य शीर्ष अर्थात 2402-मृदा एवं जल संरक्षण<sup>14</sup> और 2406-वन एवं वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव विभाग से संबंधित हैं और छ: मुख्य शीर्ष अर्थात 2401-फसल पालन, 2402-मृदा एवं जल संरक्षण<sup>15</sup>, 2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम एवं 4401-फसल पालन पर पूंजी परिव्यय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित है जिसमें वर्ष 2022-23 के दौरान इन विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया।

इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

#### लेखापरीक्षा परिणाम

#### (i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए चयनित दो विभागों के कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका 3.20 में दी गई है।

103

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> इसमें मुख्य शीर्ष 6401 के अंतर्गत फसल पालन के लिए ऋण, मुख्य शीर्ष 6403 के अंतर्गत पशुपालन के लिए ऋण और मुख्य शीर्ष 6416 के अंतर्गत कृषि वितीय संस्थानों को ऋण शामिल हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> इसमें केवल मुख्य शीर्ष 2402-001-99, 2402-102-87, 2402-102-90, 2402-102-91 और 2402-800-98 शामिल हैं।

गुटनोट संख्या 10 में उल्लिखित मुख्य शीर्षों को छोड़कर।

तालिका 3.20: चयनित विभागों का बजट और व्यय

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में)		
वन एवं वन्यजीव विभाग								
2020-21	राजस्व (दत्तमत)	548.50	0	548.50	481.73	(-) 66.77 (12)		
	राजस्व (प्रभारित)	0.70	0	0.70	0.37	(-) 0.33 (47)		
	कुल	549.20	0.00	549.20	482.10	(-) 67.10 (12)		
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	655.17	165.05	820.22	528.15	(-) 292.07 (36)		
	राजस्व (प्रभारित)	0.70	0	0.70	0.69	(-) 0.01 (1)		
	कुल	655.87	165.05	820.92	528.84	(-) 292.08 (36)		
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	807.05	37.32	844.37	538.72	(-) 305.65 (36)		
	राजस्व (प्रभारित)	1.20	0	1.20	0.86	(-) 0.34 (28)		
	कुल	808.25	37.32	845.57	539.58	(-) 305.99 (36)		
		,	कृषि एवं किर	तान कल्याण वि	वेभाग			
2020-21	राजस्व (दत्तमत)	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	(-) 1,694.77 (42)		
	राजस्व (प्रभारित)	0.08	0	0.08	0.02	(-) 0.06 (75)		
	पूंजीगत (दत्तमत)	10.00	0	10.00	1.77	(-) 8.23 (82)		
	कुल	3,622.71	430.22	4,052.93	2,349.87	(-) 1,703.06 (42)		
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	3,301.07	587.04	3,888.11	2,603.64	(-) 1,284.47 (33)		
	राजस्व (प्रभारित)	0.08	0	0.08	0.01	(-) 0.07 (88)		
	पूंजीगत (दत्तमत)	10.01	50.00	60.01	2.23	(-) 57.78 (96)		
	कुल	3,311.16	637.04	3,948.20	2,605.88	(-) 1,342.32 (34)		
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	3,233.98	0.01	3,233.99	2,495.37	(-) 738.62 (23)		
	राजस्व (प्रभारित)	0.08	0	0.08	0.05	(-) 0.03 (38)		
	पूंजीगत (दत्तमत)	10.01	0	10.01	31.97	21.96 (219)		
	कुल	3,244.07	0.01	3,244.08	2,527.39	(-) 716.69 (22)		

दतमत चयनित दो विभागों के बजट और व्यय की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 2020-21 से 2022-23 तक के वितीय वर्षों के दौरान बजट प्रावधानों के विरूद्ध वन एवं वन्यजीव विभाग में बचत ₹ 67.10 करोड़ और ₹ 305.99 करोड़ के मध्य और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ₹ 716.69 करोड़ और ₹ 1,703.06 करोड़ के मध्य थी। इसी अविध के दौरान बजट प्रावधानों के विरूद्ध उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता वन एवं वन्यजीव विभाग में 12 से 36 प्रतिशत के मध्य और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 22 से 42 प्रतिशत के बीच थी। कुछ योजनाओं में बचत के कारण इस प्रकार थे (जैसा कि विभागों द्वारा बताया गया है):

- गन्ने पर प्रौद्योगिकी मिशन की योजना: ₹ 64.96 करोड़ की बचत इस तथ्य के कारण हुई कि ₹ 56.47 करोड़ का सब्सिडी बिल वित विभाग से संस्वीकृत नहीं हो सका क्योंकि इसे वितीय वर्ष 2022-23 (जून 2023) के अंतिम दिन कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- हिरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण की योजना: ₹ 45 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 2.33 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹ 42.67 करोड़ की बचत हुई। बचत मुख्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने, रिक्त पदों को न भरने और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय: ₹ 449 करोड़ (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग:
 ₹ 424 करोड़ और वन एवं वन्यजीव विभाग: ₹ 25 करोड़) की बचत योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई। यह देखा गया कि ₹ 25 करोड़ अन्य मदों में अंतरित कर दिए गए थे और ₹ 214.79 करोड़ अनुदान की अन्य योजनाओं के लिए पुनःआबंटित किए गए थे।

# (ii) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार योजनाओं के अंतर्गत किए गए ₹ 19.80 करोड़ के बजट प्रावधान वर्ष (2022-23) के अंत में अप्रयुक्त रह गए (बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ से ऊपर) जैसा कि तालिका 3.21 में बताया गया है।

तालिका 3.21: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान के विवरण (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान
1.	2401-119-63-हरियाणा में बागवानी फसल बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री बागवानी	10.00
	बीमा योजना कर दिया गया है।	
2.	2401-119-71-जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना योजना का नाम बदलकर	5.10
	जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक खेती पद्धतियां रखा गया है।	
3.	2406-01-102-74-एकीकृत वन संरक्षण	1.70
4.	2406-02-110-87-जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के	3.00
	अंतर्गत हरियाणा में संरक्षण और आर्द्रभूमि	
	कुल	19.80

उपर्युक्त योजनाओं के लिए किए गए बजट का पूरा प्रावधान अंततः पुनः विनियोजित किया गया और इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि बचत मुख्य रूप से भारत सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की संस्वीकृति न मिलने के कारण हुई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में बचत का कारण योजनाओं का क्रियान्वयन न होना था।

# (iii) बजट का अवास्तविक पुनःआबंटन

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 2.61 करोड़ की निधियों को 'कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय' योजना से छः योजनाओं और 'फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना' से एक अन्य योजना के लिए पुनः आबंटित किया गया, जैसा कि तालिका 3.22 में बताया गया है।

तालिका 3.22: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में पुनः आबंटित निधियों का विवरण

क्र. सं.	उन योजनाओं का विवरण जहां से निधियां पुनः आबंटित की गई और जिन योजनाओं को निधियां प्रदान की गई	मूल बजट	पुनः आबंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधियां	व्यय	पुन:आबंटन के कारण				
1	से पुनः आबंटित: पी-01-10-2401-001-94-51-एन-वी-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एजीआर-पीएलओ-आरईवी)								
i	पी-01-10-2401-51-107-99-51-आर-वी- प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेशन	17.04	0.33	16.07	किराया और चिकित्सा दावों				
ii	पी-01-10-2401-51-108-94-51-आर-वी- हरियाणा में गन्ना विकास	13.44	0.42	12.90	का भुगतान				
iii	पी-01-10-2401-51-108-98-51-आर-वी- हरियाणा में अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम	29.96	0.20	26.06	चिकित्सा दावे				
iv	पी-01-10-2401-51-109-99-51-आर-वी- कृषि प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार	88.55	0.40	75.81	किराया और चिकित्सा दावों का भुगतान				
V	पी-01-10-2402-51-102-99-51-आर-वी- हरियाणा में कृषि भूमि पर मृदा संरक्षण और जल प्रबंधन की योजना	26.84	0.51	24.73	यात्रा भत्ते और चिकित्सा दावे				
vi	पी-01-10-2435-01-101-99-98-आर-वी- कृषि उपज का विकास एवं ग्रेडिंग	2.24	0.05	1.72	चिकित्सा दावे				
2	से पुनः आबंटित: पी-01-10-2401-51-113-82-	-51-एन-वी	फसल अवशेष प्रबंधन	हेतु योजन	ना				
i	पी-01-10-2401-51-113-96-51-एन-वी- कृषि अभियांत्रिकी सेवा योजना	8.00	0.70	4.27	मशीनरी और उपकरण				
	कुल		0.7						

यह देखा जा सकता है कि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इस प्रकार, इन मामलों में, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना निधियों का अनावश्यक पुन:आबंटन किया गया था।

# (iv) अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

वितीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्याविध समीक्षा के बाद प्रत्याशित अतिरिक्त राशि को कवर करने के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के बजट और व्यय की जांच के दौरान, यह देखा गया कि अनुपूरक बजट प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय वन और वन्यजीव विभाग में मूल या अनुपूरक अनुदान से कम था जैसा कि *तालिका* 3.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.23: अनावश्यक या अत्यधिक अन्पूरक अन्दान का विवरण

योजना का वर्गीकरण एवं नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय
पी-01-10-2406-01-102-71-51-आर-वी- हर्बल नेचर पार्क	10.00	5.00	7.33
पी-02-10-2406-01-102-64-51-आर-वी- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	0.01	27.30	15.92

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनुपूरक प्रावधान किए गए थे।

वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि पंचकुला और करनाल जिलों में ऑक्सीजन-वन<sup>16</sup> के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, अनुपूरक मांग के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया था, लेकिन अंतिम तिमाही में कुल व्यय के 30 प्रतिशत के भीतर व्यय को सीमित करने की सीमा के कारण राशि खर्च नहीं की जा सकी।

#### (v) निरंतर बचतें

17 उप-शीर्षों (वन एवं वन्यजीव विभाग: 5 और कृषि एवं किसान, कल्याण विभाग: 12) में, कुल प्रावधान के 10.35 से 100 प्रतिशत के मध्य लगातार बचत पाई गई, जो पिरिशष्ट 3.18 में दिए गए विवरण के अनुसार 2020-21 से 2022-23 के दौरान संबंधित वर्षों में अनुमानित वितीय परिव्यय की अप्राप्ति, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान को दर्शा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वर्ष के दौरान रिक्त पदों को न भरने, भारत सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृति न मिलने और अंतिम तिमाही में व्यय को कुल व्यय के 30 प्रतिशत के भीतर सीमित रखने की सीमा के कारण राशि व्यय नहीं की जा सकी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बजट प्रस्ताव पिछले वर्षों के बजट/बचत को ध्यान में रखे बिना अवास्तविक तरीके से बनाए गए थे।

#### (vi) बचत से अधिक अभ्यर्पण

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-23 के दौरान ₹ 894.72 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 473.62 करोड़ का व्यय किया गया (तालिका 3.24)। तथापि, विभागों ने पुन:विनियोग आदेशों के माध्यम से ₹ 460.35 करोड़ अभ्यर्पित कर दिए थे। इसलिए, ₹ 39.25 करोड़ का अतिरिक्त अभ्यर्पण खराब वितीय प्रबंधन को दर्शाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ऑक्सीजन वन (ऑक्सी-वन) दो जिलों में निर्दिष्ट क्षेत्र (180 एकड़) के लिए वन क्षेत्र/हरित गलियारे के निर्माण की एक योजना है।

तालिका 3.24: उन योजनाओं का विवरण जिनमें अभ्यर्पण के बाद मूल प्रावधान से अधिक राशि शामिल थी

योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	बचत से अधिक अभ्यर्पित राशि
1	2	3	4	5	6 = 4-5
पी-01-10-2401-51-108-81-51-एन-वी- प्रौद्योगिकी की	150.00	85.04	64.96	93.36	28.40
योजना (गन्ना मिशन)					
पी-01-10-2401-51-109-99-51-आर-वी- कृषि प्रदर्शन एवं	88.57	75.81	12.76	13.20	0.44
प्रचार-प्रसार					
पी-02-10-2401-51-109-80-51-आर-वी- राष्ट्रीय कृषि	200.00	53.46	146.54	146.90	0.36
विकास योजना की योजना					
पी-01-10-2401-51-113-82-51-आर-वी- फसल अवशेष	100.00	31.17	68.83	72.87	4.04
प्रबंधन योजना					
पी-01-10-2401-51-119-65-51-आर-वी- हरियाणा राज्य में	85.00	70.87	14.13	17.15	3.02
एकीकृत बागवानी विकास योजना					
पी-01-10-2401-51-119-97-51-आर-वी- हरियाणा में	83.40	64.13	19.27	19.68	0.41
विभिन्न बागवानी गतिविधियों की योजना					
पी-02-10-2401-51-789-97-51-आर-वी- अनुसूचित जाति	30.00	15.43	14.57	15.02	0.45
के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की योजना					
पी-01-10-2406-01-070-97-51-आर-वी- संचार और भवन	5.00	3.61	1.39	1.70	0.31
पी-01-10-2406-02-110-93-51-आर-वी- बह्उपयोगी क्षेत्र में	8.50	5.74	2.76	3.48	0.72
वन्यजीव संरक्षण					
पी-01-10-2406-02-800-98-51-आर-वी- चिड़ियाघर और	7.00	5.49	1.51	1.95	0.44
हिरण पार्क का विस्तार					
पी-01-10-2406-04-103-96-51-आर-वी- वन भूमि का	137.25	62.87	74.38	75.04	0.66
निवल वर्तमान मूल्य					
कुल	894.72	473.62	421.10	460.35	39.25

वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि विभाग ने बचत के अनुसार निधियां अभ्यर्पित की थी, लेकिन वित्त विभाग के पुनःविनियोग आदेश में अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से अधिक दर्शाई गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा वित्त विभाग के पत्र दिनांक 17 अप्रैल 2023 के माध्यम से निधियां अभ्यर्पित की गई थी जबकि वित्त विभाग द्वारा प्नःविनियोग आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थै।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि निधियां संशोधित अनुमानों के विरुद्ध बचत से अभ्यर्पित की गई थी, न कि मूल बजट अनुमानों के विरुद्ध।

### (vii) व्यय की अधिकता

दो चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 942.09 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 550.98 करोड़ (58 प्रतिशत) का व्यय (₹ एक करोड़ से अधिक तथा 40 प्रतिशत से अधिक) 20 योजनाओं के अंतर्गत वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया। आगे, माह (मार्च 2023) के दौरान ₹ 160.40 करोड़ (17 प्रतिशत) का व्यय किया गया जैसा कि तालिका 3.25 में बताया गया है।

तालिका 3.25: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत चयनित दो विभागों में व्यय की अधिकता

_	<del></del>		पिछली तिमाही	मार्च 2023 के
<b>東.</b>	योजना का नाम	कुल		
सं.		व्यय	के दौरान व्यय	दौरान व्यय
			(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)
1	2401-51-105-96 गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की योजना	3.50	1.48 (42)	1.06 (30)
2	2401-51-108-80 हरियाणा राज्य में कपास की खेती को बढ़ावा देने की	7.93	5.56 (70)	0.19 (2)
	योजना			
3	2401-51-109-93 कृषि विस्तार अवसंरचना को मजबूत करने की योजना	26.96	12.34 (46)	3.86 (14)
4	2401-51-111-90 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	416.39	238.66 (57)	2.18 (1)
5	2401-51-113-82 फसल अवशेषों के प्रबंधन की योजना	31.17	22.24 (71)	5.34 (17)
6	2401-51-119-54 बागवानी किसानों को फार्म पर एवं विपणन सहायता	59.86	25.60 (43)	10.00 (17)
7	2401-51-119-65 हरियाणा राज्य में एकीकृत बागवानी विकास की योजना	70.87	41.97 (59)	12.22 (17)
8	2401-51-190-99 हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना	20.30	10.30 (51)	10.30 (51)
9	2401-51-789-89 कृषकों के समूह एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को उपलब्ध	19.80	19.80 (100)	19.80 (100)
9	कराने हेत् योजना			
10	2401-51-789-98 अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी	7.00	4.56 (65)	1.25 (18)
10	विकास योजना			
11	2402-51-101-97 राज्य में एकीकृत जलग्रहण विकास एवं प्रबंधन परियोजना	55.91	25.63 (46)	8.22 (15)
''	की योजना			
12	2402-51-102-86-99_राज्य में लवणीय मृदा एवं जल भराव भूमि के सुधार	14.04	6.55 (47)	5.01 (36)
12	हेतु पायलट प्रोजेक्ट योजना			
13	2402-51-102-87 सड़कों पर पेड़ों की गणना और पेड़ों की शाखाओं की कटाई	11.16	10.03 (90)	7.15 (64)
14	2402-51-102-90 प्रशिक्षण के लिए जलग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण, विशेष	4.68	3.98 (85)	3.95 (84)
14	स्थलों का वनीकरण			
15	2406-01-101-97 वर्नो की स्रक्षा	11.00	10.35 (94)	10.05 (91)
16	2406-01-102-71 हर्बल नेचर पार्क	7.33	5.31 (72)	2.49 (34)
47	2406-01-800-99 नहरी जल के लिए सिंचाई विभाग को जल प्रभारों का	7.74	7.23 (93)	7.26 (94)
17	भ्गतान			
18	2406-04-103-96 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	62.87	41.46 (66)	17.73 (28)
19	2406-04-103-99 प्रतिपूरक वनरोपण	71.61	32.59 (46)	7.01 (10)
-00	4401-51-113-97 कृषि/बागवानी कार्यालय भवन के निर्माण का नाम बदलकर	31.97	25.34 (79)	25.33 (79)
20	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण/खरीद की योजना कर दिया गया			
	कुल	942.09	550.98 (58)	160.40 (17)

वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि व्यय पिछली तिमाही में किया गया था जबिक वित्त विभाग द्वारा अंतिम तिमाही और मार्च 2023 में बिलों को संस्वीकृति दे दी गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि कई गतिविधियां वितीय वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में की गई लेकिन बिलों के सत्यापन और प्रोसेसिंग के कारण व्यय केवल अंतिम तिमाही में ही किया जा सका।

### (ix) सरकारी निधियों को बैंक खातों में रखना

पंजाब वितीय नियम खंड-। के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई पैसा तब तक न निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। कार्य, जिसके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरित करना अनुमन्य नहीं है।

वर्ष 2022-23 के लिए चयनित मंडलीय वन कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि चार योजनाओं में चार मंडलीय वन अधिकारियों के बैंक खातों में ₹ 2.31 करोड़ की निधियां पड़ी हुई थी, जैसा कि *तालिका 3.26* में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.26: निधियों का उपयोग न होने को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	मंडलीय वन अधिकारी	बैंक खाता नंबर	31 मार्च 2023 को शेष
1	नगर वन योजना	करनाल	110085006660	0.13
		मोरनी (पिंजौर)	110085401743	0.83
2	सीएएमपीए	जींद	50100382666880	0.14
		फरीदाबाद	120002449747	0.28
3	ग्रामीण मिशन	मोरनी (पिंजौर)	24880100014016	0.71
4	शिवालिक विकास एजेंसी		067010100505956	0.22
		2.31		

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचकुला निदेशालय के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया था कि विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे 22 बैंक खातों में ₹ 370.61 करोड़ की राशि पड़ी हुई थी।

इन 22 बैंक खातों में से एक बैंक खाते (एचडीएफसी 50100284310855-सेंट्रल नोडल अकाउंट) में "फसल अवशेष प्रबंधन योजना" के लिए 1 अप्रैल 2022 से 9 अगस्त 2022 तक ₹ 82.22 करोड़ का न्यूनतम शेष और 11 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक ₹ 226.84 करोड़ का न्यूनतम शेष अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण इस अविध के दौरान निधि की पार्किंग हुई।

आगे, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के सामने आने वाली किठनाइयों के समाधान के लिए मानवतावादी एवं समग्र कल्याण-आधारित दृष्टिकोण तैयार करने और अपनाने के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को लागू करके हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया। प्राधिकरण का मुख्य कार्य भूमिहीन किसानों और उनके परिवारों सहित किसानों के कल्याण के संबंध में नीतिगत निर्णय लेना है।

इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार द्वारा "हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की सुदृढ़ीकरण की योजना" नामक एक योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः ₹ 200 करोड़ और ₹ 85 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन अगस्त 2022 तक कोई व्यय नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि हिरयाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने वित्त विभाग से व्यय करने के उद्देश्य से अनुदान सहायता के अंतर्गत ₹ 45 करोड़ की निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (जून 2022)। वित्त विभाग ने अनुदान सहायता के अंतर्गत ₹ 28.98 करोड़ का बजट आबंटित (अगस्त 2022) किया। प्राधिकरण ने ₹ 28.98 करोड़ में से ₹ 2.20 करोड़ की निधि की मांग की (अगस्त 2022) और विभाग ने प्राधिकरण को ₹ 2.20 करोड़ जारी किए। ₹ 45 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 2.33 करोड़ का व्यय किया गया। प्राधिकरण का 98 प्रतिशत व्यय वेतन एवं अन्य प्रशासनिक खर्चों अर्थात पीओएल, कार की खरीद, भवन नवीकरण आदि पर किया गया था और प्राधिकरण की गतिविधियों पर केवल दो प्रतिशत खर्च किया गया था।

इसके अलावा, प्राधिकरण के बैंक खाते में ₹ 1.05 करोड़ अभी भी (31 मार्च 2023) पड़े थे, जिससे पता चलता है कि चालू वितीय वर्ष में ₹ 2.33 करोड़ का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था।

निधियों के आहरण और बैंक खाते में उनके प्रतिधारण के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों से जुड़ी प्राथमिकता वाली मदों पर व्यय आस्थगित/वंचित हो गया।

संबंधित मंडलीय वन अधिकारियों और निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से निधियों के उपयोग न होने/पार्किंग का कारण मांगा गया (जून/जुलाई 2023)। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2023)।

### (x) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के कार्यालय में राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वितीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 10.71 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से, राज्य वन विकास एजेंसी ने सूचित किया कि ₹ 3.85 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखा एवं हकदारी कार्यालय के पास जमा कराए गए थे। वितीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 6.86 करोड़ की शेष राशि और 2019-20 से 2021-22 की अविध के लिए ₹ 18.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने शेष थे।

विभाग ने बताया (अगस्त 2023) कि भारत सरकार द्वारा अनुदान का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण, ₹ 6.86 करोड़ की अव्ययित राशि (अर्जित ब्याज सहित) खाते में पड़ी हुई थी और अव्ययित राशि को आनुपातिक आधार पर केंद्र/राज्य सरकार को वापस करने की कार्रवाई की जा रही थी।

### (xi) प्रतीक्षित विस्तृत आकस्मिक बिल

पंजाब खजाना नियम और सहायक खजाना नियम (वॉल्यूम-1) के नियम 4.49(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जिस माह में संक्षिप्त आकस्मिक बिल तैयार किए जाते हैं उसके अनुवर्ती आगामी माह के अंत तक विस्तृत आकस्मिक बिल जमा किए जाने अपेक्षित होते हैं।

 वन एवं वन्यजीव विभाग के तीन कार्यालयों से संबंधित ₹ दो लाख की राशि के तीन संक्षिप्त आकस्मिक बिलों, जो जून 2019 से अक्तूबर 2022 के दौरान आहरित किए गए थे, के लिए विस्तृत आकस्मिक बिल 15 जून 2023 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इन संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का विवरण तालिका 3.27 में दिया गया है।

तालिका 3.27: लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण

<b>화.</b>	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	मुख्य	वाउचर	संक्षिप्त आकस्मिक	राशि	
सं.		शीर्ष	नंबर	बिल का प्रस्तुतीकरण	(₹ लाख में)	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला	2406	94	जून 2019	1.00	
2	जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पिंजौर	2406	154	अगस्त 2022	0.70	
2	2 मंडलीय वन अधिकारी, वन मंडल, सोनीपत 2406 7 अक्तूबर 2022				0.30	
	कुल					

• कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तीन कार्यालयों से संबंधित ₹ 13.97 लाख की राशि के तीन संक्षिप्त आकस्मिक बिलों, जो अगस्त 2020 से दिसंबर 2022 के दौरान आहरित किए गए थे, के लिए 2022-23 के दौरान विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किए गए/देरी से प्रस्तुत किए गए थे। इन संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का विवरण तालिका 3.28 में दिया गया है।

तालिका 3.28: लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वाउचर नंबर	संक्षिप्त आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने की तिथि/ विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने की तिथि	राशि (₹ लाख में)	विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण की तिथि	30 जून 2023 तक विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में देरी (दिनों में)
1	मृदा परीक्षण अधिकारी, टोहाना	2401	175	31 अगस्त 2020/ 30 सितंबर 2021	11.50	प्रस्तुत नहीं किए गए	1,003
2	संयुक्त कृषि निदेशक (मृदा परीक्षण), करनाल	2402	71	22 अक्तूबर 2021/ 21 नवंबर 2021	2.37	6 जून 2023	562
3	निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण, पंचकुला	2401	286	16 दिसंबर 2022/ 15 जनवरी 2023	0.10	28 जून 2023	164
		कुल			13.97		

तीन विस्तृत आकस्मिक बिलों में से दो विस्तृत आकस्मिक बिल 164 से 562 दिनों के मध्य की देरी से प्रस्तुत किए गए थे, जबिक एक मामले में, ₹ 11.50 लाख का विस्तृत आकस्मिक बिल 1,003 दिन बीत जाने के बाद भी 28 जून 2023 तक विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, क्रम संख्या 3 पर दर्शाए गए विस्तृत आकस्मिक बिल को लेखापरीक्षा दवारा इंगित किए जाने पर समायोजित किया गया था।

# (xii) वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक खातों का संचालन

निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हिरयाणा, पंचकुला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि आठ बैंक खाते वित्त विभाग, हिरयाणा की संस्वीकृति के बिना संचालित किए जा रहे थे, जो वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था। 31 मार्च 2023 तक, इन आठ खातों में ₹ 71.53 करोड़ की बड़ी राशि पड़ी हुई थी, जैसा कि पिरिशिष्ट 3.19 में विवरण दिया गया है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जून 2023), लेकिन उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2023)।

# 3.5.2 अनुदान संख्या 19 की समीक्षा

अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत कार्यात्मक शीर्षों के अधीन आबंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/अधिशेष की समग्र स्थिति *तालिका 3.29* में दी गई है।

तालिका 3.29: अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व	दत्तमत	9,714.30	876.63	10,590.93	10,060.93	(-) 530.00 (5)
पूंजीगत	दत्तमत	4,256.50	30.00	4,286.50	2,154.20	(-) 2,132.30 (50)
	प्रभारित	60.00	0	60.00	4.38	(-) 55.62 (93)
कुल	योग	14,030.80	906.63	14,937.43	12,219.51	(-) 2,717.92 (18)

उपर्युक्त अनुदान संख्या 19 से, दो विभागों अर्थात (i) ऊर्जा एवं विद्युत विभाग और (ii) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को आगे की समीक्षा के लिए चुना गया था।

पांच मुख्य शीर्ष अर्थात 2801-विद्युत, 2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय और 4810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय ऊर्जा एवं विद्युत विभाग से संबंधित हैं और आठ मुख्य शीर्ष अर्थात 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2705-कमांड क्षेत्र विकास, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं जिसमें वर्ष 2022-23 के दौरान इन विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया।

इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

#### लेखापरीक्षा परिणाम

#### (i) बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए चयनित दो विभागों के कार्यात्मक शीर्षे के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति *तालिका 3.30* में दी गई है।

तालिका 3.30: चयनित विभागों का बजट एवं व्यय

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
		~		. 0.		(प्रतिशत में)
	<u> </u>	सिचा	ई एवं जल संस	ाधन विभाग		
2020-21	राजस्व (दत्तमत)	2,654.68	0	2,654.68	1,521.67	(-) 1,133.01 (43)
	प्रंजीगत (दत्तमत)	2,155.87	0	2,155.87	1,327.45	(-) 828.42 (38)
	पूंजीगत (प्रभारित)	150.00	0	150.00	33.20	(-) 116.80 (78)
	कुल	4,960.55	0.00	4,960.55	2,882.32	(-) 2,078.23 (42)
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	3,066.14	15.00	3,081.14	2,034.93	(-) 1,046.21 (34)
	पूंजीगत (दत्तमत)	1,915.02	0	1,915.02	1,759.41	(-) 155.61 (8)
	पूंजीगत (प्रभारित)	100.00	0	100.00	15.36	(-) 84.64 (85)
	कुल	5,081.16	15.00	5,096.16	3,809.70	(-) 1,286.46 (25)
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	2,687.78	200	2,887.78	2,407.19	(-) 480.59 (17)
	पूंजीगत (दत्तमत)	3,388.66	0	3,388.66	2,136.68	(-) 1,251.98 (37)
	पूंजीगत (प्रभारित)	60.00	0	60.00	4.38	(-) 55.62 (93)
	कुल	6,136.44	200.00	6,336.44	4,548.25	(-) 1,788.19 (28)
		3	र्जा एवं विद्युत	न विभाग		
2020-21	राजस्व (दत्तमत)	6,710.29	997.02	7,707.31	5,810.91	(-) 1,896.40 (25)
	पूंजीगत (दत्तमत)	785.85	0	785.85	550.09	(-) 235.76 (30)
	कुल	7,496.14	997.02	8,493.16	6,361.00	(-) 2,132.16 (25)
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	6,452.78	2894.81	9,347.59	7,143.61	(-) 2,203.98 (24)
	पूंजीगत (दत्तमत)	763.41	0	763.41	10.41	(-) 753.00 (99)
	कुल	7,216.19	2,894.81	10,111.00	7,154.02	(-) 2,956.98 (29)
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	6,481.77	546.62	7,028.39	7,095.42	67.03 (1)
	पूंजीगत (दत्तमत)	847.83	0	847.83	8.00	(-) 839.83 (99)
	कुल	7,329.60	546.62	7,876.22	7,103.42	(-) 772.80 (10)

यह देखा गया था कि 2020-21 से 2022-23 के वितीय वर्षों के दौरान सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में बचत ₹ 1,286.46 करोड़ और ₹ 2,078.23 करोड़ के मध्य और ऊर्जा एवं विद्युत विभाग में ₹ 772.80 करोड़ और ₹ 2,956.98 करोड़ के मध्य थी। इसी अविध के दौरान उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 25 से 42 प्रतिशत के मध्य और ऊर्जा एवं विद्युत विभाग में 10 से 29 प्रतिशत के मध्य थी। कुछ योजनाएं जिनमें बचत हुई वे इस प्रकार थी:

- गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/जीणींद्धार कर दिया गया: ₹ 504.12 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध, केवल ₹ 128.86 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹ 375.26 करोड़ (74.44 प्रतिशत) की बचत हुई। बचत का मुख्य कारण यह था कि लक्ष्य के अनुरूप विभिन्न तालाबों के विकास का कार्य तकनीकी/साइट संबंधी मुद्दों के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल का कार्यान्वयन: ₹ 509.60 करोड़
   के बजट प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 340 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 169.60 करोड़ (33.28 प्रतिशत) की बचत हुई। बचत मुख्यतः भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण हुई।

- राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना: ₹ 400 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 297.91 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 102.09 करोड़ (25.52 प्रतिशत) की बचत हुई। बचत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।
- निष्पादन से जुड़ा परिव्यय: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में निष्पादन से जुड़े
  परिव्यय से संबंधित ₹ 500 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं
  किया गया और विभाग द्वारा प्रावधान को सरेंडर नहीं किया गया।
- सार्वजिनक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश: ₹ 767.83 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ऊर्जा एवं विद्युत विभाग से संबंधित सार्वजिनक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में इिक्वटी पूंजी के लिए सरकार द्वारा केवल ₹ आठ करोड़ जारी किए गए थे। तथापि,
   ₹ आठ करोड़ में से ₹ चार करोड़ की राशि 2021-22 से संबंधित थी। इस प्रकार,
   ₹ 759.83 करोड़ (98.96 प्रतिशत) की बचत मुख्य रूप से सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में कम निवेश के कारण हुई।

यह वास्तिविक वितीय योजना की कमी और कमजोर वितीय नियंत्रण का संकेत देता है। विभाग ने पंजाब बजट मैनुअल और वित्त विभाग में निर्धारित बजटीय नियंत्रणों की अनदेखी की और राज्य के बजट पर समग्र वितीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकास उद्देश्यों के लिए निधियों की कमी हुई।

## (ii) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया

अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि नौ योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 183.50 करोड़ का बजट प्रावधान वर्ष (2022-23) के अंत में अप्रयुक्त रह गया (बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ से अधिक) जैसा कि तालिका 3.31 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.31: अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	बजट	संपूर्ण प्रावधान
सं.		प्रावधान	सरेंडर करने का कारण
1	2700-80-190-94-51 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	2.00	अनुरक्षण योजना के अंतर्गत कार्यों की कम संस्वीकृति
			के कारण संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।
2.	2702-03-103-96-51 भूजल के विकास के	5.00	अनुरक्षण योजना के अंतर्गत कार्यों की कम संस्वीकृति
	लिए विभिन्न अवसंरचना का संचालन एवं		के कारण संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।
	रखरखाव		-
3.	4700-11-800-97-51 भाखड़ा ब्यास प्रबंधन	8.00	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के
	बोर्ड के लिए बांध पुनर्वास एवं सुधार		कार्यान्वयन के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
	परियोजना (डीआरआईपी)		(बीबीएमबी) से मांग प्राप्त न होने के कारण संपूर्ण
			प्रावधान का सरेंडर हुआ।
4.	4700-15-800-97-51 बी.एम.एलहांसी शाखा-	1.00	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में
	बुटाना शाखा बहुउद्देशीय लिंक चैनल		रखे गए सांकेतिक प्रावधान का उपयोग न हो पाने के
			कारण संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।

क्र.	योजना का नाम	बजट	संपूर्ण प्रावधान
सं.		प्रावधान	सरेंडर करने का कारण
5.	4701-80-800-95-51 पुनर्वास और मौजूदा	87.50	भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप न दिए
	नहर नेटवर्क, जल मार्गों के पुनर्निर्माण और		जाने के कारण निधियों का सरेंडर हुआ
	पुनर्वास के लिए वित्त आयोग की सिफारिश		-
6.	4810-51-101-99-99-राज्य में गौशालाओं में	5.00	आपूर्ति एवं निपटान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के
	सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना		टेंडर/दर अनुबंध को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण
			संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।
7.	5425-51-600-98-51-अंबाला कैंट में साइंस	25.00	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के साथ
	सेंटर की स्थापना		निविदा/दर अनुबंध को अंतिम रूप न देने के कारण
			संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।
8.	5425-51-600-99-51-सोनीपत में साइंस सिटी	50.00	भूमि खरीद सौदे को अंतिम रूप न देने के कारण पूरा
	की स्थापना		प्रावधान सरेंडर करना पड़ा।
	कुल	183.50	

उपर्युक्त योजनाओं के लिए किए गए बजट के पूरे प्रावधान को अंततः पुनःविनियोग किया गया और इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया। आगे, यह भी देखा गया कि उपर्युक्त आठ योजनाओं में से दो योजनाएं (क्रमांक 4 और 8) पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में लागू नहीं की गईं।

## (iii) निधियों का अधिक/अवास्तविक प्न:विनियोग

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 2,560.99 करोड़ की वास्तविक बचत में से ₹ 2,431.30 करोड़ की राशि दो चयनित विभागों के पुन:विनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 129.69 करोड़ का सरेंडर नहीं हुआ।

आठ मामलों में, पुन:विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में कमी अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों से कम था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.90 करोड़ की निधियां अनभ्यर्पित रह गई। छः मामलों में, निधियों का पुन:विनियोग अधिक सिद्ध हुआ, क्योंकि अभ्यर्पित निधि वास्तविक बचत से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 112.93 करोड़ का अतिरिक्त सरेंडर हुआ। दो मामलों में, ₹ 9.76 करोड़ का पुन:विनियोग अवास्तविक सिद्ध हुआ, क्योंकि ₹ 3.85 करोड़ का वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अधिक था।

इसके अलावा, दो मामलों में ₹ 18.43 करोड़ की निधियों की वृद्धि अपर्याप्त सिद्ध हुई, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और पुन:विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था। इस प्रकार, कुछ मामलों में निधियों का पुन:विनियोग या तो अनुचित था या अत्यधिक था।

अवास्तविक, अत्यधिक एवं अपर्याप्त पुन:विनियोग मामलों का विवरण *चार्ट 3.8* में दिया गया है।

वास्तविक बचत से कम वास्तविक बचत से अधिक अवास्तविक अपयोप्त निधियों का पुन:विनियोग निधियों का पुन:विनियोग प्न:विनियोग पुन:विनियोग आठ मामले दो मामले छ: मामले दो मामले मूल प्रावधान: मूल प्रावधान: मूल प्रावधान: मूल प्रावधान: ₹ 950 करोड़; ₹ 219.50 करोड़; ₹ 501.32 करोड़; ₹ 150 करोड़; व्यय: ₹ 309.97 करोड़ व्यय: ₹ 666.76 करोड़ व्यय: ₹ 153.85 करोड़ व्यय: ₹ 248.11 करोड़ आधिक्य: ₹ 90.47 करोड़, बचत: ₹ 253.21 करोड़, बचत: ₹ 283.24 करोड़, आधिक्यः ₹ 3.85 करोड़, पुन:विनियोग आदेशों के माध्यम प्न:विनियोग: प्न:विनियोग: प्न:विनियोग: से प्राप्त निधियां: ₹ 217.31 करोड़ ₹ 396.17 करोड़ ₹ 5.91 करोड़ ₹ 72.04 करोड़

चार्ट 3.8: अवास्तविक, अधिक और अपर्याप्त पुन:विनियोग मामले

स्रोत: विनियोग लेखे

अनभ्यर्पित रहे:

₹ 35.90 करोड़

# (iv) अवास्तविक बजटिंग और निधियों का पुनः आबंटन

अधिक अभ्यर्पण:

₹ 112.93 करोड़

2020-23 की अविध के दौरान, यह देखा गया कि छः मामलों में निधियों को एक योजना से अन्य योजनाओं में प्नः आबंटित किया गया था, जैसा कि *तालिका 3.32* में विवरण दिया गया है।

अवास्तविक अभ्यर्पणः

₹ 9.76 करोड़

तालिका 3.32: अवास्तविक बजट को दर्शाने वाले मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अपर्याप्त पुन:विनियोग:

₹ 18.43 करोड़

क्र.	अधिक अवास्तविक बजट	योजना का नाम जिसके लिए	पुनःआबंटित
सं.	प्रावधान वाली योजना का नाम	निधियां पुनःआबंटित की गई	निधियां
202	0-21		
1.	पी-01-24-2700-80-190-96-51-एन-वी- गांव के	पी-01-24-2700-80-800-95-51-एन-वी- नहर और नालों	50.00
	तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का	पर पुलों और संरचना का संचालन और रखरखाव (बजट:	
	विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया (बजट: ₹ 1,002	₹ 2.50 करोड़, व्यय: ₹ 0.86 करोड़)	
	करोड़, व्यय: ₹ 6.46 करोड़)		
202	1-22		
2.	पी-01-24-2700-80-190-96-51-एन-वी- गांव के	पी-01-24-2700-02-101-97-51-एन-वी- ऊर्जा प्रभार (बजट:	55.00 <sup>17</sup>
	तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का	₹ 50 करोड़, व्यय: ₹ 101.25 करोड़)	
3.	विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया (बजट: ₹ 802	पी-01-24-2700-80-800-95-51-एन-वी- नहर और नालों	10.00
	करोड़, व्यय: ₹ 128.52 करोड़)	पर पुलों और संरचना का संचालन और रखरखाव (बजट:	
		₹ 2.50 करोड़, व्यय: ₹ 2.96 करोड़)	
202	2-23		
4.	पी-01-24-2700-80-190-96-51-एन-वी- गांव के	पी-01-24-2700-04-800-98-51-एन-वी- ऊर्जा प्रभार (बजट:	7.20
	तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का	₹ 48 करोड़, व्यय: ₹ 49.04 करोड़)	
5.	विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया (बजट: ₹ 504.12	पी-01-24-2701-08-101-97-51-एन-वी- ऊर्जा प्रभार (बजट:	1.75
	करोड़, व्यय: ₹ 128.86 करोड़)	₹ 13.75 करोड़, व्यय: ₹ 13.79 करोड़)	
6.		पी-01-24-2701-10-101-97-51-एन-वी- ऊर्जा प्रभार (बजट:	3.00
		₹ 17 करोड़, व्यय: ₹ 16.47 करोड़)	

एक योजना से दूसरी योजना में निधियां पुनः आबंटित करने के छः प्रस्तावों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा किः

 2020-23 की अवधि के दौरान, '2700-80-190-96-51-एन-वी-ग्राम तालाबों का विकास योजना का नाम बदलकर तालाबों का विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया'

<sup>10</sup> जनवरी 2022 को ₹ 30 करोड़ और 28 फरवरी 2022 को ₹ 25 करोड़।

योजना में बजट प्रावधान किया गया था, लेकिन इसी अविध के दौरान व्यय एक से 26 प्रतिशत के मध्य किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि इस योजना से अन्य योजनाओं में निधियों का पुनःआबंटन 2020-23 की अविध के दौरान किया गया था, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे और साथ ही निधियों के पुनःआबंटन के प्रस्ताव भी वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे।

- क्रम संख्या 1 और 6 में, किसी अन्य योजना से निधियां पुनःआबंटित करने की कोई
   आवश्यकता नहीं थी क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था।
- क्रम संख्या 2 से 5 में, निधियों की वास्तिवक आवश्यकता के विरूद्ध अधिक निधियां प्नःआबंटित की गई थी।

इस प्रकार, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना एक योजना से दूसरी योजना में निधियों का अनावश्यक प्नःआबंटन किया गया था।

# (v) अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में मुख्य शीर्ष 2705 के अंतर्गत ₹ 746.52 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 665.39 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 200 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि 31 मार्च 2023 को पुन:विनियोग के माध्यम से ₹ 265.53 करोड़ का अभ्यर्पण कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मुख्य मद में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से काफी कम था। इस प्रकार, वास्तविक आवश्यकता का आकलन एवं मूल्यांकन किए बिना ₹ 200 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया।

## (vi) व्यय की अधिकता

चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 26 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 8,806.21 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 4,686.97 करोड़ (53 प्रतिशत) का व्यय (₹ एक करोड़ से अधिक तथा 40 प्रतिशत से अधिक) वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था। इसके अलावा, ₹ 1,585.98 करोड़ (18 प्रतिशत) का व्यय माह (मार्च 2023) के दौरान किया गया था जैसा कि *तालिका 3.33* में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.33: अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत चयनित दो विभागों में व्यय की अधिकता
(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम		व्यय	
सं.		कुल	अंतिम तिमाही	मार्च 2023
		5	के दौरान	के दौरान
			(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)
1	2700-02-101-97 ऊर्जा प्रभार	102.09	51.63 (51)	10.22 (10)
2	2701-10-101-98 अन्य रखरखाव कार्य	2.58	1.13 (44)	0.54 (21)
3	2705-51-188-99 सूक्ष्म सिंचाई निधि के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज की वृद्धि के लिए संसाधन जुटाना	124.99	94.99 (76)	58.99 (47)
4	2705-51-190-94 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन-प्रति फसल अधिक फसल	340.00	176.80 (52)	176.80 (52)
5	2705-51-190-95 नहर क्षेत्र हेत् क्षेत्र विकास कार्यक्रम	190.00	112.75 (59)	50.00 (26)
6	2705-51-789-97 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति फसल अधिक फसल का कार्यान्वयन (एससीएसपी)	10.40	10.40 (100)	10.40 (100)
7	2801-05-190-95-98 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	1.10	1.10 (100)	0.57 (52)
8	2801-05-190-98 घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती टैरिफ के लिए सब्सिडी	483.00	483.00 (100)	-
9	2801-05-800-99 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड/हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता	6,280.07	3,071.74 (49)	871.69 (14)
10	2810-51-101-98 राज्य में सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना	297.91	172.97 (58)	113.62 (38)
11	2810-51-190-99 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहायक कार्यक्रम	2.00	1.10 (55)	1.10 (55)
12	4700-13-800-98 नहर नेटवर्क के नहर प्नर्वास का निर्माण	214.21	94.72 (44)	51.21 (24)
13	4700-80-190-97 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) के लिए राज्य के पूंजीगत हिस्से का अंशदान	66.21	66.21 (100)	63.57 (96)
14	4700-80-800-97 नहरों एवं नालों पर पुलों और संरचना का पुनर्निर्माण/ नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण	150.72	68.64 (46)	31.90 (21)
15	4701-07-789-99 राज्य में अनुमूचित जाति की आबादी के लिए आरआईडीएफ (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार	141.51	65.34 (46)	44.60 (32)
16	4701-07-800-97 नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई	66.63	30.12 (45)	21.64 (32)
17	4701-07-800-98 नाबार्ड-नहर का निर्माण	169.87	76.15 (45)	53.50 (32)
18	4701-25-800-99 सिंचाई प्रयोजन के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति शाखाएं	103.22	42.59 (41)	17.61 (17)
19	4701-80-052-99 संस्थागत सुदृढ़ीकरण डेटा संग्रह, आदि।	2.74	2.74 (100)	2.74 (100)
20	4701-80-800-98 न्यायालय आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान	4.38	2.27 (52)	1.83 (42)
21	4702-51-102-98 भूजल और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास की योजना	1.95	1.95 (100)	0.81 (41)
22	4711-01-789-99 राज्य में अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा, बहाली एवं आपदा प्रबंधन	50.63	50.63 (100)	2.64 (5)
	कुल	8,806.21	4,678.97 (53)	1,585.98 (18)

इस प्रकार, अंतिम तिमाही विशेषकर मार्च माह में व्यय करना विभाग के अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

## 3.6 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजटीय प्रणाली ठीक नहीं थी, क्योंकि 2022-23 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान और विनियोग का 84 प्रतिशत था। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि 24 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 20 अनुदानों में से

आठ अनुदानों में बचत 20 प्रतिशत से अधिक थी। राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत सात अनुदानों और पूंजीगत दत्तमत भाग के अंतर्गत 10 अनुदानों में पिछले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक की सतत बचत हुई थी।

वर्ष 2019-22 से संबंधित ₹ 238.79 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी भी संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना बाकी है। कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वितीय सहायता आदि से संबंधित 26 प्रमुख नीतिगत घोषणाओं में ₹ 13,761.57 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 10,711.87 करोड़ (78 प्रतिशत) का व्यय था। कुल 26 योजनाओं में से नौ योजनाओं में बजट प्रावधान से 50 प्रतिशत से कम व्यय हुआ और एक योजना में बजट प्रावधान से अधिक व्यय हुआ।

वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता थी। नौ अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 21 शीर्षों में 2022-23 के दौरान कुल व्यय का 30 प्रतिशत मार्च 2023 में किया गया था।

## 3.7 सिफारिशें

- सरकार बड़ी बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए वास्तविक बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।
- सरकार अनुप्रक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन पर विचार करे और अवास्तविक अनुप्रक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करे।
- सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों और विकास योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाने पर विचार करे।
- राज्य सरकार व्यय करने के लिए तिमाही-वार प्रतिशतता सीमा का अनुपालन करने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करने पर विचार करे।

# अध्याय-4 लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

# अध्याय 4: लेखों की ग्णवत्ता और वितीय रिपोर्टिंग व्यवहार

मजबूत आंतरिक वितीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वितीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता व गुणवता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर रिपोर्ट्स, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित इसकी मूल प्रबंधकीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करती हैं।

# लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

## 4.1 ब्याज वहन करने वाले जमा के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, राज्य प्रतिअनुपूरक वनरोपण जमा तथा खदान एवं खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि नामक ब्याज वहन करने वाले जमाओं/निधियों में राशियों पर ब्याज का भुगतान करना था। वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 1.33 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया है।

# 4.2 बजट से बाहर उधार

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूलधन चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे ऐसी देयता को राज्य के उधार के रूप में दर्शाना होगा।

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) ने हरियाणा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) के दो ऋण लिए। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार की सहमति से गृह विभाग द्वारा ऋण गारंटी की संस्वीकृति जारी की गई थी। संस्वीकृतियों की शतों के अनुसार मूलधन और ब्याज की अदायगी ऋण करार के अनुसार की जाएगी। इन शतों के अनुसार, राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज के साथ ऋण करार में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में निधियों का वार्षिक आबंटन करेगी। तदनुसार, वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार, ये बजट से बाहर उधार की प्रकृति के थे।

गृह विभाग द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अनुसार ऋणों के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए जारी की गई राशि को हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उल्लंघन में बजट एवं लेखा में सहायता अनुदान के रूप में दर्शाया गया था। हिरयाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण (₹ 845.35 करोड़, जिसमें से ₹ 22.05 करोड़ वर्ष 2022-23 के दौरान जुटाए गए) के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार की देयता को लेखों में हिरयाणा सरकार के ऋण के रूप में नहीं दर्शाया गया था। 31 मार्च 2023 तक हिरयाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखों में हुडको की ओर ₹ 279.10 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। वित्त लेखों में ऋणों को नहीं दर्शाने के परिणामस्वरूप उधार की राशि को उस सीमा तक कम दर्शाया गया।

# 4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी निधियां सीधे तौर पर अंतरित कर रही है। जबिक भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 14,423.48 करोड़ अंतरित किए जिसमें राज्य में मध्यस्थों/लाभार्थियों को अंतरण शामिल था, जैसा कि परिशिष्ट 4.1 में विवरण दिया गया है।

## 4.4 स्थानीय निधियों की जमा राशि

पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत वस्ल की गई या वस्ली योग्य सभी धनराशि को मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि के अंतर्गत पंचायत निकाय निधि के रूप में रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, संवितरणों और अंतिम शेष का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2018-19 से 2022-23 के दौरान पंचायत निकायों की निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रारंभिक शेष	9.71	7.81	7.34	8.77	9.05
प्राप्ति	2.16	1.66	2.34	0.68	0.87
संवितरण	4.06	2.13	0.91	0.40	0.79
अंतिम शेष	7.81	7.34	8.77	9.05	9.13

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

## पारदर्शिता से संबंधित मामले

# 4.5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वितीय नियमावली के नियम 8.14, वॉल्यूम-1 (जैसा कि हरियाणा में लागू है)/वितीय नियम/वितीय संहिता, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अनुदानग्राही द्वारा अनुदान की स्वीकृति के वितीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने इसे स्वीकृत किया था। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर यह जोखिम रहता है कि वित्त लेखों में दर्शाई

गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई थी। उन मामलों में जिनमें व्यय के विशेष उद्देश्यों के विनिर्देश के रूप में अनुदान के उपयोग की शतें जुड़ी हुई हैं या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है और लेखों में उस सीमा तक दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति और बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण तालिका 4.2 और तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष <sup>1</sup>	प्रारंभिक शेष		वृत	वृद्धि		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	संख्या	राशि	संख्या	संख्या राशि		राशि	संख्या	राशि	
2018-19 तक	1,588	7,800.80	7,709	8,429.14	7,565	7,760.45	1,732	8,469.49	
2019-20	1,732	8,469.49	7,892	8,914.81	7,620	6,786.72	2,004	10,597.58	
2020-21	2,004	10,597.58	730	6,425.48	292	2,472.28	2,442	14,550.78	
2021-22	2,442	14,550.78	654	5,333.74	265	1,583.19	2,831	18,301.02	
2022-23	2,831	18,301.02	695	6800.26	866	7,124.62	2,660	17,976.65	

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित।

₹ 18,301.02 करोड़ की राशि के 2,831 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (31 मार्च 2022 तक) में से पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 7,124.62 करोड़ के 866 उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष 2022-23 के दौरान निपटान कर दिया गया था। 31 मार्च 2023 तक ₹ 17,976.65 करोड़ के 2,660 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण

अनुदानों के संवितरण का वर्ष	31 मार्च 2023 को प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र				
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)			
2009-10	1	10.85			
2010-11	7	33.08			
2011-12	41	137.00			
2012-13	51	247.88			
2013-14	78	562.58			
2014-15	66	200.71			
2015-16	149	309.11			
2016-17	205	611.94			
2017-18	188	885.47			
2018-19	315	2,202.89			
2019-20	455	3,514.38			
2020-21	409	2,460.50			
2021-22	695	6,800.26			
कुल	2660	17,976.65			

कुल 2,660 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 11,176.39 करोड़ के अनुदान के 1,965 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2009-10 से 2020-21 की अविध से संबंधित हैं। ₹ 17,976.65 करोड़ की कुल राशि में से, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे, 81.40 प्रतिशत चार विभागों अर्थात ग्रामीण विकास विभागः ₹ 5,647.13 करोड़ (31.41 प्रतिशत), शहरी विकास

2019-20 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2020-21 के दौरान ही देय हैं।

विभागः ₹ 4,718.98 करोड़ (26.25 प्रतिशत), स्वास्थ्य विभाग/चिकित्साः ₹ 1,403.31 करोड़ (7.81 प्रतिशत) एवं सामान्य शिक्षा विभागः ₹ 2,864.11 करोड़ (15.93 प्रतिशत) से संबंधित हैं जैसा कि *परिशिष्ट 4.2* में दर्शाया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (नवंबर 2023) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने आश्वासन दिया कि सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

## 4.6 सार आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे अपेक्षित राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को सेवा शीर्षों से धन डेबिट करके सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के बिना आहरण की अनुमित होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को एक माह के भीतर राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रस्तुत करने तक इन राशियों को आपित के अंतर्गत रखा जाता है। विस्तृत आकस्मिक बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लंबी अविध तक प्रस्तुत न करना लेखों की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है।

31 मार्च 2023 तक समायोजन के लिए लंबित असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार विवरण *तालिका 4.4* में दिया गया है।

असमायोजित सार आकस्मिक बिलों की संख्या 2015-16 0 2016-17 0.00 2017-18 1.21 18 2018-19 1.31 2019-20 6.22 2020-21 80 5.48 2021-22 70 11.12 2022-23 492 280.39 715 305.73

तालिका 4.4: 31 मार्च 2023 तक असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार विवरण

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा से प्राप्त सूचना

31 मार्च 2023 तक असमायोजित सार आकस्मिक बिलों की 93.98 प्रतिशत राशि, चार विभागों अर्थात् खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (64.09 प्रतिशत - ₹ 195.94 करोड़ के तीन बिल), पर्यटन विभाग (17.50 प्रतिशत - ₹ 53.49 करोड़ के सात बिल), सामान्य शिक्षा विभाग (9.29 प्रतिशत - ₹ 28.41 करोड़ के 374 बिल) और परिवहन विभाग (3.07 प्रतिशत - ₹ 9.37 करोड़ के 107 बिल) से संबंधित है।

# 4.7 व्यक्तिगत जमा खाते

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-। (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के नियम 12.16 एवं 12.17 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समेकित निधि या अन्य

निधियों से अंतरण द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुमोदन से व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत है। निधियों का व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत समेकित निधि से बिना किसी वास्तविक नकद प्रवाह के व्यय के रूप में लेखाकृत किया जाता है। वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस अंतरित कर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद किया जाना अपेक्षित है और यदि आवश्यकता हो तो अगले वर्ष फिर से खोला जा सकता है। वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित निधि से अंतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या शून्य थी। आगे, उपर्युक्त नियमों के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि से अलग निधियों के अंतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की जानी चाहिए और जो खाते तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों से निष्क्रिय हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए तथा ऐसे खातों में पड़ी हुई शेष राशि को सरकारी खातों में जमा किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों की ब्रॉडशीट के अनुसार 31 मार्च 2023 तक सक्रिय व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति *तालिका 4.5* में दी गई है।

व्यक्तिगत प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान अंतिम शेष जमा खातों शामिल किए गए बंद किए गए का स्रोत राशि संख्या संख्या संख्या राशि संख्या राशि (₹ करोड़ में) (₹ करोड़ में) (₹ करोड़ में) (₹ करोड़ में) समेकित निधि 2 2 1.033.75 1 033 75 समेकित निधि 1,243.16 3,726.66 157 2,686.11 2 2 283 71 6 153 से अलग 3,719.86 2,283.71 159 2 2,276.91 153 3,726.66

तालिका 4.5: 31 मार्च 2023 तक व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय से प्राप्त जानकारी

31 मार्च 2023 तक 153 व्यक्तिगत जमा खातों में से ₹ 54.02 करोड़ की राशि वाले 11 खाते तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय थे और राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त नियमों के विचलन में बंद नहीं किए गए थे।


# 4.8 लघु शीर्ष-800 का अविवेकी उपयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है। वर्ष 2022-23 के दौरान, विभिन्न राजस्व और पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 9,488.99 करोड़ के व्यय, जो ₹ 1,18,071.16 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 8.04 प्रतिशत है और ₹ 3,811.78 करोड़ की प्राप्तियों, जो ₹ 89,268.60 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 4.27 प्रतिशत है, को संबंधित मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया था। ऐसे मामले, जहां व्यय का पर्याप्त अनुपात (50 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, तालिका 4.6 में दिए गए हैं।

तालिका 4.6: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष-वार विवरण (₹ करोड़ में)

क्र.	मुख्य	विवरण	कुल	लघुशीर्ष 800	प्रतिशतता
सं.	शीर्ष		व्यय	के अंतर्गत व्यय	
1.	2075 <sup>2</sup>	विविध सामान्य सेवाएं	0.69	0.46	66.67
2.	2250 <sup>3</sup>	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.83	3.92	81.16
3.	2700 <sup>4</sup>	मुख्य सिंचाई	1,518.46	1,104.56	72.74
4.	2701 <sup>4</sup>	मध्यम सिंचाई	216.37	181.67	83.96
5.	2801 <sup>5</sup>	विद्युत	6,764.86	6,280.07	92.83
		कुल	8,505.21	7,570.68	89.01

2018-23 के दौरान लघ् शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन *चार्ट 4.1* में दर्शाया गया है।



2018-19 से 2020-21 की अविध के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की घटती प्रवृत्ति थी, जो 2018-19 में 11.35 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 8.31 प्रतिशत हो गई। हालांकि, 2021-22 के दौरान यह थोड़ा बढ़कर 8.43 प्रतिशत हो गई और 2022-23 में और घटकर 8.04 प्रतिशत हो गई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (नवंबर 2023) के दौरान वित्त विभाग ने सुनिश्चित किया कि 2023-24 के लेखों से स्धारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

## माप से संबंधित मामले

4.9 उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को जोड़ते हुए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया

युं मुख्य शीर्ष 2075 मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) से संबंधित है।

म्ख्य शीर्ष 2250 अन्य सामाजिक सेवाओं, विविध व्यापार मेलों से संबंधित है।

म्ख्य शीर्ष 2700 और 2701 पूंजी, ऊर्जा प्रभारों पर ब्याज से संबंधित है।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> मुख्य शीर्ष 2801 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड/हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता से संबंधित है।

शेषों की गणना की जाती है। महत्वपूर्ण उचंत मदों को पिछले तीन वर्षों के सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में *तालिका 4.7* में दर्शाया गया है।

तालिका 4.7: बकाया उचंत एवं प्रेषण शेषों के विवरण

(₹ करोड़ में)

(क) 8658- उचंत लेखे							
लघु शीर्ष	202	0-21	202	1-22	202	2-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	30.76	0.01		1.05		(-) 2.31	
निवल	30.75	(डेबिट)	1.05	(क्रेडिट)	2.31	(डेबिट)	
102-उचंत लेखे (सिविल)	15.79	-	-	(-) 0.08		0.18	
निवल	15.79	(डेबिट)	0.08	(डेबिट)	0.18	(क्रेडिट)	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा	42.08	-	36.09	18.14	15.64	10.20	
निवल	42.08	(डेबिट)	17.95	(डेबिट)	5.44	(डेबिट)	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-) 9.86	(-) 1.14	(-) 0.39	5.55	0.35	(-) 27.33	
निवल	8.72 (	(क्रेडिट)	5.94	5.94 (क्रेडिट)		(डेबिट)	
110-रिजर्व बैंक उचंत - केंद्रीय लेखा	19.95	20.30	(-) 20.30	(-) 15.96		8.03	
कार्यालय							
निवल	0.35 (	(क्रेडिट)	4.34 (क्रेडिट)		8.03	(क्रेडिट)	
112-स्रोत पर काटा गया कर उचंत	-	55.32	1,347.84	1,088.91	1,729.38	1,572.53	
निवल	55.32	(क्रेडिट)	258.93	(डेबिट)	156.85	ं (डेबिट)	
(ख) 8782- एक ही लेखा कार्यालय	में लेखे भेजन	वाले अधिका	रेयों के मध्य रो	किड़ प्रेषण और	समायोजन		
लघु शीर्ष	202	0-21	2021-22		202	2-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
102-लोक निर्माण प्रेषण	31.05	357.09	10,790.00	10,786.50	10,116.57	10,081.48	
निवल	326.04 (क्रेडिट) 4 (डेबिट)		35.09	(डेबिट)			
103-वन प्रेषण	-	4.11	202.28	202.71	334.72	332.74	
निवल	4.11 (	(क्रेडिट)	0.43	(क्रेडिट)	1.98	(डेबिट)	

स्रोत:वित्त लेखे

## 4.10 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, उसे बजट अनुदानों के भीतर एवं अपने खातों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु.नि.अ.)/नियंत्रण अधिकारियों (नि.अ.) को अपने रिकार्ड में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान करना अपेक्षित है। समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय, दोनों के आंकड़ों का मिलान 2022-23 में शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।

## 4.11 नकद शेष का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों के अनुसार 2022-23 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 716.63 करोड़ (क्रेडिट) था, जबिक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 17.53 करोड़ (क्रेडिट) सूचित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2022-23 तक ₹ 734.16 करोड़ (क्रेडिट) के अंतर का मिलान अभी बाकी था। यह मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को लेनदेन की गलत रिपोर्टिंग के कारण था।

## 4.11.1 सरकारी निधियों को बैंक खातों में रखना

पंजाब वितीय नियम खंड-1 के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई भी धन तब तक नहीं निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण अपेक्षित न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। ऐसे कार्यों, जिनके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरण की अनुमित नहीं है। वित विभाग ने भी विशिष्ट निर्देश जारी किए (फरवरी 2009) कि समेकित निधि से बजटीय आबंटन के बल पर आहरित निधियों की पार्किंग की अनुमित नहीं है और यह गंभीर वितीय अनियमितता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि चालू वितीय वर्ष के लिए किए गए बजटीय आबंटन को समेकित निधि से आहरित करने और वितीय वर्ष के समापन से पहले किसी भी तरीके से और बिना किसी औचित्य/योग्यता/धारणा के इसे बनाए रखने की अनुमित नहीं है और यह गंभीर अनियमितता है।

इसके अलावा, बैंकों के साथ व्यवहार के लिए संशोधित हरियाणा राज्य नीति (मार्च 2018) के पैराग्राफ 8 के अनुसार, किसी भी संगठन को वित्त विभाग की विशिष्ट संस्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खाते में निष्क्रिय रखने के लिए निधियां आहरित नहीं करनी चाहिए।

मार्च 2023 माह के वाउचरों की जांच के दौरान, यह पाया गया था कि भारी वर्षा जल भराव के कारण क्षितिग्रस्त हुई रबी फसल 2022 के मुआवजे के भुगतान के लिए फरवरी 2023 के महीने के लिए उप-मंडल अधिकारी, राजस्व विभाग, बहादुरगढ़ द्वारा ₹ 8.29 करोड़ की राशि (झज्जर खजाने के वाउचर संख्या 1 के माध्यम से) आहरित की गई थी। तथापि, यह देखा गया था कि उक्त राशि लाभार्थियों को वितरित नहीं की गई थी किंतु बजट की चूक से बचने के लिए उप-मंडल अधिकारी, बहादुरगढ़ के बैंक खाते में जमा कर दी गई थी। संस्वीकृति आदेश के अनुसार, राशि का वितरण न होने का कारण लाभार्थियों का भुगतानकर्ता के लिए यूनीक कोड (यूसीपी) तैयार करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, लाभार्थियों के भुगतानकर्ता के लिए यूनीक कोड के सृजन का कार्य पूरा किए बिना, बजट की चूक से बचने के लिए खजाने से पूरी राशि आहरित कर ली गई और उप-मंडल अधिकारी, बहादुरगढ़ के बैंक खाते में जमा कर दी गई, जो कि उपर्युक्त वितीय नियमों, निर्देशों और नीति का गंभीर उल्लंघन था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि (फरवरी 2024) करते हुए बताया कि मुआवजा राशि बड़ी संख्या में लाभार्थियों से संबंधित थी और वित्तीय वर्ष 2022-33 के भीतर भुगतानकर्ता के लिए यूनीक कोड का सृजन संभव नहीं था। इन परिस्थितियों को देखते हुए उप-मंडल अधिकारी, बहादुरगढ़ के बैंक खाते में निधियां जमा करा दी गई। इसके अलावा, ₹ 8.29 करोड़ में से ₹ 2.66 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किए गए। तथ्य यह है कि निधियां आहरित करने के एक वर्ष बाद भी ₹ 5.63 करोड़ अभी भी अवितरित पड़े हैं।

## प्रकटीकरण से संबंधित मामले

# 4.12 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने अब तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2022-23 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां तालिका 4.8 में दी गई हैं।

तालिका 4.8: लेखांकन मानकों की अनुपालना

豖.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार	अनुपालना/कमियां
सं.		द्वारा अनुपालना	
1	आई.जी.ए.एस. 1: <i>सरकार</i>	अनुपालना की गई	प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसेकि
	द्वारा दी गई गारंटियां -	(विंत लेखों की विवरणियां 9	गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है। हालाँकि, स्वचालित
	प्रकटीकरण आवश्यकताएं	एवं 20)	डेबिट तंत्र और संरचित भगतान व्यवस्था के संबंध में कोई
			जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।
2	आई.जी.ए.एस. 2:	अन्पालना की गई	(i) ₹ 3,780.18 करोड़ के सहायता अन्दान को पूंजीगत
	सहायतान्दान का लेखांकन एवं	(विंत लेखों की	परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में
	वर्गीकरण	विवरणी 10)	दर्शाया गया था।
			(ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए
			सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई थी।
3	आई.जी.ए.एस. 3: <i>सरकार</i>	अन्पालना नहीं की गई (वित	31 मार्च 2023 को वित्त लेखों की विवरणी 7 और 18 में
	द्वारा दिए गए ऋण एवं	लेखों की विवरणी 18)	दर्शाए गए अंतिम शेष का राज्य सरकार द्वारा अभी तक
	अग्रिम		समाधान नहीं किया गया था। ऋणी संस्थाओं के बकाया
			भ्गतान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

स्रोत: भारतीय सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

## 4.13 लेखों के संकलन से संबंधित मामले

## 4.13.1 ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न इकाइयों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्राप्त विवरण हरियाणा सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इन विवरणों के अभाव में न तो इन ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में कोई मिलान किया गया था और न ही व्यक्तिगत ऋणदाता इकाई, पुनर्भुगतान और ब्याज जैसे विवरणों के अभाव में यह संभव था। विवरण के अभाव में वसूली न होने के साथ-साथ लेखा बहियों में प्रतिपादन प्रभावित होने का जोखिम रहता है। 2022-23 में ऋण एवं अग्रिम की वसूली ₹ 237.74 करोड़ थी। 31 मार्च 2023 तक ऋण एवं अग्रिम की शेष राशि ₹ 10,574.38 करोड़ थी।

## 4.14 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत निकायों के लेखों के प्रस्त्तीकरण में विलंब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 42 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में उनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति परिशिष्ट 4.3 में दर्शाई गई है।

वितीय वर्ष 2019-20 या उससे पहले के वर्षों से संबंधित 42 स्वायत निकायों में से 11 स्वायत निकायों के लेखे जून 2023 तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखों के अंतिमकरण में विलंब से वितीय अनियमितताओं का पता न करने का जोखिम बढ़ जाता है तथा इसलिए आवश्यक है कि लेखों का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाए एवं लेखापरीक्षा को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

सरकार द्वारा स्वायत निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वितीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

# 4.15 लेखों को प्रस्त्त न करना/प्रस्त्त करने में विलंब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वितीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें तािक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

राज्य सरकार द्वारा दी गई वितीय सहायता और इन संस्थानों से प्राप्त वार्षिक लेखों से संबंधित जानकारी की जांच से यह पता चला कि 94 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के 277 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2023 तक लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित थे। इन लेखों का विवरण पिरिशिष्ट 4.4 में दिया गया है और विलंब की समय-वार स्थिति तालिका 4.9 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 4.9: निकायों/प्राधिकरणों के लंबित वार्षिक लेखों की समय-वार स्थिति

क्र.सं.	विलंब वर्षों में	लेखों की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	94	446.40
2.	1-2	93	408.54
3.	3 एवं अधिक	90	442.58
	क्ल	277	1297.52

स्रोतः सरकारी विभागों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त आंकड़े

वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन निकायों/ प्राधिकरणों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान लागू हैं या नहीं।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से प्रत्येक वर्ष के समापन तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए संस्थानों की पहचान की जा सके।

#### 4.16 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां निष्पादित करने वाले सरकारी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय प्रचालनों की कार्यप्रणाली के परिणामों को दर्शाते ह्ए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-क्शलता का अन्मान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वितीय स्थिति और कार्य को चलाने में दक्षता को दर्शाते हैं। लेखों का समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की संवीक्षा से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए स्धारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और द्रुपयोग के जोखिम होता है।

जनवरी 2024 तक, ऐसे तीन<sup>6</sup> विभागों ने वर्ष 2009-10 और 2021-22 के मध्य की अवधि के लिए अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन विभागों में ₹ 10,726.81 करोड़<sup>7</sup> की सरकारी निधियां निवेशित थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था।

#### 4.17 लेखों की समयबद्धता और ग्णवत्ता

राज्य सरकार के लेखे राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अतिरिक्त जिला खजानों, उप-खजानों, साइबर खजाना, लोक निर्माण मंडलों और वन मंडलों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक लेखों से संकलित किए जाते हैं।

2022-23 के दौरान, लेखे प्रदान करने वाली इकाइयों द्वारा विलंब के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा मासिक सिविल लेखों से किसी भी लेखे को बाहर नहीं किया गया था।

# अन्य मामले

#### 4.18 दुर्विनियोग, हानियां, चोरी, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार को ह्ई हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा

<sup>(</sup>i) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में 2009-10 से राष्ट्रीय पाठ्य प्स्तक योजना; (ii) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 2018-19 से अनाज आपूर्ति योजना और (iii) परिवहन विभाग में 2020-21 से हरियाणा

<sup>(</sup>i) राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक योजना: ₹ 17.97 करोड़; (ii) अनाज आपूर्ति योजना: ₹ 9,098.50 करोड़ और (iii) हरियाणा रोडवेज: ₹ 1,610.34 करोड़।

की गई धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, उत्तरदायी ठहराया जाएगा। आगे, पूर्वोक्त नियम 2.34 के अनुसार, दुरुपयोग एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 69.95 लाख के सरकारी धन से संबंधित दुर्विनियोजन के 52 मामलों में सितंबर 2023 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विघटन *तालिका 4.10* में दिया गया है।

तालिका 4.10: दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के लंबित मामले (₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	दुर्विनिः	सरकारी सामान के दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों दुर्विनियोजन/ अंतिम निपटान में विलंब के कारण						
		हानियं के म		विभागीय जांच की प्रतीक्षा में या न्यायालयों में लंबित		प्रतीक्षा में या की गई परंतु अंतिम		अंतिम डालने के लिए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	विकास एवं पंचायत	1	6.50	0	0	1	6.50	0	0
2	शिक्षा	20	40.12	1	0.09	18	40.03	1	0
3	श्रम एवं रोजगार	2	0.28	0	0	2	0.28	0	0
4	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3	8.63	0	0	2	5.93	1	2.70
5	महिला एवं बाल विकास	4	10.52	2	10.52	2	0	0	0
6	सिंचाई	19	2.07	0	0	17	1.85	2	0.22
7	जन स्वास्थ्य	2	0.65	0	0	2	0.65	0	0
8	हरियाणा कौशल विकास एवं उद्योग प्रशिक्षण	1	1.18	0	0	1	1.18	0	0
	कुल	52	69.95	3	10.61	45	56.42	4	2.92

लंबित मामलों तथा सरकारी सामान की चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या की आयु-वार रूपरेखा *तालिका 4.11* में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 4.11: दुर्विनियोजन, हानियों, दुरुपयोग इत्यादि की रूपरेखा
(₹ लाख में)

लंबित मामल	ों की समय-वार	रूपरेखा	लंबित मामलों की प्रकृति				
वर्षों में शृंखला	मामलों की संख्या	सम्मिलत राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि		
0-5	13	23.77	चोरी के मामले	48	59.21		
6-10	15	36.41					
11-15	1	0	सरकारी सामान का दुर्विनियोजन/हानि	4	10.74		
16-20	8	8.71	-				
21-25	3	0.24					
26 एवं अधिक	12	0.82					
कुल	52	69.95	सितंबर 2023 को कुल लंबित मामले	52	69.95		

चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानियों के 52 मामलों में से ₹ 46.18 लाख के 39 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 15 मामले 20 वर्षों से भी अधिक पुराने थे।

सरकार द्वारा, चोरी, दुर्विनियोजन इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए।

# 4.19 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई आरंभ करनी थी। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी कृत कार्रवाई टिप्पणियां विधायी समितियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 22 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति की बैठक में चयनात्मक आधार पर चर्चा के अधीन है (सितंबर 2023)।

# 4.20 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में काफी विलंब था, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वार्षिक लेखों के अभाव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों को आकृष्ट करने वाले स्वायत निकायों/प्राधिकरणों का पता नहीं चल पाया। 2022-23 के दौरान कुल व्यय का 8.04 प्रतिशत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

काफी संख्या में स्वायत निकायों और विभागीय तौर पर चलाए जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अविध से अंतिम लेखे तैयार नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वितीय स्थिति का मृल्यांकन नहीं किया जा सका।

आगे, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामान की हानि तथा दुरुपयोग के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी।

# 4.21 सिफारिशें

- सरकार, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध प्रस्त्तीकरण स्निश्चित करे।
- 2. सरकार को नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्धारित अविध के भीतर सार आकस्मिक बिलों के समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए। सार आकस्मिक बिलों के समायोजन के विलंब से प्रस्तुतीकरण को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना अपेक्षित है।

- 3. वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से, वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की सभी प्राप्तियां और व्यय वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए जाएं।
- 4. वित्त विभाग को स्वायत निकायों और विभागीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- 5. सरकार, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्विरत कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतिरक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार करे।

# अध्याय-5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

## अध्याय 5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वितीय निष्पादन पर चर्चा की गई है। वर्ष 2022-23 (या पूर्व के वर्षों के वित्तीय विवरण जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) के दौरान भारत के नियंत्रकमहालेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वितीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव की भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

## 5.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा या आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें एक कंपनी, जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी सिम्मिलित है।

इसके अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी<sup>1</sup> को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

## 5.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त करता है और खातों की लेखापरीक्षा करने के तरीके पर निर्देश देता है। इसके अलावा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी के वितीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वितीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है और अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

135

कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 के माध्यम से जारी किया गया।

# 5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगटान

राज्य के सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम सिम्मिलित हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के लिए राज्य के सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यम स्थापित किए जाते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2023 तक, राज्य में 37² राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम थे। इनमें दो³ सांविधिक निगम और 29 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियां सिहत) तथा सरकार नियंत्रित छः अन्य कंपनियां थी, जो सभी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। इन राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों के नाम परिशिष्ट 5.1 में दिए गए हैं।

एक राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम यथा हिरयाणा वित्तीय निगम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। राज्य में तीन िनिष्क्रिय राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम (पिरसमापन के अधीन एक सिहत) हैं। 31 मार्च 2023 को इन निष्क्रिय राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में राज्य का कुल पूंजीगत निवेश ₹ 11.13 करोड़ था। एक राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम की पिरसमापन प्रक्रिया 19 वर्षों से चल रही है और अभी भी पूरी होनी बाकी है। सरकार इन निष्क्रिय राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों को शीघ्र बंद करने पर विचार करे क्योंकि ये निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में कोई योगदान नहीं देते हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का विवरण परिशिष्ट 5.2 में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अविध के लिए राज्य के कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस अध्याय में 31 राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों के विवरणों पर चर्चा की गई है क्योंकि तीन राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सिवेंसेज लिमिटेड, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और हिरयाणा कौशल रोजगार लिमिटेड के प्रथम लेखे उनके गठन के बाद से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, तीन अकार्यरत राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् हिरयाणा मिनरल्स लिमिटेड, हिरयाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड और हिरयाणा राज्य आवास वित निगम लिमिटेड के विवरण शामिल नहीं किए गए हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

अकार्यरत सरकारी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो पिछले दो वितीय वर्ष में कोई भी व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है या वितीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (2001-02 से निष्क्रिय), हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (जुलाई 2002 से निष्क्रिय) और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (2003-04 से निष्क्रिय)।

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

तालिका 5.1: हरियाणा के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
ऊर्जा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	32,216	37,657	53,726
वित्त क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	19	49	56
सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	354	414	417
अवसंरचना क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	3,466	2,279	2,363
अन्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	2,814	652	660
कुल	38,869	41,051	57,222
हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,58,507	8,95,672	9,94,154
हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से टर्नओवर की प्रतिशतता			
ऊर्जा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	4.24	4.20	5.40
वित्त क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.002	0.005	0.006
सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.05	0.05	0.04
अवसंरचना क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.46	0.25	0.24
अन्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.37	0.07	0.07
कुल	5.12	4.58	5.76

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष तुलना के लिए किए गए संबंधित वर्षों की वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े (अग्रिम अनुमान) तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार टर्नओवर के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों का योगदान 2021-22 में 4.58 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 5.76 प्रतिशत हो गया। 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ऊर्जा क्षेत्र के राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों का योगदान ₹ 53,726 करोड़ (5.40 प्रतिशत) था। तथापि अन्य सभी क्षेत्रों का योगदान न्यूनतम ₹ 3,496 करोड़ (0.36 प्रतिशत) था, लेकिन उनके पास 2919 कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध के आधार पर शामिल सिहत) का स्टाफ था। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार ने अन्य क्षेत्रों के राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में ₹ 1,077.29 करोड़ (इक्विटी: ₹ 896.41 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण: ₹ 180.88 करोड़) का निवेश किया था। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान हियाणा सरकार द्वारा इनमें से नौ राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों को ₹ 336.05 करोड़ का अनुदान और सिक्सिडी प्रदान की गई।

# 5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

## 5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

31 मार्च 2023 तक 31 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कुल इक्विटी एवं राज्य सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों सहित दीर्घकालिक ऋणों की क्षेत्रवार स्थिति *तालिका 5.2* में दी गई है।

तालिका 5.2: राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का		निवेश (₹ करोड़ में)									
नाम	कुल	राज्य सरकार	कुल दीर्घकालिक	राज्य सरकार	कुल इक्विटी एवं	दीर्घकालिक ऋणों की					
	इक्विटी	की इक्विटी	ऋण	के ऋण	दीर्घकालिक ऋण	प्रतिशतता					
<b>ক্</b> ৰতা	36,781.25	35,651.99	10,982.04	0	47,763.29	88.50					
वित्त	322.05	291.38	119.77	0	441.82	0.82					
सेवा	149.32	77	0	0	149.32	0.28					
अवसंरचना	1,827.94	518.25	3,620.2	112.94	5,448.14	10.09					
अन्य	17.74	9.78	150.73	67.94	168.47	0.31					
कुल	39,098.30	36,548.40	14,872.74	180.88	53,971.04	100.00					

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

निवेश का जोर ऊर्जा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर था, जिन्हें 31 मार्च 2023 तक ₹ 53,971.04 करोड़ के कुल निवेश का 88.50 प्रतिशत (₹ 47,763.29 करोड़) प्राप्त हुआ था। ₹ 53,971.04 करोड़ के कुल निवेश में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 68.05 प्रतिशत (₹ 36,729.28 करोड़) थी।

31 मार्च 2023 तक राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों के बकाया दीर्घकालिक ऋणों के विश्लेषण से यह देखा गया था कि एक राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से गोदाम के निर्माण के लिए ₹ 12.84 करोड़ के चार ऋण लिए (मार्च 2013 से मार्च 2014)। ये ऋण अप्रैल 2015/ अप्रैल 2016 से पांच समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाए जाने थे। तथापि, इन ऋणों का भुगतान नहीं किया गया और 31 मार्च 2023 तक अतिदेय राशि ₹ 24.75 करोड़ (मूलधन: ₹ 12.84 करोड़ और ब्याज: ₹ 11.91 करोड़) थी।

## 5.4.2 बजटीय सहायता

हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वितीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2023 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों<sup>7</sup> के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, चुकाए गए/बट्टे खाते में डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋण के लिए बजटीय व्यय का सारांश विवरण तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	2020	)-21	202	1-22	202	22-23	
	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	
(i) जावक इक्विटी पूंजी	6	631.67	4	151.93	9	200.12	
(ii) दिए गए ऋण	5	104.98	5	101.09	4	407.76	
(iii) प्रदान किए गए अनुदान/ सब्सिडी	7	438.52	8	442.54	9	336.05	
कुल जावक (i+ii+iii)		1175.17				943.93	
ऋण चुकौती/बट्टे खाते में डालना	4	254.66	6	245.72	3	297.70	
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
जारी की गई गारंटी	5	3,793.00	6	2,336.85	5	2,650.16	
गारंटी प्रतिबद्धता	8	8,698.72	9	9,148.73	9	11,447.93	

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

# 5.4.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा वितीय निगम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यद्यिप हरियाणा वितीय निगम एक सूचीबद्ध इकाई है परंतु इसने मई 2010 से कोई नया ऋण स्वीकृत नहीं किया है और निगम के शेयरों की अंतिम ट्रेडिंग 13 जुलाई 2011 को ₹ 24.65 के मूल्य पर हुई थी।

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 2022-23 के दौरान निष्क्रिय कंपनियों में कोई निवेश नहीं किया गया/को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई।

# 5.4.4 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश संबंधी कोई नीति तैयार नहीं की है।

# 5.5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न

## 5.5.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

2022-23 के दौरान उपलब्ध अपने नवीनतम वितीय विवरणों में लाभ की सूचना देने वाले राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों की संख्या 2021-22 में 20 राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों की तुलना में घटकर 19 रह गई। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,049.20 करोड़ हो गया। लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 2022-23 में 6.73 प्रतिशत रहा, जबिक 2021-22 में यह 10.32 प्रतिशत था। नवीनतम वितीय विवरणों के अनुसार 2022-23 में सभी 31 कार्यरत राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न 6.45 प्रतिशत था।

अपने नवीनतम उपलब्ध वितीय विवरणों के अनुसार, लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उदयमों का उल्लेख नीचे *तालिका 5.4* में किया गया है।

तालिका 5.4: शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ में योगदान दिया

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कुल लाभ से लाभ की प्रतिशतता
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	396.02	37.74
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	171.03	16.30
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	127.18	12.12
कुल	694.23	66.16

उपर्युक्त तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अकेले 2022-23 के दौरान 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 1,049.20 करोड़) में 66.16 प्रतिशत का योगदान दिया था।

क्षेत्रवार निवल लाभ अनुपात<sup>10</sup> *तालिका 5.5* में दर्शाया गया है।

-

एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर जिसके वार्षिक लेखे 2020-21 के लिए कोई लाभ और हानि नहीं है।

अन्य व्यापक आय/व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों के लाभ के आंकड़े लिए गए हैं।

<sup>10</sup> निवल लाभ अन्पात = निवल लाभ/टर्नओवर \* 100

तालिका 5.5: वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का क्षेत्रवार निवल लाभ अनुपात
(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	निवल लाभ	टर्नओवर	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
<u>কর্</u> जা	731.07	53,726.37	1.36
वित्त	28.92	56.33	51.34
सेवा	11.19	416.64	2.69
अवसंरचना	205.29	2,362.59	8.69
अन्य	21.68	659.86	3.29
कुल	998.15	57,221.79	1.74

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का नवीनतम वित्तीय विवरण।

# 5.5.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान

नौ राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों ने वितीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप दिया और ₹ 750.67 करोड़ का लाभ सूचित किया। राज्य सरकार ने दिशानिर्देश तैयार किए थे (अक्तूबर 2003) जिसके अंतर्गत सभी राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों को राज्य सरकार की भुगतान की गई शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत का रिटर्न देना अपेक्षित है। आगे, वित्त मंत्री, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में यह भी प्रस्ताव रखा कि वर्ष 2022-23 के लिए लाभ में रहने वाले राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम अपने लाभ का 25 प्रतिशत राज्य सरकार को अंतरित करेंगे तािक सरकार अपने विकास लक्ष्य को पूरा कर सके। नौ राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में से सात राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों ने वितीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ दर्ज किया। तथािप, केवल एक राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम (हिरयाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) ने ₹ 25 करोड़ (लाभ का 0.63 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

तीन<sup>11</sup> राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वितीय वर्ष 2021-22 के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान घोषित अपने परिणामों में ₹ 41.38 करोड़ के निवल लाभ के विरूद्ध ₹ 4.84 करोड़<sup>12</sup> का लाभांश घोषित किया। तीन वर्षों में लाभांश भुगतान की स्थिति का विवरण *तालिका 5.6* में दिया गया है:

तालिका 5.6: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	लाभांश घोषित करने वाले राज्य	प्रदत्त	निवल	घोषित
		सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	पूंजी	लाभ	लाभाश
2020-21	सेवा	1	5.00	4.73	0.20
	अन्य	1	5.84	58.68	8.80
	कुल	2	10.84	63.41	9.00
2021-22	अन्य	2	6.04	112.50	16.52
	कुल	2	6.04	112.50	16.52
2022-23	<u>কর্</u> जা	1	3,990.15	396.02	25
	अन्य	3	7.60	41.38	4.84
	कुल	4	3,997.75	437.40	29.84

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उदयमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

11

हिरयाणा वन विकास निगम लिमिटेड, हिरयाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड और हिरयाणा भंडारण निगम।

हिरयाणा वन विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 0.06 करोड़ (30 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया, हिरयाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 0.06 करोड़ (4 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया और हिरियाणा राज्य भंडारण निगम ने ₹ 4.72 करोड़ (80.82 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

# 5.5.3 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है, जिसमें इसकी पूंजी नियोजित है। नियोजित पूंजी पर रिटर्न की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी <sup>13</sup> द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2020-21 से 2022-23 की अविध के दौरान राज्य सार्वजिक क्षेत्र उद्यमों के नियोजित पूंजी पर रिटर्न के विवरण *तालिका 5.7* में दिए गए हैं।

तालिका 5.7: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की नियोजित पूंजी पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	ब्याज और करों से पहले आय	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)
2020-21	<u>কর্</u> जা	2,000.14	19,257.73	10.39
	वित्त	14.54	305.78	4.76
	सेवा	(-) 22.87	228.29	(-)10.02
	अवसंरचना	2,281.50	9,085.49	25.11
	अन्य	184.43	40.62	454.04
	कुल	4,457.74	28,917.91	15.42
2021-22	<u>কর্</u> जা	2,363.60	19,235.75	12.29
	वित्त	40.38	338.70	11.92
	सेवा	21.79	245.51	8.88
	अवसंरचना	1,051.58	8,057.92	13.05
	अन्य	187.51	81.17	231.01
	कुल	3,664.86	27,959.05	13.11
2022-23	<u>ऊ</u> र्जा	3,502.83	21,252.87	16.48
	वित्त	49.52	356.13	13.91
	सेवा	6.50	264.00	2.46
	अवसंरचना	1,073.92	9,824.22	10.93
	अन्य	59.42	25.96	228.89
	कुल	4,692.19	31,723.18	14.79

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नवीनतम वितीय विवरण।

सेवा क्षेत्र की नियोजित पूंजी पर रिटर्न को छोड़कर, जो वर्ष 2020-21 के दौरान ऋणात्मक था, समग्र नियोजित पूंजी पर रिटर्न 2020-21 से 2022-23 के दौरान धनात्मक था। इसके अलावा, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में सेवा क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की नियोजित पूंजी पर रिटर्न में कमी आई।

## 5.5.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उदयमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न वितीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि लाभ अर्जित करने के लिए किसी कंपनी की संपत्ति का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इक्विटी पर रिटर्न की गणना निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को शेयर धारक निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या हैं तो इसकी गणना किसी भी कंपनी के लिए की जा सकती है।

नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिजर्व एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

141

लाभ अर्जित करने वाले 19 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 2022-23 में 6.73 प्रतिशत रहा। घाटे में चल रहे 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सिहत सभी 31 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में 2022-23 में इक्विटी पर रिटर्न 6.45 प्रतिशत था।

शेयरधारकों की निधि या निवल मूल्य की गणना संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय घटाकर प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय को जोड़कर की जाती है और यह इंगित करता है कि यदि सभी पिरसंपितयों को बेच दिया जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए क्या कुछ बचेगा। धनात्मक निवल मूल्य (शेयरधारकों की निधि) बताता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पिरसंपित है जबिक ऋणात्मक निवल मूल्य का अर्थ है कि देयताएं पिरसंपित से अधिक हैं।

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे *तालिका 5.8* में दिया गया है।

तालिका 5.8: राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	निवल आय	शेयरधारकों की निधि	इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)
2020-21	<b>ক্ত</b> ৰ্जা	279.18	8,987.57	3.11
	वित्त	11.69	233.04	5.02
	सेवा	(-)35.13	228.29	
	अवसंरचना	919.68	3,057.17	30.08
	अन्य	97.76	(-)28.25	
	कुल	1,273.18	12,477.82	10.20
2021-22	<u>কর্</u> जা	(-)163.45	9,485.49	
	वित्त	34	263.78	12.89
	सेवा	32.89	245.51	13.40
	अवसंरचना	177.90	3,411.72	5.21
	अन्य	107.76	3.23	3,336.22
	कुल	189.10	13,409.73	1.41
2022-23	<u>ऊ</u> र्जा	731.07	10,270.83	7.12
	वित्त	28.92	271.40	10.66
	सेवा	11.19	264.00	4.24
	अवसंरचना	205.29	4,749.65	4.32
	अन्य	21.68	(-)85.92	
	कुल	998.15	15,469.96	6.45

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वित्तीय विवरण।

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का समग्र इिक्वटी पर रिटर्न बिजली क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ के कारण था, तथापि वित्त क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निवल आय में कमी के परिणामस्वरूप 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान उक्त क्षेत्रों के इिक्वटी पर रिटर्न में कमी आई।

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> इसमें न लाभ न हानि आधार पर कार्य करने वाला एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शामिल है: फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

# 5.6 ऋण सर्विसिंग

## 5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अविध के ब्याज व्ययों द्वारा कंपनी की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उधार पर ब्याज का भुगतान करने में कंपनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण, जिसमें ब्याज का भार था, नीचे दी गई तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात (₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	ब्याज	ब्याज और कर से पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.)	सरकार और अन्य वितीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2020-21	<b>ক্</b> ৰ্जা	1,222.34	2,000.14	4	4	-
	वित्त	2.80	14.54	2	2	-
	सेवा	1.49	(-)22.87	2	1	1
	अवसंरचना	914.63	2,281.50	3	2	1
	अन्य	103.97	184.43	3	2	1
	कुल	2,245.23	4,457.74	14	11	3
2021-22	<u>কর্</u> जা	1,164.26	2,363.60	4	4	-
	वित्त	2.75	40.38	2	2	-
	सेवा	1.34	(-)1.44	2	0	2
	अवसंरचना	838.53	1,051.58	3	1	2
	अन्य	40.80	187.51	3	2	1
	कुल	2,047.68	3,576.55	14	9	5
2022-23	<b>ক</b> র্जা	1,335.83	3,502.83	4	4	-
	वित	15.88	23.81	3	3	-
	सेवा	1.34	17.38	2	1	1
	अवसंरचना	841.86	1,038.06	4	2	2
	अन्य	31.39	46.35	3	2	1
	कुल	2,226.30	4,628.43	16	12	4

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वितीय विवरण।

यह देखा गया था कि 2022-23 के दौरान बिजली और वित्त क्षेत्रों से संबंधित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। तथापि, सेवा, अवसंरचना और अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मामले में, केवल पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था और शेष चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रहे थे।

## 5.7 हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उदयम

## 5.7.1 उठाई गई हानियां

वर्ष 2022-23 के दौरान अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार 11<sup>15</sup> राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने घाटे की सूचना दी। पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे की रिपोर्ट करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की स्थिति नीचे *तालिका 5.10* में दी गई है।

तालिका 5.10: 2020-21 से 2022-23 के दौरान हानि वहन करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	हानि वहन करने वाले राज्य	वर्ष के लिए	संचित	निवल	प्रदत्त
		सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	निवल हानि	लाभ/हानि	मूल्य <sup>16</sup>	पूंजी
2020-21	<b>ऊ</b> र्जा	2	357.50	547.54	7,725.98	7,178.44
	वित्त	1	1.85	(-)109.34	98.32	207.66
	सेवा	4	63.51	(-)51.38	36.39	87.77
	अवसंरचना	3	2.82	(-)4.07	21.13	25.20
	अन्य	1	0.03	(-)0.04	0.96	1.00
	कुल	11	425.71	382.71	7,882.78	7,500.07
2021-22	<b>ऊ</b> र्जा	2	426.49	(-)159.14	7,019.3	7,178.44
	वित्त	-	-	-	-	-
	सेवा	2	9.04	(-)4.11	36.76	40.87
	अवसंरचना	3	10.41	(-)11.88	241.36	253.24
	अन्य	2	13.71	(-)182.61	(-)177.47	5.14
	कुल	9	459.65	(-)357.74	7,119.95	7,477.69
2022-23	<b>ऊ</b> र्जा	-	-	-	-	-
	वित्त	1	0.01	(-)0.14	16.47	16.61
	सेवा	6	21.43	(-)69.56	35.60	105.16
	अवसंरचना	2	5.93	(-)13.69	43.22	56.91
	अन्य	2	23.68	(-)210.31	(-)205.17	5.14
	क्ल	11	51.05	(-)293.70	(-)109.88	183.82

स्रोतः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वितीय विवरण।

2022-23 के दौरान अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 51.05 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 23.68 करोड़<sup>17</sup> (46.39 प्रतिशत)

<sup>(</sup>i) हरियाणा महिला विकास निगम (ii) हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, (iii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (iv) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉपीरेशन लिमिटेड (v) हरियाणा टूरिज्म कॉपीरेशन लिमिटेड (vi) ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड (vii) ) हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉपीरेशन लिमिटेड (viii) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉपीरेशन लिमिटेड (ix) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉपीरेशन लिमिटेड (x) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉपीरेशन लिमिटेड और (xi) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड।

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी और फ्री रिजर्व और अधिशेष के योग में से संचित हानि और आस्थिगित राजस्व व्यय को घटाकर प्राप्त कुल राशि। फ्री रिजर्व का अर्थ है लाभ से बनाए गए सभी रिजर्व लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यहास प्रावधान को वापस डालने से बनाए गए रिजर्व शामिल नहीं हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

और ₹ 21.43 करोड़<sup>18</sup> (41.98 प्रतिशत) की हानि क्रमशः अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित थी।

यह भी अवलोकित किया गया कि 2021-22 में घाटे में रहने वाले नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन<sup>19</sup> ने 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित किया, जबिक 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार<sup>20</sup> को 2022-23 के दौरान घाटा हुआ, किंतु 2021-22 के दौरान लाभ अर्जित किया था। एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हिरियाणा लिमिटेड) ने 2022-23 के दौरान अपने प्रथम लेखे में घाटा उठाया।

# 5.7.2 राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2023 तक, 15 राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 27,876.14 करोड़ थीं (*परिशिष्ट 5.3*)। इनमें से 10<sup>21</sup> राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार ₹ 51.05 करोड़ की हानि उठाई।

पांच<sup>22</sup> राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार हानि नहीं उठाई थी, यद्यपि उनकी संचित हानि ₹ 27,577.44 करोड़ थी। इन पांच में से विद्युत क्षेत्र के तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) की ₹ 27,489.43 करोड़ की संचित हानियां थी।

31 राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में से चार राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों का निवल मूल्य उनकी संचित हानि से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 31 मार्च 2023 को ₹ 61.94 करोड़ के इिक्विटी निवेश के विरूद्ध यह (-) ₹ 214.81 करोड़ था (तानिका 5.11)। पिछले एक से 9 वर्षों की अविध के लिए निवल मूल्य ऋणात्मक रहा था।

हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, हिरयाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, होन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिवेंसेज ऑफ हिरयाणा लिमिटेड।

<sup>(</sup>i) हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (iii) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> (i) हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (ii) हार्ट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड (iii) गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और (iv) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड।

<sup>21 (</sup>i) हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (ii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (iii) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉपॉरेशन (iv) हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड (v) ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज (vi) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉपॉरेशन (vii) हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉपॉरेशन लिमिटेड (viii) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉपॉरेशन लिमिटेड (ix) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉपॉरेशन लिमिटेड और (x) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड।

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> (i) हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2022-23) (ii) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2022-23) (iii) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2022-23) (iv) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2022-23) और (v) हरियाणा वितीय निगम (सांविधिक निगम) (2021-22)।

तालिका 5.11: उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का विवरण जिनकी निवल संपत्ति उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार कम हो गई है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखों का नवीनतम वर्ष	प्रदत्त पूंजी	कुल राजस्व	कुल टयय	ब्याज, कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (-)	संचित हानि	निवल मूल्य	अवधि जब से निवल मूल्य ऋणात्मक बना हुआ है	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार के ऋण
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड <sup>23</sup>	2021-22	4.14	111.22	132.94	(-) 22.99	(-) 208.53	(-) 204.39	2013-14	2.54	0
2	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड <sup>24</sup>	2021-22	50	120.34	123.40	(-) 2.64	(-) 57.47	(-) 7.47	2019-20	0	0
3	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉपॅरिशन <sup>25</sup>	2021-22	6.8	13.52	21.19	(-) 5.82	(-) 8.97	(-) 2.17	2021-22	6.85	0
4	हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड <sup>26</sup>	2022-23	1.00	0.44	1.12	(-) 0.69	(-) 1.78	(-) 0.78	2021-22	0	0
	कुल		61.94	245.52	278.65	(-) 32.14	(-) 276.75	(-) 214.81		9.39	0

स्रोत: कॉलम 3 से 9 के संबंध में जानकारी नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार और कॉलम 10 एवं 11 के संबंध में संबंधित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त जानकारी।

# 5.8 निवेश के वर्तमान मुल्य के आधार पर रिटर्न

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना 27<sup>27</sup> राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जहां राज्य सरकार ने इक्विटी/ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी में निवेश किया है, के संबंध में की गई है तािक निवेश के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/हािन की दर का निर्धारण किया जा सके। 31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत तक इन निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर वर्ष-वार प्रभारित औसत ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत माना गया है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपने परिचालन से ₹ 6.62 करोड़ (कार्यचालन पूंजी परिवर्तन से पहले नकद लाभ) का धनात्मक नकदी प्रवाह सृजित किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपने परिचालन से ₹ 6.77 करोड़ (कार्यचालन पूंजी परिवर्तन से पहले नकद लाभ) का धनात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> कंपनी के परिचालन से ₹ 6.42 करोड़ (कार्यचालन पूंजी परिवर्तन से पहले नकद हानि) का ऋणात्मक नकदी प्रवाह है, जिसे मुख्य रूप से अन्य मौजूदा देयताओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान इसमें ₹ 7 करोड़ की वृद्धि हुई है।

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> कंपनी ने अभी तक अपना परिचालन श्रू नहीं किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> इनमें एक निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा राज्य लघु सिंचाई और नलकूप निगम लिमिटेड और एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड जो वर्ष के दौरान 30 सितंबर 2022 को भंग हो गया, शामिल हैं।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी के रूप में दिए गए वास्तिवक निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए अनुदान/सिब्सिडी (पिरचालन और प्रशासिनक खर्चों के लिए) को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वितीय वर्ष के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गई लागत को दर्शाते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के उद्देश्य से 1999-2000 से 2022-23 तक की अविध को राज्य सरकार के 31 मार्च 2000 के निवेश को 2000-01 के लिए राज्य सरकार का वर्तमान मूल्य पर निवेश माना गया है।

राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी/ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश के विवरण राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के ऐसे निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति के साथ तालिका 5.12 में इंगित किए गए हैं:

तालिका 5.12: 1999-2000 से 2022-23 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक प्रतिफल)
(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य		वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7=2+6	8	9=(7x8/100)+7	10=7x8/100	11	12=11/9*100
1999-2000		612.33*	-	49.95	662.28	662.28	12.05	742.09	79.80	(-) 436.59	-
2000-01	742.09	310.48	-	73.50	383.98	1,126.07	11.40	1,254.44	128.37	(-) 221.85	-
2001-02	1,254.44	59.75	-	98.18	157.93	1,412.37	10.50	1,560.66	148.30	(-) 174.72	-
2002-03	1,560.66	125.40	-	77.49	202.89	1,763.55	10.74	1,952.96	189.41	36.70	1.88
2003-04	1,952.96	123.78	-	80.43	204.21	2,157.17	10.20	2,377.20	220.03	236.76	9.96
2004-05	2,377.20	165.41	-	22.23	187.64	2,564.84	8.49	2,782.60	217.75	(-) 368.24	-
2005-06	2,782.60	417.07	-	31.59	448.66	3,231.26	8.95	3,520.46	289.20	(-) 327.89	-
2006-07	3,520.46	789.96	-	25.90	815.86	4,336.32	9.20	4,735.26	398.94	(-) 442.18	-
2007-08	4,735.26	1,002.23	-	83.03	1,085.26	5,820.52	7.43	6,252.97	432.46	(-) 730.53	-
2008-09	6,252.97	951.64	-	67.39	1,019.03	7,272.00	7.82	7,840.68	568.67	(-) 1,070.16	-
2009-10	7,840.68	903.80	-	41.96	945.76	8,786.44	9.29	9,602.70	816.26	(-) 1,406.59	-
2010-11	9,602.70	888.59	-	98.80	987.39	10,590.09	9.22	11,566.50	976.41	(-) 453.63	-
2011-12	11,566.50	594.63	-	167.40	762.03	12,328.53	9.73	13,528.09	1,199.57	(-) 10,096.15	-
2012-13	13,528.09	176.64	-	61.71	238.35	13,766.44	9.86	15,123.81	1,357.37	(-) 3710.51	-
2013-14	15,123.81	102.93	-	94.88	197.81	15,321.62	9.83	16,827.74	1,506.12	(-) 3,943.54	-
2014-15	16,827.74	75.76	-	153.74	229.50	17,057.24	9.33	18,648.69	1,591.44	(-) 2,648.04	-

वितीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	_	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7=2+6	8	9=(7x8/100)+7	10=7x8/100	11	12=11/9*100
2015-16	18,648.69	1,638.52	-	4,076.41	5,714.93	24,363.62	8.64	26,468.64	2,105.02	(-) 1,779.65	-
2016-17	26,468.64	1,931.09	-	4,199.98	6,131.07	32,599.71	8.00	35,207.68	2,607.98	63.68	0.18
2017-18	35,207.68	5462.30	-	176.82	5,639.12	40,846.80	8.10	44,155.39	3,308.59	910.95	2.06
2018-19	36,370.39**	13,327.92	-	350.46	13,678.38	50,048.77	8.81	54,458.07	4,409.30	960.37	1.76
2019-20	54,458.07	5,838.78	-	11.15	5,849.93	60,308.00	8.31	65,319.59	5,011.59	968.29	1.48
2020-21	65,319.59	631.67	-	104.78	736.45	66,056.04	6.50	70,349.68	4,293.64	1,273.18	1.81
2021-22	70,349.68	151.93	-	50.31	202.24	70,551.92	7.05	75,525.83	4,973.91	165.39	0.22
2022-23	75,525.83	200.12	-	230.15	430.27	75,956.10	6.72	81,060.35	5,104.25	995.82	1.23
कुल		35,870.40	-	2,643.24#	39,125.97#						

<sup>\* ₹ 844.23</sup> करोड़ की निवेशित इक्विटी में से ऊर्जा क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अंतरित ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानियों को घटाया गया है। कॉलम संख्या 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना को संबंधित वर्षों की मृद्रित लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संकलित किया गया है।

इन राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹ 612.33 करोड़ (निवेश की गई इक्विटी ₹ 844.23 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक अविशष्ट संचित हानि) से बढ़कर वर्ष 2022-23 के अंत में ₹ 39,125.97 करोड़ हो गया क्योंकि इस अविध के दौरान सरकार ने इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 38,513.64 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 81,060.35 करोड़ परिकिलत किया गया।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2015-16 के लिए कुल आय ऋणात्मक थी जो इंगित करता है कि राज्य सरकार अपनी निधियों की लागत की वसूली नहीं कर सकी। तथापि 2002-03, 2003-04 के दौरान और 2016-17 से 2022-23 के दौरान कुल धनात्मक अर्जन थे, लेकिन वे न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थे। पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न 0.22 और 1.81 प्रतिशत के मध्य रहा, जो मुख्य रूप से बिजली वितरण कंपनियों में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत निधियों के निवेश के कारण था।

## 5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और (7) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने या अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। विधि शासित कुछ निगमों में यह प्रावधान है कि उनके लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए और प्रतिवेदन विधायिका को सौंपा जाए।

<sup>\*\*</sup> प्रारंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय योजना (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के कारण था जिसे 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था क्योंकि संबंधित वर्षों के अनुदान में इसका प्रभाव पहले ही पड़ चुका था।

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup> कुल अनुदान में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ₹ 7,785 करोड़ शामिल नहीं है।

### 5.10 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि वितीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अविध के भीतर सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए।

वर्ष 2022-23 के लिए उपर्युक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक दवारा सितंबर 2023 तक की गई थी।

#### 5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्त्तीकरण

#### 5.11.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन माह के भीतर तैयार की जानी चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट तैयार होने के तुरंत बाद इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले लगभग समान प्रावधान संबंधित अधिनियम में अधिनियमित है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करना अपेक्षित है तथा एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वितीय वर्ष की लेखापरीक्षित वितीय विवरणी को उक्त वार्षिक आम बैठक में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक लेखे सितंबर 2023 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद में बताया गया है।

#### 5.11.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। इन 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, वर्ष 2022-23 के लिए 34 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हिरयाणा स्टेट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो पिरसमापन के अधीन है, को छोड़कर दो निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सिहत) के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने 30 सितंबर 2023 तक नियंत्रकमहालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु अपने वर्ष 2022-23 के लेखे प्रस्तुत किए थे। 25 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कम से कम 60 लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे, जैसा कि पिरिशिष्ट 5.4 में विवरण दिया गया है। इनमें तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के तीन लेखे शामिल थे जिनका निवल मूल्य पूरी तरह से घट गया था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे *तालिका 5.13* में दिया गया है।

तालिका 5.13: सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

3						
	विवरण					
		क्षेत्र उद्यम	संख्या			
31 मार्च 2023 तक नियं	त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत	35	-			
कुल कंपनियों की संख्या						
<i>घटा:</i> परिसमापन के अंत	र्गित कंपनियां जिनके 2022-23 के लेखे देय नहीं थे	1				
<i>घटा:</i> नई कंपनियां जिन	से 2022-23 के लिए लेखे देय नहीं थे	-				
कंपनियों की संख्या जिन	नके 2022-23 के लेखे देय थे	34	34			
कंपनियों की संख्या जि	न्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए	9	9			
30 सितंबर 2023 तक	अपने लेखे प्रस्तुत किए					
बकाया लेखों वाली कंपवि	नेयों की संख्या	25	60			
बकायों का ब्रेक-अप	(i) निष्क्रिय	2	5			
	(ii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	3	12			
	(iii) अन्य	20	43			
'अन्य श्रेणी' के विरुद्ध	एक वर्ष	8	8			
बकायों का आयु-वार	दो वर्ष	5	10			
विश्लेषण	तीन वर्ष या अधिक	7	25			

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा के कार्यालय में प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित)

#### 5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

दो सांविधिक निगमों<sup>28</sup> की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जा रही है और अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। दोनों सांविधिक निगमों में से किसी ने भी सितंबर 2023 से पहले लेखापरीक्षा के लिए अपने वर्ष 2022-23 के लेखे प्रस्तुत नहीं किए। सितंबर 2023 तक, इन दोनों सांविधिक निगमों के दो लेखे (अर्थात वर्ष 2022-23 के) लंबित थै।

हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

#### 5.12 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

#### 5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

कंपनियों से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में अपनी वितीय विवरणियों को तैयार करने और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति, जिसे राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण<sup>29</sup> नाम दिया गया है, के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से अपने लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से तैयार किए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने अपेक्षित हैं।

#### 5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का सही एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है। इस कार्य का निर्वहन निम्न अधिकारों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी करना।

#### 5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की अन्पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वितीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वितीय विवरणियों को तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान की मानक लेखापरीक्षा प्रचलन और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वितीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के

-

<sup>01</sup> अक्तूबर 2018 से प्रभावी।

लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्त्त करना अपेक्षित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

#### 5.13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

#### 5.13.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखों की लेखापरीक्षा

अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान 24 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से वर्ष 2022-23 और पूर्ववर्ती वर्षों के 26 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। इन 26 वित्तीय विवरणों में से 18 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई जबिक आठ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं:

#### 5.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के अनुपूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने छ: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की छ: वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 55.71 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 4,254.96 करोड़ था, का विवरण तालिका 5.14 और तालिका 5.15 में दिया गया है।

तालिका 5.14 सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	वर्ष 2022-23	कंपनी ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक ₹ 293.80 करोड़ की राशि के
	के लिए हरियाणा	71 कार्यों का पूंजीकरण किया, जो दिसंबर 2016 से फरवरी 2023 तक चालू
	विद्युत प्रसारण	किए गए थे। इन परिसंपत्तियों के मूल्यहास की गणना संबंधित परियोजनाओं के
	निगम लिमिटेड	चालू होने की तारीख के बजाय अंतरण की तारीख अर्थात अप्रैल 2022 से मार्च
		2023 तक की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने इन संपत्तियों पर
		₹ 44.33 करोड़ का कम मूल्यह्रास दर्ज किया।
		इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान मूल्यहास और परिशोधन व्यय को
		कम बताया गया और लाभ को ₹ 44.33 करोड़ तक अधिक बताया गया है।
2	दक्षिण हरियाणा	कंपनी ने मई और जून 2023 में क्रमशः ईंधन मूल्य समायोजन बिल के संबंध में
	बिजली वितरण	हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 11.28 करोड़ और बिजली खरीद
	निगम लिमिटेड	लागत के संबंध में जेपी पावर लिमिटेड को ₹ 0.10 करोड़ का भुगतान किया। ये
		बिल वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं और वर्ष 2022-23 में ₹ 11.38 करोड़ के भुगतान
		की देयता प्रदान की जानी चाहिए थी। तथापि, कंपनी ने 2022-23 के दौरान इन
		बिलों के विरूद्ध कोई देयता दर्ज नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप अन्य मौजूदा
		देयताओं को ₹ 11.38 करोड़ तक कम बताया गया और उसी सीमा तक लाभ को
		अधिक बताया गया।

तालिका 5.15: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	हरियाणा विद्युत	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि ₹ 2.08 करोड़ की वसूली पार्टी के चालू बिलों से
	प्रसारण निगम	की गई (अप्रैल 2017) लेकिन इस संबंध में कोई समायोजन प्रविष्टि पारित नहीं
	लिमिटेड	की गई थी। इसके परिणामस्वरूप "अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों" को अधिक
		बताया गया और "प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य" को ₹ 2.08 करोड़ तक
		कम बताया गया।
2	हरियाणा पावर	'गैर वित्तपोषित देयता' के कारण कम प्रावधान के कारण ₹ 781.14 करोड़ की
	जेनरेशन	प्रावधान राशि को ₹ 143.24 करोड़ तक कम बताया गया था। बीमांकिक
	कॉर्पोरेशन	मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ₹ 299.26 करोड़ की देयतारी के विरुद्ध
	लिमिटेड	₹ 156.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य
		इक्विटी' को ₹ 143.24 करोड़ तक अधिक बताया गया और उस सीमा तक
		'प्रावधानों' को कम बताया गया।
3	उत्तर हरियाणा	1. भारतीय लेखांकन मानक-19 के पैरा 63 में अपेक्षित है कि प्रतिष्ठान
	बिजली वितरण	तुलन-पत्र में निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) को मान्यता देगा।
	निगम लिमिटेड	बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 को वित्त पोषित लाभों
		और गैर-वित्त पोषित लाभों के लिए निवल परिभाषित लाभ देयता क्रमशः
		₹ 4,742.03 करोड़ और ₹ 393.86 करोड़ बनी। तथापि, कंपनी ने वार्षिक लेखों
		में वित्त पोषित लाभों के प्रति ₹ 1,040.08 करोड़ की देयता/प्रावधान प्रदान किया
		है और गैर-वित्त पोषित लाभों के प्रति कुछ भी प्रदान नहीं किया है।
		परिणामस्वरूप, कर्मचारियों के लाभों के लिए देयता/प्रावधान को ₹ 4,095.81
		करोड़ तक कम बताया गया और अन्य इक्विटी को उसी सीमा तक अधिक
		बताया गया।
		2. अन्य वितीय देयताओं में साविध ऋण (मार्च 2023) प्राप्त करने के लिए
		राज्य सरकार को देय गारंटी शुल्क (₹ 6.00 करोड़) और 2022-23 की अवधि
		से संबंधित बिजली उत्पादन कंपनियों को देय बिजली/ईंधन मूल्य समायोजन की
		लागत (₹ 7.83 करोड़) के कारण ₹ 13.83 करोड़ शामिल नहीं हैं जिसके
		परिणामस्वरूप उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।

#### 5.14 प्रबंधन पत्र

वितीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक और कॉपरिट इकाई के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वालों के मध्य वितीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से मृजित होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वितीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वितीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पाई गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गईं थीं। अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान, 15 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों को प्रबंधन-पत्र जारी किए गए थे। प्रबंधन पत्रों में लेखांकन नीतियों/प्रचलनों के अनुप्रयोग/व्याख्या और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के अपर्याप्त प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण से संबंधित कमियों को इंगित किया गया था।

#### 5.15 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दो सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां, तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) थै।

- 2021-22 में 20 राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों के विरूद्ध 2022-23 में 19 राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों ने अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ दर्ज किया। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,049.20 करोड़ हो गया।
- 31 मार्च 2023 तक 34 सरकारी कंपनियों के वर्ष 2022-23 के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2022-23 के अपने लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2023 तक प्रस्तुत किए। 25 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के लेखे एक से छ: वर्ष तक की अविध के बकाया थे।

#### 5.16 सिफारिशें

राज्य सरकार को चाहिए:

1. निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में पिरसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में शीघ्र निर्णय ले क्योंकि वे न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी।

- 2. उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में घाटे के कारणों का विश्लेषण करे जिनकी निवल संपत्ति कम हो गई है और उनके संचालन को कुशल एवं लाभदायक बनाने के लिए कदम उठाए।
- 3. बकाया लेखे वाले राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों से उनके वितीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे क्योंकि उनके वितीय विवरणों को अंतिम रूप देने के अभाव में ऐसे राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।

चंडीगढ

दिनांक: 15 मई 2024

श्रीलेन्द्र विक्रम सिंह

(शैलेन्द्र विक्रम सिंह) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 06 जून 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

#### राज्य प्रोफाइल

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

क.	सामान्य डाटा								
क्र.सं.			विव	रण				आंक	इं
1	क्षेत्र							44,212	वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या <sup>1</sup>							;	3.02 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व (अखिल भा	- <del>1</del> 1 - 2 - 4	22.20 <del>= 11</del> =	- n	<del>}</del> /			683.	28 व्यक्ति
	,				11.)			प्रति ।	वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा <sup>2</sup> से नीचे जनसंख्	या (अखिल भार	तीय औसत=	21.92 प्रतिशत)				11.1	16 प्रतिशत
5	साक्षरता <sup>3</sup> (2011) (अखिल भ							75.6	60 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु-दर⁴ (प्रति 1000				ते 1000 सः	नीव जन्म)			28
7	जन्म <sup>5</sup> पर जीवन प्रत्याशा (3	खिल भारतीय	औसत=70.0	वर्ष)					69.9 वर्ष
8	वर्तमान मूल्यों पर सकल राउ		, ,	2022-23 <sup>6</sup>				₹ 9,94,	,154 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की र	ी.ए.जी.आर. <sup>7</sup>	हरियाणा						9.12
10	(2013-14 से 2022-23)		सामान्य र	ाज्य					9.38
11	स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर.		हरियाणा						10.67
12	(2013-14 से 2022-23)		सामान्य र	ाज्य					10.57
13	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि	ा (2013 से 20	23)						15.33
14	अखिल भारतीय जनसंख्या <sup>8</sup> व	वृद्धि (2013 से	1 2023)						11.68
ख	वित्तीय आंकड़े								
	विवरण				आंकड़े (प्रवि	तेशत में)			
		2013-14 से	2016-17	2017-18 से	2020-21	2020-21 से	2021-22	2021-22 से	2022-23
		पूर्वोत्तर और	हरियाणा	पूर्वोत्तर और	हरियाणा	पूर्वोत्तर और	हरियाणा	पूर्वोत्तर और	हरियाणा
	<u>सी.ए.जी.आर.</u>	हिमालयी		हिमालयी		हिमालयी		हिमालयी	
	<u>XII.X.OII.JIIX.</u>	राज्यों के		राज्यों के		राज्यों के		राज्यों के	
		अलावा		अलावा अन्य		अलावा		अलावा	
_		अन्य राज्य		राज्य		अन्य राज्य		अन्य राज्य	
क	राजस्व प्राप्तियों का	14.30	11.35	3.41	2.52	25.59	15.59	13.41	14.22
ख	स्वयं के कर राजस्व का	8.51	9.99	3.52	0.66	25.62	27.35	19.78	17.96
ग	कर-भिन्न राजस्व का	8.62	7.58	(-)1.04	(-) 8.58	44.81	6.22	12.94	18.24
घ	कुल व्यय का	17.18	19.61	7.17	3.41	14.00	13.22	12.53	9.14
ਭ	पूंजीगत व्यय का	28.89	20.35	1.13	(-)24.29	25.62	88.18	18.93	5.60
च	राजस्व व्यय का	14.85	17.44	8.21	7.07	12.29	9.43	11.45	8.11
छ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	12.20	14.45	6.72	5.98	11.47	9.86	13.21	17.05
<b>ज</b>	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.84	18.01	12.25	18.22	19.71	18.13	0.88	4.93
	का	10.01							
<del>ः</del> झ		11.04	13.58	7.63	6.63	11.82	7.26	8.52	8.97

<sup>4</sup> एस.आर.एस. बुलेटिन (2020)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या अनुमान।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जनगणना 2011

<sup>5</sup> एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016-20

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या अनुमान।

# (संदर्भः अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 9)

#### 31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 को		देयताएं		31 मार्च 2023 को
2,26,208.23		आंतरिक ऋण		2,52,780.77
	1,85,357.53	ब्याज युक्त बाजार ऋण	2,19,185.53	
	0.02	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.02	
	33,489.81	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	27,238.74	
	7,360.87	केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघ् बचत निधि को	6,356.48	
		जारी विशेष प्रतिभूतियां		
13,234.58		केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम		14,290.07
		1984-85 से पूर्व के ऋण		
	7.57	योजनेत्तर ऋण	5.99	
	844.71	राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण	631.48	
	12,382.30	विधाई स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	13,652.60	
1,000.00		आकस्मिक निधि		1,000
18394.45		लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि		18,663.82
11,724.95		जमा		12,110.24
8,848.92		आरक्षित निधियां		10,258.96
241.40		उचंत तथा विविध शेष		425.44
314.60		प्रेषण शेष		352.16
2,79,967.13				3,09,881.46
31 मार्च 2022 को		परिसंपत्तियां		31 मार्च 2023 को
1,29,013.56		स्थायी परिसंपतियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		1,40,604.60
	37,865.68	कंपनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश	38,020.05	
	91,147.88	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,02,584.55	
8,350.07		ऋण एवं अग्रिम		10,574.39
	949.24	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	832.24	
	7,273.14	अन्य विकास ऋण	9,607.11	
	127.69	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	135.04	
0.74		अग्रिम		0.74
शून्य		उचन्त एवं विविध शेष		शून्य
		प्रेषण शेष		
4,946.11		नकद		3,833.55
	0.54		0.54	
	(-) 371.24		(-) 716.63	
	4.41	विभागीय नकद शेष	3.91	
	0.12	स्थायी अग्रिम	0.11	
	2,597.52	नकद शेष निवेश	1,310.12	
	2,714.76	आरक्षित निधि निवेश	3,235.50	
1,37,656.65		सरकारी लेखों पर घाटा		1,54,868.18
	20,333.34	(i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	17,211.52	
	1,17,323.30	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	1,37,656.64	
	0.01	राउंडिंग के कारण अंतर (वित्त लेखों के अनुसार)	0.02	
2,79,967.13		कुल		3,09,881.46

स्रोत: वित्त लेखे

# (संदर्भः अनुच्छेद २.२; पृष्ठ 18)

# वर्ष 2022-23 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

	प्राप्ति	तयां					
	2021-22		2022-23		2021-22		2022-23
भाग कः राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	78,091.69		89,194.69	I. राजस्व व्यय	98,425.03		1,06,406.21
कर राजस्व	53,377.16	62,960.80		सामान्य सेवाएं	37,947.91		42,068.66
गैर-कर राजस्व	7,394.13	8,742.63		सामाजिक सेवाएं	40,927.67		43,680.38
संघीय करों में राज्यांश	9,722.16	10,378.00		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	15,412.42	18,039.49	
नॉन प्लान अन्दान	-			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,001.83	6,298.28	
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	-			जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	6,780.06	6,271.46	
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	-			सूचना एवं प्रसारण	213.13	243.84	
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	3,332.31	2,919.81		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	396.06	557.75	
वित्त आयोग अनुदान	1,192.05	1,617.56		श्रम एवं श्रम कल्याण	1,328.37	1,183.21	
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	3,073.88	2,575.89		समाज कल्याण एवं पोषण	10,785.09	11,072.00	
5				अन्य	10.71	14.35	
				आर्थिक सेवाएं	19,549.45		20,657.17
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	4,790.92	4,806.89	
				ग्रामीण विकास	1,985.44	2,459.35	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,044.79	2,425.34	
				<b>ऊ</b> र्जा	7,130.30	7,072.20	
				उद्योग एवं खनिज	457.21	689.67	
				परिवहन	2,935.81	3,072.12	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	20.35	30.10	
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	184.63	101.50	
				सहायता अनुदान तथा अंशदान			
II. भाग ख को अग्रनीत	20,333.34			II. भाग ख को अग्रनीत			
राजस्व घाटा				राजस्व आधिक्य			
योग भाग क	98,425.03		1,06,406.21		98,425.03		1,06,406.21
भाग ख- अन्य							
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित	3,147.94		4,946.11	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट			
आरम्भिक नकद शेष IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	67.15		73.91	IV. पूंजीगत परिव्यय	11,045.56		11,664.95
त्राान्सवा				सामान्य सेवाएं	562.07		552.80
				सामाजिक सेवाएं	5,471.24	000.0-	3,755.82
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	578.60	389.03	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	895.70	1,381.89	
				जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	3,811.77	1,848.20	
				सूचना एवं प्रसारण	78.05	22.22	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	0.45	
				समाज कल्याण एवं पोषण	62.02	81.33	
				अन्य	45.10	32.70	

	प्राप्ति	तयां						
	2021-22		2022-23		2021-22			
				आर्थिक सेवाएं	5,012.25		7,356.33	
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	(-) 22.92	(-) 88.51		
				ग्रामीण विकास	100.04	407.27		
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,807.54	2,171.19		
				<u>जर्जा</u>	0.06	8.00		
				उद्योग एवं खनिज	22.68	157.72		
				परिवहन	2,823.86	4,391.39		
				विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	10.35	0.00		
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	270.64	309.27		
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वस्लियां	500.24		237.75	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	966.27		2,462.07	
बिजली परियोजनाओं से	240.43	119.83		बिजली परियोजनाओं हेतु	10.30	2.83		
सरकारी कर्मचारियों से	183.23	76.93		सरकारी कर्मचारियों को	98.48	84.28		
अन्य से	76.58	40.99		अन्यों को	857.49	2,374.96		
VI राजस्व आधिक्य भाग	-			VI. राजस्व घाटा भाग क से	20,333.34		17,211.52	
क से अग्रनीत				अग्रनीत				
VII. लोक ऋण प्राप्तियां बाह्य ऋण	55,105.60		80,649.29	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान बाह्य ऋण	25,472.95		53,021.28	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	44,792.38	58,244.75		आन्तरिक ऋण अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त	22,542.35	31,672.22		
अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	2,775.83	21,134.24		अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत लेनदेन	2,775.83	21,134.24		
केन्द्रीय सरकार से ऋण	7537.39	1,270.30		कंद्रीय सरकार के ऋणों एवं	154.77	214.82		
एवं अग्रिम	7557.55	1,270.30		अग्रिमों का पुनभुर्गतान	104.77	214.02		
VIII. आकस्मिक निधि				VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन				
का विनियोजन IX. आकस्मिक निधि से	900			ावानयाजन IX. आकस्मिक निधि से व्यय	900	0	0	
अंतरित राशि	900	0		ार. आकास्मक ानाध स व्यय	900	0	U	
X. लोक लेखा प्राप्तियां	55,670.95		70.111.14	X. लोक लेखा संवितरण	51,727.64		67,824.81	
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	3,569.29	3,620.00	,	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.	3,171.76	3,350.63	,.	
अरक्षित निधियां	1,668.69	1,801.05		अरिक्षत निधियां	643.69	391.00		
उचंत एवं विविध	1,363.26			उचंत एवं विविध	1,097.62	1,561.35		
प्रेषण		10,451.30		प्रेषण	10,990.53			
जमा एवं अग्रिम		52,493.39		जमा एवं अग्रिम	35,824.04			
XI. भारतीय रिजर्व बैंक		·		XI. अंतिम रोकड़ शेष	4,946.11	·	3,833.55	
से संवरण ओवरड्राफ्ट				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में	0.54	0.54		
				काषालया तथा स्थानाय प्रषणा म नकद राशि	0.54	0.54		
				रिजर्व बैंक के साथ जमा	(-) 371.24	(-) 716.63		
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित	4.53	4.02		
				विभागीय नकद शेष	4.00	7.02		
				नकद शेष निवेश	2,597.52	1,310.12		
				चिहिनत निवेश	2,714.76	3,235.50		
पूर्णांकन के कारण अंतर				पूर्णांकन के कारण अंतर	0.01	0.02		
योग भाग-ख	1,15,391.88		1,56,018.20	कुल	1,15,391.88		1,56,018.20	

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 21)

#### राज्य सरकार के वित्तों का समय क्रम डाटा

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग-क प्राप्तियां	I				
1. राजस्व प्राप्तियां	65,885	67,858	67,561		89,194
(i) अपना कर राजस्व	42,581 (65)	42,825 (63)		53,377 (68)	
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	8,998 (21)	8,398 (19)		11,221(21)	
राज्य उत्पाद शुल्क	6,042 (14)	6,323 (15)		7,934 (15)	9,673 (15)
वाहनों पर कर	2,908 (7)	2,916 (7)	2,495 (6)		4,231 (7)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	5,636 (13)	6,013 (14)		7,598 (14)	8,607 (14)
भू-राजस्व	19	20	17		23
माल एवं यात्रियों पर कर	21	16	4	6	3
बिजली पर कर एवं शुल्क	337 (1)	262 (1)	476 (1)		578 (1)
राज्य माल एवं सेवा कर	18,613 (44)	18,873 (44)	18,236 (44)		28,577 (45)
अन्य कर	7	4	5		7
(ii) कर-भिन्न राजस्व	7,976 (12)	7,400 (11)	6,961 (10)		8,742 (10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का अंश	8,255 (12)	7,111 (10)		9,722 (12)	
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	7,073 (11)	10,522 (16)	12,248 (18)		7,113 (8)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	49	54	63		74
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वस्तियां	5,372	5,393	432		238
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	71,306	73,305	68,056		89,506
5. लोक ऋण प्राप्तियां	34,265	44,432	53,817		80,649
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	33,635 (98)	43,068 (97)		44,793 (81)	
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेन-देन	505 (2)	1,262 (3)	4,977 (9)		21,134 (26)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	125	102		7,537 <sup>2</sup> (14)	1,270 (2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	1,05,571	1,17,737	1,21,873		1,70,155
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	12	शून्य	800		0
8. लोक लेखे प्राप्तियां	40,785	45,047	53,761		70,111
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	1,46,368	1,62,784	1,76,434		2,40,266
10. राजस्व व्यय	77,155	84,848	89,946		1,06,406
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	28,169 (36)	31,884 (38)		37,948 (38)	
आर्थिक सेवाएं	19,021 (25)	19,238 (22)		19,549 (20)	20,657 (19)
सामाजिक सेवाएं	29,743(38)	33,726 (40)		40,928(42)	43,680 (41)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	222(1)	शून्य	शून्य		
11. पूंजीगत व्यय	15,307	17,666	5,870		11,665
सामान्य सेवाएं	715 (5)	586 (3)	388 (7)		553 (5)
आर्थिक सेवाएं	10,787 (70)	13,846 (79)		5,013 (45)	7,356 (63)
सामाजिक सेवाएं	3,805 (25)	3,234 (18)	2,986 (51)		3,756 (32)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	756	1,309	926		2,462
13. कुल (10+11+12)	93,218	1,03,823	96,742		1,20,533
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	17,184	15,776	29,498		53,021
आन्तरिक ऋण (अर्थीपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	16,480 (96)	14,250 (90)		22,542 (88)	
अर्थीपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेन-देन	505 (3)	1,262 (8)	4,977 (17)		21,134 (40)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	199 (1)	264 (2)	330 (1)		215
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	शून्य	800	-	0
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	1,10,402	1,19,599	1,27,040		1,73,554
17. आकस्मिक निधि संवितरण	12	शून्य	शून्य		0
18. लोक लेखा संवितरण	37,386	42,171	50,245		67,825
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	1,47,800	1,61,770	1,77,285	1,88,538	2,41,379

वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।

<sup>2</sup> वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं।

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग ग-घाटा/आधिक्य	2010 10	2010 20			
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-) 11,270	(-) 16,990	(-) 22,385	(-) 20,333	(-) 17,212
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) {4-(13+15)}	(-) 21,912	(-) 30,518	(-) 29,486	(-) 31,778	(-) 31,027
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-) 8,361	(-) 14,930	(-) 12,371	(-) 13,416	(-) 10,931
भाग-घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भ्गतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	13,551	15,588	17,115	18,362	20,096
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	10,078	11,337	13,012	12,446	11,673
25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवरड्राफ्ट (दिनों में)	505(4)	1,262 (11)	4,977(42)	2,776	21,134
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.29	0.42	1.31	0.29	10.36
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) <sup>3</sup>	6,98,940	7,32,195	7,41,850	8,70,665	9,94,154
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,84,216	2,15,562	2,38,708 <sup>4</sup>	2,63,950 <sup>5</sup>	2,93,122
29. बकाया गारंटियां-ब्याज सहित (वर्ष के अन्त में)	18,220	20,738	23,053	24,343	23,058
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	23	26	48	19	9
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	127.30	221.57	546.30	190.05	73.18
। संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.061	0.058	0.056	0.061	0.063
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.011	0.010	0.009	0.008	0.009
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.012	0.010	0.009	0.011	0.010
॥ व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.133	0.142	0.130	0.127	0.121
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.415	1.530	1.432	1.414	1.351
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.828	0.817	0.930	0.891	0.883
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.360	0.356	0.405	0.420	0.394
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.320	0.319	0.223	0.222	0.232
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.164	0.170	0.061	0.100	0.097
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.157	0.165	0.057	0.095	0.092
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.016	(-) 0.023	(-) 0.030	(-) 0.023	(-) 0.017
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 0.031	(-) 0.042	(-) 0.040	(-) 0.036	(-) 0.031
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.012	(-) 0.020	(-) 0.016	(-) 0.015	(-) 0.011
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.514	0.557	0.759	0.640	0.555
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.264	0.294	0.322	0.303	0.295
वितीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	2.796	3.177	3.533	3.380	3.286
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	56.60	87.01	163.14	1,007.59	192.00
वितीय परिसम्पतियां/देयताएं	0.58	0.56	0.52	0.51	0.50

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ को छोड़कर।

<sup>5</sup> भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में)।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.2.2 (iii); पृष्ठ 25)

राजस्व प्राप्तियों के कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2023 तक राजस्व का बकाया

123.75 (र करोड़ में) 2.57 72.09 कार्रवाई के विभिन्न चरणों में 271.17 20.37 17,387.88 0.02 0.21 97.05 231.78 86.50 अंतर जिला बकाया 396.04 521.72 47.63 447.69 अंतर्राज्यीय बकाया 1.00 4.88 2,543.38 आधिकारिक परिसमापक/ विभाग दवारा दी गई स्चना के अन्सार वसूली की स्थिति 65.71 0.14 0.01 304.02 3,907.94 न अ कारण 52.06 0.11 3,522.77 2,044.33 105.51 0.26 0.67 डाला भः 32.77 दिवालिया की वसूली से संबंधित मांगें 586.45 प्रमाणपत्रों 7.38 74.27 963.72 17.98 8.53 39.99 A (를 함 261.58 11.11 40.91 187.24 457.57 9,421.34 अधिक समय से बकाया राशि 2023 को पाँच वर्षों 31 मार्च 乍 31 मार्च 2023 को शेष राशि 541.72 131.13 448.69

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

1,756.44

धात्कर्मीय उदयोग

अलौह खनन एवं

बिजली पर कर

और शुल्क

9

कर (स्थानीय क्षेत्र

विकास कर)

माल के प्रवेश पर

स्थानीय क्षेत्रों में

11.11

वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य

मनोरंजन राुल्क से

प्राप्तियां पृलिस

कर एवं शुल्क -

31,075.87

इत्यादि पर कर/वैट राज्य उत्पाद शुल्क

बिक्रियों, व्यापार

राजस्व शीर्ष

策·늄

औद्योगिक और वितीय पुनर्निर्माण बोर्ड

(संदर्भः अनुच्छेद 2.4.3.2 (ii); पृष्ठ 49)

# वर्ष 2022-23 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखों के अनुसार सरकारी निवेश

क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वित्त लेखों के	कंपनी लेखा के	अंतर
सं.		अनुसार (एस-16)	अनुसार (एस-19)	
1.	हरियाणा वितीय निगम	204.22	202.01	(-) 2.21
2.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	9,586.68	13,461.51	3,874.83
3.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,439.95	3,039.76	(-) 400.19
4.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण	49.92	48.66	(-) 1.26
	निगम लिमिटेड, चंडीगढ़			
5.	हरियाणा डेयरी विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	4.77	5.57	0.80
6.	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	33.84	26.14	(-) 7.70
7.	हरियाणा पुलिस आवास निगम	69.82	25.00	(-) 44.82
8.	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, गुरुग्राम	8.46	6.80	(-) 1.66
9.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.75	2.76	0.01
10.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	157.90	9.89	(-) 148.01
11.	हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.62	2.65	0.03
12.	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	76.10	72.36	(-) 3.74
13.	हरियाणा राज्य सड़कें और पुल विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	70.12	122.04	51.92
14.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	1.40	1.81	0.41
15.	हरियाणा टेनरीज लिमिटेड, जींद	0.22	1.17	0.95
16.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	शून्य	37.76	37.76
17.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,640.97	4,303.05	662.08
18.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	14.86	15.51	0.65
19.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला	11,130.04	15,229.63	4,099.59
20.	हरियाणा मास रैपिड यातायात निगम	शून्य	14.40	14.40
21.	हरियाणा मेडिकल सर्विसिज लिमिटेड	शून्य	5.00	5.00
22.	हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड	1215.50	344.22	871.28
23.	हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.07	0.11	0.04
24	हरियाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवाएं	10.10	10.00	(-) 0.10
25	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड	शून्य	2.00	2.00
कुल		29,720.31	36,989.81	7,269.50

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (iii); पृष्ठ 49)

#### कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण

क्र.	परियोजना	विभाग/एजेंसी	अनुमानित	संरचना	प्रदानगी	संभावित पूर्ण होने की तिथि
सं.	का नाम		लागत		की तिथि	
			(₹ करोड़ में)			
1	कुंडली मानेसर पलवल	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,863.00	बीओटी (निर्माण,	31 जुलाई 2015	दिसंबर 2018 में पूर्ण
	(के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का	(मैसर्ज एस्सेल इंफ्रा		संचालन और हस्तांतरण		
	निर्माण	प्रोजेक्ट लिमिटेड)		आधार पर)		
2	संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों	मैसर्स जेकेटीपीएल	441.00	डीबीएफओटी (डिज़ाइन,	15 अप्रैल 2010	12 मार्च 2012
	सहित 400 किलोवाट सब-			निर्माण, वित्त, संचालन		
	स्टेशन कबूलपुर और			और हस्तांतरण आधार		
	दीपालपुर			पर)		
3	गुड़गांव, फरीदाबाद और	पीडब्ल्यूडी (बी एंड	180.00	बीओटी		परियोजना परिचालन चरण में है।
	बल्लभगढ़ सोहना रोड का	आर)				
	रखरखाव (लंबाई 66.185					
-	किमी)	-* C -:	100.00		2027 2012	2 2 20 2 20 5
4	1396 सरकारी आईटीआई	कौशल विकास एवं	130.00	-	2007-2012	2037-2042 (20 वर्ष की
	का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग				अधिस्थगन अवधि सहित)। 31 मार्च 2023 तक की अवधि के
		विमाग				तिए इस परियोजना के अंतर्गत
						अपग्रेड किए जा रहे संबंधित
						52 सरकारी आईटीआई से ₹ 14.85
						करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ है।
5	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	20.00		जुलाई 2014	17 जिलों में सीटी स्कैन सेवाएं और
	(13-11(11))	(41) - 4	20.00		3(114 2011	पांच जिलों में एमआरआई सुविधाएं
						चालू हो गई। दो और जिलों के लिए
						सीटी स्कैन और पांच और जिलों के
						लिए एमआरआई के लिए निविदा
						आमंत्रित की गई है।
6	हेमोडायलिसिस	स्वास्थ्य	17.00	-	7 दिसंबर 2015	20 जिलों में डायलिसिस सेवाएं
						परिचालन में हैं।
7	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	7.00	=	8 मार्च 2016	चार जिला अस्पतालों में कैथ लैब
						सेवाएं कार्यरत हैं। तीन और जिलों के
						लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
8	हरियाणा राज्य में एकीकृत	शहरी स्थानीय निकाय	1695.00	डीबीएफओटी (डिज़ाइन,		एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के			निर्माण, वित्त, संचालन		परियोजना (सोनीपत) 16 अगस्त 2021
1	विकास के लिए 13			और हस्तांतरण आधार		को पूरी हुई। शेष 12 परियोजनाओं में
	परियोजनाएं			पर)		से चार चालू हैं और आठ की योजना
						बनाई गई है।
कुल			4,353.00			

(स्रोत- संबंधित विभाग और एसपीएसई से प्राप्त जानकारी)

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (क); पृष्ठ 88)

# उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान			
	। ान संख्या 6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	<u> </u>			
1	गारंटी मोचन निधि-आरक्षित निधि और जमा खाते में अंतरण (मुख्य शीर्ष -8235) [पी-01-06-2075-51-797-99-51]	167.00			
2	विकास एवं कल्याण निधि (पूंजी निर्माण निधि) [पी-01-06-3475-51-797-99-51]	1,000.00			
अनुद	ान संख्या 10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्याः	वरण			
3	वन हेतू निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफआरटी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-10-2406-01-001-94-51]	25.00			
अनुदान संख्या 11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
4	हरको बैंक की शेयर पूंजी में सरकार का योगदान। [पी-01-11-4425-51-107-97-51]	50.00			
अनुद	ान संख्या 12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास				
5	प्रारंभिक शिक्षा विभाग (ईडीपी-पीएलओ-आरईवी) के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) [पी-01-12-2202-01-001-93-51]	170.00			
6	माध्यमिक शिक्षा विभाग (ईडीएस-पीएलओ-आरईवी) के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) [पी-01-12-2202-02-001-92-51]	100.00			
7	उच्च शिक्षा विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2202-03-001-96-51]	55.00			
8	ईडीएस शिक्षा (माध्यमिक) के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएसपीएलओ-सीएपी) [पी-01-12-4202-01-202-96-51]	50.00			
9	तकनीकी शिक्षा के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टेड-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2203-51-001-89-51]	5.00			
अनुद	ान संख्या 14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए				
10	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-कैप) [पी-01-14-4210-03-105-86-51]	440.00			
अनुद	ान संख्या 15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण				
11	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-15-2230-03-001-90-51]	50.00			
12	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए अवसरंचना विकास [पी-03-16-2225-01-793-78-51]	5.00			
अनुद	ान संख्या 17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन				
13	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-17-4059-80-001-98-51]	1,360.00			
अनुद	।न संख्या 19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
14	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) [पी-01-19-4700-11-800-97-51]	8.00			
15	सिंचाई और जल संसाधन विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईआरआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-19-4700-80-800-98-51]	500.00			
_	ान संख्या 20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं स (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सामुदायिक			
16	स्मार्ट सिटी [पी-02-20-2217-80-192-87-51]	400.00			
17	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीसीपी-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-20-4217-60-051-88-51]	1,055.02			
18	एससीएसपी के लिए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी) [पी-02-20-2501-06-789-97-51]	5.00			
19	विकास और पंचायत विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-20-4515-51-101-98-51]	690.00			
20	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-20-4215-01-800-96-51]	450.00			
	<u>. कुल</u>	6,585.02			

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ख); पृष्ठ 88)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान कम किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

			(र करोड़ में)
l <del>s</del> .	स्कीम का नाम	बजट	संशोधित
.⊭.		अनुमान	अनुमान
अनुदान	ग्नन संख्या 05- गृह / कारागार / होम गाई और नागरिक सुरक्षा / न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी / कानूनी सेवा प्राधिकरण)		
-	निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) - पीएचसी-उच्च न्यायालय (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी) [पी01-05-2014-51-102-96-51]	100.00	10.00
2	हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली [पी.03-05-2055-51-109-95-51]	10.00	0.01
अग	अनुदान संख्या 06-वित्तर्योजना एवं सांख्यिकी		
က	ई-मित्र किसान वितीय सेवा योजना [P-01-06-3475-51-115-98-51]	30.00	0.01
4	स्वर्ण जयंती हरियाणा वितीय प्रबंधन संस्थान [P-01-06-5475-51-115-98-51]	25.20	4.00
अन	अनुदान संख्या-07- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम		
2	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार, गन्नौर, सोनीपत की स्थापना के लिए एचआईएचएमसी पंचकुला को ऋण प्रदान करने की योजना पि01-07-6401-51-190-97-51]	200.00	129.80
अग्र	अनुदान संख्या-10-खान एवं भू-विजान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण		
9	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिट्यय (पीएलओ) (एजीआर-पीएलओ-आरईवी) [पी01-10-2401-51-001-94-51]	424.00	0.25
7	हिरियाणा में बागवानी फसल बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) कर दिया गया है[फ़ि01-10-2401-51-119-63-51]	10.00	8.30
∞	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार (नाबाई) को वितीय सहायता [पी.01-10-6403-51-190-98-51]	100.00	54.95
अम्	अनुदान संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास		
ဝ	विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में बी.सी विद्यार्थियों की परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति [पी01-12-2202-02-107-80-51]	30.00	10.00
10	विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस की प्रतिपूर्तिष्म01-12-2202-02-789-95-51]	30.00	20.00
=	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान [पी-01-12-2202-03-103-97-51]	24.00	1.00
12	साक्षर भारत योजना का नाम बदलकर पढ़ना लिखना अभियान किया गया फिर न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) नाम किया गया[पी-02-12-2202-04-200-97-51]	10.00	0.01
13	नाबाई के अंतर्गत विरुठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय भवन का निर्माण [पी01-12-4202-01-202-97-51]	150.00	60.00
14	आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण [पी-02-12-4235-02-102-99-51]	10.00	1.00
15	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण [पी-01-12-4235-02-789-99-51]	10.00	5.00
अनु	अनुदान संख्या-13- खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन		
16	भवन (पुरातत्व) [पी-01-13-4202-04-106-99-51]	15.00	1.00
अन्	अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए		
17	्राबी-एचएचपीए (आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा कर्मचारियों पंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार पि01-14-2210-80-199-97-51]	1] 200.00	1.00
अन्	अनुदान संख्या-15-अम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण		
20	औदयोगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सूरक्षीकरण (स्ट्राइव) [पी-03-15-2230-03-61-51]	20.00	10.00

k		ļ	T Stair
<b>∺</b> '#		अनमान	अनमान
ਲ ਵਿੰ	्र अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	2	2
19	अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा के लिए वितीय सहायता [पी01-16-2225-01-277-88-51]	20.00	0.01
20	वृद्धों और अशक्तों के लिए होम, रेवाड़ी (स्वर्ण जयंती परियोजना) का नाम बदलकर वृद्धाश्रम कर दिया गया है [पी01-16-4235-02-104-99-51]	25.00	2.00
21	दिव्यांगों के लिए अनुसंधान केंद्र/विशेष विद्यालय एवं मनोरंजन केंद्र की स्थापना [फ्री01-16-2235-02-101-71-51]	10.00	5.00
अन्	अनुदान संख्या- 17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन		
22	्र सीआरएफ-इंटर लेखा से अंतरण [पी-03-17-3054-80-797-99-51]	150.00	50.00
23	) अवन (सार्वजनिक पुस्तकालय) [पी-01-17-4202-04-105-99-51]	10.00	1.00
24	। परिवहन के निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-आरईवी) [पी01-17-3055-51-001-97-51]	30.00	5.00
25	ं   रेगुलेटरी विंग के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण [पी:01-17-5055-51-050-77-51]	20.01	10.00
अन	अनुदान संख्या-18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी		
26	े पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आबंटित भूखंड का भुगतानP-01-18-4220-60-101-97-51]	10.00	0.01
अनु	अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
27	, सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना [पी-01-19-5425-51-600-99-51]	20.00	10.00
28	১ সম্ভানা ডাবলী में विज्ञान केंद्र की स्थापना। पि1-19-5425-51-600-98-51]	25.00	10.00
<b>भू</b> 881	अनुदान संख्या 20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	। स्वास्थ्य अभि	गंत्रिकी विभाग
29	) अग्निशमन सेवाओं का सुद्दक्षेकरण [पी-01-20-2217-80-192-98-51]	25.00	10.00
30	)   डीएलबी निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (टीसीपी-पीएलओ-सीएपी) के निष्पादनसे जुड़ा परिट्यय (पीएलओ)[पी01-20-4217-60-001-98-51]	1500.00	200.00
31	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम, डीडीय्जीकेवाई) (परियोजना, प्रशासन) [पी-02-20-2501-06-101-97-51]	25.00	5.00
32	🏽 एससीएसपी के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम डीडीयूजीकेवाई) (परियोजना, प्रशासन) [पी-02-20-2501-06-789-98-51]	25.00	5.00
33	3   स्वर्ण जयंती खंडोत्थान योजना [पी-01-20-2505-01-702-88-99]	20.00	0.15
34	। स्वर्ण जयंती खंडोत्थान योजना [पी-01-20-2505-01-789-99-51]	10.00	0.05
35	ऽ   विकास और पंचायत के जिष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (डेवलप-आरईवी) [पी01-20-2515-51-001-96-51]	35.00	9.00
36	১   स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई)के लिए योजना [पी-20-2515-51-102-96-99]	10.00	5.00
37	'   हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता हेतु योजना [फै01-20-2515-51-102-90-51]	30.00	7.50
38	। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) [पी-03-20-2515-51-106-98-51]	20.00	10.00
39	) अनुस्चित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) की योजना [पी01-20-2515-51-789-99-51]	10.00	5.00
40	)   हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता हेतु योजना [पी-01-20-2515-51-789-91-51]	20.00	5.00
41	अनुस्चित जाति के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना [फ्102-20-2515-51-789-98-51]	50.00	20.00
	भिन्न	3,558.21	694.05

सोत: वर्ष 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (III) (ग); पृष्ठ 88)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई ज्यय नहीं किया गया था

क्र.सं.         स्कीम क           अनुदान         संख्या-3-स्या-1           2         जघन्य - 5-व           3         कार्यात्वय - 6-कि           अनुदान         संख्या-10           अनुदान         संख्या-10           5         पशुध्यन           6         नाबाई स्वावन           7         स्वना ए           8         गोदामों           10         नोदामों	अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/निर्वाचन           अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/निर्वाचन           अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/निर्वाचन           अनुदान संख्या-5-गृह/कारागार/होमगांडे की ड्रांन हमेजिंग और सूचना प्रणाली [पी01-03-2052-51-190-96-51]           अनुदान संख्या-5-गृह/कारागार/होमगांडे पर्व नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि की खरीद [पी01-05-4059-01-201-99-51]           अनुदान संख्या-6-विरायोजना पर्व साधिक्यकी           4. कम्प्युदरीकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना क्य्य (पी03-06-3454-02-001-90-98]           अनुदान संख्या-10-यान एवं साधिक्यकी           5. पशुष्टन स्वास्य और रोग नियंत्रण (पी02-10-2403-51-101-63-51]           6. नावांडे सहायता (पी-01-10-4403-51-101-99-88]           8. कोत्यां सहायता (पी-01-10-4403-51-101-94-99]           9. कोत्यां कर िम्पा नाव्य के अपूर्वालिक (पी0-11-1-4008-0-001-94-99)	बजट अनुमान 5.00 60.00 35.00 22.00 5.00 10.00
अनुदान संख्या-3-स् अनुदान संख्या-5-व 2.         लियाणा जघन्या-5-व जघन्या-6-वि अनुदान संख्या-10- 5.           अनुदान संख्या-10- 6.         वाबाई र नाबाई र अनुदान संख्या-11- 5.           ति.         संख्या-11- नाबाई र अनुदान संख्या-11- 8.           ति.         संख्या-11- संख्या-11- संख्या-11- ते.	ाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग और स्वना प्रणाली [पी-01-03-2052-51-190-96-51]  5-मूहांकारागारहोमगाई पवं नागरिक सुरक्षांन्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)  य अपराधों आदि के मामले में त्वरित न्याय डिलिवरी, केंद्रीय वित आयोग [पी-03-02-13]  लय-अवन (होम गाई पवं नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि की खरीद [पी-01-05-4059-01-201-99-51]  लय-अवन (होम गाई पवं नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि की खरीद [पी-01-05-4059-01-201-99-51]  6-वितायोजना पवं सांख्यिकी  10-खान पवं भु-विजान/कृषिशागवानी/पशुपालन पवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं बन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण  न स्वास्थ्य और रोग नियंगण [पी-02-10-2403-51-101-63-51]  11-खान पवं अपूरिंसहकारिता  11-खान्य पवं आपूरिंसहकारिता  11 पं याद्यां पवं आपूरिंसहकारिता  11 पं याद्यां यां नियंगण (पी-01-11-2408-01-001-94-99]  12 पं मोद्यां मानकं अभुमान किन्य 11 4400-02-101 के 0001	5.00 60.00 35.00 22.00 5.00 10.00
अनुदान संख्या-5-ग्रं अनुदान संख्या-6-ग्रं अनुदान संख्या-6-ि अनुदान संख्या-10       उ. कार्याल्य कम्प्यूट् अनुदान संख्या-11       ठ. पशुधन लाबाई र अनुदान संख्या-11       त. स्त्या-11       त. स्त्या-12       त. स्त्या-13       त. स्त्या-14 <t< td=""><td>ण्णा लिमिरेड की ड्रोन इमेजिंग और सूचना प्रणाली [पी01-03-2052-51-190-96-51]  5-गृह/कारागार/होमगाई एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विषिक सेवा प्रापिकरण)  य अपराधों आदि के मामले में त्वरित न्याय डिलिवरी, केंद्रीय वित्त आयोग [पी03-05-2014-51-105-92-51] लय-भवन (होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि की खरीद [पी01-05-4059-01-201-99-51]  6-वित्ययोजना एवं मंग्रियकी  पूर्यीकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना व्यय [पी03-06-3454-02-001-90-98]  पूर्याकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना व्यय [पी03-06-3454-02-001-99-98]  ज स्वास्थ्य प्रं भ्रापित नियंत्रण [पी-02-10-2403-51-101-63-51]  11-व्याद्य एवं आपूर्तिसहकारिता  ग एवं प्रदेशिनिकी [पी-01-11-2408-01-001-94-99]  ग र ने स्वास्थ्य एवं आपूर्तिसहकारिता</td><td>5.00 60.00 35.00 22.00 5.00 10.00</td></t<>	ण्णा लिमिरेड की ड्रोन इमेजिंग और सूचना प्रणाली [पी01-03-2052-51-190-96-51]  5-गृह/कारागार/होमगाई एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विषिक सेवा प्रापिकरण)  य अपराधों आदि के मामले में त्वरित न्याय डिलिवरी, केंद्रीय वित्त आयोग [पी03-05-2014-51-105-92-51] लय-भवन (होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि की खरीद [पी01-05-4059-01-201-99-51]  6-वित्ययोजना एवं मंग्रियकी  पूर्यीकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना व्यय [पी03-06-3454-02-001-90-98]  पूर्याकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना व्यय [पी03-06-3454-02-001-99-98]  ज स्वास्थ्य प्रं भ्रापित नियंत्रण [पी-02-10-2403-51-101-63-51]  11-व्याद्य एवं आपूर्तिसहकारिता  ग एवं प्रदेशिनिकी [पी-01-11-2408-01-001-94-99]  ग र ने स्वास्थ्य एवं आपूर्तिसहकारिता	5.00 60.00 35.00 22.00 5.00 10.00
अनुदान संख्या-6-वि         अनुदान संख्या-6-वि       कम्प्यूट-अनुदान संख्या-10         अनुदान संख्या-10       वाजाई र अनुदान संख्या-11         7       स्वना र स्व	5-गृह/कारानार/होमगाई पवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजनरिजीविषक सेवा प्राधिकरण) य अपराधीं आदि के मामले में त्वरित ब्याय डिलिवरी, केंद्रीय वित आयोग [पी03-05-2014-51-105-92-51] लय-भवन (होम गाई एवं नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि की खरीद [पी01-05-4059-01-201-99-51] ६-वितर्योजना एवं सांख्यिकी पूर्योकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना व्यय [पी03-06-3454-02-001-90-98] प्रत्योकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना व्यय [पी03-06-3454-02-001-90-98] व स्वास्थ्य और रोग नियंगण [पी-02-10-2403-51-101-63-51]  11-वाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता  ा एवं प्रदियोगिकी [पी-01-11-2408-01-001-94-99] ते स्वार्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	60.00 35.00 22.00 5.00 10.00 12.00
2. जघन्य दें 3. कार्यालय 4. कम्प्यूद्ध अनुदान संख्या-10. 5. पशुरान 6. नाबाई र अनुदान संख्या-11. 7. स्यना र शेवाना र	य अपराधीं आदि के मामले में त्वरित न्याय डिलिवरी, केंद्रीय वित आयोग [पी03-05-2014-51-105-92-51] क्य-भवन (होम गाई एवं नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि की खरीद [मी01-05-4059-01-201-99-51]  6-विता/योजना पवं सांख्यिकी  पूरीकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना व्यय [मी03-06-3454-02-001-90-98]  10-खान एवं भू-विजान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मन्स्यपालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण  क स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण [पी-02-10-2403-51-101-63-51]  हे सहायता [पी-01-10-4403-51-101-99-98]  11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता  ग एवं प्रदियोगिकी [पी-01-11-2408-01-001-94-99]	35.00 35.00 22.00 5.00 10.00 12.00
3. कार्यालय अनुदान संख्या-6-वि अनुदान संख्या-10 5. पशुर्धन 6. नाबाई र अनुदान संख्या-11 7. स्त्यना र वातामें	लय-अवन (होम गाई एवं नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि की खरीद [पी01-05-4059-01-201-99-51] <b>६-विदा/योजना एवं सांडियकी</b> प्रियो <b>जना एवं सांडियकी</b> प्रियोक्त प्रवे सांडियकी  10-खान एवं भू-विज्ञानकृषितावानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मन्स्यपालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	35.00 22.00 5.00 10.00 12.00
अनुदान संख्या-6-ि       अनुदान संख्या-10     5     पशुधन       6     नाबाई र       7     स्यना र       7     स्यना र       8     गोदामों र       9     गोदामों       1     नोदामों	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी पूर्यकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना च्यय [मी03-06-3454-02-001-90-98] 10-खान एवं भू-विजान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मन्स्यपालन/बन एवं बन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण न स्वास्थ्य और रोग नियंग्रण [मी-02-10-2403-51-101-63-51] ई सहायता [मी-01-10-4403-51-101-99-98] 11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता ता एवं औद्योगिकी [मी-01-11-2408-01-001-94-99]	5.00 5.00 10.00 19.00
4.     कम्प्यूद्ध       अनुदान संख्या-10.     पशुधन       6.     नाबाई र       3अनुदान संख्या-11.     7       7.     स्चना र       8.     गोदामों       9.     गोदामों	पूट्रीकरण के लिए 11वें वित आयोग के अंतर्गत सहायता, स्थापना व्यय पि03-06-3454-02-001-90-98]  10-खान एवं भू-विजान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मन्स्यपालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण न स्वास्थ्य और रोग नियंशण (पी-02-10-2403-51-101-63-51] ई सहायता (पी-01-10-4403-51-101-99-98]  11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता  ा एवं औद्योगिकी (पी-01-11-2408-01-001-94-99]	22.00 5.00 10.00 12.00 19.00
अनुदान संख्या-10       5. पशुधन       6. नाबाई र       अनुदान संख्या-11       7. स्यना र       8. गोदामों       9. गोदामों	10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेचरी विकास/मस्स्यपालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण न स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (मे.02-10-2403-51-101-63-51] ई सहायता (मे.01-10-4403-51-101-99-98] 11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता П एवं औद्योगिकी (मे.01-11-2408-01-001-94-99]	5.00 10.00 12.00 19.00
5.     पशुधन       6.     नाबाई स्       अनुदान संख्या-11       7.     सूचना       8.     गोदामों       9.     गोदामों	न स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (फे02-10-2403-51-101-63-51] ई सहायता (पी-01-10-4403-51-101-99-98] <b>11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता</b> TI एवं प्रौद्योगिकी (पी-01-11-2408-01-001-94-99]	5.00 10.00 12.00 19.00
6. नाबाई स् अनुदान संख्या-11- 7. स्यना र 8. गोदामों	ई सहायता पि-01-10-4403-51-101-99-98] <b>11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारीता</b> IT एवं प्रौद्योगिकी पि-01-11-2408-01-001-94-99]	10.00
अनुदान संख्या-11. 7. सूचना प 8. गोदामों 9. गोदामों	<b>11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता</b> ॥ एवं प्रीद्योगिकी [पी-01-11-2408-01-001-94-99] में कर निर्मास अनुस्तर समेतन 11 4400 02 101.00 001	12.00
7. सूचना ए 8. गोदामों 9. गोदामों	T एवं औद्योगिकी [पी-01-11-2408-01-001-94-99] में कर निर्मास अन्तर्क अभेगनान समेता 11 1400 02 101 00 001	12.00
8. गोदामों 9. गोदामों	में का निर्माण जामने अमेगजन क्रिका 11 4400 02.101.00.001	19.00
9. गोदामों	우리   미리   아니다	
	गोदामों का निर्माण [पी-01-11-4408-02-101-99-51]	10.00
अनुदान सख्या-13	अनुदान संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	
10 केंद्रीय ਜਿ	10 केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास एवं उन्नयन[पी-03-13-2205-51-105-86-51]	28.00
अनुदान संख्या-16	अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	
11 सुगम्य	11 ਸੁਗਸ਼ਧ	18.00
अनुदान संख्या-17	अनुदान संख्या-17-अवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	
12 ਸਥਾਜ ਸ	12 प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी एससी) [पी-02-17-2216-02-789-99-51]	120.00
अनुदान संख्या-19	अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	
13 मौजूदा	13 मौजूदा नहर नेटवर्क का पुनर्वास जलमार्गों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास [पी-03-19-4701-80-800-95-51]	87.50
अनुदान संख्या 20	अनुदान संख्या 20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अ	अभियांत्रिकी विभाग
14 अग्निनशः	14 अग्निशमन सेवा निदेशालय हरियाणा (पंच्कुला) की भूमि की खरीद और निर्माण कार्य [पी.01-20-4059-01-051-64-51]	15.00
15 ਦਟਾਟੇ-ਆ	15 स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी) [पी-02-20-2501-06-101-96-51]	5.00
16 ग्रामीण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) हेतु योजना [पी03-20-2501-06-102-97-51]	2.00
17 राष्ट्रीय	যান্ট্যিয গ্রাদ स्বराज अभियान (आरजीएसए) [पी-02-20-2515-51-101-81-51]	20.00
কুল		476.50

सोत: वर्ष 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

के

करोड़

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (III) (घ); पृष्ठ 88)

묽 उन योजनाओं का विवरण जहां ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था, लेकिन व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम

64.15 60.30 2.88 70.86 54.31 79.65 56.32 21.11 66.91 59.42 9.60 33.47 31.17 26.67 15.80 4.44 विभाग के सापेक्ष व्यय बजट अनुमान (प्रतिशत में) स्वास्थ्य अभियांत्रिकी 31.17 14.10 9.92 467.03 10.08 33.47 4.00 398.23 8.82 1.58 31.54 39.41 36.18 9.14 5.31 7.13 1,107.11 ट्यय वास्तविक एवं पंचायतें)/जन 200.00 750.00 13.70 135.14 16.00 982.00 21.00 13.86 15.00 63.00 347.97 63.00 495.41 13.00 3,566.02 66 95 संशोधित 299. 136. अनुमान (ग्रामीण विकास/विकास 860.00 105.00 100.00 100.00 15.00 13.75 10.00 56.00 00.09 13.66 119.55 489.00 12.00 14.00 500.00 186.67 2,654.63 अनुमान बजट अनुदान संख्या 20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)स्थानीय सरकार (यूरलबी एवं अन्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण एवं प्रौदयोगिकी का निर्माण/मरम्मत [पी-01-14-4210-03-101-92-51] आरसीएस, कार्यालय, हरियाणा में मृख्यालय स्टाफ की स्थापना के लिए योजना [पी02-11-2425-51-001-99-51] राज्य योजना हेत् सड़कों का सृद्द्वीकरण/यौड़ीकरण एवं स्धारीकरण का निर्माण [पी01-17-5054-04-337-99-99] पश्चिमी जम्ना नहर परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता (वाणिज्यिक) [पी01-19-2700-02-001-91-51] एनआरडीडब्ल्यूपी- कवरेज केंद्रीय नामित जल जीवन मिशन (जेजेएम) कवरेजापि102-20-4215-01-102-98-99] अन्दान संख्या-19- सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान नाबाई के अंतर्गत पूराने/मौजूदा चैनलों के सूधार के अंतर्गत विशेष राजस्व पि101-19-4701-07-001-89-51] मौजुदा चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्वास के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी01-19-4700-16-001-91-51] बहुउद्देशीय नदी परियोजना अंतर्गत कार्यकारी अभियंता (वाणिज्यिक) [पी.01-19-2700-01-001-91-51] टीपीडीएस ऑपरेशन के एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण का प्नरुद्धार [पी01-11-2408-01-001-91-51] सड़क स्रक्षा जागरुकता और नियामक विंग का कम्प्यूटरीकरण [पी.01-17-2041-51-102-98-51] अन्दान संख्या-10-खान एवं भ्र-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पश्र्पालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेशन प्रभार [पी:01-06-2071-01-106-51-51] अम्बाला सर्कल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन[पी-02-17-5054-04-337-49-99] फसल अवशेष प्रबंधन हेत् योजना P-01-10-2401-51-113-82-51] 11| स्थापना एवं प्रशासन (मृख्यातय) [पी-01-19-2852-80-001-99-51] राज्य विधानमंडल के सदस्य पि-01-06-2071-01-111-99-51 भवन सरकारी आयुर्वेदिक/युनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के अन्दान संख्या-17- भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड़डयन बाजरे की खरीद [पी-01-11-4408-01-101-89-51] अनूदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयूष/ईएसआई/एफडीए अन्दान संख्या-11-खादय एवं आपूर्ति/सहकारिता अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी स्कीम का नाम 10 15 16 4 Ω. <u>ن</u> ∞. <u>ი</u> ٠Þ. ŀ€.

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ङ); पृष्ठ 89)

# उन योजनाओं का विवरण (₹ 50 करोड़ और अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम हुआ लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

豖.	स्कीम का नाम	बजट	संशोधित	वास्तविक	संशोधित अनुमान
सं.		अनुमान	अनुमान	व्यय	के विरूद्ध वास्तविक
			(आर.ई)	(ए.ई)	व्यय की प्रतिशतता
अनुदा	न संख्या-3-सामान्य प्रशासन/निर्वाचन	1			
1	स्थापना व्यय [पी-01-03-2051-51-102-99-98]	50.35	49.00	31.40	64.08
अनुदा	न संख्या- 04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान				
2	दवाओं की आपूर्ति [पी-01-04-2245-02-101-98-51]	70.00	59.93	0.03	0.05
	न संख्या-05- गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभिय				
3	पुलिस स्टेशन [पी -01-05-4055-51-207-97-51]	190.00	160.00	121.96	76.23
	न संख्या-06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	<u> </u>			
4	वित्त भवन का निर्माण [पी -01-06-4059-01-051-60-51]	130.00	0.10	0.06	60.00
5	मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) [पी-01-06-2075-51-800-88-51]	802.85	50.31	0.46	0.91
	न संख्या 8-लोक ऋण				
6	ब्लॉक ऋण (08-6004-02-101-51-51)	374.32	372.58	116.56	31.28
	न संख्या-10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन				
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु स्कीम [पी -02-10-2401-51-109-80-51]	200.00	150.00	53.45	35.63
8	बागवानी क्षेत्र में उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की	50.00	42.00	32.07	76.36
_	योजना [पी -01-10-2401-51-119-58-51]				
9	राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए योजना [पी-02-10-2401-51-119-69-51]	120.00	100.00	66.15	66.15
10	राज्य-राज्य सहायता से पशु चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण	150.00	20.00	7.92	39.60
44	[th -01-10-4403-51-101-99-99]	100.00	00.00	50.40	05.04
11	जलकृषि विकास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)	123.00	80.00	52.49	65.61
10	कर दिया गया [पी-02-10-2405-51-101-72-51]	110.00	FO 71	20.00	27.04
12	बागवानी विश्वविद्यालय को वितीय सहायता [पी-01-10-6401-51-800-90-51]	110.00	52.71	20.00	37.94
13	खनन के बाद पुनरुद्धार कार्य पर व्यय [पी-01-10-2853-02-102-99-51]	123.70	109.73	5.91	5.39
14	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि में अंतरण [पी-01-10-2853-02-797-99-51]	78.70	67.00	52.76	78.75
	न संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	210.00	202.20	150.04	E0.20
15	फील्ड स्टाफ [पी-01-11-2408-01-001-98-51]	310.90	302.29	152.24	50.36
16	पूंजी पर ब्याज [पी-01-11-4408-01-101-97-51]	900.00	500.00	344.25	68.85
17	सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज दर पर छूट का नाम	300.00	210.00	135.11	64.34
	बदलकर सभी अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए गए अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज दर पर छुट कर दिया गया है [पी -01-11-2425-51-107-89-51]				
भगग	न संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास				
<u> </u>	सुविधाओं का विस्तार कक्षा VI-VIII (पूर्णकालिक) [पी-01-12-2202-01-101-95-51]	138.00	131.00	103.73	79.18
19	गुरावाजा का विस्तार क्या शिशा (स्थानासक) [११-७१२१८८८८-११-१०१-५५-५१] गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान)।	105.00	7.00	5.35	76.43
19	पि-01-12-2202-02-110-98-51]	103.00	7.00	3.33	70.43
20	कॉलेज भवन [पी-01-12-4202-01-203-99-51]	170.00	120.00	85.03	70.86
21	आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण-राज्य योगदान [पी-01-12-4235-02-102-99-98]	50.00	16.05	0.39	2.43
22	जे.जे. का कार्यान्वयन एक्ट-रिमांड/निगरानी गृह [पी-01-12-4235-02-102-97-99]	50.00	40.00	19.76	49.40
	न संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	00.00	+0.00	13.70	40.40
23	खेल नर्सरी [पी-01-13-2204-51-104-69-51]	50.31	40.39	31.02	76.80
24	अवसंरचना योजना [पी-01-13-2204-51-104-57-51]	100.00	83.50	36.96	44.26
	न संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	100.00	00.00	00.00	11.20
25	प्रशासन के मानकों का उन्नयन केंद्रीय वित्त आयोग [पी-03-14-2210-01-110-70-51]	525.57	450.57	156.40	34.71
26	बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां (सोनीपत) का निर्माण	50.00	1.00	0.45	45.00
	[पी-01-14-4210-03-105-97-98]	33.50	1.00	0.10	10.00
27	कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल का निर्माण	50.00	1.00	0.07	7.00
	[पी-01-14-4210-03-105-96-51]				1.00
28	नल्हड़ में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य-भवन का निर्माण	50.00	0.20	0.07	35.00
	[पी-01-14-4210-03-105-90-99]				

स्कृति संस्थान   स्वाप्त संस्थान   स्वापत संस्थान   स्वाप्त संस्य संस्थान   स्वाप	
श्राह्म संस्था-15. अमार्टाजगारभीयात विकास पर्ध जीट्योगिक परिवारण   श्री स्थान के स्थान कि सार विकास विकास पर्ध जीट्योगिक परिवारण के सार विकास	त अनुमान
अनुदान संस्था-15. कार्यरेजनायक्कीमत विकास पर्य और्वागिक प्रतिक्षण	
20   विशेषणा करिया विकास शिवास शिवास की स्थापना (शि-01-15-2220-03-001-92-51)   50.00   30.00   12.45	MICKICCI
अनुदान संस्था-16- अनुपारित जाति पर शिषद्धा वर्ष का करपाणांवामाजिक स्थाय पर अधिकारिताभूद तैतिकों का करपाण जाति के जिए पोस्ट-मिट्रिक प्रास्तृति [6-2225-01-277-99-51] 271.50 222.24 125.48 अतुपान संस्था-17- स्वत पर से सुकेंपिवक्रमागारिक प्रमुख अप्राप्त के प्राप्त के प्रमुख के प्	41.50
30   अनुस्तिक जाति के लिए पोस्ट-तिहक प्राव्यृति (6-225-01-277-99-51)   271.50   222.24   125.48	41.50
अनुदान संख्या-12- अवता एवं सहर्कपरिवहनातारिक उड्डबन   160.01   150.00   158.00   4.23   23   व्याप प्रशासन [फे.02-17-4266-00-51-98-51]   80.00   40.00   22.23   23   व्याप प्रशासन [फे.02-17-4266-00-51-98-51]   80.00   40.00   23.23   23   23   23   23   24   24   24	56.46
जा प्राप्तान विकास के विकास के अल्पेस के अल	30.40
ज्याच प्रशासन [फै.02-17-4059-60-051-98-51]   80.00   40.00   23.23     ज्याच प्रशासन [फै.02-17-4216-01-106-99-51]   50.00   15.00   5.83     केर्प्स प्रदेश, पर्यक्ष अपन्य अंति अन्य उपकरणों की खेरीद   125.20   70.20   24.87     ज्याच प्रशासन [फै.02-17-4216-01-106-99-51]   70.18   57.00   24.87     ज्याच प्रशासन [फै.02-17-4216-01-106-99-51]   70.18   57.00   24.64     ज्याच प्रशासन [फै.02-17-4216-01-108-2220-60-800-97-51]   70.18   57.00   24.64     ज्याच प्रशासन [फै.02-17-4216-01-18-2220-60-800-97-51]   50.00   18.00   14.28     अतुदान बंद्यम-19- विराध की बढ़ाव होता [फै.01-18-2220-60-800-97-51]   50.00   18.00   14.28     अतुदान बंद्यम-19- विराध की बढ़ाव होता [फै.01-18-2220-60-800-97-51]   50.00   18.00   14.28     अतुदान बंद्यम-19- विराध की बढ़ाव होता [फै.01-18-2220-60-800-97-51]   50.00   18.00   14.28     अतुदान बंद्यम-19- विराध की बढ़ाव होता [फै.01-18-2220-60-800-97-51]   50.00   20.00   14.29     अतुदान बंद्यम-19- विराध की बढ़ाव होता [फै.01-18-2220-60-800-97-51]   50.00   20.00   12.50     अतुदान बंद्यम प्रतासक नी बढ़ाव होता होता होता होता होता होता होता होता	2.68
33   न्याय प्रशासन [पी-02-17-4216-01-106-99-51]   50.00   15.00   5.83     34   स्पेयर पार्ट्स, एयर कागर और अन्य उपकरणों की खरीद   125.20   70.20   24.87     15.00   70.20   24.87     15.00   70.20   24.87     15.00   70.20   24.87     15.00   70.20   24.87     15.00   70.20   24.87     15.00   70.20   70.20     15.00   70.20   70.20     15.00   70.20   70.20     15.00   70.20   70.20     15.00   70.20   70.20   70.20   70.20     15.00   70.20   70.20   70.20   70.20     15.00   70.20   70.20   70.20   70.20     15.00   70.20   70.20   70.20   70.20   70.20     15.00   70.20   70.20   70.20   70.20   70.20   70.20     15.00   70.20	58.08
स्पेयर पार्ट्स, एयर काफ्ट और अन्य उपकरणों की खरीद   125.20   70.20   24.87   14.17-5053-60-0052-99-51   30-74   14.17-5053-60-0052-99-51   30-74   14.17-5053-60-0052-99-51   70.18   57.00   24.64   31-75   32-74	38.87
एवं -0.1-7.5053-60-062-99-51]   अनुदान संख्या-18- यूचा पर प्राथपक्षेत्रद्विक्स एवं सुचना प्रदेशिकीमृत्रूण एवं लेखन सामगी   36   संस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता [पी-01-18-2820-60-800-97-51]   70.18   57.00   24.64     इरियाणा के लिए आईटी योजना [पी-01-18-2852-07-202-91-51]   50.00   18.00   14.28     अनुदान संख्या-19- संख्या पर वाणिज्यफरप्रस्थान हैं हिरियाणा के लिए आईटी योजना [पी-01-18-2852-07-202-91-51]   50.00   18.00   14.28     अनुदान संख्या-19- संख्या को अवसरंपना के विकास के रूप में नामित किया गया है [पी-01-19-2851-51-101-95-51]   50.00   24.03     उन्हर्मम प्रोत्पादिक विधिय को सहायता अनुदान [Р-01-19-3425-60-001-97-51]   50.00   20.00   12.50     अनुदान संख्या को अवसरंपना के विकास के रूप में नामित किया गया है [पी-01-19-2851-51-101-95-51]   50.00   20.00   12.50     अस्त्रिक्त के पर्युद्धिक स्वर्धिक प्राथमिक के अंतर्गत विशेष राजस्व (वाणिज्यिक)   51.84   43.54   1.45     पी-01-19-2700-18-001-98-51]   44.54   1.45     पी-01-19-2700-18-001-91-51]   41. विकास को जाम बदलकर तालाबों का विकासओणिद्धार किया गया   504.12   354.12   128.86     पी-01-19-2700-80-001-99-95-51]   42. गाँव के लालाबों के विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकासओणिद्धार किया गया   504.12   354.12   128.86     पी-01-19-2700-80-19-99-51]   100.00   1.00   0.07     वहर पणांती के आयुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कर्यकारी अभियंता   एवं पणांतिक आयुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कर्यकारी अभियंता   एवं पणांतिक आयुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कर्यकारी अभियंता   100.00   1.00   0.07     वहर पणांती के आयुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कर्यकारी अभियंता   304.48   251.70   143.90     एवं पणांतिक अपुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कर्यकारी अभियंता   100.00   24.13   14.58     एवं पणांतिक अपुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कर्यकारी अभियंता   100.00   24.13   14.58     पी-01-19-4700-13-001-99-51]   300.00   30	35.43
अनुदान संख्या-18- सूचना एवं प्रचारहकेव्होंनिक्स एवं सूचना प्रीट्वांगिकीमृद्धण एवं लेखन सामगी	
शंस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना [मी-01-18-2220-60-800-97-51]   70.18   57.00   24.64	
विकास के लिए आईटी योजना [पी-01-18-2852-07-202-91-51]   50.00   18.00   14.28	43.23
अनुदान संख्या-19- सिंचाई/ऽद्योग एवं वाणिज्यापमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटानगिंद्रयूत एवं नवीकरणीय उर्जा/विज्ञान एवं पौद्योगिकी   विज्ञान मंद्र उद्यक्ष प्रोत्साहन नीति 2015 के अतमेत औद्यागिक अवसरंचना को निर्माण   150.00   40.00   24.03     उन्चयन और रायराखान को अतमरंचना के विकास के रूप में नामित किया गया है     एमै-01-19-2851-51-101-95-51]   50.00   20.00   12.50     उप्तिमां अमुना नहर परियोजना के अंतर्गत विशेष राजस्व (वाणिज्यिक)   51.84   43.54   1.45     एमै-01-19-2700-02-001-89-51]   51.84   43.54   1.45     एमै-01-19-2700-18-001-99-51]   71.53     वीच से तालावों के विकास को अंतर्गत कार्यकारी अभियंता   68.62   62.47   14.53     एमै-01-19-2700-18-001-99-51]   71.53     वीच के तालावों के विकास का नाम बदलकर तालावों का विकास/जीणींद्धार किया गया   504.12   354.12   128.86     एमै-01-19-2700-80-001-93-51]   71.53     वाहर का निर्माण (एसवाईएक) (मि-01-19-4700-07-800-98-51]   100.00   1.00   0.07     वाहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता   (एमै-01-19-4700-19-01-19-1)-11     वहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता   (एमै-01-19-4700-13-001-89-51)   100.00   24.13   14.58     एमै-01-19-4700-13-001-89-51]   100.00   24.13   14.58     विश्वान प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व   50.00   24.13   14.58     विश्वान प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व   50.00   24.13   14.58     विश्वान प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व   50.00   24.13   14.58     वाहर नेवरक का पुनर्वास-राज्य में अनुस्वित जाति आबादों में जलमार्गों के पुनर्वास में   150.00   100.00   62.26     वृद्धार (प्रेन-01-19-4700-13-001-89-51)   50.00   25.00   1.76     वाहर लेकक का पुनर्वास-राज्य में अनुस्वित जाति का अन्यान   60.00   20.00   4.38     विश्वान प्रचान में सीवेज जल आधूर्त की राजस विशेष राजस के अग्ररात   60.00   20.00   4.38     वाहर निवरक का पुनर्वास-राजस वे अनुस्वित को स्वान्य प्रचान वे अन्यान के अग्ररात वे कि राजस वे अनुस्वित को स्वान्य प्रचान के अग्ररावित के स्वान्य प्रच्य प्रचान के अग्ररावित के स्वान्य प्रचान के अग्ररावित स्वान के ल	79.33
जुन नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत औद्योगिक अवसरंचना का निर्माण अवश्यक्त और रखरखांव को अवसरंचना के विकास के रूप में नामित किया गया है (पि.01-19-2551-51)   12.50	
प्रिन्तान और रखरखात को अवसरंपना के विकास के रूप में नामित किया गया है	60.08
विज्ञान एवं प्रीद्योगिकी परिषद को सहायता अनुदान [P-01-19-3425-60-001-97-51]   50.00   20.00   12.50     विज्ञान एवं प्रीद्योजना के अंतर्गत विशेष राजस्व (वाणिज्यिक)   51.84   43.54   1.45     पी-01-19-2700-02-001-89-51]   गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता   68.62   62.47   14.53     पी-01-19-2700-18-001-91-51]   गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)   के अंतर्गत मुख्य अभियंता   96.36   83.43   9.79     पी-01-19-2700-80-001-93-51]   गाँव के तालांब के विकास का नाम बदलकर तालांबों का विकास/जीणाँद्धार किया गया   504.12   354.12   128.86     पी-01-19-2700-80-090-96-51]   100.00   1.00   0.07     वहर का निर्माण (प्रवाईपण) [पी-01-19-4700-07-800-98-51]   100.00   1.00   0.07     वहर का निर्माण (प्रवाईपण) [पी-01-19-4700-07-800-98-51]   100.00   1.00   0.07     वहर प्रणाली के आधृतिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता   304.48   251.70   143.90     पी-01-19-4700-13-001-89-51]   वहर प्रणाली के आधृतिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व   50.00   24.13   14.58     पी-01-19-4700-13-001-89-51]   वहर प्रणाली के आधृतिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व   50.00   24.13   14.58     पी-01-19-4700-13-001-89-51]   वहर तेटवर्क का पुनर्वास-गज्य में अनुसूचित जाति आबादों में जलमार्गों के पुनर्वास में   150.00   100.00   62.26     वृद्यार (पी-01-19-47 00-01-3-789-99-51)   50.00   25.00   1.76     वसर तेटवर्क का पुनर्वास-गज्य में अनुसूचित जाति अबादों में जलमार्गां के पुनर्वास में   150.00   25.00   1.76     वसर विज्ञां के आदेशों के अंतर्गत बढ़ हुए भूमि मुआवजे का भुगतान   60.00   20.00   4.38     पी-01-19-4701-80-800-09-851]   50.00   25.00   1.76     अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं याम आयोजना/शहरी संपदा)/स्यानीय सरकार (यूण्यबी एवं अग्निशामम सेवाएं)/यामीण एवं सामुदायिक (यामीण विकासविकास परंपवर्त)/अन स्वास्थ्य अभियांकित विकास   100.00   80.00   58.84     पी-01-20-2217-80-19-95-51]   300.00   296.70   33.82     वस्पात (विकासविकास एवं परंपवर्त)/अन स्वास्थ्य अग्नित ताहि के लिए निर्व यामीण अग्नित   75.00   30.00   18.23     वसरात (विकासवर्त मिला (नि-02-20-217-80-192-88-51)   300.00   34.00	
पश्चिमी जमुना नहर परियोजना के अंतर्गत विशेष राजस्व (वाणिजियक)   51.84   43.54   1.45   1.4	
प्री-01-19-2700-02-001-89-51]   40	62.50
प्री-01-19-2700-02-001-89-51]   40	3.33
पिं-01-19-2700-18-001-91-51]  11 के रा-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत मुख्य अभियंता   96.36   83.43   9.79	
वै. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि	23.26
[पी-01-19-2700-80-001-93-51]   याँव के तालावों के विकास का नाम बदलकर तालावों का विकास/जीणोंद्धार किया गया   504.12   354.12   128.86   (पी-01-19-2700-80-190-96-51]   100.00   1.00   0.07   1.00   1.00   0.07   1.00   1.00   0.07   1.00   1.00   0.07   1.00	
128.86   प्रि. 0-1-19-2700-80-190-96-51   100.00   1.00   1.00   0.07   1.00	11.73
पि -01-19-2700-80-190-96-51]   43	
43 नहर का निर्माण (एसवाईएल) [पी-01-19-4700-07-800-98-51]   100.00   1.00   0.07     44 नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता   304.48   251.70   143.90     45 नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व   50.00   24.13   14.58     46 नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व   50.00   24.13   14.58     46 नहर नेटवर्फ का पुनर्वास-राज्य में अनुसृचित जाित आबादी में जलमार्गों के पुनर्वास में   150.00   100.00   62.26     47 सुस्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम [पी-01-19-4700-26-800-99-51]   50.00   25.00   1.76     48 न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान   60.00   20.00   4.38     47 -01-19-4701-80-800-98-51]   30.00   25.00   1.76     48 न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान   60.00   20.00   4.38     49 नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं   100.00   80.00   58.84     49 नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं   100.00   80.00   58.84     49 नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान   50.00   29.25   20.08     49 नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान   50.00   29.25   20.08     40 -10-20-2217-80-192-92-51]   300.00   296.70   33.82     50 नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान   50.00   29.25   30.00     51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-01-20-2217-80-192-88-51]   300.00   296.70   33.82     52 राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुसृचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को   280.00   200.00   158.33     सहायता अनुदान [पी-01-20-2217-80-199-99-51]   450.00   334.00   178.16     178.16   एन-02-20-2505-02-101-99-99   19-02-20-2501-06-789-99-51]   450.00   334.00   178.16     178.16   एन-02-20-2505-02-101-99-99   19-02-20-2501-06-789-99-51   450.00   334.00   178.16     178.16   179.10-20-2515-51-102-97-51   100.00   100.0	36.39
44 नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 304.48 251.70 143.90 [पी-01-19-4700-13-001-91-51] 45 नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व 50.00 24.13 14.58 [पी-01-19-4700-13-001-89-51] 46 नहर नेवर के का पुनर्वास-राज्य में अनुस्चित जाित आबादी में जलमार्गों के पुनर्वास में 150.00 100.00 62.26 सुधार [पी-01-19-47 00-13-789-99-51]; 47 सरस्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम [पी-01-19-4700-26-800-99-51] 50.00 25.00 1.76 48 न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान 60.00 20.00 4.38 [पी-01-19-4701-80-800-98-51]  37 अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/यामीण एवं सामुदायिक रियामीण विकासविकास एवं पंचायते/जन स्वास्थ्य अभियांकिति विभाग नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं 100.00 80.00 58.84 [पी-01-20-2217-80-191-95-51]  50 नगर पालिकाऑ/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान 50.00 29.25 20.08 [पी-01-20-2217-80-192-92-51]  51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51] 300.00 29.6.70 33.82 (पी-01-20-2217-80-192-99-95-1]  53 अनुस्चित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23 [मिशन (एनआरएलएम)आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]  54 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) (पी-02-20-2505-02-01-19-99)  55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशलय कार्यालय और ग्राम 100.00 50.00 8.71 सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकर्ण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	
पि-01-19-4700-13-001-91-51]   वहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व   50.00   24.13   14.58   14.01-19-4700-13-001-89-51]   वहर नेटवर्क का पुनर्वास-राज्य में अनुस्चित जाित आबादी में जलमार्गों के पुनर्वास में   150.00   100.00   62.26   सुधार (पि-01-19-47 00-13-789-99-51);   50.00   25.00   1.76	7.00
45 नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत विशेष राजस्व 50.00 24.13 14.58 [पी-01-19-4700-13-001-89-51] 46 नहर नेटवर्क का पुनर्वास-राज्य में अनुस्चित जाति आबादी में जलमार्गों के पुनर्वास में 150.00 100.00 62.26 सुधार [पी-01-19-47 00-13-789-99-51]; 47 सरस्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम [पी-01-19-4700-26-800-99-51] 50.00 25.00 1.76 48 न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान 60.00 20.00 4.38 [पी-01-19-4701-80-800-98-51] 50.00 25.00 1.76 438 [पी-01-19-4701-80-800-98-51] 50.00 20.00 4.38 [पी-01-19-4701-80-800-98-51] 50.00	57.17
[पी-01-19-4700-13-001-89-51]  46  नहर नेटवर्क का पुनर्वास-राज्य में अनुसूचित जाित आबादी में जलमागों के पुनर्वास में 150.00 100.00 62.26 सुधार [पी-01-19-47 00-13-789-99-51];  47  सरस्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम [पी-01-19-4700-26-800-99-51] 50.00 25.00 1.76  48  न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान 60.00 20.00 4.38  [पी -01-19-4701-80-800-98-51]  37  जुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा/स्थानीय सरकार (पूपलवी एवं अगिनशमन सेवाएं/ग्रामीण एवं सामुदायिक (प्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतं/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  49  नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं 100.00 80.00 58.84  [पी -01-20-2217-80-191-95-51]  50  नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टास्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान 50.00 29.25 20.08  [पी-01-20-2217-80-192-92-51]  51  स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51] 300.00 296.70 33.82  152  राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाित घटक के लिए नगर पालिकाओं को 280.00 200.00 158.33  सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]  53  अनुसूचित जाित के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23  मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]  54  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 450.00 334.00 178.16  [पी-02-20-2505-02-101-99-99]  55  पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम 100.00 50.00 8.71  सचिवालय सहित बलॉक कार्यालय अवनों का लए निर्माण/मत्नीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	
46 नहर नेटवर्क का पुनर्वास-राज्य में अनुस्चित जाित आबादी में जलमागों के पुनर्वास में 150.00 100.00 62.26 सुधार [पी-01-19-47 00-13-789-99-51]; 47 सरस्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम [पी-01-19-4700-26-800-99-51] 50.00 25.00 1.76 48 न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान 60.00 20.00 4.38 [पी -01-19-4701-80-800-98-51]  33-3दान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक रिप्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  49 नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं 100.00 80.00 58.84 [पी -01-20-2217-80-191-95-51] 50 नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान 50.00 29.25 20.08 [पी-01-20-2217-80-192-92-51] 51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51] 300.00 296.70 33.82 52 राज्य वित्त आयोग अंतरण के लिए अनुस्यित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को 280.00 200.00 158.33 सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51] 53 अनुस्चित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23 [मेशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51] 54 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 450.00 334.00 178.16 [पी-02-20-2505-02-101-99-99] 55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	60.42
सुधार [पी-01-19-47 00-13-789-99-51];  47 सरस्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम [पी-01-19-4700-26-800-99-51] 50.00 25.00 1.76  48 न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान 60.00 20.00 4.38 [पी -01-19-4701-80-800-98-51]  34-34 संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक रियामीण विकास/विकास एवं पंचायतं)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  49 नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं 100.00 80.00 58.84 [पी -01-20-2217-80-191-95-51]  50 नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुक्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान 50.00 29.25 20.08 [पी-01-20-2217-80-192-92-51]  51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51] 300.00 296.70 33.82  52 राज्य वित्त आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को 280.00 200.00 158.33  सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]  53 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23  [मीशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]  54 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 450.00 334.00 178.16 [पी-01-20-2505-02-101-99-99]  55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निर्देशालय कार्यालय और ग्राम 100.00 50.00 8.71  सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	
47 सस्स्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम [पी-01-19-4700-26-800-99-51] 50.00 25.00 1.76 48 न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान 60.00 20.00 4.38 [पी-01-19-4701-80-800-98-51]  3 जुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक रिशामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  49 नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं 100.00 80.00 58.84 [पी-01-20-2217-80-191-95-51]  50 नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान 50.00 29.25 20.08 [पी-01-20-2217-80-192-92-51]  51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51]  52 राज्य वित्त आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को 280.00 200.00 158.33 सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]  53 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23 [मेशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]  54 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 450.00 334.00 178.16 [पी-02-20-2505-02-101-99-99]  55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन मिर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	62.26
48 न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान 60.00 20.00 4.38 [पी -01-19-4701-80-800-98-51]  अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)ग्रामीण एवं सामुदायिक रियामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  49 नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं [पी -01-20-2217-80-191-95-51]  50 नगर पालिकाऔं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान 50.00 29.25 20.08 [पी-01-20-2217-80-192-92-51]  51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51] 300.00 296.70 33.82 राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को 280.00 200.00 158.33 सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]  53 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23 मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]  54 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 450.00 334.00 178.16 [पी-02-20-2505-02-101-99-99]  55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम 100.00 50.00 8.71 सचिवालय सहित बलांक कार्यालय भवनों का नए निर्मीण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	7.04
पि -01-19-4701-80-800-98-51]  अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक रिग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  49	7.04
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	21.90
(ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतं)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  49 नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं [पी -01-20-2217-80-191-95-51]  50 नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान [पी-01-20-2217-80-192-92-51]  51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51]  52 राज्य वित्त आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]  53 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका	विकास
49       नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं       100.00       80.00       58.84         50       एपी -01-20-2217-80-191-95-51]       50.00       29.25       20.08         50       एपी-01-20-2217-80-192-92-51]       300.00       296.70       33.82         51       स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51]       300.00       296.70       33.82         52       राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]       280.00       200.00       158.33         53       अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका       75.00       30.00       18.23         54       महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)       450.00       334.00       178.16         55       पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम       100.00       50.00       8.71         55       पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]       100.00       50.00       8.71	विकास
[पी -01-20-2217-80-191-95-51]  50 नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान 50.00 29.25 20.08 [पी-01-20-2217-80-192-92-51]  51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51] 300.00 296.70 33.82  52 राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को 280.00 200.00 158.33 सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]  53 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23 मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]  54 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 450.00 334.00 178.16 [पी-02-20-2505-02-101-99-99]  55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम 100.00 50.00 8.71 सिचवालय सिहत ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	73.55
50 नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान 50.00 29.25 20.08 [पी-01-20-2217-80-192-92-51] 300.00 296.70 33.82 51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51] 300.00 296.70 33.82 52 राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को 280.00 200.00 158.33 सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51] 53 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23 मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51] 54 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 450.00 334.00 178.16 [पी-02-20-2505-02-101-99-99] 55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम 100.00 50.00 8.71 सिचवालय सिहत ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	70.00
[पी-01-20-2217-80-192-92-51] 51 स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51] 52 राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुस्चित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को 280.00 200.00 158.33 सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51] 53 अनुस्चित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23 मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51] 54 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 450.00 334.00 178.16 [पी-02-20-2505-02-101-99-99] 55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम 100.00 50.00 8.71 सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	68.65
51       स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51]       300.00       296.70       33.82         52       राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुस्चित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]       280.00       200.00       158.33         53       अनुस्चित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]       75.00       30.00       18.23         54       महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) [पी-02-20-2505-02-101-99-99]       450.00       334.00       178.16         55       पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सिचवालय सिहत ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]       50.00       8.71	
52       राज्य वित आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]       280.00       200.00       158.33         53       अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]       75.00       30.00       18.23         54       महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (पी-02-20-2505-02-101-99-99)       450.00       334.00       178.16         55       पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम (पी-01-20-2515-51-102-97-51]       100.00       50.00       8.71	11.40
सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99-51]  53 अनुस्चित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 75.00 30.00 18.23  मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]  54 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 450.00 334.00 178.16  [पी-02-20-2505-02-101-99-99]  55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम 100.00 50.00 8.71  सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत  [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	79.17
53     अनुसूचित जांति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका     75.00     30.00     18.23       मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]     450.00     334.00     178.16       [पी-02-20-2505-02-101-99-99]     450.00     334.00     178.16       55     पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम     100.00     50.00     8.71       सचिवालय सिहत ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]     [पी-01-20-2515-51-102-97-51]     50.00     8.71	
मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]   54   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)   450.00   334.00   178.16   [पी-02-20-2505-02-101-99-99]   55   पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम   100.00   50.00   8.71	60.77
54     महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)     450.00     334.00     178.16       [पी-02-20-2505-02-101-99-99]     55     पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम     100.00     50.00     8.71       सचिवालय सिहत ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत     [पी-01-20-2515-51-102-97-51]     100.00     178.16	
55 पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम 100.00 50.00 8.71 सिवालय सिंहत ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	53.34
सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नए निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	
[印-01-20-2515-51-102-97-51]	17.42
56 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेत् योजना   300.00   60.00   11.07	
	18.45
[पी-02-20-2515-51-102-93-99]	
57 पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय और जिला परिषद कर्मचारियों 302.92 115.79 56.83	49.08
के वेतन के भुगतान की योजना [पी-01-20-2515-51-196-99-51]	

<b>화</b> .	स्कीम का नाम	बजट	संशोधित	वास्तविक	3
सं.		अनुमान	अनुमान (आर.ई)	व्यय (ए.ई)	के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
58	केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	968.00	580.80	280.50	48.30
	[पी-03-20-2515-51-198-98-51]				
59	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना [पी-01-20-4515-51-101-99-51]	200.00	50.00	34.71	69.42
60	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) [पी-01-20-4515-51-101-97-51]	500.00	250.00	98.68	39.47
61	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	820.00	405.00	205.20	50.67
	[पी-01-20-4515-51-101-96-51]				
62	विकास कार्यों के लिए नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना का नाम बदलकर	180.20	30.00	16.17	53.90
	विधायक आदर्श ग्राम योजना (वीएजीवाई) कर दिया गया है				
	[पी-01-20-4515-51-103-99-51]				
63	राज्य वित्त आयोग (एससीएसपी) की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को वितीय	210.00	95.00	52.50	55.26
	सहायता [पी-01-20-4515-51-789-99-51]				
64	संवर्द्धन जल आपूर्ति-ग्रामीण जल आपूर्ति (एसपी)- [पी-01-20-4215-01-102-93-94]	124.00	100.00	79.44	79.44
	कुल	12,875.12	7,558.73	3,596.44	47.58

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (च); पृष्ठ 89)

उन योजनाओं (₹ 10 करोड़ और अधिक) का विवरण जिनमें बजट अनुमान संशोधित अनुमान में कम कर दिया गया था लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आर.ई)	वास्तविक व्यय (ए.ई)	संशोधित अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता		
	अनुदान संख्या-5-गृह/कारागार/होमगाई एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रश	ासन (उच्च न्या	यालय/अभियोजन	ा/एजीओटी/वि	धेक सेवा प्राधिकरण)		
1	जेलें [पी-01-05-4216-01-106-97-51]	30.00	9.00	11.13	123.67		
	अनुदान संख्या-10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डे	यरी विकास/मत्र	<b>म्यपालन/वन</b> एवं	वन्य जीव/पा	रिस्थितिकी एवं पर्यावरण		
2	नहरी पानी के लिए सिंचाई विभाग को जल प्रभार का भुगतान [पी01-10-2406-01-800-99-51]	10.70	1.00	7.74	774.00		
3	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार (राज्य) को वित्तीय सहायता [पी-01-10-6403-51-190-99-51]	180.00	101.00	121.49	120.29		
4	जिला खनिज फाउंडेशन निधि में अंतरण (2.5 प्रतिशत राज्य योगदान) [पी-01-10-2853-02-797-98-51]	34.68	16.75	24.49	146.21		
	अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/म	हिला एवं बाल	विकास				
5	मिड डे मील विद्यालय का राष्ट्रीय कार्यक्रम [पी02-12-2202-01-793-98-51]	63.30	45.32	62.37	137.62		
6	आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण-नाबार्ड योगदान [पी-01-12-4235-02-102-99-99]	20.00	1.00	1.40	140.00		
	अनुदान संख्या-13- खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटा	न					
7	खेल अवसंरचना योजना [P-01-13-4202-03-102-99-51]	100.00	80.00	99.56	124.45		
	अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति	एवं निपटान/विट	्युत एवं नवीकः	णीय ऊर्जा/वि	ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
8	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत पर ड्राप मोर क्रॉप [पी-02-19-2705-51-789-97-51]	96.82	4.00	10.40	260.00		
9	बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-4711-01-001-91-51]	100.00	96.20	141.44	147.03		
	अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग						
10	गांव में पेयजल आपूर्ति के उन्नयन के लिए महाग्राम योजना [पी-01-20-4215-01-102-93-90]	25.00	15.00	20.14	134.27		
	कुल	660.50	369.27	500.16	135.45		

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (छ); पृष्ठ 89)

## उन योजनाओं का विवरण जिनमें मूल अनुमान और संशोधित अनुमान (₹ 10 करोड़ और अधिक का प्रावधान) समान थे लेकिन व्यय प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम था

क्र.	स्कीम का नाम	मूल/संशोधित	वास्तविक	प्रावधान के
सं.		अनुमान	व्यय	विरूद्ध वास्तविक
			(ए.ई)	व्यय की प्रतिशतता
अनुद	तन संख्या-3-सामान्य प्रशासन/चुनाव			
1	स्थापना व्यय [पी -01-03-2070-51-003-98-98]	80.01	39.96	49.94
2	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा- स्थापना व्यय [पी-01-03-2070-51-800-96-98]	17.61	8.26	46.91
अनुद	ान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान			
3	शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए जीआईए [पी-01-04-2705-51-102-99-51]	12.00	4.80	40.00
4	उत्पाद शुल्क एवं कराधान [पी-01-04-4059-60-051-97-51]	25.00	19.84	79.36
अनुद	ान संख्या-06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी			
5	एनसीआरपीबी से ऋण पर ब्याज [पी-01-06-2049-01-200-92-51]	65.00	51.65	79.46
6	एचबीए/वाहन/कंप्यूटर/विवाह के विरुद्ध पंजाब नेशनल बैंक से ऋण पर ब्याज छूट	30.00	23.42	78.07
	का भ्गतान [पी-01-06-2049-01-200-87-51]			
7	12वें वित आयोग की अनुशंसा पर समेकित राज्य योजना ऋण	25.00	14.50	58.00
	[पी-01-06-2049-04-109-99-51]			
8	सरकारी कर्मचारियों को ब्याज में छूट के लिए अन्य दायित्व पर ब्याज	15.00	8.51	56.73
	[पी -01-06-2049-60-701-98-51]			
अन्द	पन संख्या-07- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम			
9	मंत्रियों, उप मंत्री, राज्य मंत्री, पीठासीन अधिकारी और राज्य विधायक को एचबीए	10.00	2.27	22.70
	अग्रिम [पी-01-07-7610-51-201-98-51]			
10	खाद्यान्न खरीद के लिए अग्रिम [पी-01-07-7610-51-800-99-51]	80.00	42.53	53.16
11	त्योहार अग्रिम [पी-01-07-7610-51-800-98-51]	20.00	13.14	65.70
12	डिफ़ॉल्ट राशि का भ्गतान/वसूली [पी-01-07-7610-51-800-96-51]	35.00	25.12	71.77
अनुद	ान संख्या-10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपाल	न/वन एवं वन्य	जीव/पारिस्थि	निकी एवं पर्यावरण
			•11-47 111 <b>\</b> 1\ -1	((17/1 (4 14)4(*)
13		150.00	85.04	56.69
13 14	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51]		85.04	
	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51]	150.00		56.69
14	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम	150.00 42.18	85.04 18.42	56.69 43.67
14 15	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51]	150.00 42.18 30.00	85.04 18.42 15.43	56.69 43.67 51.43
14	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51]	150.00 42.18 30.00	85.04 18.42 15.43 6.80	56.69 43.67 51.43 68.00
14 15 16 17	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51]	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47
14 15 16 17 18	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51]	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81
14 15 16 17	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47
14 15 16 17 18 19	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुस्चित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51]	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81
14 15 16 17 18 19	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] वन संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44
14 15 16 17 18 19 <b>31-74</b> 20	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] वन संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51]	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81
14 15 16 17 18 19 31-94 20 31-94	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुस्चित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] वन संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] वन संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44
14 15 16 17 18 19 <b>31-74</b> 20	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51]  जन संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] जन संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44
14 15 16 17 18 19 <b>34-34</b> 20 <b>34-34</b> 21	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] जन संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] जन संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51]	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01 340.00	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98 168.05	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44 49.43
14 15 16 17 18 19 31-94 20 31-94	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] जन संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] जन संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51] अनुसूचित जाति के लिए अनुअनुपूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44
14 15 16 17 18 19 <b>अनुद</b> 20 <b>अनुद</b> 21	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुस्चित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] तान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] तान संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51] अनुस्चित जाति के लिए अनुअनुपूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51]	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01 340.00	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98 168.05	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44 49.43
14 15 16 17 18 19 34 94 20 34 94 21 22	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाित के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] जन संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] जन संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51] अनुसूचित जाित के लिए अनुअनुपूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51] जन संख्या-13. खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01 340.00	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98 168.05 4.49 29.04	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44 49.43 16.63
14 15 16 17 18 19 <b>अनुद</b> 20 <b>अनुद</b> 21 22 <b>अनुद</b>	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] रान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] रान संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51] अनुसूचित जाति के लिए अनुअनुपूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51] रान संख्या-13. खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन भवन (युवा छात्रावास) [पी-01-13-4202-03-101-99-51]	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01 340.00	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98 168.05	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44 49.43
14 15 16 17 18 19 31-94 20 31-94 21 22 31-94 23 31-94	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाित के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] जन संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] जन संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51] अनुसूचित जाित के लिए अनुअनुपूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51] जन संख्या-13. खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन भवन (युवा छात्रावास) [पी-01-13-4202-03-101-99-51] जन संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01 340.00 <b>स</b> 27.00 60.00	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98 168.05 4.49 29.04	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44 49.43 16.63 48.40
14 15 16 17 18 19 31 9 20 31 9 21 22 33 31 9 6 24	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाित के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] ति संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] ति संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51] अनुसूचित जाित के लिए अनुअनुपूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51] ति संख्या-13. खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन भवन (युवा छात्रावास) [पी-01-13-4202-03-101-99-51] ति संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना [यूपी-01-14-2210-01-110-38-51]	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01 340.00 17.00 60.00	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98 168.05 4.49 29.04	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44 49.43 16.63 48.40
14 15 16 17 18 19 31-94 20 31-94 21 22 31-94 23 31-94	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51] अनुसूचित जाित के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्कीम [पी-02-10-2401-51-789-97-51] गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51] राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51] प्रतिअनुपूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान [पी-01-10-2406-04-103-92-51] जन संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51] जन संख्या-12- शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51] अनुसूचित जाित के लिए अनुअनुपूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51] जन संख्या-13. खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन भवन (युवा छात्रावास) [पी-01-13-4202-03-101-99-51] जन संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	150.00 42.18 30.00 10.00 144.74 137.25 18.01 340.00 <b>स</b> 27.00 60.00	85.04 18.42 15.43 6.80 71.61 62.87 0.98 168.05 4.49 29.04	56.69 43.67 51.43 68.00 49.47 45.81 5.44 49.43 16.63 48.40

क्र.	स्कीम का नाम	मूल/संशोधित	वास्तविक	प्रावधान के
सं.		` अनुमान	व्यय	विरूद्ध वास्तविक
			(ए.ई)	व्यय की प्रतिशतता
अनुद	न संख्या-15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1		
26	बाल श्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बाल श्रम प्रकोष्ठ	60.10	0.01	0.02
	की स्थापना - स्थापना व्यय [पी-01-15-2230-01-113-98-98]			
27	श्रम विभाग का कम्प्यूटरीकरण -स्थापना व्यय [पी-01-15-2230-01-800-99-98]	11.00	1.93	17.55
28	औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए अवसरंचना का निर्माण	45.00	28.77	63.93
	[पी-01-15-4250-51-201-94-51]			
29	मशीनरी एवं उपकरण का आधुनिकीकरण [पी-01-15-4250-51-800-97-51]	15.00	2.11	14.07
	ान संख्या-17- भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन			25.22
30	2059 से अंतरित स्थापना प्रभार (आनुपातिक) - लोक निर्माण	411.00	267.46	65.08
0.4	[th-01-17-3054-80-001-99-51]	10.00	10.00	77.00
31	लोक निर्माण [पी-01-17-4216-01-106-96-51]	16.80	13.00	77.38
32	उपमंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैट्स के लिए स्वर्ण जयंती योजना	10.00	4.14	41.40
	[th-01-17-4216-01-106-76-51]	45.00	0.00	04.47
33	नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	15.00	3.22	21.47
24	[पी-01-17-5054-04-101-84-97]	FF 00	40.50	70.75
34	अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष	55.00	40.56	73.75
25	मरम्मत -नाबार्ड योगदान [पी-01-17-5054-04-789-99-98]	50.00	20.70	F7 40
35	अनुसंधान [पी-01-17-5054-80-800-99-51] ान संख्या-19- सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत ए		28.70	57.40
	त्र संख्या-13- ।संचाइ/उद्याग एवं वागिज्यारमरसरमञ्जाभूति एवं विभटामावद्युत ए प्रधानमंत्री लघ् खाद्य प्रसंस्करण उदयमों (पीएमएफएमई) का औपचारिकीकरण [पी-	16.00	10.09	63.06
36	02-19-2851-51-102-63-51]	10.00	10.09	63.06
37	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अन्दान [पी-01-19-2851-51-105-99-51]	16.00	10.87	67.94
38	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन - पर ड्राप मोर क्रॉप	509.60	340.00	66.72
00	[th-02-19-2705-51-190-94-51]	000.00	040.00	00.72
39	पश्चिमी जम्ना नहर (डब्ल्यूजेसी) और जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) नहर प्रणाली	10.00	7.95	79.50
	की क्षमता में सुधार [पी-01-19-4700-13-800-97-51]	, , , ,		
40	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में जलमार्गों के निर्माण कार्यों एवं पुनर्वास में	10.00	7.57	75.70
	सुधार [पी-01-19-4700-16-789-99-51]			
41	नहरों और नालों के पुलों और संरचना का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और	200.00	150.72	75.36
	निर्माण [पी-01-19-4700-80-800-97-51]			
अनुद	ान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (	युएलबी एवं अगि	नशमन सेवाएं	)/ग्रामीण एवं
_	व्यायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	•		
42	केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों को सहायता अनुदान	286.20	213.51	74.60
	[पी-03-20-2217-80-191-97-51]			
43	दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान [पी-01-20-2217-80-789-94-51]	30.00	19.32	64.40
44	राज्य वित आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	480.00	370.00	77.08
	[पी-01-20-2515-51-101-89-51]			
45	संवर्द्धन जल आपूर्ति-नाबार्ड [पी-01-20-4215-01-102-93-93]	200.00	119.44	59.72
46	एनआरडीडब्ल्यूपी-(सहायक गतिविधियां) का नाम बदलकर जल जीवन मिशन	40.00	15.77	39.43
	(जेजेएम) कर दिया गया- सहायक गतिविधियां [पी-02-20-4215-01-102-98-94]			
47	एनआरडीडब्ल्यूपी (जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी डब्ल्यूक्यूएमएस) का नाम	15.00	5.98	39.87
	बदलकर जल जीवन मिशन (जे.जे.एम-डब्ल्यूक्यूएमएस कर दिया गया है			
	[पी-02-20-4215-01-102-98-93]			
48	नाबार्ड के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	50.00	29.96	59.92
	[帕-01-20-4215-01-789-97-51]			
49	शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों के लिए सीवरेज सुविधाएं।	15.00	9.54	63.60
	[पी-01-20-4215-02-789-99-51]			
कुल		4,040.40	2,487.20	61.56

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ज); पृष्ठ 89)

# उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

_	-A			~	
क्र. 	स्कीम का नाम	बजट	संशोधित	वास्तविक	संशोधित
सं.		अनुमान	अनुमान	व्यय	अनुमान के
			(आर.ई)	(ए.ई)	विरूद्ध
					वास्तविक व्यय
					की प्रतिशतता
	न संख्या-3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	T T			
1.	कर्मचारी चयन आयोग- स्थापना [पी-01-03-2051-51-103-99-51]	152.48	179.53	131.72	73.37
2.	पंचायत चुनाव के संचालन हेतु फील्ड स्टाफ [पी-01-03-2015-51-101-98-51]	16.16	33.02	19.91	60.30
अनुदा	न संख्या-4-राजस्व/उत्पाद शुल्क एवं कराधान	ı		<u> </u>	
3.	जिला प्रतिष्ठान- [पी-01-04-2053-51-093-99-51]	287.23	302.86	240.26	79.33
4.	बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की आपूर्ति	35.00	164.28	98.04	59.68
	[पी-01-04-2245-02-101-97-51]				
अनुदा	न संख्या-05- गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्याय	ालय/अभियोज	न/एजीओटी/व	गनूनी सेवा प्र	धिकरण)
5.	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) हरियाणा	23.82	58.40	35.67	61.08
	[पी-01-05-2055-51-114-95-51]				
6.	उपकरण की खरीद का नाम बदलकर सीसीटीएनएस कर दिया गया	21.00	63.00	43.25	68.65
	[पी-02-05-2055-51-115-99-51]				
अनुदा	न संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
7.	नाबार्ड के राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि से ऋण	150.00	208.00	164.05	78.87
	[पी-01-06-2049-01-200-96-51]				
अनुदा	न संख्या-7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम				
8.	हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को ऋण देने की योजना	30.00	45.38	30.00	66.11
	[पी-01-07-6401-51-190-99-51]				
अनुदा	न संख्या-10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्	ऱ्यपालन/वन प	वं वन्य जीव	/पारिस्थितिकी	एवं पर्यावरण
9.	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता के राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन पर योजना	25.00	51.17	40.31	78.78
	[पी-01-10-2401-51-105-84-51]				
10.	हाईटेक डेयरी इकाइयों की स्थापना हेतु योजना	15.00	40.00	27.91	69.78
	[पी-01-10-2403-51-102-70-51]				
11.	अनुसूचित जातियों के लिए पशुधन इकाइयां स्थापित कर अनुसूचित	27.00	70.00	49.26	70.37
	जातियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना				
	[पी-01-10-2403-51-789-94-51]				
अनुदा	न संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता				
12.	अंत्योदय आहार योजना [पी-01-11-2408-01-001-93-51]	342.30	615.87	308.60	50.11
13.	हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और हरको बैंक को वसूली से जुड़ा	200.00	452.00	251.74	55.69
	प्रोत्साहन के लिए एकमुश्त निपटान योजना [पी-01-11-2425-51-107-85-51]				
14.	केंद्रीय सहकारी बैंकों को शेयर पूंजी [पी-01-11-44 25-51-107-99-51]	70.00	120.00	91.00	75.83
अनुदा	न संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल '	विकास			
15.	कक्षा I-VIII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा	50.00	80.00	54.63	68.29
	[पी-01-12-2202-01-109-84-51]				
16.	विद्यालय भवनों का निर्माण [पी-01-12-4202-01-201-99-51]	20.00	25.00	19.81	79.24
अनुदा	न संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए				
17.	इमारतों को अवसरंचना/प्रशासनिक व्यय के रूप में नामित किया गया	300.00	350.00	261.56	74.73
	[पी-01-14-4210-01-110-99-51]				
18.	राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूलों/कॉलेजों का निर्माण कार्य-भवन निर्माण	50.00	96.07	72.00	74.95
	्षि-01-14-4210-03-105-89-99]				
	-				

豖.	स्कीम का नाम	बजट	संशोधित	वास्तविक	संशोधित
सं.		अनुमान	अनुमान	व्यय	अनुमान के
			(आर.ई)	(ए.ई)	विरूद्ध
					वास्तविक व्यय
					की प्रतिशतता
अनुदा	न संख्या-17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन				
19.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का	56.00	82.00	55.43	67.60
	निर्माण [पी-01-17-5054-04-101-84-98]				
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण	79.00	114.00	77.42	67.91
	[पी-01-17-5054-04-337-99-98]				
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए सड़कों का निर्माण	84.00	121.00	84.82	70.10
	सुद्दविकरण/चौड़ीकरण और उपमार्ग। [पी-01-17-5054-04-337-98-98]				
22.	अम्बाला सर्कल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का अपग्रेडेशन	186.67	347.97	39.41	11.33
	[पी-02-17-5054-04-337-49-99]				
23.	अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों का	23.00	33.00	22.54	68.30
	निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत योगदान				
	[पी-01-17-5054-04-789-99-97]				
24.	बेड़े के अधिग्रहण के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज डिपो	130.00	480.00	361.73	75.36
	[पी-01-17-5055-51-102-77-51]				
अनुदा	अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
25.	नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग के अंतर्गत मुख्य अभियंता	20.00	26.33	16.47	62.55
	[पी-01-19-4700-13-001-93-51]				
26.	नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों के सुधार के अंतर्गत मुख्य अभियंता	10.00	20.00	14.26	71.30
	[पी-01-19-4701-07-001-93-51]				
27.	नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों के सुधार के अंतर्गत कार्यकारी	100.00	146.23	112.56	76.97
	अभियंता [पी-01-19-4701-07-001-91-51]				
कुल		2,503.66	4,325.11	2,724.36	62.99

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (झ); पृष्ठ 89)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए मूल अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान समान था लेकिन व्यय प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	मूल/संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (ए.ई)	प्रावधान के वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	
अनुदान	। संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
1	नए ऋण आदि जारी करने पर व्यय [पी-01-06-2049-01-305-99-51]	42.00	53.07	126.36	
2	ब्लॉक ऋण [पी-01-06-2049-04-101-99-51]	42.00	55.10	131.19	
अनुदान	ा संख्या-10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपाल	लन/वन एवं वन्य	जीव/पारिस्थितिर्क	ो एवं पर्यावरण	
3	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना [पी-01-10-2401-51-190-99-51]	10.00	20.30	203.00	
अनुदान	न संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विका	स			
4	अनुस्चित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) [पी-02-12-2202-02-793-98-51]	89.24	135.20	151.50	
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए					
5	टीकाकरण कार्यक्रम [पी-03-14-2211-51-103-99-51]	40.00	49.22	123.05	
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
6	निदेश एवं प्रशासन (स्थापना. 2059-लोक निर्माण के लिए आनुपातिक प्रावधान के अनुसार अंतरित राशि) [पी-01-17-2216-05-001-99-51]	24.00	110.06	458.58	
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
7	ब्याज [पी-01-19-2700-02-800-99-51]	155.00	438.92	283.17	
8	बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत मुख्य अभियंता [पी-01-19-4711-01-001-93-51]	10.00	14.93	149.30	
9	बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-19-4711-01-001-89-51]	10.00	14.27	142.70	
	कुल	422.24	891.07	211.03	

म्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 91)

# उन मामलों का विवरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ

	( - " " +				
क्र.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	कुल प्रावधान से
सं.				व्यय	बचत
दत्तमत	र राजस्व				T
1	1-विधान सभा	92.91	3.60	83.51	(-) 13.00
2	2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	185.66	6.10	170.80	(-) 20.96
3	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	767.03	176.24	589.60	(-) 353.67
4	5-गृह/कारागार/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन	7,503.92	668.04	6,700 <b>.</b> 69	(-) 1,471 <b>.</b> 27
	(उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)				
5	10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी	5,453.60	105.37	4,140.84	(-) 1,418.13
	विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं				
	पर्यावरण				
6	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	1,586.16	538.90	1,088.45	(-) 1,036.61
7	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं	20,330.10	1,766.06	19,046.99	(-) 3,049.17
	बाल विकास				
8	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	7,126.03	229.63	6,298.23	(-) 1,057.43
9	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1,822.02	187.43	1,183.25	(-) 826.20
10	16-अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण/सामाजिक	10,335.24	178.13	9,556.08	(-) 957.29
	न्याय और अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण				
11	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,224.54	439.69	3,628.54	(-) 1,035.69
12	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय	10,025.05	1,007.10	8,551.69	(-) 2,480.46
	सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक				
	विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य				
	अभियांत्रिकी विभाग				
	कुल	69,452.26	5,306.29	61,038.67	(-) 13,719.88
प्रभारि	त राजस्व				
13	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	21,161.48	1.00	20,095.57	(-) 1,066.91
	कुल	21,161.48	1.00	20,095.57	(-) 1,066.91
पूंजीग	त (दत्तमत)				
14	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	11.76	7.00	11.48	(-) 7.28
15	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,117.41	171.73	1037.25	(-) 251.89
16	10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी	1,256.88	8.10	618.33	(-) 646.65
	विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं				
	पर्यावरण				
17	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं	1,850.18	30.00	1,007.26	(-) 872.92
	बाल विकास				
18	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	1,803.29	155.00	1,424.39	(-) 533.90
19	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,765.31	350.00	4,611.63	(-) 503.68
20	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं	4,256.49	30.00	2,154.20	(-) 2,132.29
	निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
	कुल	15,061.32	751.83	10,864.54	(-) 4,948.61
	कुल योग	1,05,675.06	6,059.12	91,998.78	(-) 19,735.40

# उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुआ

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधान से बचत		
राजस्व	राजस्व (दत्तमत)						
1	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	9,714.30	876.63	10,060.93	(-) 530.00		
	कुल	9,714.30	876.63	10,060.93	(-) 530.00		
राजस्व	। (प्रभारित)						
2	5-होम / जेल /होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा / न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी / कानूनी सेवा प्राधिकरण)	184.34	60.09	239.76	(-) 4.67		
कुल	कुल		60.09	239.76	(-) 4.67		
पूंजीगत (दत्तमत)							
3	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	42.50	148.00	170.22	(-) 20.28		
कुल	कुल		148.00	170.22	(-) 20.28		
पूंजीगत प्रभारित							
4	8-लोक ऋण	35,052.21	18,536.00	53,021.27	(-) 566.94		
	कुल	35,052.21	18,536.00	53,021.27	(-) 566.94		
	कुल योग	44,993.35	19,620.72	63,492.18	(-) 1,121.89		

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 92)

## प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनःविनियोग का विवरण

अनुदान संख्या 1-विधान समा   1.   2011-संसद/राज्य/संग राज्य क्षेत्र विधानमंत्रल (अंग)23.00 (परा)0.99 (पर	क्र. सं.	लेखे शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+)
1.   2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल (अंग)23.00 (परा)0.93 (पर			एस: अनुपूरक		
02-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल (एस)0.99 (आर) ()12.35   99-प्रधापना   11.64	अनुदान	संख्या 1-विधान सभा			
101-विधान सभा   99-स्थापना   11.64	1.	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	(ओ)23.00	24.21	12.57
अनुदान संख्या 3-सामान्य प्रशासन/युनाव   11.64		02-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	(एस)0.99		
अनुदान संख्या 3-सामान्य प्रशासन/पूनाव   (अ)0.01   6.27   (.)6.0		101-विधान सभा	(आर) (-)12.35		
2.   4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिट्यय (अंग)0.01   6.27 (-)6.0   01-कार्यालय अवन (एस)6.70   051-निर्माण (उस) 5.56   59-सेवा का अधिकार आयोग हेतु भूमि क्रय 12.27		99-स्थापना	11.64		
01-कार्यांतय अवन		<u> </u>			
051-निर्माण   (आर) 5.56   59-सेवा का अधिकार आयोग हेतु भूमि क्रय   12.27	2.			6.27	(-)6.00
59-सेवा का अधिकार आयोग हेतु शूमि क्रय   12.27					
अनुदान संख्या 04 राजस्व/उत्पाद शुरूक एवं कराधान   (ओ)287.23   240.26   38.91   093-जिता स्थापना   (आर) (-)85.95   201.28					
3.   2053-जिला प्रशासन   (अगे)287.23   240.26   38.99   99. स्थापना   (अगे)287.23   (आर) (-)85.95   99. स्थापना   (अगे)40.23   31.18   8.8   2053-जिला प्रशासन   (अगे)40.23   31.18   8.8   094- अन्य स्थापना   (आर) (-)17.86   99. उप मंडलीय स्थापना   (अर) (-)17.86   99. उप मंडलीय स्थापना   (अर) (-)235.00   98.04   98.0   02-बाद, चक्रवाद आदि। (आर) (-)35.00   98.04   98.0   02-बाद, चक्रवाद आदि। (आर) (-)35.00   97.41ज, उर्दरक एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति   (अर) (-)35.00   0.00   97.41ज, उर्दरक एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति   (अर) (-)560.11   101-आरक्षित लिधि और जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा   127.89   प्रतिक्रिया निधि   99-राज्य एवं केंद्र का योगदान   (अर) (-)560.11   127.89   0.00   148.17   148.17   148.17   148.17   148.17   148.17   148.18   148.19			12.27		
093-जिला स्थापना   201.28   201.28   4. 2053-जिला प्रशासन   (31)40.23   31.18   8.8   094- अन्य स्थापना   (31)40.23   31.18   8.8   094- अन्य स्थापना   (31)40.23   31.18   8.8   094- अन्य स्थापना   (22.37   22.30   22.3	अनुदान				
99- स्थापना   201.28	3.	2053-जिला प्रशासन		240.26	38.98
4.   2053-जिला प्रशासन   (अो)40.23   31.18   8.8   094- अन्य स्थापना   (अार) (-)17.86   99- उप मंडलीय स्थापना   22.37   2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत   (अार) (-)35.00   98.04   98.0   02-बाढ़, चक्रवात आदि।   (आर) (-)35.00   0.00   97-बीज, उर्वरक एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति   0.00   97-बीज, उर्वरक एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति   (आर) (-)560.11   101-अप्रतिक जिपि और जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा   127.89   प्रतिक्रिया निधि   101-आपत्रित निधि और जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा   127.89   प्रतिक्रिया निधि   99-राज्य एवं केंद्र का योगदान   148.17   148.17   148.17   80-सामान्य   (आर) (-)200.00   80-अन्य व्यय   96-कीट के लिए नकद राशि   हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।   (आर) (-)50.00   17.09   17.01   80-सामान्य   (आर) (-)50.00   80-सामान्य   (आर) (-)50.00   80-आन्य व्यय   99-ओलावृष्टिशशित लहर/पाला- राहत   (अ)160.00   142.78   6.1- 0.1- वर्षिण प्रतिमाण   136.64   0.1- वर्षिण प्रतिमाण   99-जिला प्रशासन   136.64   0.1- वर्षिण प्रतिमाण   136.64   0.1- वर्षिण प्रतिमाण   136.64   0.1- वर्षिण प्रतिमाण   0.1- वर्षिण प्रतिमाण प्रतिमाण   0.1- वर्षिण प्रतिमाण प्रतिमाण   0.1- वर्षिण प्रतिमाण प्रतिमाण   0.1- वर्षिण प्रतिमाण प्रतिमाण प्रतिमाण प्रतिमाण प्रतिमाण प्रतिमाण प्रतिमाण   0.1- वर्षिण प्रतिमाण प		093-जिला स्थापना	(आर) (-)85.95		
094- अन्य स्थापना   99- उप मंडलीय स्थापना   22.37		99- स्थापना	201.28		
99- उप मंडलीय स्थापना   22.37	4.	2053-जिला प्रशासन	(ओ)40.23	31.18	8.81
5.   2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत   (अं)35.00   98.04   98.00   02-बाढ, चक्रवात आदि।   (अर) (-)35.00   0.00   97-बीज, उर्वरक एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति   (अंर) (-)360.01   05-राहण्य आपदा मंग्वन लिधि   (अर) (-)560.11   101-आरक्षित लिधि और जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रया लिधि   99-राज्य एवं केंद्र का योगदान   127.89   प्रतिक्रया लिधि   99-राज्य एवं केंद्र का योगदान   148.17   148.17   80-सामान्य   (अर) (-)200.00   800-अन्य व्यय   0.00   96-कीट के लिए नकद राशि   हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।   8.   2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत   (अंर) (-)50.00   80-समान्य   (अर) (-)50.00   99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत   (अंर) (-)50.00   99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत   (अर) (-)50.00   17.09   17.0		094- अन्य स्थापना	(आर) (-)17.86		
02-बाढ़, चंक्रवात आदि।		99- उप मंडलीय स्थापना	22.37		
02-बाढ़, चंक्रवात आदि।	5.	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	(ओ)35.00	98.04	98.04
97-बीज, उर्वरक एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति  6. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)688.00 (अर) (-)560.11 101-आरक्षित निधि (आर) (-)560.11 127.89 प्रतिक्रिया निधि 99-राज्य एवं केंद्र का योगदान (अर्ग)200.00 148.17 148.17 80-सामान्य (आर) (-)200.00 800-अन्य टयय 0.00 96-कीट के लिए नकद राशि हमला/अभूर-खना/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (आ)50.00 17.09 17.09 800-अन्य टयय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आ)50.00 17.09 17.09 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आ)7 (-)23.36 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन (अर्थ) - 136.64 99-जिला प्रशासन (अर्थ) - 136.64 109-जिला पुलिस (अर्थ) - 136.64 (अर्थ) - 136.64 (अर्थ) - 136.64 109-जिला पुलिस (अर्थ) - 136.64 (अर्		02-बाढ़, चक्रवात आदि।	(आर) (-)35.00		
6. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)688.00 550.40 422.5 05-राज्य आपदा मोचन निधि (आर) (-)560.11 101-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 99-राज्य एवं केंद्र का योगदान (आर) (-)200.00 148.17 148.17 80-सामान्य (आर) (-)200.00 800-अन्य व्यय 0.00 96-कीट के लिए नकद राशि हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)50.00 17.09 17.09 800-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आर) (-)30.00 17.09 17.09 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आर) (-)23.36 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कान्तृरी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पृतिस (ओ)4,625.88 4,076.96 32.93		101-अनावश्यक राहत	0.00		
6. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)688.00 550.40 422.5 05-राज्य आपदा मोचन निधि (आर) (-)560.11 101-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 99-राज्य एवं केंद्र का योगदान (आर) (-)200.00 148.17 148.17 80-सामान्य (आर) (-)200.00 800-अन्य व्यय 0.00 96-कीट के लिए नकद राशि हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)50.00 17.09 17.09 800-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आर) (-)30.00 17.09 17.09 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आर) (-)23.36 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कान्तृरी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पृतिस (ओ)4,625.88 4,076.96 32.93		97-बीज, उर्वरक एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति			
05-राज्य आपदा मोचन निधि   (अार) (-)560.11   127.89   1	6.		(ओ)688.00	550.40	422.51
101-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 99-राज्य एवं केंद्र का योगदान  7. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 96-कीट के लिए नकद राशि हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)50.00 17.09 17.09 80-सामान्य (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत  9. 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 05- गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस 109-जिला पुलिस (ओ)4,625.88 (अार)(-)581.85					
99-राज्य एवं केंद्र का योगदान  7. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 96-कीट के लिए नकद राशि हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 90-कीट के लिए नकद राशि हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत  9. 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन  05- गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस 109-जिला पुलिस (ओर)(-)581.85		101-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा			
7. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)200.00 148.17 148.17 80-सामान्य (आर) (-)200.00 800-अन्य व्यय 0.00 96-कीट के लिए नकद राशि हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)50.00 17.09 17.09 80-सामान्य (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आ)160.00 142.78 6.10 01-कार्यालय अवन (आर) (-)23.36 051-निर्माण 136.64 99-जिला प्रशासन 0.00 99-जिला प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कान्नी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस (ओ)4,625.88 4,076.96 32.95		प्रतिक्रिया निधि			
80-सामान्य (आर) (-)200.00 800-अन्य व्यय 0.00 96-कीट के लिए नकद राशि हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)50.00 17.09 17.09 80-सामान्य (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (ओ)160.00 142.78 6.10 01-कार्यालय अवन (आर) (-)23.36 051-किर्माण 99-जिला प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  05- गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस (ओ)4,625.88 4,076.96 32.95		99-राज्य एवं केंद्र का योगदान			
80-सामान्य (आर) (-)200.00 800-अन्य व्यय 0.00 96-कीट के लिए नकद राशि हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहल (ओ)50.00 17.09 17.09 80-सामान्य (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहल (ओ)160.00 142.78 6.10 01-कार्यालय अवन (आर) (-)23.36 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस (ओ)4,625.88 4,076.96 32.95 109-जिला पुलिस (आर) (-)581.85	7.	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	(ओ)200.00	148.17	148.17
800-अन्य व्यय 0.00 96-कीट के लिए नकद राशि हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (आरं) (-)50.00 80-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आरं) (-)50.00 17.09 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आरं) (-)23.36 051-निर्माण 136.64 99-जिला प्रशासन (अं) 142.78 केंद्रिमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस (आरं) (-)581.85 4,076.96 32.93			(आर) (-)200.00		
हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।  8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (आं)50.00 17.09 17.09 80-सामान्य (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत (आं)160.00 142.78 6.14 01-कार्यालय भवन (आर) (-)23.36 051-निर्माण 136.64 99-जिला प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस (आं)4,625.88 4,076.96 32.93 109-जिला पुलिस		800-अन्य व्यय			
8. 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (ओ)50.00 17.09 17.09 80-सामान्य (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 0.00 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत 9. 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (आर) (-)23.36 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन (अपरालम् प्राप्तमन प्रशासन (अपरालम् प्राप्तमन (अपरालम् प्रशासन (अपरालम्याम प्रशासन (अपरालम् प्रशासन (अपरालम् प्रशासन (अपरालम् प्रशासन (अ		96-कीट के लिए नकद राशि			
80-सामान्य (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत  9. 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय (आर) (-)23.36 051-निर्माण (आर) (-)23.36 051-निर्माण (आर) (-)23.36 059-जिला प्रशासन  05- गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस (आर)(-)581.85		हमला/भूस्खलन/बादल फटना आदि।			
80-सामान्य (आर) (-)50.00 800-अन्य व्यय 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत  9. 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय (आर) (-)23.36 051-निर्माण (आर) (-)23.36 051-निर्माण (आर) (-)23.36 059-जिला प्रशासन  05- गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस (आर)(-)581.85	8.	73	(ओ)50.00	17.09	17.09
800-अन्य व्यय 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत  9. 4059- लोक निर्माण कार्यों पर प्ंजीगत परिव्यय (अो)160.00 142.78 6.14 01-कार्यालय भवन (आर) (-)23.36 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन  05- गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)  10. 2055-पुलिस 109-जिला पुलिस (आर)(-)581.85		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,		
9. 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (ओ)160.00 142.78 6.1- 01-कार्यालय भवन (आर) (-)23.36 051-निर्माण 136.64 99-जिला प्रशासन 05- गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) 10. 2055-पुलिस (ओ)4,625.88 4,076.96 32.93					
9. 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (ओ)160.00 142.78 6.1- 01-कार्यालय भवन (आर) (-)23.36 051-निर्माण 136.64 99-जिला प्रशासन 05- गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) 10. 2055-पुलिस (ओ)4,625.88 4,076.96 32.93		99-ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला- राहत			
01-कार्यालय भवन	9.		(ओ)160.00	142.78	6.14
051-निर्माण   136.64   99-जिला प्रशासन   136.64		01-कार्यालय भवन			
99-जिला प्रशासन			` ' ' '		
10. 2055-पुलिस (ओ)4,625.88 4,076.96 32.93 109-जिला पुलिस (आर)(-)581.85					
10. 2055-पुलिस (ओ)4,625.88 4,076.96 32.93 109-जिला पुलिस (आर)(-)581.85	05- गृह	इ/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/ऑ	भयोजन/एजीओटी/कानूनी सेव	ा प्राधिकरण)	
109-जिला पुलिस (आर)(-)581.85		· · ·			32.93
99- जिला पुलिस बल 4,044.03					

蛃.	लेखे शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक	अंतिम
सं.		ओ: मूल	व्यय	आधिक्य (+)
		एस: अनुपूरक		बचत (-)
		आर: पुन:विनियोग		
11.	2055-पुलिस	(ओ)7.00	7.00	7.00
	113-पुलिस कार्मिकों का कल्याण	(आर)(-)7.00		
	99-पुलिस कल्याण	0.00		
12.	2055-पुलिस	(ओ)157.00	180.79	66.27
	800-अन्य व्यय	(एस)66.00		
	98-एचपीएचसी को ऋण के ब्याज और जीआईए का पुनर्भुगतान	(आर) (-)108.48		
		114.52		
13.	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 190.00	121.96	32.32
	207-राज्य पुलिस	(आर)( -)100.36		
	97-पुलिस स्टेशन	89.64		
14.	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 60.00	73.66	10.55
	207-राज्य पुलिस	(आर) 3.11		
	99-कार्यालय भवन	63.11		
अनदान	। संख्या.06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी			
15.	2049- ब्याज भुगतान	(ओ)15,679.00	14,809.81	162.15
	01- आंतरिक ऋण पर ब्याज	(आर) (-)1,031.34	,000.0 .	.020
	101- बाजार ऋण पर ब्याज	14,647.66		
	99- ब्याज वाले बाजार ऋण पर ब्याज	. 1,0 17 100		
16.	2049- ब्याज भुगतान	(ओ)1.00	10.36	10.36
10.	01- आंतरिक ऋण पर ब्याज	(आर) (-)1.00	10.00	10.00
	115-अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	0.00		
	भारतीय रिजर्व बैंक से	0.00		
17.	2049- ब्याज भुगतान	(ओ)1,772.13	1,772.13	602.89
17.	01- आंतरिक ऋण पर ब्याज	(आर) (-)602.89	1,772.13	002.03
	200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज	1,169.24		
	89-वित्तीय पुनर्गठन/उदय योजनाओं के कारण ब्याज का भ्गतान	1,100.24		
18.	2049- ब्याज भुगतान	(ओ)42.00	53.07	53.07
10.	01- आंतरिक ऋण पर ब्याज	(आर) (-) 42.00	33.07	55.07
	305-ऋणों का प्रबंधन	0.00		
	99-नया ऋण आदि जारी करने पर व्यय।	0.00		
19.	2049- ब्याज भ्गतान	(ओ)1,400.00	1,245.96	1,245.96
13.	03- लघ् बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज।	(आर) (-)1,400.00	1,245.90	1,243.90
	104- राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	0.00		
	99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	0.00		
20.	2049- ब्याज भुगतान	(ओ)25.00	25.00	25.00
20.	03- लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज।	(आर) (-) 25.00	25.00	25.00
	108-बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज	0.00		
	99-जी.आई.एस पर ब्याज.	0.00		
21.	2049- ब्याज भुगतान	(ओ)42.00	55.10	55.10
21.	04- केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम पर ब्याज	(आर) (-) 42.00	33.10	33.10
	101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज	0.00		
	99- ब्लॉक ऋण	0.00		
22.	2049- ब्याज भ्गतान	(ओ)25.00	14.50	14.50
22.	04- केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम पर ब्याज	(आर) (-) 25.00	14.50	14.50
	109- राज्य योजना ऋण पर ब्याज 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा	0.00		
	के अनुसार समेकित किया गया	0.00		
	99- 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य योजना ऋण पर			
	ब्याज समेकित			
23.		(ओ)54.00	62.35	62.35
25.	2049- ब्याज भुगतान 05- आरक्षित निधि पर ब्याज	(आर) (-) 54.00	02.33	02.33
	101- मूल्यहास नवीकरण आरक्षित निधि में ब्याज	(SIR) (-) 54.00 0.00		
	98-मूल्यहास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन)	0.00		
	उठ-गूर-महारा आरापारा लाप (नाटर भारपहन)			

豖.	लेखे शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक	अंतिम
सं.		ओ: मूल	व्यय	आधिक्य (+)
		एस: अनुपूरक		बचत (-)
		आर: पुन:विनियोग		
24.	2049- ब्याज भुगतान	(ओ)16.00	16.19	16.19
	60-अन्य दायित्वों पर ब्याज	(आर) (-)16.00		
	101- जमा पर ब्याज	0.00		
	98-रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहीत भूमि के प्रति जमा राशि पर ब्याज।			
25.	2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	(ओ)6,500.00	7,229.10	(-)749.40
	01-सिविल	(आर) 1,478.50		
	101-अधिवर्षिता एवं सेवानिवृति भते	7,978.50		
	51-लागू नहीं			
26.	2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	(ओ)1,299.50	1,364.65	68.30
	01-सिविल	(आर) (-)3.15		
	104-3पदान	1,296.35		
07	51- लागू नहीं	(22)/4 400 00	4 200 00	74.40
27.	2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	( <del>ओ</del> )1,100.00	1,388.00	71.13
	01-सिविल 105-पारिवारिक पेंशन	(आर) 216.87		
		1,316.87		
28.	51- लागू नहीं	(3 <del>1)</del> /240 00	140.38	12.45
28.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 115-अवसरंचना के विकास के लिए वितीय सहायता	(3前)240.00	140.38	12.45
	99-जिला योजना का सुरदीकरण	(आर) (-)112.07 127.93		
07 π	ज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	127.93		
29.	6401-फसल की कृषि के लिए ऋण	(ओ) 20.00	35.16	17.81
29.	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	(आर) (-)2.65	33.10	17.01
	96-पिंजौर में सेब फल और सब्जी बाजार की स्थापना के लिए	(Sik) (-)2.65 17.35		
	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) पंचकृता को ऋण	17.33		
	प्रदान करने की योजना			
30.	6408-खाद्य स्टोरेज एवं भंडारण के लिए ऋण	(ओ) 120.00	97.89	42.78
00.	02-स्टोरेज एवं भंडारण	(आर) (-)64.89	07.00	12.70
	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	55.11		
	99-भंडारण एवं कोल्ड स्टोरेज हेतु ऋण			
31.	6501-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों हेत् ऋण	(ओ) 10.00	70.73	55.04
	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	(आर) 5.69		
	99-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) को ऋण	15.69		
32.	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	(ओ) 380.00	625.00	48.33
	04-चीनी	(एस) 171.73		
	101-सहकारी चीनी मिलों को ऋण	(आर) 24.94		
	99-सभी सहकारी चीनी मिलों, कैथल, महम, पानीपत, रोहतक,	576.67		
	सोनीपत, जिंद, पलवल, गोहाना, शाहाबाद, करनाल के ऋणों का			
	एकमुश्त निपटान			
8-लोक				
33.	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	(ओ) 5,190.00	5,190.00	155.00
	106- मुआवजा और अन्य बांड	(आर) (-)155.00		
	99- राज्य सरकार के 8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष बांड (पावर	5,035.00		
-	ৰার্ড)			
34.	6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	(3前)374.32	116.56	(-)374.32
	02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं हेतु ऋण	(आर) 116.56		
	101- ब्लॉक ऋण	490.88		
4.5	51-लागू नहीं		· · ·	
	न एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/			
35.	2401-फसल की कृषि	(新)25.00	40.31	5.97
	105-खाद एवं उर्वरक	(आर)9.34		
	84- मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता के राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन पर	34.34		
	योजना			

豖.	लेखे शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक	अंतिम
सं.		ओ: मूल	व्यय	आधिक्य (+)
		एस: अनुपूरक		बचत (-)
		आर: पुन:विनियोग		
36.	2401-फसल की कृषि	(ओ)150.00	85.04	28.40
	108-वाणिज्यिक फसलें	(आर) (-) 93.36		
	81- गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना	56.64		
37.	2402-मृदा एवं जल संरक्षण	(ओ)28.97	55.91	5.97
	101-मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	(आर)20.97		
	97-राज्य में एकीकृत जलग्रहण विकास एवं प्रबंधन परियोजना हेतु	49.94		
	योजना			
38.	6403-पशुपालन हेतु ऋण	(ओ)100.00	0.00	(-)25.53
	190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	(आर) (-)74.47		
	98-लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान	25.53		
	विश्वविद्यालय, हिसार को वित्तीय सहायता (नाबार्ड)			
39.	6403-पशुपालन हेतु ऋण	(ओ)180.00	121.49	25.53
	190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	(आर) (-) 84.04		
	99-लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान	95.96		
	विश्वविद्यालय, हिसार (राज्य) को वित्तीय सहायता			
11-खा	द्य एवं आपूर्ति/सहकारिता			
40.	4408-खाद्य स्टोरेज एवं भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 900.00	344.25	344.25
	01-भोजन	(आर) -900.00		
	101-खरीद एवं आपूर्ति	0.00		
	97-पूंजी पर ब्याज			
41.	4408-खाद्य स्टोरेज एवं भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 340.00	168.05	168.05
	01-भोजन	(आर) -340.00		
	101-खरीद एवं आपूर्ति	0.00		
	98-स्थापना लागत प्रभार्य			
12- शि	क्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास			
42.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)50.00	54.63	12.35
	01-प्रारंभिक शिक्षा	(एस)40.00		
	109-छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन	(आर) (-)47.72		
	84- कक्षा I-VIII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा	42.28		
43.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)160.00	165.15	34.20
	01-प्रारंभिक शिक्षा	(एस)115.00		
	789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना	(आर) (-)144.05		
	97-कक्षा । से VIII तक के सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को	130.95		
	मासिक वजीफा			
44.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)65.00	95.37	19.18
	01-प्रारंभिक शिक्षा	(आर)11.19		
	789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना	76.19		
	98-अनुसूचित जाति वर्ग । से VIII तक के लिए नकद पुरस्कार			
	योजना			
45.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)140.00	198.43	39.85
	01-प्रारंभिक शिक्षा	(एस)130.00		
	800-अन्य व्यय	(आर) (-)111.42		
	93-शिक्षा का अधिकार अधिनियम	158.58		
46.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)87.41	50.00	(-)44.33
	02-माध्यमिक शिक्षा	(आर)6.92		
	105- शिक्षक प्रशिक्षण	94.33		
	92-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना			
47.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)300.00	1,003.78	19.32
	02-माध्यमिक शिक्षा	(एस)273.00		
	107-छात्रवृत्ति	(आर)411.46		
	83-बुक बैंक/पुस्तकालय	984.46		

क्र.	लेखे शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक	अंतिम
सं.		ओ: मूल	व्यय	आधिक्य (+)
		एस: अनुपूरक		बचत (-)
		आर: पुन:विनियोग		
48.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)4,739.32	4,359.15	40.62
	02-माध्यमिक शिक्षा	(आर) (-)420.79		
	109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय	4,318.53		
	99- अन्य स्थापनों सहित शिक्षण स्टाफ			
	98-स्थापना व्यय			
49.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)100.00	97.00	6.17
	02-माध्यमिक शिक्षा	(आर) (-)9.17		
	110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	90.83		
	96- गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए			
	पेंशन योजना की शुरूआत			
50.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)250.00	250.00	20.15
	03-विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	(आर) (-)20.15		
	104-गैर सरकारी महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सहायता	229.85		
	98-गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों हेतु पेंशन योजना की			
	शुरूआत			
51.	2202-सामान्य शिक्षा	(ओ)470.00	470.00	38.10
	03-विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	(एस)118.25		
	104-गैर सरकारी महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सहायता	(आर) (-)156.35		
	99-गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान	431.90		
52.	2203-तकनीकी शिक्षा	(ओ)321.55	282.15	8.63
	105-पॉलिटेक्निक	(एस)100.00		
	59-राजकीय पॉलिटेक्निक का विकास	(आर) (-)148.03		
	98-स्थापना व्यय	273.52		
53.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	(ओ)765.20	721.50	(-)124.73
	02-समाज कल्याण	(आर) 81.03		
	102-बाल कल्याण	846.23		
	92-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी) (एससीपी)			
54.	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ)150.00	160.14	17.41
	01-सामान्य शिक्षा	(आर) (-)7.27		
	202-माध्यमिक शिक्षा	142.73		
	99-माध्यमिक विद्यालय भवन			
55.	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ)170.00	85.03	85.03
	01-सामान्य शिक्षा	(आर) (-)170.00		
	203-विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	0.00		
	99-कॉलेज भवन			
13- खे	ल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन			
56.	2204-खेल एवं युवा सेवा	(ओ)100.00	36.96	8.53
	104-खेल-कूद	(आर)(-)71.57		
	57-अवसरंचना योजना	28.43		
14-स्वा	स्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए			
57.	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	(ओ)380.00	361.35	8.43
	01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी	(आर) (-) 27.08		
	110-अस्पताल एवं औषधालय	352.92		
	46-समर्थन सेवाओं की आउट सोर्सिंग			
58.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ)300.00	261.57	14.03
	01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं	(एस)75.00		
	110-अस्पताल एवं औषधालय	(आर) (-)127.46		
	99-भवनों की अवसरंचना/प्रशासनिक व्यय के रूप में नामित किया	247.54		
	गया			

豖.	लेखे शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक	अंतिम
सं.		ओ: मूल	व्यय	आधिक्य (+)
		एस: अनुपूरक		बचत (-)
		आर: पुन:विनियोग		
16- अ	नुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय और अधि		याण	
59.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं	(ओ) 271.50	125.48	18.06
	अल्पसंख्यकों का कल्याण	(आर) (-)164.08		
	01-अनुसूचित जाति का कल्याण	107.42		
	277-शिक्षा			
	99-अनुस्चित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति			
60.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं	(ओ) 100.00	95.79	5.22
	अल्पसंख्यकों का कल्याण	(आर) (-)9.43		
	01-अनुसूचित जाति का कल्याण	90.57		
	283-आवास 99-डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना			
61.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं	(ओ) 180.00	126.33	22.65
01.	अल्पसंख्यकों का कल्याण	(आर) (-)76.32	120.55	22.00
	01-अन्सूचित जाति का कल्याण	103.68		
	800-अन्य व्यय	103.00		
	82- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना			
17- भ	वन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन			
62.	2041- वाहनों पर कर	(31) 60.00	36.18	5.35
	102-मोटर वाहनों का निरीक्षण	(आर) (-)29.17		
	98- सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं नियामक विंग का कम्प्यूटरीकरण	30.83		
63.	2059-लोक निर्माण	(ओ)60.00	125.74	(-)9.43
	80-सामान्य	(एस)50.00		
	053-रखरखाव एवं मरम्मत	(आर)25.17		
	99-रखरखाव एवं मरम्मत	135.17		
64.	3054- सड़कें एवं पुल	(ओ)400.00	327.54	(-)27.35
	04-जिला एवं अन्य सड़कें	(एस)40.00		
	337-सड़क कार्य	(आर) (-)85.11		
	98-ग्रामीण सड़कें	354.89		
65.	3054- सड़कें एवं पुल	(ओ)25.00	20.40	8.52
	04-जिला एवं अन्य सड़कें	(एस)3.00		
	337-सड़क कार्य	(आर) (-)16.12		
	99-जिला सड़कें	11.88		
66.	3055- सड़क परिवहन	(ओ)79.00	93.00	93.00
	201-हरियाणा रोडवेज	(आर) (-)79.00		
	96-एफ-अन्य व्यय	0.00		
67.	4059-सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ)80.00	23.23	(-)27.11
	60-अन्य भवन	(आर) (-)29.66		
	051- निर्माण	50.34		
	98-न्याय प्रशासन			
68.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ)50.00	5.83	(-)5.97
	01- शासकीय आवासीय भवन	(आर) (-)38.20		
	106- सामान्य पूल आवास	11.80		
	99- न्याय प्रशासन			
69.	5053-नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ)620.00	345.05	12.59
	60-अन्य वैमानिकी सेवाएं	(आर) (-)287.54		
	102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं	332.46		
4-	98-स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब, हिसार			
	चना और प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण और स्टेशन			2.5=
70.	2852- उद्योग	(31)50.00	14.28	6.37
	07-दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	(आर) (-)42.09		
	202-इलेक्ट्रॉनिक्स	7.91		
	91-आई.टी. हरियाणा के लिए योजना			

豖.	लेखे शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक	अंतिम
सं.		ओ: मूल	व्यय	आधिक्य (+)
		एस: अनुपूरक		बचत (-)
		आर: पुन:विनियोग		
	वाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली एवं व		प्रौद्योगिकी	
71.	2700-प्रमुख सिंचाई	(31) 33.08	0.67	(-) 22.52
	01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक)	(आर) (-)9.89		
	001-निदेश एवं प्रशासन	23.19		
	89-विशेष राजस्व			
72.	2700-प्रमुख सिंचाई	(ओ) 119.55	5.31	(-) 120.55
	01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक)	(आर) 6.31		
	001-निदेश एवं प्रशासन	125.86		
	91-कार्यकारी अभियंता			
73.	2700-प्रमुख सिंचाई	(31) 51.84	1.45	(-)36.70
	02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	(आर) (-)13.69		
	001- निदेश एवं प्रशासन	38.15		
	89-विशेष राजस्व			
74.	2700-प्रमुख सिंचाई	(ओ) 489.00	14.10	(-) 450.77
	02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	(आर) (-)24.13		
	001- निदेश एवं प्रशासन	464.87		
	91-कार्यकारी अभियंता			
75.	2700-प्रमुख सिंचाई	(ओ) 27.55	0.62	(-) 24.27
	02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	(आर) (-)2.66		
	001- निदेश एवं प्रशासन	24.89		
	92- अधीक्षण अभियंता			
76.	2700-प्रमुख सिंचाई	(ओ) 68.62	14.53	(-) 37.45
	18-गैर-व्यावसायिक सिंचाई परियोजनाएं	(आर) (-)16.64		
	001- निदेश एवं प्रशासन	51.98		
	91- कार्यकारी अभियंता			
77.	2700-प्रमुख सिंचाई	(ओ) 96.36	9.79	(-)62.70
	80-सामान्य	(आर) (-)23.87		
	001-निदेश एवं प्रशासन	72.49		
	93-मुख्य अभियंता			
78.	2700-प्रमुख सिंचाई	(ओ) 60.00	48.69	48.69
	80-सामान्य	(आर) -60.00		
	800-अन्य व्यय	0.00		
	98- सुधार, अपग्रेडेशन, संचालन एवं रखरखाव			
79.	2705-कमांड क्षेत्र विकास	(3計) 96.82	10.40	(-) 15.60
	789- अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना	(आर) (-)70.82		
	97- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्राप मोर क्रॉप का	26.00		
	कार्यान्वयन			
80.	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	(3前) 150.00	236.15	21.44
	102-लघु उद्योग	(आर) 64.71		
	64-नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 एमएसएमई के अंतर्गत	214.71		
	एमएसएमई के विकास के लिए प्रोत्साहन			
81.	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 150.00	62.26	(-) 5.43
	13- नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग	(आर) (-)82.31		
	789-अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना	67.69		
	99-नहर नेटवर्क का पुनर्वास-राज्य में अनुसूचित जाति आबादी में			
00	जलमार्गों के पुनर्वास में सुधार	(-\) «		4
82.	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(新) 300.00	214.21	12.25
	13- नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग	(आर) (-)98.04		
	800-अन्य व्यय	201.96		
	98-नहर नेटवर्क के नहर पुनर्वास का निर्माण	]		

豖.	लेखे शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक	अंतिम
सं.		ओ: मूल	व्यय	आधिक्य (+)
		एस: अनुपूरक		बचत (-)
		आर: पुन:विनियोग		
83.	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 200.00	150.72	(-) 10.88
	80- सामान्य	(आर) (-)38.40		
	800- अन्य व्यय	161.60		
	97- नहरों और नालों पर पुलों और संरचना का पनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण			
0.4	3	(2 <del>/</del> ) 000 00	444.54	10.04
84.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार	(ओ) 200.00 (आर) (-)70.53	141.51	12.04
	789- अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना	(SIR) (-)70.33 129.47		
	99-राज्य में अन्सूचित जाति की आबादी के लिए आरआईडीएफ	125.47		
	(नाबार्ड) के अंतर्गत प्राने/मौजूदा चैनलों का स्धार			
85.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 200.00	169.87	34.53
	07-नाबार्ड के अंतर्गत प्राने/मौजूदा चैनलों का स्धार	(आर) (-)64.66		
	800-अन्य व्यय	135.34		
	98- नाबार्ड-नहर निर्माण			
86.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 100.00	103.22	6.32
	25-उपचारित अपशिष्ट जल हेतु सिंचाई योजना	(आर) (-)3.10		
	800-अन्य व्यय	96.90		
	99-सिंचाई प्रयोजन के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति			
	शाखाएं			
87.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 200.00	285.93	16.39
	01-बाढ़ नियंत्रण	(आर) 69.54		
	201-जल निकासी एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना	269.54		
20 era	99-बाढ़ सुरक्षा एवं आपदा तैयारी <b>री विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (</b>	कारकी एवं अधिकार है	اعسن/سیاس بیغ بر	गानगिर विराग
	र विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	्पूरलबा २५ जाव्नरामन स	ापार <i>)</i> ।ग्रामाण रप स	ानुपायक ।पकास
88.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	(ओ) 150.00	196.10	9.06
	01-जल आपूर्ति	(आर) 37.04		
	101- शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	187.04		
	99-शहरी जल आपूर्ति एवं सीवरेज का रखरखाव			
	98-रखरखाव प्रभार			
89.	2217-शहरी विकास	(ओ)950.00	710.99	662.67
	80-सामान्य	(एस) 660.00		
	191- स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर	(आर) (-)1,561.68		
	सुधार बोर्डों आदि को सहायता।	48.32		
	96-नगर निगमों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान			
90.	2217-शहरी विकास	(ओ) 286.20	213.51	6.25
	80-सामान्य	(आर) (-)78.94	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5.25
	191- स्थानीय निकाय निगम शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार	207.26		
	बोर्ड आदि को सहायता।			
	97-केन्द्रीय वित आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों को सहायता			
	अनुदान			
91.	2217-शहरी विकास	(ओ) 50.00	20.08	5.00
	80-सामान्य	(एस) 218.00		
	192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	(आर) (-)252.92		
	92- स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को नगर	15.08		
20	पालिकाओं/परिषदों को अंशदान	/-\\ <b>/</b>		() (0.5=
92.	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	(新) 125.52	100.65	(-) 19.25
	01-जल आपूर्ति 101 शर्की राज आपूर्ति	(आर) (-)5.62		
	101-शहरी जल आपूर्ति 99-शहरी जल आपूर्ति	119.90		
	99-संवर्दधन जल आपूर्ति   99-संवर्दधन जल आपूर्ति			
	०० राज्य्यम अल आर्या			

क्र.	लेखे शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक	अंतिम
सं.		ओ: मूल	व्यय	आधिक्य (+)
		एस: अनुपूरक		बचत (-)
		आर: पुन:विनियोग		
93.	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 200.00	119.45	(-) 8.77
	01-जल आपूर्ति	(आर) (-)71.78		
	102-ग्रामीण जल आपूर्ति	128.22		
	93-ग्रामीण जल आपूर्ति			
	93-नाबार्ड			
94.	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 124.00	79.44	(-) 16.50
	01-जल आपूर्ति	(आर) (-)28.06		
	102-ग्रामीण जल आपूर्ति	95.94		
	93-ग्रामीण जल आपूर्ति			
	94- संवर्द्धन जल आपूर्ति			
95.	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 860.00	467.03	27.44
	01-जल आपूर्ति	(आर) (-)420.41		
	102-ग्रामीण जल आपूर्ति	439.59		
	98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति			
	99-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज केंद्रीय पुनर्नामित जल जीवन मिशन			
	(जेजेएम)-कवरेज			
96.	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 170.00	114.13	(-) 17.64
	02-सीवरेज एवं स्वच्छता	(आर) (-)38.23		
	101-शहरी स्वच्छता सेवाएं	131.77		
	94- सीवरेज एवं स्वच्छता			
97.	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	(ओ) 200.00	34.71	6.78
	101-पंचायती राज	(आर) (-)172.07		
	99-दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना	27.93		
	कुल	51,004.96	54,372.34	(-) 2,243.20
				(+) 5,610.58

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोग से अधिक व्यय (+)	73	(+) 5,610.58
विनियोग से बचत (-)	24	(-) 2,243.20
कुल	97	

₹ 10 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों	राशि
	की संख्या	(₹ करोड़ में)
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,	55	5,486.06
29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 58, 59,		
61, 66, 69, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 89 और 95		
₹ 10 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
25, 34, 38, 46, 53, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 92, 94 और 96	19	2,207.60
कुल	74	

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.4; पृष्ठ 93)

## मार्च 2023 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

	•					•		
	# 보	अनुदान सख्या	्ड	अनुप्रक	कुल प्रावधान	वास्तविक	बच <i>त/</i> आधिक्य	अभ्यपित राशि
	क्स म	ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचत के विरूद्ध कम राशि समर्पित की गई थी						
	राजस्व	राजस्व (दत्तमत)						
	-	6-वित्त/योजना एवं सांस्थिकी	13,530.83	00.00	13,530.83	12,841.46	(-) 689.37	80.64
	2	15-अम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1,822.02	187.43	2,009.45	1,183.25	(-) 826.20	777.57
	3	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,224.54	439.69	4,664.23	3,628.54	(-) 1,035.69	922.98
		हिन हिन	19,577.39	627.12	20,204.51	17,653.25	(-) 2,551.26	1,781.19
	मूंजीगत	पूजीगत दत्तमत						
	4	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4,256.49	30.00	4,286.49	2,154.20	(-) 2,132.29	1,718.08
	2	20-शहरी विकास (नगर एवं देश नियोजन/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निनशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	9,469.56	0.00	9,469.56	2,399.56	(-) 7,070.00	7,044.48
10		চ-গ	13,726.05	30.00	13,756.05	4,553.76	(-) 9,202.29	8,762.56
1	प्जीगत	भूंजीगत प्रभारित						
	9	8-लोक ऋण	35,052.21	18,536.00	53,588.21	53,021.27	(-) 566.94	349.77
	7	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	20.00	0.00	20.00	28.70	(-) 21.30	20.15
		৽৽	35,102.21	18,536.00	53,638.21	53,049.97	(-) 588.24	369.92
	7	कुल योग	68,405.65	19,193.12	87,598.77	75,256.98	(-) 12,341.79	10,913.67
	ऐसे म	ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचत के विरूद्ध अधिक राशि अञ्चपित की गई थी						
	दतमत	दतमत राजस्व						
	1	1-विधान सभा	92.91	3.60	96.51	83.51	(-) 13.00	25.60
	2	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	185.66	6.10	191.76	170.80	(-) 20.96	21.18
	3	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	767.03	176.24	943.27	289.60	79.838 (-)	354.01
	4	4-राजस्व/उत्पाद् शुल्क एवं कराधान	2,416.83	0.00	2,416.83	1,809.54	(-) 607.29	1,356.58
	2	5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	7,503.92	668.04	8,171.96	6,700.69	(-) 1,471.27	1,591.15
	9	10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	5,453.59	105.37	5,558.96	4,140.84	(-) 1,418.12	1,476.45
	7	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	1,586.16	538.90	2,125.06	1,088.45	(-) 1,036.61	1,040.24
	8	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	20,330.10	1,766.06	22,096.16	19,046.99	(-) 3,049.17	3,144.70
	6	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	594.33	0.02	594.38	409.39	(-) 184.99	195.38
	10	14-स्वास्थ्य/डीएमईआए/आयुष/ईएसआई/एफडीए	7,126.03	229.63	7,355.66	6,298.23	(-) 1,057.43	1,074.98
_	7	16-अनुस्चित जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय और अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	10,335.24	178.13	10,513.37	9,556.08	(-) 957.29	1,010.29

						İ	
₩ ₩	अनुदान सख्या	ুল ম	अनुप्रक	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत/ आधिक्य	अभ्यपित राशि
12	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	529.71	0.01	529.72	305.84	(-) 223.88	233.21
13	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विजान एवं प्रौद्योगिकी	9,714.30	876.63	10,590.93	10,060.93	(-) 530.00	837.77
4	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	10,025.05	1,007.10	11,032.15	8,551.69	(-) 2,480.46	3,019.95
	ঃকা	76,660.86	5,555.86	82,216.72	68,812.58	(-) 13,404.14	15,381.49
प्रभारि	प्रभारित राजस्व						
15	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	21,161.48	1.00	21,162.48	20,095.57	(-) 1,066.91	3,325.15
	চন্দ্ৰ	21,161.48	1.00	21,162.48	20,095.57	(-) 1,066.91	3,325.15
<u>म</u> ्जीग	पूंजीगत दत्तमत						
16	4-राजस्व/उत्पाद शुल्क एवं कराधान	235.00	0.00	235.00	187.09	(-) 47.91	55.04
17	5-गृह/जेल/होमगाई और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	435.00	00.00	435.00	284.95	(-) 150.05	194.28
18	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	555.52	00.00	555.52	230.47	(-) 325.05	344.44
19	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,117.41	171.73	1,289.14	1,037.25	(-) 251.89	419.75
20	10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,256.88	8.10	1,264.98	618.33	(-) 646.65	649.76
21	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	16,416.60	0.00	16,416.60	11,006.11	(-) 5,410.49	5,924.38
22	12.शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	1,850.18	30.00	1,880.18	1,007.26	(-) 872.92	974.54
23	13.खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	255.05	0.03	255.08	188.84	(-) 66.24	89.69
24	14.स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	1,803.29	155.00	1,958.29	1,424.39	(-) 533.90	549.75
22	15.शम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	73.20	00.00	73.20	37.20	(-) 36.00	36.44
26	16.अनुस्चित जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय और अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	61.40	0.00	61.40	11.66	(-) 49.74	50.95
27	17.अवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,765.31	350.00	5,115.31	4,611.63	(-) 503.68	806.38
	कुल	28,824.84	714.86	29,539.70	20,645.18	(-) 8,894.52	10,075.39
<u>पंजी</u> ब							
28	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	00.09	0.00	00.00	4.38	(-) 55.62	25.67
	कुल	00'09	0.00	00.00	4.38	(-) 55.62	55.67
28	कुल योग	1,26,707.18	6,271.72	1,32,978.90	1,09,557.71	(-) 23,421.19	28,837.70
北	ऐसे मामले जिनमें राशि को वास्तविक बचत के रूप में कम कर दिया गया था						
प्रभारि	प्रभारित राजस्व						
-	3-सामान्य प्रशासन/युनाव	52.35	0.20	52.55	31.40	(-) 21.15	21.15
	कुल	52.35	0.20	52.55	31.40	(-) 21.15	21.15
प्जीग	पूंजीगत दत्तमत						
2	18-स्चना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं स्चना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	42.50	148.00	190.50	170.22	(-) 20.28	20.28
	कुल	42.50	148.00	190.50	170.22	(-) 20.28	20.28
7	कुल योग	94.85	148.2	243.05	201.62	(-) 41.43	41.43
37	कुल योग	1,95,207.68	25,613.04	220,820.72	185,016.31	(-) 35,804.41	39,792.80
<b>j</b> j							

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 93)

# विक्षिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहां प्रत्येक मामले में बचत रै 100 करोड़ से अधिक थी

					J	(र करोड़ में)
<del>श</del> .सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	भुज	अनुप्रक	કલ	वास्तिविक	बचत
राजस्व	व (दत्तमत)					
1	3-सामान्य प्रशासन/युनाव	767.03	176.24	943.27	289.60	353.67
2	4-राजस्व/उत्पाद शुल्क एवं कराधान	2,416.83	0.00	2,416.83	1,809.54	607.29
က	5-गृह/जेल/होमगाई और नागरिक मुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कान्नी सेवा प्राधिकरण)	7,503.92	668.04	8,171.96	6,700.69	1,471.27
4	6-वित/योजना एवं सांख्यिकी	13,530.83	0.00	13,530.83	12,841.46	689.37
2	10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/परिस्थितिकी एवं पर्यावरण	5,453.59	105.37	5,558.96	4,140.84	1,418.12
9	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	1,586.16	538.90	2,125.06	1,088.45	1,036.61
7	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	20,330.10	1,766.06	22,096.16	19,046.99	3,049.17
∞	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	594.33	0.05	594.38	409.39	184.99
6	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष्/ईएसआई/एफडीए	7,126.03	229.63	7,355.66	6,298.23	1,057.43
10	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1,822.02	187.43	2,009.45	1,183.25	826.20
11	16-अनुस्चित जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय और अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	10,335.24	178.13	10,513.37	9,556.08	957.29
12	17-भवन एवं सडकें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,224.54	439.69	4,664.23	3,628.54	1,035.69
13	18-स्चना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं स्चना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	529.71	0.01	529.72	305.84	223.88
14	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएसई/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	9,714.30	876.63	10,590.93	10,060.93	530.00
15	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निगशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	10,025.05	1,007.10	11,032.15	8,551.69	2,480.46
	कुल	95,959.68	6,173.28	102,132.96	86,211.52	15,921.44
प्रभारि	प्रभारित राजस्व					
16	6-वित/योजना एवं सांस्थिकी	21,161.48	1.00	21,162.48	20,095.57	1,066.91
	ত কুল ত কুল	21,161.48	1.00	21,162.48	20,095.57	1,066.91

<del>श</del> .सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	भू	अनुप्रक	ક	वास्तविक	बचत
म्जीगर	पूंजीगत दत्तमत					
17	5-गृह/जेल/होमगाई और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायातय/अभियोजन/एजीओटी/कान्नी सेवा प्राधिकरण)	435.00	0.00	435.00	284.95	150.05
18	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	555.52	0.00	555.52	230.47	325.05
19	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,117.41	171.73	1,289.14	1,037.25	251.89
20	10-खान एवं भू-विज्ञानमंकृषि/बागवानीपशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/बन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,256.88	8.10	1,264.98	618.33	646.65
21	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	16,416.60	0.00	16,416.60	11,006.11	5,410.49
22	12-शिक्षा (उच्य/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	1,850.18	30.00	1,880.18	1,007.26	872.92
23	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष(ईएसआई/एफडीए	1,803.29	155.00	1,958.29	1,424.39	533.90
24	17-भवन एवं सङ्के/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,765.31	350.00	5,115.31	4,611.63	503.68
25	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएमर्स/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4,256.49	30.00	4,286.49	2,154.20	2,132.29
26	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निनशमन सेवाएं)ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	9,469.56	00.00	9,469.56	2,399.56	7,070.00
	. केल	41,926.24	744.83	42,671.07	24,774.15	17,896.92
म्जीगर	पूंजीगत (प्रभारित)					
27	8-लोक ऋण	35,052.21	18,536.00	53,588.21	53,021.27	566.94
	कुल	35,052.21	18,536.00	53,588.21	53,021.27	566.94
	कुल योग	1,94,099.61	25,455.11	2,19,554.72	1,84,102.51	35,452.21

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भ: अन्टछेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 94)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(र करोड़ में)

100.00 100.00 73.28 30.60 100.00 20.00 99.94 100.00 100.00 95.22 65.93 54.96 99.54 बजट से अधिक बचत प्रतिशतता 100.00 532.00 802.39 137.60 424.00 146.55 117.79 487.14 103.00 183.61 164.89 126.42 1,000.00 बचत 0.46 0.00 0.00 53.45 416.39 251.74 135.11 0.00 5.91 0.58 550.40 व्यय 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538.88 101.00 0.00 0.0 0.00 अनुपूरक 100.00 0.00 802.85 1,000.00 123.70 200.00 2.00 688.00 424.00 200.00 00.009 300.00 127.00 बजट अनुमान 2853-अलौह खनन एवं धातुकर्म उदयोग्02-खानों का विनियमन एवं विकास 102-खनिज अन्वेषण 99-खनन के बाद पुनरुद्धार कार्य पर व्यय చి. గ్ర 2425-सहयोग,108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता,94-डबवाली में दूध शीतलन केंद्र की स्थापना, जिसका नाम बदलकर दुग्ध शीतलन 2401-फसल की कृषि, 001- निदेश एवं प्रशासन,94- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (एजीआर-2014- न्याय प्रशासन, 102-उच्च न्यायालय, 96-पीएचसी-उच्च न्यायालय का प्रदर्शन लिंक्ड परित्यय (पीएलओ) (पीएचसी-पीएलओ-आरईबी) 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निष्मि,101- आरक्षित निष्मि और जमा खातों में अंतरण-राज्य आपदा से जुड़ा 2052-सचिवालय-सामान्य सेवा, 090- सचिवालय, 90- मुख्य सचिव कार्यालय/स्थापना के निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (सीएसई-2425-सहकारिता, 107-ऋण सहकारी समितियों को सहायता, 89-सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज दर पर 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 797-आरक्षित निषियों और जमा खातों में/से अंतरण् 99-विकास और कल्याण निष्धि (पूंजी निर्माण 2425-सहयोग, 107-ऋण सहकारी समितियों को सहायता ,85-हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और हरको बैंक को वस्ती जिसका नाम बदलकर सभी अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए गए अल्यावधि फसल ऋण पर ब्याज दर पर छूट कर दिया गया है। 10- खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 5- गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) 2055-पृलिस, 001-दिशा एवं प्रशासन,97-पुलिस के निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (पीओएल-पीएलओ-आरईवी) 2075-विविध सामान्य सेवाएं ,800-अन्य व्यय,88-मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) 2401-फसल की कृषि, 111-कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी,90-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2401-फसल की कृषि, 109-विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण,80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अनुदान और योजना का नाम प्रतिक्रिया निधि,99-राज्य और केंद्र का योगदान प्रोत्साहन के लिए एकमूश्त निपटान योजना 4-राजस्व/उत्पाद शुल्क एवं कराधान 11-खादय एवं आपूर्ति/सहकारिता केंद्रों का सुद्दवीकरण किया गया 6-वित/योजना एवं सांख्यिकी 3-सामान्य प्रशासन/चनाव पीएलओ-आरईवी) पीएलओ-आरईवी) राजस्व (दतमत) निधि 왕. 관. 9 2 3 2 Ŋ 9 ∞ თ

·						
F.	다. 마.	बजट अनुमान	<del>ያ</del> ዩ ዩ	ਹ ਹ	ਹ ਹ ਭ	बजट स आधक बचत प्रतिशतता
7	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास					
41	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 001-निदेश एवं प्रशासन, 93-प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिच्यय (पीएल.ओ) (ईडीपी-पीएल.ओ-आरईवी)	170.00	00.00	0.00	170.00	100.00
12	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 789-अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 97-कक्षा । से VIII तक सभी अनुस्चित जाति के छात्रों को मासिक वजीफा	160.00	115.00	165.15	109.85	39.95
16	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 001- निदेश एवं प्रशासन, 92- प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए प्रदर्शन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीपी-पीएलओ-आरईवी)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, 104-गैर सरकारी महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सहायता, 99-गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान।	470.00	118.25	470.00	118.25	20.10
8	2236-पोषण, 02-पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थी का वितरण,101-विशेष पोषण कार्यक्रम, 87-मात् एवं शिशु अल्पपोषण की समस्या के निपटान के लिए बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम की योजना	200.00	00:00	96.54	103.46	51.73
œ	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए					
19	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी, 110-अस्पताल एवं औषधालय, 70-केंद्रीय वित्त आयोग के प्रशासन के मानकों का अपग्रेडेशन	525.57	0.00	156.40	369.17	70.24
50	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 80-सामान्य, 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता, 97-एबी-एचएचपीए (आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा कर्मचारियों, पेशनभीगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार	200.00	00:00	0.00	200.00	100.00
21	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 80-सामान्य, 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थान को सहायता99-आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन	170.00	165.00	170.00	165.00	49.25
6	15-अम(रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण					
22	2230-अम, रोजगार एवं मौशल विकास02-रोजगार सेवा 101-रोजगार सेवाएं92-रोजगार कार्यालय हेतु कर्मचारी एवं शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भता।	969.50	00:00	666.97	302.53	31.20
10	16-अनुस्चित जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय और अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण					
23	2225-अनुस्चित जाति, अनुस्चित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुस्चित जाति का कल्याण, 277-शिक्षा, 99-अनुस्चित जाति को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	271.50	00.00	125.48	146.02	53.78
24	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम,102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन,98- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना	4,200.00	150.00	4,216.90	133.10	3.06
11	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
22	2216-आवास, 02-शहरी आवास, 192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता,99- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी सामान्य)	160.00	0.00	4.23	155.77	97.36
56	2216-आवास, 02-शहरी आवास, 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 99-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी अनुसूचित जाति)	120.00	0.00	0.00	120.00	100.00
27	नार्य, 98-ग्राम	400.00	40.00	327.54	112.46	25.56
28	3055-सड़क परिवहन,001-निदेश एवं प्रशासन, 97-परिवहन के निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-आरईवी)	30.00	318.66	00:00	348.66	100.00

#; ₩	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुप्रक	<u></u>	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
12	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7				
29	2700-प्रमुख सिंचाई.80-सामान्य,190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता, 96-ग्राम तालाबों का विकास, तालाबों का विकास/जीर्णोद्धार नाम दिया गया	504.12	00.00	128.86	375.26	74.44
30	2705-कमांड क्षेत्र विकास्190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायक्क्ष्य-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन-पर ड्राप मोर क्रॉप	209.60	00.00	340.00	169.60	33.28
31	2810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा,101-ग्रिड इंटरैक्टिव एवं वितरित नवीकरणीय ऊर्जा,98-राज्य में सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना	400.00	00.00	297.91	102.09	25.52
32	2851-ग्राम और लघु उद्योग, 101-औद्योगिक संपदा, 95-औद्योगिक अवसरंचना का निर्माण अपग्रेडेशन और रखरखाव नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसरंचना के विकास के रूप में नामित किया गया	150.00	0.00	24.03	125.97	83.98
13	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाए)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रा	(ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	कास एवं पंच	ायतें)/जन स्वार	स्थ्य अभियांत्रि	की विभाग
33	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो आदि को सहायता, 96-नगर निगमों को स्टाम्प शुरूक की आय से स्थानीय निकायों को योगदान	950.00	00.099	710.99	899.01	55.84
34	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाऔंग्नगर परिषदों को सहायता,87- स्मार्ट सिटी	400.00	00.00	0.00	400.00	100.00
35	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाऔं/नगर परिषदों को सहायता, 88-स्वच्छ भारत मिशन	300.00	00'0	33.82	266.18	88.73
36	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाऔनगर परिषदों को सहायता, 92-स्टाम्प शुल्क की आय से नगर पालिकाऔं/नगर परिषदों को स्थानीय निकायों को अंशदान	20.00	218.00	20.08	247.92	92.51
37	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा)	450.00	00.00	178.16	271.84	60.41
38	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 101-पंचायती राज,89-राज्य वित आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को वितीय सहायता	480.00	00.00	370.00	110.00	22.92
39	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास,93-स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता योजना (ग्रामीण)	300.00	0.00	11.07	288.93	96.31
40	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता,99-पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की योजना	302.92	0.00	56.84	246.08	81.24
14	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम,198-ग्राम पंचायतों को सहायता,98-केंद्रीय वित आयोग की अनुशंसा पर ग्रामपंचायतों को सहायता अनुदान	968.00	0.00	280.50	687.50	71.02
राजस्व	(प्रभारित)					
-	6-वितायोजना एवं सांख्यिकी					
42	2049-ब्याज भुगतान,01-आंतरिक ऋण पर ब्याज,101-बाजार ऋण पर ब्याज,99-ब्याज वाले बाजार ऋण पर ब्याज	15,679.00	0.00	14,809.81	869.19	5.54
43	2049-ब्याज भुगतान, 03-त्रघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज, 104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज, 99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	1,400.00	0.00	1,245.96	154.04	11.00
44	2075-विविध सामान्य सेवाएं, 797-आरक्षित निधि जमा खातों में/से अंतरण, 99-गारंटी मोचन निधि- आरक्षित निधि और जमा खाते में अंतरण (मच्य शीर्ष-8235)	167.00	0.00	0.00	167.00	100.00
मृंजीग	पूंजीगत (दममत)					
-	6-वित/योजना एवं सांख्यिकी					
45	4059-सार्वजनिक कार्यौ पर पूंजीगत परिट्यय,01-कार्यालय भवन, 051-निर्माण, 60-वित भवन का निर्माण	130.00	0.00	90.0	129.94	99.95
7	10- खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
46	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिच्यय 101-पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य, 99-राज्य में पशु चिकित्सा अवसरंचना का निर्माण, 99- राज्य महायता	150.00	0.00	7.92	142.08	94.72

₩ ₩	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनूमान	अनुप्रक	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
47	6416-कृषि वितीय संस्थानों को ऋण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण,99-हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को वितीय सहायता	696.87	0.00	428.85	268.02	38.46
ဗ	11- खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
48	4408-खाद्य अंडारण एवं अंडारण पर पूंजीगत परित्यय 01- खाद्य,101-खरीद एवं आपूर्ति,89-बाजरा की खरीद	500.00	0.00	398.23	101.77	20.35
49	4408-खाद्य स्टोरेज और भंडारण पर पूंजीगत परिच्यय 01-खात्य, 101-खरीद एवं आपूर्ति, 97-पूंजी पर ब्याज	900.00	00.00	344.25	522.75	61.75
20	4408-खाद्य स्टोरेज एवं भंडारण पर पूंजीगत परित्यय 01- खाद्य,101-खरीद एवं आपूर्ति, 99-अनाज आपूर्ति योजना	14,500.00	0.00	9,982.76	4,517.24	31.15
4	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राएंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास					
21	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर प्ंजीगत परित्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 202-माध्यमिक शिक्षा,97-नाबाई के अंतर्गत वरिष्ठ	150.00	0.00	00.00	150.00	100.00
	मध्यमिक आर उच्च विद्यालय भवन का निमाण					
52	6202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण, 01-सामान्य शिक्षा, 203-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 99-विश्वविद्यालयों को ऋण,99-विश्वविद्यालयों को ऋण	1,142.32	0.00	659.46	482.86	42.27
2	14- स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए					
53	4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परित्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110-अस्पताल और औषधालय, 99-इमारतों को	300.00	75.00	261.56	113.44	30.25
	अवसरंचना/प्रशासनिक ट्यय के रूप में नामित किया गया					
24	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय् 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 86-चिकित्सा शिक्षा और अनूसंधान के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-कैप)	440.00	00.00	00.00	440.00	100.00
22	6210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए ऋण, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 99- चिकित्सा संस्थानों के गरीब पात्र छात्रों को ऋण का नाम बदलकर चिकित्सा आयष विश्वविदयालयों के लिए ऋण कर दिया गया।	314.97	00.00	22.50	292.47	92.86
9	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
56	5053-नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परित्यय 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं, 052- मशीनरी और उपकरण, 99-स्पेयर पार्ट्स, विमान और अन्य उपकरणों की खरीद	125.20	00.00	24.87	100.33	80.14
22	5053-नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय, 60- अन्य वैमानिकी सेवाएं, 102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं, 98-हिसार में स्वर्ण जयंती एकीकत विमानन हब	620.00	00.00	345.05	274.95	44.35
28	5054-सड़कों और पुलों पर प्ंजीगत परिव्यय, 04-जिला और अन्य सड़कें, 337-सड़क कार्य, 49-पीरमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें, 99-अंबाला सर्कल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का अपग्रेडेशन	309.17	00.00	134.62	174.55	56.46
29	5055-सड़क परिवहन पर प्जीगत परित्यय, 102-बेड़े का अधिग्रहण, 77-हरियाणा रोडवेज डिपो	130.00	350.00	361.73	118.27	24.64
7	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
09	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परित्यय, 07 सतलुज यमुना लिंक परियोजना, 800-अन्य त्यय, 98-नहर का निर्माण (एसवाईएल))	100.00	00.0	0.07	99.93	99.93
61	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 98-सिंचाई और जल संसाधन विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएतअो) (आईआरआर-पीएतओ-सीएपी)	500.00	00.00	0.00	200.00	100.00
62	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05-पारेषण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश्96- डीएचबीवीएनएल को इक्टिवटी पूंजी	269.77	00.00	2.00	267.77	99.26
63	4801-बिजली परियोजनाओं पर प्रजीगत परिट्यय 05-पारेषण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश,97- यूएचबीवीएनएल को इक्टिवटी प्रजी	226.66	0.00	2.00	224.66	99.12

H		ļ	37.11.12		ļ l	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ŕ	95·전.	अनुमान	بر د د د	y S	C T F	बजट स आवक बचत प्रतिशतता
49	<ul> <li>4801-बिजली पिरयोजनाओं पर पूंजीगत पिरव्यय् 05-पारेषण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश्,99-इक्विटी पूंजी एचवीपीएनएल</li> </ul>	243.79	0.00	2.00	241.79	99.18
<b>∞</b>	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अन्निशमन सेवा)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास	मीण विकास/विब		एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	ध्य अभियांत्रि	भी विभाग
65	<ul> <li>4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिच्यय 01-जल आपूर्ति, 102-ग्रामीण जल आपूर्ति,98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति,99- एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज केंद्रीय पुनर्नामित जल जीवन मिशन (जेजेएम) कवरेज</li> </ul>	860.00	0.00	467.03	392.97	45.69
99	<ul> <li>4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जल आपूर्ति, 800-अन्य व्यय, 96- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी)</li> </ul>	450.00	0.00	00'0	450.00	100.00
67	7 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिच्यय, 60-अन्य शहरी विकास योजनाएं, 001-निदेश और एवं, 98-डीएलबी-निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (सीएपी) के निष्पादन से जुड़ा परिच्यय (पीएलओ)	1,500.00	0.00	00'0	1,500.00	100.00
89	<ul> <li>4217-शहरी विकास पर पूंजीगत पिरव्यय्60-अन्य शहरी विकास योजनाएं 051-निर्माण,87-राज्य वित आयोग की अनुशंसा पर नगर पालिका को सहायता अनुदान (अनिधिकृत योजना)</li> </ul>	720.00	0.00	341.00	379.00	52.64
69	) 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिट्यय्60-अन्य शहरी विकास योजनाएं 051-निर्माण,88-नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (टीसीपी-पीएलओ-सीएपी)	1,055.02	0.00	0.00	1,055.02	100.00
70	) 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिट्यय्60-अन्य शहरी विकास योजनाएं, 051-निर्माण,89-मंगल नगर विकास योजना	1,000.00	00:00	240.55	759.45	75.95
7	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिटयय 60-अन्य शहरी विकास योजनाएं, 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 99-   अनुसूचित जाति के लिए नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान राज्य वित आयोग अंतरण के लिए घटक (अनधिकृत योजना)	280.00	0.00	158.33	121.67	43.45
199	<ul> <li>45.15-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर प्ंजीगत पिरव्यय् 101-पंचायती राज,96-राज्य वित आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को वितीय सहायता</li> </ul>	820.00	0.00	205.20	614.80	74.98
73	ऽ   4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय्101-पंचायती राज,97-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	500.00	00.00	89.86	401.32	80.26
74	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिट्यय् 101-पंचायती राज, 98-विकास और पंचायत विभाग के निष्पादन से जुड़ा परिट्यय (पीरलओ) (डीईबी-पीरलओ-सीएपी)	00.069	0.00	00.00	00.069	100.00
75	ऽ   4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परित्यय्101-पंचायती राज,99-दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना	200.00	0.00	34.71	165.29	82.65
9/	<ul> <li>4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत पीरव्यय 103-ग्रामीण विकास, 99-विकास कार्यों के लिए नाबाई के अंतर्गत सिंचाई दक्षता</li> <li>योजना का नाम बदलकर विद्यालय आदर्श ग्राम योजना (वीएजीवाई) कर दिया गया है।</li> </ul>	180.20	0.00	16.17	164.03	91.03
77	<ul> <li>4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर प्ंजीगत पिरव्यय् 789-अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक योजना99-राज्य वित आयोग (एससीएसपी) की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थानों को वितीय सहायता</li> </ul>	210.00	0.00	52.50	157.50	75.00
·F	प्ंजीगत प्रभारित					
-	08-लोक ऋण					
78		14,800.00	0.00	8,436.10	6,363.90	43.00
79	)   6004-केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए ऋण्101-ब्लॉक ऋण, 51-लागू नहीं	374.32	0.00	116.56	257.76	68.86

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (ii); पृष्ठ 96)

### उन योजनाओं <sup>1</sup> का विवरण जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान था और बचत कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक थी

:		_c		~		
क्र.स.	स्कीम	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
1.	हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु	2020-21	200.00	0.00	200.00	100
	योजना [पी-02-10-2401-51-109-76-51]	2021-22	85.00	0.00	85.00	100
		2022-23	45.00	2.33	42.67	95
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2020-21	21.15	9.48	11.67	55
	[पी-02-10-2401-51-109-77-51]	2021-22	23.25	4.00	19.25	83
		2022-23	42.17	18.42	23.75	56
3.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	2020-21	14.00	4.20	9.80	70
	[पी-02-10-2402-51-101-95-51]	2021-22	14.00	0.60	13.40	96
		2022-23	10.00	5.00	5.00	50
4.	राज्य विधानमंडल के सदस्य	2020-21	184.50	83.01	101.49	55
	[पी-01-06-2071-01-111-99-51]	2021-22	188.19	25.88	162.31	86
		2022-23	100.00	33.47	66.53	67
5.	गारंटी मोचन निधि-आरक्षित निधि और जमा खाते में	2020-21	167.00	0.00	167.00	100
	अंतरण (मुख्य शीर्ष -8235)	2021-22	167.00	0.00	167.00	100
	[पी-01-06-2075-51-797-99-51]	2022-23	167.00	0.00	167.00	100
6.	मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई)	2020-21	900.60	383.68	516.92	57
	[पी-01-06-2075-51-800-88-51]	2021-22	823.74	1.64	822.10	100
		2022-23	802.85	0.46	802.39	99
7.	पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आबंटित भूखंड	2020-21	10.00	0.00	10.00	100
	का भुगतान [पी-01-18-4220-60-101-97-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100
8.	मंत्रियों, उप मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों	2020-21	15.00	4.38	10.62	71
	और राज्य विधायकों को एचबीए अग्रिम	2021-22	15.00	3.60	11.40	76
	[पी-01-07-7610-51-201-98-51]	2022-23	10.00	2.28	7.72	77
9.	अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	2020-21	60.00	0.00	60.00	100
	[P-01-20-2217-80-192-98-51]	2021-22	50.00	0.00	50.00	100
		2022-23	25.00	0.00	25.00	100
10.	नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से	2020-21	403.00	70.51	332.49	83
	स्थानीय निकायों को योगदान	2021-22	149.47	10.21	139.26	93
	[पी-01-20-2217-80-192-92-51]	2022-23	268.00	20.08	247.92	93
11.	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के	2020-21	30.00	0.00	30.00	100
	लिए योजना [पी-01-20-2515-51-102-96-99]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100
12.	सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना	2020-21	10.00	0.00	10.00	100
	[पी-01-19-5425-51-600-99-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100
		2022-23	50.00	0.00	50.00	100
13.	बहउददेशीय नदी परियोजना अंतर्गत कार्यकारी अभियंता	2020-21	114.85	4.91	109.94	96
	(वाणिज्यिक) [पी-01-19-2700-01-001-91-51]	2021-22	114.85	5.15	109.70	96
		2022-23	119.55	5.31	114.24	96
14.	बह्उद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष	2020-21	28.09	0.83	27.26	97
	राजस्व [पी-01-19-2700-01-001-89-51	2021-22	29.34	1.13	28.21	96
		2022-23	33.08	0.67	32.41	98
15.	पश्चिमी जम्ना नहर परियोजना के अंतर्गत अधीक्षण	2020-21	25.90	1.12	24.78	96
	अभियंता (वाणिज्यिक) [पी-01-19-2700-02-001-92-51]	2021-22	27.35	0.70	26.65	97
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2022-23	27.55	0.63	26.92	98

\_

<sup>2021-22</sup> में अनुदानों के लिए 47 बजटीय मांगें थी जिन्हें हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदानों के लिए 20 बजटीय मांगों में समेकित किया गया है।

16.     पश्चिमी जमुना नहर परियोजना के अंतर्गत विशेष राजस्व (वाणिज्यिक) [पी-01-19-2700-02-001-89-51]     2020-21     45.00       17.     गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-18-001-91-51]     2020-21     79.25       अभियंता [पी-01-19-2700-18-001-91-51]     2021-22     68.62	2.46 1.45 1.45 12.11 15.27	42.54 49.71	<b>(प्रतिशत)</b> 95 97
(वाणिज्यिक) [पी-01-19-2700-02-001-89-51] 2021-22 51.16 2022-23 51.84 17. गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी 2020-21 79.25 अभियंता [पी-01-19-2700-18-001-91-51] 2021-22 68.62 2022-23 68.62	1.45 12.11		97
17.     गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी     2020-21     79.25       अभियंता [पी-01-19-2700-18-001-91-51]     2021-22     68.62       2022-23     68.62	12.11	E0 20	37
अभियंता [पी-01-19-2700-18-001-91-51] 2021-22 68.62 2022-23 68.62		50.39	97
2022-23 68.62	15.27	67.14	85
		53.35	78
	14.53	54.09	79
18. गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत 2020-21 63.74	11.48	52.26	82
मुख्य अभियंता [पी-01-19-2700-80-001-93-51] 2021-22 98.41	14.31	84.10	85
2022-23 96.36	9.79	86.57	90
19. नहर का निर्माण (एसवाईएल) 2020-21 100.00	0.00	100.00	100
[पी-01-19-4700-07-800-98-51] 2021-22 100.00	4.72	95.28	95
2022-23 100.00	0.07	99.93	99
20. नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म 2020-21 170.00	0.00	170.00	100
सिंचाई [पी-01-19-4701-07-800-97-51] 2021-22 150.00	0.00	150.00	100
2022-23 150.00	66.63	83.37	56
21. स्पेयर पार्ट्स, एयर क्राफ्ट और अन्य उपकरणों की खरीद 2020-21 15.16	0.76	14.40	95
[पी-01-17-5053-60-052-99-51] 2021-22 15.16	2.01	13.15	87
2022-23 125.20	24.87	100.33	80
22. उपखण्ड स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैट्स हेत् स्वर्ण 2020-21 10.00	0.80	9.20	92
जयंती योजना [पी-01-17-4216-01-106-76-51] 2021-22 10.00	4.25	5.75	58
2022-23 10.00	4.14	5.86	59
23. कक्षा IX-XII में पिछड़े वर्ग-ए छात्रों को मासिक वजीफा पि- 2020-21 25.00	0.00	25.00	100
01-12-2202-02-107-86-51] 2021-22 25.00	0.00	25.00	100
2022-23 27.00	4.50	22.50	83
24. नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एमपीएचडब्ल्यू मेल की स्थापना 2020-21 25.00	5.26	19.74	79
[पी-01-14-2210-05-105-71-51] 2021-22 20.00	9.52	10.48	52
2022-23 20.00	9.75	10.25	51
25.     अन्सूचित जाति के छात्रों को उच्च प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा के 2020-21     19.00	5.31	13.69	72
िलए वित्तीय सहायता [पी-01-16-2225-01-277-88-51] 2021-22 20.00	0.00	20.00	100
2022-23 20.00	0.00	20.00	100
26.       हरियाणा में मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण एवं नशा       2020-21       10.00	3.39	6.61	66
20. हिस्याणा न नाद्रफ पदाया का तस्करा पर नियंत्रण रेप निरा 2020-21 10.00 मुक्ति केंद्र की स्थापना। 2021-22 10.00	0.00	10.00	100
50 ct to 2005 00 tot 04 5t1			
	13.74	9.91 45.86	99 77
	15.63		
		43.97	74
2022-23 60.00	29.04	30.96	52
28. पोषण अभियान हेतु योजना 2020-21 51.99	20.48	31.51	61
[पी-02-12-2236-80-102-99-51] 2021-22 74.49	8.37	66.12	89
2022-23 65.40	17.52	47.88	73
29. आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण-राज्य योगदान 2020-21 60.00	6.70	53.30	89
[पी-01-12-4235-02-102-99-98] 2021-22 40.00	13.19	26.81	67
2022-23 50.00	0.39	49.61	99
30. हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना 2020-21 10.20	4.50	5.70	56
[पी-01-18-2230-03-001-92-51] 2021-22 240.20	4.50	235.70	98
2022-23 50.00	12.45	37.55	75
31. पंचायत चुनाव के संचालन के लिए मुख्यालय स्टाफ 2020-21 35.03	5.68	29.35	84
[पी-01-03-2015-51-101-99] 2021-22 34.15	12.13	22.02	64
2022-23 38.59	12.96	25.63	66
32. शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान 2020-21 12.00	3.00	9.00	75
[पी-01-04-2705-51-102-99-51] 2021-22 12.00	3.00	9.00	75
2022-23 12.00	4.80	7.20	60

क्र.सं.	स्कीम	वर्ष	कुल	वास्तविक	बचत	बचत
			J	व्यय		(प्रतिशत)
33.	जेलें [पी-01-05-4216-01-106-97-51]	2020-21	50.00	14.79	35.21	70
		2021-22	30.00	10.88	19.12	64
		2022-23	30.00	11.13	18.87	63
34.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार [पी-	2020-21	103.00	23.13	79.87	78
	01-06-2071-01-106-51]	2021-22	105.06	7.15	97.91	93
		2022-23	105.00	10.08	94.92	90
35.	आस्थगित बिक्री कर/वैट के बदले ब्याज म्क्त ऋण	2020-21	50.00	12.50	37.50	75
	[पी -01-07-6851-51-102-90]	2021-22	40.00	19.29	20.71	52
		2022-23	40.00	3.63	36.37	91
36.	कृषि इनपुट्स पर गुणवता नियंत्रण हेतु योजना	2020-21	27.75	11.23	16.52	60
	[पी-01-10-2401-51-105-96)	2021-22	27.75	2.81	24.94	90
		2022-23	15.00	3.50	11.50	77
37.	प्रतिअन्पूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भ्गतान	2020-21	30.62	15.01	15.61	51
	[पी-01-10-2406-04-103-92]	2021-22	14.73	6.58	8.15	55
		2022-23	18.01	0.98	17.03	95
38.	खनन के बाद प्नरुद्धार कार्य पर व्यय	2020-21	28.60	10.31	18.29	64
	[पी-01-10-2853-02-102-99]	2021-22	103.35	22.12	81.23	79
		2022-23	123.70	5.91	117.79	95
39.	डबवाली में द्रग्ध चिल्लिंग न केंद्र की स्थापना का नाम	2020-21	21.35	0.15	21.20	99
	बदलकर दुग्ध चिल्लिंग केंद्रों का स्दढ़ीकरण कर दिया गया	2021-22	21.35	0.00	21.35	100
	[P-01-11-2425-51-108-94]	2022-23	127.00	0.58	126.42	99
40.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयुएसए)	2020-21	75.00	18.25	56.75	76
	[पी-02-12-2202-03-103-97]	2021-22	60.00	0.00	60.00	100
		2022-23	24.00	0.00	24.00	100
41.	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना	2020-21	18.00	1.31	16.69	93
	[पी-02-12-2235-02-102-69]	2021-22	25.00	1.47	23.53	94
		2022-23	30.00	7.48	22.52	75
42.	महिला हित संवेदनशीलता [पी-01-12-2235-02-103-79]	2020-21	40.17	12.97	27.20	68
		2021-22	40.34	18.21	22.13	55
		2022-23	40.00	1.12	38.88	97
43.	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण [पी-02-12-4235-02-102-99]	2020-21	20.00	2.06	17.94	90
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100
44.	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण-नाबार्ड योगदान	2020-21	20.00	4.03	15.97	80
	[पी-01-12-4235-02-102-99-99]	2021-22	20.00	6.39	13.61	68
		2022-23	20.00	1.40	18.60	93
45.	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण [पी-01-12-4235-02-789-99]	2020-21	15.00	0.50	14.50	97
	, ,,	2021-22	10.00	0.00	10.00	100
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100
46.	कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल का निर्माण	2020-21	30.00	11.48	18.52	62
	[୩-01-14-4210-03-105-96]	2021-22	20.00	5.00	15.00	75
		2022-23	50.00	0.07	49.93	99
47.	मशीनरी और उपकरण का आध्निकीकरण	2020-21	35.00	4.76	30.24	86
	[पी-01-15-4250-51-800-97]	2021-22	35.00	1.89	33.11	95
		2022-23	15.00	2.11	12.89	86
48.	एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन स्गम्य भारत अभियान	2020-21	18.00	0.75	17.25	96
	(एसआईपीडीए) [पी-03-16-4235-02-101-92]	2021-22	18.00	0.00	18.00	100
		2022-23	18.00	0.00	18.00	100
49.	न्याय प्रशासन [पी-02-17-4059-60-051-99]	2020-21	100.00	21.18	78.82	79
		2021-22	50.00	20.99	29.01	58
		2022-23	80.00	23.23	56.77	71
50.	हवाई अड़डों का रखरखाव	2020-21	50.00	1.21	48.79	98
JJ.						
	[पी-01-17-5053-60-102-99]	2021-22	50.00	13.58	36.42	73

क्र.सं.	स्कीम	वर्ष	कुल	वास्तविक	बचत	बचत
			3	व्यय		(प्रतिशत)
51.	कार्यकारी अभियंता- पश्चिमी जमुना नहर परियोजना के	2020-21	427.95	22.84	405.11	95
	अंतर्गत (वाणिज्यिक) [पी-01-19-2700-02-001-91-51]	2021-22	457.60	16.58	441.02	96
		2022-23	489.00	14.10	474.90	97
52.	गांव के तालाब का विकास का नाम बदलकर तालाब का	2020-21	1,002.00	6.46	995.54	99
	विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया [पी-01-19-2700-80-190-	2021-22	802.00	128.52	673.48	84
	96]	2022-23	504.12	128.86	375.26	74
53.	नहरों का निर्माण (मेवात) [पी-01-19-4701-22-800-98]	2020-21	200.00	0.00	200.00	100
		2021-22	100.00	0.87	99.13	99
		2022-23	100.00	0.93	99.07	99
54.	नगर निगमों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों	2020-21	1,606.40	202.87	1,403.53	87
	को योगदान [पी-01-20-2217-80-191-96]	2021-22	2,066.61	750.32	1,316.29	64
		2022-23	1,610.00	710.99	899.01	56
55.	स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88]	2020-21	248.12	57.77	190.35	77
		2021-22	364.86	199.50	165.36	45
		2022-23	300.00	33.82	266.18	89
56.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना को सहायता	2020-21	30.00	0.00	30.00	100
	[पी-01-20-2515-51-102-90]	2021-22	20.00	5.00	15.00	75
		2022-23	30.00	0.00	30.00	100
57.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेत्	2020-21	245.00	80.77	164.23	67
	योजना [पी-02-20-2515-51-102-93]	2021-22	532.37	99.82	432.55	81
		2022-23	300.00	11.07	288.93	96
58.	पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय और	2020-21	668.92	161.48	507.44	76
	जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की योजना	2021-22	467.76	153.03	314.73	67
	[पी-01-20-2515-51-196-99]	2022-23	302.92	56.83	246.09	81
59.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता हेतु योजना	2020-21	20.00	0.00	20.00	100
	[पी-01-20-2515-51-789-91]	2021-22	20.00	5.00	15.00	75
		2022-23	20.00	0.00	20.00	100
60.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु	2020-21	60.00	25.78	34.22	57
	योजना अनुसूचित जाति-[पी-02-20-2515-51-789-98]	2021-22	50.00	14.81	35.19	70
		2022-23	50.00	0.00	50.00	100
61.	अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास	2020-21	20.00	0.00	20.00	100
	योजना (एसएमएजीवाई) की योजना-[पी-02-20-2515-51-	2021-22	10.00	0.00	10.00	100
	789-99]	2022-23	10.00	0.00	10.00	100

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 102)

वर्ष की अंतिम तिमाही/महीने में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ और कुल व्यय का 50 प्रतिशत और उससे अधिक

Ħ. 원	भनदान मंख्या	क्रींट गडर्फ	वर्ष भ भूगम	नर्ब की भंतिर	वर्ष की भंतिम तिमाड़ी के तौरान व्यय	の事	मार्च २०२३ के हौरान व्यय
			कल व्यय	# F	कल त्यय की पतिशतता		कब त्यय की पतिशतता
Ļ	4-राजस्व/उत्पाद शल्क एवं कराधान	2245-प्राकतिक आपदाओं के कारण राहत	681.50	572.12	84	329.33	
2.			18.15	10.05	22	7.29	40
ن	6-वित/योजना एवं सांख्यिकी	2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग	300.00	300.00	100	300.00	100
4.		5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर प्ंजीगत परिव्यय	230.41	149.03	65	81.39	35
5.	10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	डेयरी ४४०१- फसल की कृषि पर प्ंजीगत परिव्यय ररण	31.97	25.34	62	25.33	79
9.	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर प्ंजीगत परिव्यय	109.99	71.62	65	9.56	6
7.		5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	78.86	53.58	89	0.00	0
∞i	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	4059-सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	10.00	20	0.00	0
6	17-भवन एवं सड़के/परिवहन/नागरिक उड्डयन	3054-सड़कें एवं पुल	650.37	367.23	94.95	311.29	48
10.		5053-नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	411.00	248.41	09	55.34	13
11.		5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	335.19	181.85	54	122.39	28
12.	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं 4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत स्टेशनरी	4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	148.00	148.00	100	148.00	100
13.	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं	2701-मध्यम सिंचाई	216.37	190.94	88	183.57	82
14.	निपटान/बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2705-कमांड क्षेत्र विकास	66.399	394.94	29	296.19	45
15.		2801-शक्ति	6,764.86	3,556.53	23	872.65	13
16.		2810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	307.34	175.33	29	115.23	37
17.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	69.698	577.68	99	476.40	22
18.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	754.68	442.98	69	357.44	47
19.		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	513.94	282.36	99	228.47	44
20.	20 शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय  2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	126.90	65.61	51.70	12.01	9.46
21.	सरकार ( यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास ( ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,140.93	1,315.06	61.42	634.90	29.66
		कुल	15,375.54	9,138.66	59.44	4,566.78	29.70

परिशिष्ट 3.17 (संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 102)

2022-23 के दौरान तिमाहीवार व्यय दर्शाने वाला विवरण

क्रम समुर पानशाम	14			中华日内	<del> 111年</del> 2003 華	F 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	100	The second	er arranga	क्र क्रम के निक्रध महानीक क्रम (निमानीनार/माने में)	्म नियान
(3計+4社)	न्द्रता त्राचारा न	ट्यय		व्यय व्यय	न्ययं	, , ,	τ Σ - 1	Š	्य पारतायम् (प्रतिशत में)	#)	
			(र करोड़	में			पहली द	दूसरी	नीसरी	可되	मार्च 2023
अनुदान संख्या.1-विधान सभा											
97.34	17.78	23.96	19.78	22.54	9.04	84.06	21	28	24	27	-
अनुदान संख्या 2 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद											
214.22	24.68	48.81	36.06	80.18	51.59	189.73	13	56	19	42	27
अनुदान संख्या 3 सामान्य प्रशासन/चुनाव											
995.82	159.49	150.53	131.29	191.18	102.23	632.49	25	24	21	30	16
अनुदान संख्या.4 राजस्व/उत्पाद शुल्क एवं कराधान	कराधान										
2,651.83	266.58	263.66	404.55	924.46	495.09	1,859.25	14	14	22	20	27
अनुदान संख्या 5 होम / जेल /होम गाई और नागरिक सुरक्षा /न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन /एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	र नागरिक सुरक्षा /	न्याय प्रशासन (उच्च ब	न्यायालय / अभियोज	न /एजीओटी/कानू	ो सेवा प्राधिकरण)						
8,851.39	1,921.99	1,951.69	1,346.43	2,005.29	827.23	7,225.40	56	27	19	28	
अनुदान संख्या 6-वित/योजना एवं सांख्यिकी	_										
35,248.83	6,700.11	9,535.45	7,628.16	9,303.77	4,514.43	3,3167.49	20	59	23	28	14
अन्दान संख्या 10 खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पश्पालन	/बागवानी/पश्पालन	एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन	-यपालन/वन एवं वन्य	ग जीवन/पारिस्थितिकी	की एवं पर्यावरण						
	766.65	819.09	1,296.01	1,166.72	236.06	4,048.47	19	20	32	29	9
अनुदान संख्या 12 शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रांरिभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं ब	प्रारंभिक)/तकनीकी ि	शैक्षा/महिला एवं बाल '	ल विकास								
23,976.34	4,940.63	4,686.39	4,815.28	4,952.45	2538.12	19,394.75	25	24	25	26	13
अनुदान संख्या 13.खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	ग्ला एवं संस्कृति/पर्य	टन									
849.46	125.11	126.44	117.56	229.13	53.10	598.24	21	21	20	38	6
अनुदान संख्या 14 स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	गुब/ईएसआई/एफडीए										
9,314.15	2,383.15	1,502.08	1,664.68	2,150.26	713.32	7,700.17	31	19	22	28	6
अनुदान संख्या 15 श्रम/रोजगार/कौंशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	गस एवं औद्योगिक	प्रशिक्षण									
2,082.65	295.76		316.87	325.00	120.75	1,220.44	24	23	26	27	10
अनुदान संख्या 16.अनुसूचित जाति और पिछड़े	छड़े वर्गका कल्याण	वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय और	और अधिकारिता/पूर्व सै	सैनिकों का कल्याण							
10,574.77	2,299.58	2,373.33	2,443.84	2,450.98	869.92	9,567.73	24	25	25	26	6
अनुदान संख्या 17 भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड़डयन	ग/नागरिक उड्डयन										
9,829.59	1,810.68	1,463.03	2,078.72	2,763.31	1,239.82	8,115.74	22	18	26	34	15
अनुदान संख्या 18 सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	निक्स एवं सूचना प्र	दियोगिकी/मुद्रण एवं स	टेशनरी								
720.54	82.97	82.37	86.31	224.39	173.93	476.04	18	17	18	47	37
अनुदान संख्या 19 सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/बिजली	ोज्य/एमएसएमई/आ <sup>ए</sup>	र्गूर्त एवं निपटान/बिजल	भी एवं नवीकरणीय उ	नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी							
14,937.43	1,091.51	1,699.89		6,231.87			6	14	26	51	23
अनुदान संख्या 20 शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय	ं ग्राम आयोजना/शह	री संपदा)/स्थानीय सर	सरकार (यूएलबी एवं अ	(यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण	ामीण एवं सामुदायिक	ं विकास (ग्रामीण	r विकास/विकास	एवं	पंचायत)/जन	स्वास्थ्य अभि	अभियांत्रिकी विभाग
20,502.11	2,983.82	1,318.22	2,268.98	4,207.75	1,871.82	10,778.77	28	12	21	39	17

### परिशिष्ट 3.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1(v); पृष्ठ 107)

### अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार बचत

सिकेलारिडीजनल स्टाफ   2020-21   18.40   14.87   3.53 (19.19   2021-22   21.80   18.06   3.74 (17.13   2021-22   21.80   18.06   3.74 (17.13   2021-22   21.80   18.06   3.74 (17.13   2021-22   21.80   18.06   3.74 (17.13   2021-22   21.80   18.06   3.74 (17.13   2021-22   21.80   18.06   3.74 (17.13   2021-22   18.00   5.16 (22.23   23.21   18.05   5.16 (22.23   23.21   20.00						. , ,
1         सर्किलाविज्ञिज्ञ स्टाफ (2402-51-001-99-51-10-पी-01)         2020-21         18.40         18.67         3.73 (19.19 (2402-51-001-99-51-10-पी-01)           2         23 विविद्या और पारिस्थितक रिज्ञमंशन की स्थापना (2406-01-005-98-51-10-पी-01)         2021-22         16.00         7.20         8.80 (3.73)         45.75 (6.22.33)           3         वनरोपण बंजर भूमि और कृषि         2020-21         16.00         7.20         8.80 (5.50) (55)         5.50 (55)           3         वनरोपण बंजर भूमि और कृषि         2020-21         49.65         44.51         5.14 (10.37)         5.50 (55)         4.51         5.50 (55)         4.51         5.50 (55)         4.51         5.50 (55)         4.51         5.51 (10.30)         4.20         4.20         4.50         5.50 (55)         4.51         5.51 (10.30)         4.20         4.20         4.451         5.51 (10.30)         4.01         4.30         7.67 (13.94)         4.45         4.451         5.51 (10.30)         4.01         4.20         4.22         6.90         2.86         4.04 (88.53)         4.01         4.20         4.21         4.44 (88.53)         4.44 (88.53)         4.44 (88.53)         4.44 (88.53)         4.44 (88.53)         4.44 (88.53)         4.44 (88.53)         4.44 (88.54)         4.44 (88.54)         4.44 (88.54)         4.44 (88.54)	क्र.सं.	( )	वर्ष	बजट	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
(2402-51-001-99-51-10-मी-01)  2021-22   21.80   18.06   3.74 (17.13   2022-23   23.21   18.05   5.16 (22.23   23.31   18.05   5.16 (22.23   23.31   18.05   5.16 (22.23   23.31   18.05   5.16 (22.23   23.31   18.05   5.16 (22.23   23.31   20.00   4.50   5.50   2022-22   16.00   7.20   8.80 (55   2022-23   10.00   4.50   5.50   2022-23   10.00   4.50   5.50   2022-23   10.00   4.50   5.50   2021-22   49.65   43.01   6.64 (13.37   2021-22   49.65   44.51   5.14 (10.35   2022-23   5.00   47.33   7.67 (13.35   2022-23   5.00   47.33   7.67 (13.35   2022-23   5.00   47.33   7.67 (13.35   2022-23   5.00   47.33   7.67 (13.35   2022-23   5.00   47.33   7.67 (13.35   2022-23   5.00   47.33   7.67 (13.35   2022-23   7.40   2.76   4.64 (52.77   2021-22   49.65   44.51   5.14 (10.35   2022-23   7.40   2.76   4.64 (52.77   2021-22   49.65   44.51   5.14 (10.35   2022-23   7.40   2.76   4.64 (52.77   2021-22   49.65   44.51   5.14 (10.35   2022-23   7.40   2.76   4.64 (52.77   2021-22   30.62   15.01   15.61 (50.98   2022-23   18.01   0.98   17.03 (94.56   2022-23   18.01   0.98   17.03 (94.56   2022-23   18.01   0.98   17.03 (94.56   2022-23   18.01   0.98   17.03 (94.56   2022-23   18.01   0.98   17.03 (94.56   2022-23   18.01   0.98   17.03 (94.56   2022-23   18.01   0.98   17.03 (94.56   2021-22   20.00   0.00   20.00 (100   20.00		वन एवं व	वन्यजीव विभाग			
2022-23   23.21   18.05   5.16 (22.23   23.21   23.	1		2020-21	18.40	14.87	3.53 (19.19)
2 जैत विविधाना और पारिस्थितिक रिजनरेशन की स्थापना (2406-01-005-98-51-10-पी-01)   2022-23   10.00   7.20   8.60   5.50   (55   55   65   55   65   65   64   64		(2402-51-001-99-51-10-पी-01)	2021-22	21.80	18.06	3.74 (17.13)
स्यापना (2406-01-005-98-51-10-पी-01)			2022-23	23.21	18.05	5.16 (22.23)
2022-23   10.00   4.50   5.50   (55   63   2020-21   49.65   43.01   6.64   (13.37   6.65   6.64   (13.37   6.65   6.64   6.64   (13.37   6.65   6.64   6.64   (13.37   6.65   6.64   6.64   (13.37   6.65   6.64	2	जैव विविधता और पारिस्थितिक रिजनरेशन की	2020-21	16.00	8.68	7.32 (45.75)
विस्तिषण बंजर अमि और कृषि   2020-21   49.65   43.01   6.64 (13.37   (2406-01-102-88-51-10-पी-01)   2021-22   49.65   44.51   51.4 (10.35   2021-22   49.65   44.51   51.4 (10.35   2021-22   49.65   44.51   51.4 (10.35   2021-22   55.00   47.33   7.67 (13.94   4   41.54   47.33   7.67 (13.94   4   41.54   47.33   7.67 (13.94   4   41.54   47.33   7.67 (13.94   4   41.54   47.33   7.67 (13.94   4   41.54   47.33   7.67 (13.94   4   41.54   47.33   7.67 (13.94   4   4   4   4   51.54   4   4   4   51.54   4   4   4   51.54   4   4   4   51.54   4   4   4   51.54   4   4   51.54   4   4   51.54   4   51.54   4   51.54   4   51.54   4   51.54   4   51.54		स्थापना (2406-01-005-98-51-10-पी-01)	2021-22	16.00	7.20	8.80 (55)
(2406-01-102-88-51-10-पी-01) (2406-01-102-88-51-10-पी-01) (2012-22) (3900) (47.33) (7.67 (13.94) (2012-12) (3.92) (3.10) (3.92 (20.92) (3.92) (4.92)			2022-23	10.00	4.50	5.50 (55)
4       वानिकी साइइस का विस्तार (सड़क नहरों और रेलें लाइनों की बंजर भृमि शेन्टरबेल्ट्स पर तृक्षारोपण) (2406-01-102-97-51-10-पी-01)       3.92       3.10       0.82 (20-2)         5       प्रतिअनपुपक वनरोपण निधि पर अजित ब्याज से भूगतान (2406-01-102-97-51-10-पी-01)       2022-23       7.40       2.76       4.64 (62.77         5       प्रतिअनपुपक वनरोपण निधि पर अजित ब्याज से भूगतान (2406-04-103-92-51-10-पी-01)       2021-22       14.73       6.58       8.15 (55.34)         2022-23       18.01       0.98       17.03 (94.56)         कृषि पर किसान कल्याण प्राधिकरण के सुद्दीकरण हेत् योजना       2020-21       200.00       0.00       200.00 (100         4       सहक्षेत्ररण हेत् योजना       2021-22       85.00       0.00       85.00 (100         (पी-01-10-2401-51-109-76-51)       2022-23       45.00       2.33       42.67 (94.82)         2       कृषि अवशेन एवं प्रवार-प्रसार       2020-21       75.66       66.49       3.11.03 (13.67)         3       राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन       2021-22       80.66       69.63       11.03 (13.67)         3       राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन       2020-21       21.15       9.48       11.73 (14.39)         3       राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन       2020-22       20.00       60.79       132.94 (61.82)         4       <	3	वनरोपण बंजर भूमि और कृषि	2020-21	49.65	43.01	6.64 (13.37)
वीनिकी साइइस का विस्तार (सङक नहरों और रलें लाइनों की बंजर भूमि शेल्टरबेल्ट्स पर 2021-22 6.90         2.86         4.04 (68.27)           5         प्रतिअन्पूर्ण (2406-01-102-97-51-10-पी-01)         2022-23         7.40         2.76         4.64 (62.77)           5         प्रतिअन्पूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगताल (2406-04-103-92-51-10-पी-01)         2021-22         14.73         6.58         8.15 (55.38)           7         एव. प्रतिअन्पूरक वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगताल (2406-04-103-92-51-10-पी-01)         2021-22         14.73         6.58         8.15 (55.38)           8         इरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदक्किरण हैते थोजना         2020-21         200.00         0.00         200.00 (100           1         इरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदक्किरण हैते थोजना         2021-22         85.00         0.00         85.00 (100           2         कृषि प्रवेशन पढ़ प्रचार-प्रसार         2022-23         45.00         2.33         42.67 (94.82           2         कृषि प्रवेशन पढ़ प्रचार-प्रसार         2020-21         75.45         66.49         8.96 (11.87)           2         कृषि प्रवेशन पढ़ प्रचार-प्रसार         2020-21         75.45         66.49         8.96 (11.87)           3         राष्ट्रीय खाद्य सुरक्का मिलन         2020-21         21.15         94.81         11.67 (55.62           4			2021-22	49.65	44.51	5.14 (10.35)
स्विकी साइड्स का विस्तार (सड़क नहरों और रेलवे लाइजों की वंजर भूमि केटरदेकेट्स पर 2021-22 6.90 2.86 4.04 (58.27 वृक्षारोगण) (2406-01-102-97-51-10-40-1) 2022-23 7.40 2.76 4.64 (62.77 5.9 प्रतिअज्ञण्यूरक वनरोगण निर्धि पर अर्जित ब्याज से 3020-21 30.62 15.01 15.61 (50.98 4) वृक्षारोगण (2406-04-103-92-51-10-40-01) 2021-22 14.73 6.58 8.15 (55.38 2022-23 18.01 0.98 17.03 (94.56 2022-23 19.00 0.00 19.25 (92.36 2022-23 19.00 0.00 19.25 (92.36 2022-23 19.00 0.00 19.25 (92.37 2022-23 200.00 19.25 (92.37 2022-23 100.00 19.2			2022-23	55.00	47.33	7.67 (13.94)
केलते लाइना की बंजर शूमि शेलटरबेल्ट्स पर वृक्षारोपण) (2406-01-102-97-51-10-पी-01)   प्रतिअल्पूरक वनरोपण निर्धि पर अर्जित ब्याज से भुगतान (2406-04-103-92-51-10-पी-01)   प्रतिअल्पूरक वनरोपण निर्धि पर अर्जित ब्याज से भुगतान (2406-04-103-92-51-10-पी-01)   2021-22   14.73   6.58   8.15 (55.34   2022-23   18.01   0.98   17.03 (94.56   2022-23   17.07   18.42   2022-23   17.07   18.42   2022-23   17.07   18.42   2022-23   17.07   18.42   2022-23   17.07   18.42   2022-23   17.07   18.42   2022-23   17.07   18.42   17.03   17.03 (94.56   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23   200.00   10.285   97.15 (48.57   2022-23	4	वानिकी साइडस का विस्तार (सड़क नहरों और	2020-21	3.92	3.10	0.82 (20.92)
वृक्षारोपण) (2406-01-102-97-51-10-पी-01)   2022-23   7.40   2.76   4.64 (62.77   5   4.64 (62.77   6   4.64 (62.77				6.90	2.86	4.04 (58.53)
क प्रतिअनपुर्क वनरोपण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान (2406-04-103-92-51-10-पी-01)         2021-22         14.73         6.58         8.15 (55.34)           2022-23         14.73         6.58         8.15 (55.34)         2022-23         18.01         0.98         17.03 (94.56)           कृषि पर्व किसान कल्याण प्राधिकरण के         2020-21         200.00         0.00         200.00 (100           स्विकारण हेत् योजना         2021-22         85.00         0.00         85.00 (100           (पी-01-10-2401-51-109-76-51)         2022-23         45.00         2.33         42.67 (94.82)           (पी-01-10-2401-51-109-99-51)         2021-22         80.66         69.63         11.03 (13.67)           (पी-01-10-2401-51-109-99-51)         2021-22         80.66         69.63         11.03 (13.67)           3         राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन         2020-21         21.15         9.48         11.67 (55.16)           4         कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन         2020-21         22.15         9.48         11.67 (55.16)           4         कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन         2020-21         20.00         60.79         139.21 (69.61)           5         राष्ट्रीय कृषि विकास योजन         2020-21         20.00				7.40	2.76	, ,
मुगतान (2406-04-103-92-51-10-पी-01)	5					` '
2022-23   18.01   0.98   17.03 (94.56)   उच्चिति   प्रतिक्रमान कल्याण क्रिमान कल्याण प्राधिकरण के   2020-21   200.00   0.00   200.00 (100   सुरुढीकरण हेत् योजना   2021-22   85.00   0.00   85.00 (100   (पी-01-10-2401-51-109-76-51)   2022-23   45.00   2.33   42.67 (94.82   2.34   42.						, ,
हिरेयाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के   2020-21   200.00   0.00   200.00 (100   201-20   201-22   85.00   0.00   85.00 (100   (पी-01-10-2401-51-109-76-51)   2022-23   45.00   2.33   42.67 (94.82   2021-22   80.66   69.63   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.67   69.68   69.63   11.03 (13.67   69.68   11.03 (13.68   69.68   11.03 (13.68   69.68		3 (				
हिरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के 2020-21 200.00 0.00 200.00 (100 सुंहढीकरण हॅंत् योजना 2021-22 85.00 0.00 85.00 (100 (पी-01-10-2401-51-109-76-51) 2022-23 45.00 2.33 42.67 (94.82 10-10-2401-51-109-99-51) 2021-22 80.66 69.63 11.03 (13.67 2022-23 88.55 75.81 12.74 (14.39 13 10-10-2401-51-109-99-51) 2021-22 80.66 69.63 11.03 (13.67 2022-23 88.55 75.81 12.74 (14.39 13 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		किष एवं किस			0.00	17.00 (01.00)
सुर होकरण हेत् योजना (पी-01-10-2401-51-109-76-51) 2022-23 45.00 2.33 42.67 (94.82 2 कृषि प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार (पी-01-10-2401-51-109-99-51) 2021-22 80.66 69.63 11.03 (13.67 2022-23 88.55 75.81 12.74 (14.39 2022-23 88.55 75.81 12.74 (14.39 2022-23 88.55 75.81 12.74 (14.39 2022-23 88.55 75.81 12.74 (14.39 2022-23 88.55 75.81 12.74 (14.39 2022-23 88.55 75.81 12.74 (14.39 2022-23 88.55 75.81 12.74 (14.39 2022-23 42.17 18.42 23.75 (56.32 2022-23 42.17 18.42 23.75 (56.32 2022-23 200.00 76.36 123.64 (61.82 (पी-02-10-2401-51-109-78-51) 2021-22 200.00 76.36 123.64 (61.82 (पी-02-10-2401-51-109-80-51) 2021-22 200.00 102.85 7 कृषि अभियांविको सेवा हेत् योजना (पी-01-10-2401-51-113-82-51) 2021-22 200.00 13.17 68.83 (68.83 7 कृषि अभियांविको सेवा हेत् योजना (पी-01-10-2401-51-113-96-51) 2021-22 202-23 200.00 31.17 68.83 (68.83 7 कृषि अभियांविको (पी-01-10-2401-51-113-99-51) 2021-22 202-23 200.00 31.17 68.83 (68.83 7 कृषि अभियांविको (पी-01-10-2401-51-113-98-51) 2022-23 202-21 202-22 200.00 31.17 68.83 (68.83 7 कृषि अभियांविको (पी-01-10-2401-51-113-98-51) 2021-22 202-23 200.00 31.17 68.83 (68.83 7 कृषि अभियांविको (पी-01-10-2401-51-113-98-51) 2021-22 202-23 200.00 31.17 68.83 (68.83 31.00 31.	1	<u>C</u>			0.00	200.00 (100)
(भै-01-10-2401-51-109-76-51)   2022-23   45.00   2.33   42.67 (94.82   45.00   2.33   42.67 (94.82   45.00   2.33   42.67 (94.82   45.00   2.34   45.00   2.33   42.67 (94.82   45.00   2.34   45.00   2.34   45.00   2.34   45.00	•					
कृषि प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार (पी-01-10-2401-51-109-99-51)   2021-22   80.66   69.63   11.03 (13.67   2022-23   88.55   75.81   12.74 (14.39   2020-21   21.15   9.48   11.67 (55.16   (4-02-10-2401-51-109-77-51)   2021-22   23.25   4.00   19.25 (82.78   2022-23   42.17   18.42   23.75 (56.32   2022-23   42.17   18.42   23.75 (56.32   4.00   19.25 (82.78   2022-23   42.17   18.42   23.75 (56.32   4.00   19.25 (82.78   4.00   19.25 (8						. ,
(पी-01-10-2401-51-109-99-51)	2					
3       राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन       2020-21       21.15       9.48       11.67 (55.16         (पी-02-10-2401-51-109-77-51)       2021-22       23.25       4.00       19.25 (82.78         4       कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन       2020-21       200.00       76.36       123.64 (61.82         (पी-02-10-2401-51-109-78-51)       2021-22       200.00       60.79       139.21 (69.61         5       राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेत् स्कीम       2020-21       340.00       70.97       269.03 (79.13         (पी-02-10-2401-51-109-80-51)       2021-22       200.00       132.13       67.87 (33.94         (पी-02-10-2401-51-13-98-51)       2021-22       200.00       53.45       146.55 (73.27         6       फसल अवशेष प्रबंधन हेत् योजना       2020-21       453.50       7.49       446.01 (98.35         (पी-01-10-2401-51-113-82-51)       2021-22       306.00       15.85       290.15 (94.82         7       कृषि अभियांत्रिकी सेवा हेत् योजना       2020-21       80.00       4.52       3.48 (43.50         (पी-01-10-2401-51-113-96-51)       2021-22       8.00       4.40       3.60 (44.96         8       कृषि अभियांत्रिकी सेवा हेत् योजना       2020-21       13.77       11.49       2.28 (16.57         (पी-01-10-2401-51-11	2					
अ. । प्राच्येय खादय सुरक्षा मिशन   2020-21   21.15   9.48   11.67 (55.16 (पी-02-10-2401-51-109-77-51)   2021-22   23.25   4.00   19.25 (82.78   2022-23   42.17   18.42   23.75 (56.32   2022-23   42.17   18.42   23.75 (56.32   4.00   19.25 (82.78   4.00   19.25 (82.25 (		(41-01-10-2401-31-103-33-31)				, ,
(पी-02-10-2401-51-109-77-51)	2	गार्थ्य गार्थ्य गिशन				
4       कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन       2022-23       42.17       18.42       23.75 (56.32         4       कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन       2020-21       200.00       76.36       123.64 (61.82 (61.82 (10.22 200.00))       60.79       139.21 (69.61 82 (20.22 200.00))       102.85       97.15 (48.57 (33.94 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00)       132.13 (67.87 (33.94 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       132.13 (67.87 (33.94 200.00))       53.45 (46.55 (73.27 200.00))       132.13 (67.87 (33.94 200.00))       53.45 (46.55 (73.27 200.00))       132.13 (67.87 (33.94 200.00))       53.45 (46.55 (73.27 200.00))       132.13 (67.87 (33.94 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       53.45 (46.55 (73.27 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.97 (269.03 (79.13 200.00))       70.17 (79.23 200.00)       70.17 (79.23 200.00)       70.17 (79.23 200.00)       70.17 (79.23 200.00)       70.17 (79.03 200.00)       70.17 (79.03 200.00)       70.17 (79.03 200.00)       70.17 (79.03 200.00)       70.17 (79.03 200.00)	3					, ,
4       कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (पी-02-10-2401-51-109-78-51)       2020-21       200.00       76.36       123.64 (61.82 (61.82 (10-2401-51-109-78-51))         5       राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेत् स्कीम (पी-02-10-2401-51-109-80-51)       2020-21       340.00       70.97 (269.03 (79.13 (79.13 (10-2401-51-109-80-51)))         6       फसल अवशेष प्रबंधन हेत् योजना (पी-01-10-2401-51-113-82-51)       2021-22 (200.00) (132.13 (67.87 (33.94 (10-22)))         7       कृषि अभियांत्रिकी सेवा हेत् योजना (पी-01-10-2401-51-113-96-51)       2020-21 (453.50) (7.49 (446.01 (98.35 (2022-23)))         8       कृषि अभियांत्रिकी सेवा हेत् योजना (पी-01-10-2401-51-113-96-51)       2020-21 (8.00 (15.85 (290.15 (94.85 (2022-23))))         8       कृषि अभियांत्रिकी (पी-01-10-2401-51-113-96-51)       2021-22 (8.00 (4.40 (3.60 (44.96 (44.96 (44.9		(41-02-10-2401-31-109-77-31)				` ,
(पी-02-10-2401-51-109-78-51)	- 1	<del>2 10</del> 110 11 11 11 110 110 11				, ,
2022-23   200.00   102.85   97.15 (48.57   10.285   10	4					, ,
5       राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेत् स्कीम (पी-02-10-2401-51-109-80-51)       2020-21       340.00       70.97       269.03 (79.13         6       फसल अवशेष प्रबंधन हेत् योजना (पी-01-10-2401-51-113-82-51)       2020-21       453.50       7.49       446.01 (98.35         7       कृषि अभियांत्रिकी सेवा हेत् योजना (पी-01-10-2401-51-113-96-51)       2020-21       8.00       4.52       3.48 (43.50         8       कृषि अभियांत्रिकी (पी-01-10-2401-51-113-96-51)       2020-21       8.00       4.27       3.73 (46.66         8       कृषि अभियांत्रिकी (पी-01-10-2401-51-113-99-51)       2021-22       14.60       12.64       1.96 (13.45)         9       अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भिशन (पी-02-10-2401-51-789-85-51)       2021-22       14.60       12.64       1.96 (13.45)         10       सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (पी-02-10-2402-51-102-77-51)       2021-22       15.00       8.33       6.67 (44.48)         11       मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (पी-02-10-2402-51-101-95-51)       2020-21       14.00       4.20       9.80 (70.02)         12       अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना       2020-21       3.12       0.72       2.40 (76.98)         12       अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना       2021-22       3.30       0.10       3.20 (96.94) <td></td> <td>(41-02-10-2401-31-109-78-31)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>` /</td>		(41-02-10-2401-31-109-78-31)				` /
(पी-02-10-2401-51-109-80-51)		<del></del>				` /
2022-23   200.00   53.45   146.55 (73.27	5					` ,
6       फसल अवशेष प्रबंधन हेतु योजना (पी-01-10-2401-51-113-82-51)       2020-21       453.50       7.49       446.01 (98.35 (94.82 2022-23 306.00)       15.85 (290.15 (94.82 2022-23 100.00)       31.17 (68.83 (68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 60)       7       कृषि अभियांत्रिकी सेवा हेत् योजना (पी-01-10-2401-51-113-96-51)       2020-21 (19.00)       8.00 (19.00)       4.52 (19.00)       3.48 (43.50 (19.60)       3.60 (19.60)       3.60 (19.60)       3.60 (19.60)       3.60 (19.60)       3.60 (19.60)       3.73 (19.60)       3.75 (19.60)       3		(41-02-10-2401-31-109-80-31)				
(पी-01-10-2401-51-113-82-51)	_					, ,
2022-23   100.00   31.17   68.83 (68.83   68.83   7   कृषि अभियांत्रिकी सेवा हेत् योजना   2020-21   8.00   4.52   3.48 (43.50   2021-22   8.00   4.40   3.60 (44.96   2022-23   8.00   4.40   3.60 (44.96   2022-23   8.00   4.27   3.73 (46.66   8   कृषि अभियांत्रिकी   2020-21   13.77   11.49   2.28 (16.57   2021-22   14.60   12.64   1.96 (13.45   2022-23   17.07   13.72   3.35 (19.63   2022-23   17.07   13.72   3.35 (19.63   2022-23   17.07   13.72   3.35 (19.63   14)   1.96 (13.45   2022-23   17.07   13.72   3.35 (19.63   14)   1.96 (13.45   2022-23   13.00   0.33   7.67 (95.93   12.22   13.00   10.46   2.54 (19.53   2022-23   13.00   10.46   2.54 (19.53   10)   1.44   6.56 (82   2022-23   13.00   10.46   2.54 (19.53   10)   1.44   1.96 (13.45   10)   1.44   1.96 (1	ь					, ,
कृषि अभियांत्रिकी सेवा हेत् योजना   2020-21   8.00   4.52   3.48 (43.50		(41-01-10-2401-51-113-82-51)				, ,
(पी-01-10-2401-51-113-96-51)						
2022-23   8.00   4.27   3.73 (46.66	/					, ,
कृषि अभियांत्रिकी (पी-01-10-2401-51-113-99-51)   2020-21   13.77   11.49   2.28 (16.57   (पी-01-10-2401-51-113-99-51)   2021-22   14.60   12.64   1.96 (13.45   2022-23   17.07   13.72   3.35 (19.63   3.35 (19.		(पा-01-10-2401-51-113-96-51)				` /
(पी-01-10-2401-51-113-99-51)						, ,
2022-23   17.07   13.72   3.35 (19.63   19.	8					` ,
9 अनुस्चित जाति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (पी-02-10-2401-51-789-85-51) 2021-22 8.00 1.44 6.56 (82 2022-23 13.00 10.46 2.54 (19.53 10 सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन 2020-21 19.50 0.82 18.68 (95.81 (पी-02-10-2402-51-102-77-51) 2021-22 15.00 8.33 6.67 (44.48 2022-23 15.00 7.11 7.89 (52.61 11 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2020-21 14.00 4.20 9.80 (70.02 (पी-02-10-2402-51-101-95-51) 2021-22 14.00 0.60 13.40 (95.71 2022-23 10.00 5.00 5.00 (50.01 12 अनुस्चित जाति के किसानों के लिए मृदा 2020-21 3.12 0.72 2.40 (76.98 स्वास्थ्य कार्ड योजना 2021-22 3.30 0.10 3.20 (96.94		(पा-01-10-2401-51-113-99-51)				
मिशन (पी-02-10-2401-51-789-85-51)  2021-22 8.00 1.44 6.56 (82 2022-23 13.00 10.46 2.54 (19.53 10 सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन 2020-21 19.50 0.82 18.68 (95.81 (पी-02-10-2402-51-102-77-51)  2021-22 15.00 8.33 6.67 (44.48 2022-23 15.00 7.11 7.89 (52.61 11 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2020-21 14.00 4.20 9.80 (70.02 (पी-02-10-2402-51-101-95-51)  2021-22 14.00 0.60 13.40 (95.71 2022-23 10.00 5.00 5.00 (50.01 12 अनुस्चित जाति के किसानों के लिए मृदा 2020-21 3.12 0.72 2.40 (76.98 स्वास्थ्य कार्ड योजना 2021-22 3.30 0.10 3.20 (96.94						
2022-23   13.00   10.46   2.54 (19.53   10.46   2.54 (19.53   10.46   2.54 (19.53   10.46   2.54 (19.53   10.46   2.54 (19.53   10.46   2.54 (19.53   10.46   2.54 (19.53   10.46   2.54 (19.53   10.46   2.54 (19.53   10.46   2.54 (19.53   10.46   10.46   10.44	9		2020-21	8.00	0.33	7.67 (95.93)
10 सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन   2020-21   19.50   0.82   18.68 (95.81   (पी-02-10-2402-51-102-77-51)   2021-22   15.00   8.33   6.67 (44.48   2022-23   15.00   7.11   7.89 (52.61   11   मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना   2020-21   14.00   4.20   9.80 (70.02   (पी-02-10-2402-51-101-95-51)   2021-22   14.00   0.60   13.40 (95.71   2022-23   10.00   5.00   5.00 (50.01   12   3नुस्चित जाति के किसानों के लिए मृदा   2020-21   3.12   0.72   2.40 (76.98   स्वास्थ्य कार्ड योजना   2021-22   3.30   0.10   3.20 (96.94   18.68 (95.81   18.68		मिशन (पी-02-10-2401-51-789-85-51)	2021-22	8.00		6.56 (82)
(पी-02-10-2402-51-102-77-51)				13.00	10.46	2.54 (19.53)
2022-23   15.00   7.11   7.89 (52.61     11 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना   2020-21   14.00   4.20   9.80 (70.02     (पी-02-10-2402-51-101-95-51)   2021-22   14.00   0.60   13.40 (95.71     2022-23   10.00   5.00   5.00 (50.01     3 नुस्चित जाति के किसानों के लिए मृदा   2020-21   3.12   0.72   2.40 (76.98     स्वास्थ्य कार्ड योजना   2021-22   3.30   0.10   3.20 (96.94	10		2020-21	19.50	0.82	18.68 (95.81)
11     मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना     2020-21     14.00     4.20     9.80 (70.02 (70.02 (पी-02-10-2402-51-101-95-51))       12     अनुस्चित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना     2020-21     14.00     0.60     13.40 (95.71 (95.0		(पी-02-10-2402-51-102-77-51)	2021-22	15.00	8.33	6.67 (44.48)
(पी-02-10-2402-51-101-95-51)     2021-22     14.00     0.60     13.40 (95.71       2022-23     10.00     5.00     5.00 (50.01       12     अनुस्चित जाति के किसानों के लिए मृदा     2020-21     3.12     0.72     2.40 (76.98       स्वास्थ्य कार्ड योजना     2021-22     3.30     0.10     3.20 (96.94			2022-23	15.00	7.11	7.89 (52.61)
2022-23   10.00   5.00   5.00 (50.01   12   अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा   2020-21   3.12   0.72   2.40 (76.98   स्वास्थ्य कार्ड योजना   2021-22   3.30   0.10   3.20 (96.94	11		2020-21	14.00	4.20	9.80 (70.02)
12     अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा     2020-21     3.12     0.72     2.40 (76.98       स्वास्थ्य कार्ड योजना     2021-22     3.30     0.10     3.20 (96.94		(पी-02-10-2402-51-101-95-51)	2021-22	14.00	0.60	13.40 (95.71)
स्वास्थ्य कार्ड योजना 2021-22 3.30 0.10 3.20 (96.94			2022-23	10.00	5.00	5.00 (50.01)
1 · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा	2020-21	3.12	0.72	2.40 (76.98)
(학-02-10-2402-51-789-98-51) 2022-23 3.30 0.93 2.37 (71.70		स्वास्थ्य कार्ड योजना	2021-22	3.30	0.10	3.20 (96.94)
1		(पी-02-10-2402-51-789-98-51)	2022-23	3.30	0.93	2.37 (71.70)

### परिशिष्ट 3.19

### (संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1 (xii); पृष्ठ 112)

## कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना बैंक खातों के संचालन का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	बैंक का नाम (खाता संख्या)	अंतिम शेष
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	एचडीएफसी बैंक (50100082688078)	1.31
2	फार्म जल प्रबंधन पर- पंजीकरण शुल्क के लिए	एचडीएफसी बैंक (13211450000031)	1.29
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (कृषि कर्मण पुरस्कार)	इंडसलैंड बैंक (100054605470)	1.34
4	एसएमएएम	एचडीएफसी बैंक (50100313563464)	65.73
5	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन (एटीएमए)	एचडीएफसी बैंक (5010031327001)	0.15
6	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन (एटीएमए)	आईसीआईसीआई बैंक (09350100690)	0.88
7	फसल सांख्यिकी (आईसीएस) और समय पर रिपोर्टिंग योजना (टीआरएस) में सुधार	एचडीएफसी बैंक (50100334725602)	0.03
8	हरियाणा कृषि विकास एजेंसी (एचएडीए)	इंडसलैंड बैंक (100034212111)	0.80
		कुल	71.53

### परिशिष्ट 4.1

### (संदर्भः अनुच्छेद ४.३; पृष्ठ 122)

### राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्राधिकरण	310.35
2	दिव्यांगों के लिए योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम और नवज्योति	6.97
	विञ्चाणा या स्टर् याठाणार	ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	0.57
3	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)	उपायुक्त	31.00
4	राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	26.74
5	राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना	हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	3.06
6	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास	अमेटी विश्वविद्यालय, हरियाणा मानेसर परिसर और	0.09
	and making the original transfer to	राष्ट्रीय डेयरी अन्संधान संस्थान	0.00
7	बागवानी का एकीकृत विकास	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरूग्राम, हरियाणा	221.04
8	कौशल विकास पहल (एमओएमए)	सीपीआईटी एडु-टेक प्राइवेट लिमिटेड, मास इन्फोटेक	4.69
		सोसायटी और शिव एजुकेशन सोसायटी	
9	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना	श्री श्याम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड एवं रजत दाल मिल	3.06
10	स्वदेशी यूरिया का भुगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5,799.52
11	आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भ्गतान	मासैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,625.01
12	रोड विंग के अंतर्गत वर्क्स	एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स	332.24
		कालूवाला कंस्ट्रक्शन और अन्य	
13	सामर्थ्य (शक्ति सदन (स्वधार उज्ज्वला विधवा गृह) शक्ति		49.64
	निवास पालना पीएमएमवीवाई नेशनल हब फॉर वूमेन		
	एम्पावरमेंट जेंडर बजट रिसर्च स्किलिंग मीडिया आदि।		
14	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान, हरियाणा डेयरी	11.74
	, s	विकास सहयोग फेडरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी	
		अन्संधान संस्थान	
15	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, हरियाणा	988.00
16	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा चौधरी	224.45
		चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और	
		अन्य	
17	अवसरंचना विकास एवं क्षमता निर्माण (एमएसएमई)	एमएसएमई निदेशालय	7.47
18	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी गुरु	0.54
	निर्माण	जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य	
19	पश्धन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण केंद्रीय क्षेत्र	हरियाणा पश्धन विकास बोर्ड	27.54
20		एसीआईसी एसजीटीयू कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर टाइचीजुनो	6.59
	इनोवेशन मिशन (एआईएम)	स्पेशलिटी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य	
21	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1.23
	· ·	हरियाणा	
22	अटल भूजल योजना	एसपीएमयू, आई एंड डब्ल्यूआर विभाग हरियाणा	163.42
23	बायो पावर (ऑफ ग्रिड) बायो एनर्जी कार्यक्रम	अमृत फर्टिलाइजर और हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास	3.53
		एजेंसी	
24	जल जीवन मिशन (जेजेएम) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल	प्रमुख अभियंता, हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	463.00
	मिशन		
25	खेलो इंडिया	मैसर्स हरियाणा खेल विकास निधि	5.56
26	जूते, चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम	सिद्ध लामीफैब प्राइवेट लिमिटेड, एच.एस. पॉलिमर प्राइवेट	16.18
	् (एफएलएडीपी)	लिमिटेड, एपी इंडस्ट्रीज और अन्य	
27	स्मार्ट ग्रिड	राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन	25.76
28	सड़क कार्य - ईएपी घटक	एटलस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एटकॉन इंडिया	33.23
		लिमिटेड (जेवी) और एटकॉन इंडिया लिमिटेड - एटलस	
		कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जेवी)।	
29	अनुसंधान एवं विकास (सपोर्ट कार्यक्रम)	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	40.38
30		आयुष्मान भारत हरियाणा एवं हरियाणा संरक्षण प्राधिकरण	143.53
31	स्धार से जुड़ी वितरण योजना, पावर	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और पावर ग्रिड	3,757.86
	5 5	कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	,
32	एक हजार लाख रुपए से कम रिलीज वाली अन्य योजनाएं	- V	90.06
	क्ल		14,423.48

स्रोत: वित्त लेखे - परिशिष्ट VI

परिशिष्ट 4.2 (संदर्भः अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 124)

### 31 मार्च 2023 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

क्र.     शीर्ष का नाम     वर्ष     कुल प्रदत्त     देय       अनुदान     प्र       मद     राश     मद       1     पुलिस (2055)     2019-20     1     34.33     1	माण-पत्र	प्र	माण-पत्र	या	``
	राशि			3,	ग्योगिता
	। साश				माण-पत्र
1   पालस (2055)		मद	राशि	मद	राशि
		1	34.33	0	70.04
2020-21 2 115.41 2 2021-22 3 168.00 3	1	1	38.80	1	76.61
2021-22     3 168.00     3       2 सामान्य शिक्षा (2202)     2014-15     739 1,382.54     6		0	0.00	1 6	168.00 0.99
2015-16 1,063 1,542.62 11	+	0	0.00	11	0.99
2016-17 1,332 1,618.88 7	+	0	0.00	7	0.71
2017-18 1,385 1,656.36 3		2	20.10	1	4.00
2018-19 866 1,560.24 3		2	1.39	1	136.41
2019-20 47 545.79 38	-	17	198.42	21	247.84
2020-21 142 1,468.19 142	1	26	448.80	116	1,019.39
2021-22 178 1,454.40 178		0	0.00	178	1,454.40
3 तकनीकी शिक्षा (2203) 2016-17 102 227.06 1	10.00	0	0.00	1	10.00
2017-18 90 218.18 3	12.65	0	0.00	3	12.65
2018-19 109 252.21 1	0.01	1	0.01	0	0.00
2020-21 56 228.60 56	228.60	56	228.60	0	0.00
2021-22 39 119.25 39	119.25	0	0.00	39	119.25
4 खेल एवं युवा सेवाएं 2015-16 130 124.02 12	0.64	8	0.32	4	0.32
(2204) 2016-17 56 90.69 14	6.61	0	0.00	14	6.61
2017-18 229 73.14 7	2.05	1	0.00	6	2.05
2018-19 544 79.62 10	0.04	10	0.04	0	0.00
2019-20 1 0.19 1	0.19	1	0.19	0	0.00
2020-21 50 2.70 50	2.70	0	0.00	50	2.70
2021-22 37 73.46 37	73.46	0	0.00	37	73.46
5 कला एवं संस्कृति (2205) 2015-16 7 3.51 1		0	0.00	1	0.30
2018-19 3 12.73 2	1	2	12.68	0	0.00
2019-20 1 2.00 1		0	0.00	1	2.00
2020-21 1 0.30 1		0	0.00	1	0.30
6 मेडिकल (2210) <u>2018-19</u> 86 1,229.21 4		4	2.14	0	0.00
2019-20 54 796.03 26		23	391.89	3	38.48
2020-21 47 814.12 47	1	26	644.68	21	169.44
2021-22 41 1,195.39 41		0	0.00	41	1,195.39
7 शहरी विकास (2217) 2012-13 96 1,274.01 17		5	55.89	12	159.87
2013-14 73 1,120.80 17				9	193.91 18.18
2014-15 87 1,115.43 21 2015-16 122 1,478.70 49	1	18	116.73 147.13	3	145.97
2015-16   122 1,478.70   49   2016-17   219 2,227.25   120		21 91	769.18	28 29	156.86
	+		741.02	67	333.88
2017-18 395 2,781.01 249 2018-19 105 1,841.76 75		12 41	449.36	34	761.29
2019-20 52 1,750.54 48		17	947.79	31	204.00
2020-21 42 1,652.99 42	+	17	1,196.36	25	456.64
2021-22 76 2,288.38 76		0	0.00	76	2,288.38
8 स्चना एवं प्रचार (2220)     2020-21     2     0.75     2		2	0.75	0	0.00
9 श्रम एवं रोजगर (2230) 2020-21 7 66.35 2		0	0.00	2	1.85
2021-22 6 96.66 6		0	0.00	6	96.66

क्र.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कल	<b>प्रदत्त</b>	देय :	उपयोगिता	प्राप्त	उपयोगिता		बकाया
<b>सं.</b>	Sill Mishel	4.		- , यूप नुदान	-	माण-पत्र		माण-पत्र		न्योगिता स्योगिता
-				3.						माण-पत्र
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
10	सामाजिक सुरक्षा एवं	2014-15	33	43.71	2	11.53	0	0.00	2	11.53
	कल्याण(2235)	2015-16	355	50.55	3	1.83	1	0.15	2	1.68
		2017-18	38	34.20	5	1.79	1	0.05	4	1.75
		2018-19	208	87.41	2	1.19	0	0.00	2	1.19
		2019-20	27	12.77	22	6.85	8	1.31	14	5.54
		2020-21	35	45.22	35	45.22	9	1.15	26	44.07
		2021-22	30	46.22	30	46.22	0	0.00	30	46.22
11	फसल पालन (2401)	2020-21	19	307.02	19	307.02	13	189.41	6	117.61
		2021-22	7	151.71	7	151.71	0	0.00	7	151.71
12	मृदा एवं जल संरक्षण	2019-20	11	0.49	1	0.08	1	0.08	0	0.00
	(2402)	2021-22	5	2.50	5	2.50	0	0.00	5	2.50
13	पशुपालन (2403)	2017-18	86	74.08	1	0.02	1	0.02	0	0.00
	J	2018-19	94	113.85	6	0.20	6	0.20	0	0.00
		2019-20	37	124.01	17	123.07	2	0.20	15	122.87
		2020-21	17	35.31	17	35.31	1	0.01	16	35.30
		2021-22	30	111.48	30	111.48	0	0.00	30	111.48
14	मत्स्य पालन (2405)	2020-21	1	0.06	1	0.06	1	0.06	0	0.00
	वानिकी एवं वन्य जीवन	2017-18	3	10.71	3	10.71	0	0.00	3	10.71
	(2406)	2019-20	3	3.09	3	3.09	0	0.00	3	3.09
		2020-21	3	8.68	3	8.68	0	0.00	3	8.68
		2021-22	1	7.20	1	7.20	0	0.00	1	7.20
16	सहयोग (2425)	2020-21	5	36.21	5	36.21	4	35.81	1	0.40
	(= ==,	2021-22	6	212.40	6	212.40	0	0.00	6	212.40
17	ग्रामीण विकास के लिए	2015-16	103	64.19	4	1.10	3	0.63	1	0.47
	विशेष कार्यक्रम (2501)	2016-17	87	69.16	20	47.09	6	2.15	14	44.94
	,	2017-18	112	135.06	47	102.17	21	8.44	26	93.73
		2018-19	123	154.60	72	143.29	38	8.67	34	134.62
		2019-20	60	102.02	56	101.10	36	7.66	20	93.44
		2020-21	29	18.81	29	18.81	11	2.54	18	16.27
18	ग्रामीण रोजगार (2505)	2014-15	165	333.36	2	1.16	0	0.00	2	1.16
		2015-16	48	285.52	9	12.76	0	0.00	9	12.76
		2016-17	7	218.78	2	119.22	0	0.00	2	119.22
		2017-18	15	211.07	15	211.07	0	0.00	15	211.07
		2018-19	9	201.78	8	201.78	0	0.00	8	201.78
		2019-20	4	61.97	4	61.97	0	0.00	4	61.97
		2021-22	1	113.70	1	113.70	0	0.00	1	113.70
19	अन्य ग्रामीण विकास	2009-10	68	366.26	1	10.85	0	0.00	1	10.85
	कार्यक्रम (2515)	2010-11	48	267.83	7	33.08	0	0.00	7	33.08
	(===,	2011-12	222	722.4	41	137.00	0	0.00	41	137.00
		2012-13	266	882.65	39	88.02	0	0.00	39	88.02
		2013-14	249	1,263.49	69	368.67	0	0.00	69	368.67
		2014-15	3,871	1,191.66	54	169.03	2	0.28	52	168.75
		2015-16	3,845	1,261.94	95	152.75	2	5.85	93	146.89
		2016-17	4,166	2,262.96	133	272.68	0	0.00	133	272.68
		2017-18	3,652	1,127.58	64	205.68	6	51.93	58	153.75
		2018-19	4,015	2,228.45	233	1,045.24	8	126.75	225	918.49
		2019-20	355	2,757.15	354	2,738.75	24	42.06	330	2,696.69
		2020-21	105	349.62	105	349.62	1	0.00	104	349.62
		2020-21	124	302.64	124	302.64	0	0.00	124	302.64
20	कमांड क्षेत्र विकास (2705)	2019-20	16	104.25	3	22.40	2	21.65	124	0.75
20	100)	2020-21	3	6.25	3	6.25	3	6.25	0	0.00
21	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2021-22	3	5.95	3	5.95	0	0.00	3	5.95
	(2851)									

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष		न प्रदत्त नुदान		उपयोगिता गण-पत्र		उपयोगिता माण-पत्र		बकाया ग्योगिता
				3"						माण-पत्र
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
22	उद्योग (2852)	2016-17	36	61.70	5	1.25	0	0.00	5	1.25
		2017-18	23	126.50	5	61.89	0	0.00	5	61.89
		2018-19	25	78.49	8	48.88	0	0.00	8	48.88
		2019-20	7	16.30	5	14.72	0	0.00	5	14.72
23	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2018-19	39	19.03	1	0.15	1	0.15	0	0.00
	(3425)	2020-21	8	12.12	8	12.12	4	7.5	4	4.62
24	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	2014-15	12	2.17	1	0.10	0	0.00	1	0.10
	(3435)	2016-17	4	1.62	1	0.30	1	0.30	0	0.00
		2018-19	3	1.37	1	0.05	0	0.00	1	0.05
25	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2019-20	5	22.75	5	22.75	0	0.00	5	22.75
	(2070)	2020-21	2	21.35	2	21.35	0	0.00	2	21.35
26	विविध सामान्य सेवाएं (2075)	2018-19	1	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00
27	अन्य सामाजिक सेवाएं	2018-19	1	0.19	1	0.19	0	0.00	1	0.19
	(2250)	2019-20	1	0.13	1	0.13	0	0.00	1	0.13
28	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (3475)	2019-20	1	0.10	1	0.10	0	0.00	1	0.10
29	न्याय प्रशासन (2014)	2020-21	4	0.02	4	0.02	0	0.00	4	0.02
		2021-22	11	0.09	11	0.09	0	0.00	11	0.09
30	परिवार कल्याण (2211)	2020-21	3	0.18	3	0.18	2	0.15	1	0.03
		2021-22	1	0.03	1	0.03	0	0.00	1	0.03
31	एससी, एसटी, ओबीसी और	2020-21	60	5.57	60	5.57	60	5.57	0	0.00
	अल्पसंख्यकों का कल्याण (2225)	2021-22	76	6.92	76	6.92	0	0.00	76	6.92
32	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2020-21	2	133.50	2	133.50	0	0.00	2	133.50
	(2415)	2021-22	4	212.55	4	212.55	0	0.00	4	212.55
33	प्रमुख सिंचाई (2700)	2020-21	3	1.75	3	1.75	1	0.90	2	0.85
34	ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	2020-21	3	1.20	3	1.20	0	0.00	3	1.20
	(2810)	2021-22	2	0.72	2	0.72	0	0.00	2	0.72
35	सरकारी आर्थिक सेवाएं	2020-21	4	1.45	4	1.45	3	1.40	1	0.05
	(2020-21)	2021-22	8	73.56	8	73.56	0	0.00	8	73.56
36	संसद/राज्य/केंद्र शासित विधानमंडल (2011)	2021-22	1	0.16	1	0.16	0	0.00	1	0.16
37	आवास (2216)	2021-22	5	156.89	5	156.89	0	0.00	5	156.89
	कुल		31,903	54,332.19	3,526	25,101.27	866	7,124.62	2,660	17,976.65

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद ४.14; पृष्ठ 129)

### स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखों के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

豖.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखां	वर्ष जिस तक	वर्ष जिस तक	वर्ष जिस तक	वर्ष जिसके	लेखों के
सं.		की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	लेखे बनाए गए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	लिए लेखे देय है	प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2023 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2019-20	2019-20	2017-18	2020-21 2021-22 2022-23	26 माह 14 माह दो माह
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	2018-19 से 2027-28	2018-19	2018-19	2017-18	2019-20 2020-21 2021-22 2022-23	तीन वर्ष दो वर्ष एक वर्ष चार माह
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2020-21	2018-19	2015-16	2021-22 2022-23	14 माह दो माह
4.	हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2020-21	2020-21	2017-18	2021-22 2022-23	14 माह दो माह
5.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला कैंट	2018-19 से 2022-23	2017-18	2017-18	प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है	2018-19 से 2022-23	चार वर्ष
6.	गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए)	2017-18 से 2021-22	2020-21	2020-21	2017-18	2021-22 2022-23	14 माह दो माह
7.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2022-23	छ: वर्ष
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा.), भिवानी	-सम-	2021-22	2021-22	1996-97	2022-23	दो माह
9.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद	-सम-	2020-21	2020-21	1996-97	2021-22 2022-23	14 माह दो माह
10.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., फतेहाबाद	-सम-	2021-22	2021-22	1996-97	2022-23	दो माह
11.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., गुरुग्राम	-सम	2021-22	2016-17	1999-2000	2022-23	दो माह
12.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर	-सम-	2020-21	2020-21	2011-12	2021-22 2022-23	14 माह दो माह
13.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल	-सम-	2021-22	2021-22	1996-97	2022-23	दो माह
14.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., पंचकुला	-सम-	2021-22	2020-21	1999-2000	2022-23	दो माह
15.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत	-सम-	2021-22	2021-22	1996-97	2022-23	दो माह
16.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी	-सम-	2020-21	2020-21	1996-97	2021-22 2022-23	14 माह दो माह
17.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक	-सम-	2020-21	2020-21	1996-97	2021-22 2022-23	14 माह दो माह

_	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों	<del></del>	वर्ष जिस तक	वर्ष जिस तक	वर्ष जिसके	लेखों के
क्र. सं.	निकाय का नीम 		वष ।जस तक लेखे बनाए गए	वष ।जस तक लेखापरीक्षा	वष ।जस तक लेखापरीक्षा	विष ।जसक लिए लेखे देय	
₹1.		सुपुर्दगी की अवधि	लख बनार गर	प्रतिवेदन जारी	प्रतिवेदन राज्य	है	विलंब की अवधि
		पुरुषणा या अवाब		किए गए	विधायिका को	· ·	(30 जून 2023
				1114 114	प्रस्तुत किए गए		तक)
18.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत	कोई सपर्दगी	2021-22	2021-22	1996-97	2022-23	दो माह
	3	अपेक्षित नहीं क्योंकि					,
		लेखापरीक्षा					
		नि.म.ले.प. के					
		अधिनियम 1971 की					
		धारा 19(2) के					
10	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा.,	अधीन ली गई है।	2015-16	2015 10	1996-97	2016-17	छ: वर्ष
19.	मु.न्या.मसाचव, ।ज.१व.स.प्रा., यम्नानगर	-सम-	2015-16	2015-16	1990-97	2016-17 और	छ: वष
	anjoino 1-17					2022-23	
20.	म्.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार	-सम-	2021-22	2021-22	1996-97		दो माह
21.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल	-सम-	2021-22	2020-21	1996-97	2022-23	दो माह
22.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा	-सम-	2021-22	2020-21	2012-13	2022-23	दो माह
23.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., अम्बाला	-सम-	2021-22	2020-21	2013-14	2022-23	दो माह
24.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., जींद	-सम-	2021-22	2020-21	1996-97	2022-23	दो माह
25.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल	-सम-	2021-22	2020-21	2009-10	2022-23	दो माह
26.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरुक्षेत्र	-सम-	2021-22	2021-22	1996-97	2022-23	दो माह
27.	मु.्न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., मेवात	-सम-	2017-18	2014-15	2009-10		चार वर्ष
	(न्ह)					2022-23	
28.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल	-सम-	2020-21	2020-21	2012-13	2021-22	14 माह
			2024 22	2004.00			दो माह
29.	मु.न्या.मसचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी	-सम-	2021-22	2021-22		2022-23	दो माह
30.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण	-सम-	2019-20	2019-20	2007-08	2022-23	चार माह
	श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	<b></b>	2020-21 और	20.020	2007 00	2022 20	
			2021-22				
31.	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	-सम-	2020-21	2020-21	2012-13	2021-22	14 माह
						2022-23	दो माह
32.	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग	विद्युत अधिनियम,	2021-22	2021-22	2019-20	2022-23	दो माह
		2003 की धारा 104(2) के अनुसार					
33.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण	-सम-	लेखे अभी तक			2013-14 से	नौ वर्ष
55.	आयोग		प्राप्त नहीं हुए			2013-14 (1	WII 44
34.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक	रेरा अधिनियम,	2021-22	2021-22		2022-23	दो माह
	प्राधिकरण (एचआरईआरए) पंचकुला	2016 की धारा					4
	3	77(2) के अनुसार					
35.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक	-सम-	2020-21	2020-21		2021-22	14 माह
	प्राधिकरण (एचआरईआरए) गुरुग्राम					2022-23	दो माह
36.	राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि		2018-19 से	2018-19 से		2021-22	एक वर्ष
	प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), हरियाणा	अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के	2020-21	2020-21	जानी है (2018-19 से)	2022-23	चार माह
	(सारएमपाए), हारयाणा	अंतर्गत			(2016-19 स)		
		लेखापरीक्षा की गई।					
37.	हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड	·	2018-19 से	2020-21	अभी प्रस्तुत की	2022-23	चार माह
		अधिनियम 1971 की	2020-21		जानी है		
		धारा 19 (2) के	2021-22		(2018-19 से)		
		अंतर्गत					
20	<del></del>	लेखापरीक्षा की गई।				2016 17 +	छ: वर्ष
38.	होटल प्रबंधन संस्थान, कुरुक्षेत्र	2016-17 से 2020-21				2016-17 से 2020-21	ত বৰ
39.	होटल प्रबंधन संस्थान, यम्नानगर	2016-17 से					<u>ড:</u> বর্ष
		2020-21				2020-21	
40.	होटल प्रबंधन संस्थान, पानीपत	2016-17 से				2016-17 से	छ: वर्ष
		2020-21				2020-21	
41.	होटल प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	2016-17 से	-	-	-		छ: वर्ष
1-		2020-21				2020-21	
42.	होटल प्रबंधन संस्थान, रोहतक	2016-17 社 2020-21				2016-17 社 2020-21	ত্ত: বৰ্ष
		2020-21				2020-21	

### परिशिष्ट 4.4 (संदर्भ: अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 130)

### निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

豖.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिन	के लेखे प्राप्त व	नहीं हए थे
सं.	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज	2019-20	2020-21	2021-22
1.	जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैंट	10.80	8.64	9.64
2.	एस.डी. कॉलेज, अंबाला कैंट	12.68	11.05	13.33
3.	डी.ए.वी. कॉलेज, अंबाला शहर	11.6	9.10	10.87
4.	एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर	9.70	8.38	9.29
5.	एम.डी.एस.डी. कॉलेज, अंबाला शहर	4.00	2.79	3.18
6.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, अंबाला शहर	2.01	2.02	2.48
7.	एस.एम.एस. ल्बाना खालसा गर्ल्स कॉलेज, बराड़ा, अंबाला	3.19	3.43	3.57
8.	डी.ए.वी. कॉलेज, नैनौला, अंबाला	1.47	1.1	1.14
9.	एम.पी.एन. कॉलेज, मुलाना (अंबाला)	3.69	3.44	3.92
10.	डी.ए.वी. कॉलेज, करनाल	4.72	2.65	3.42
11.	डॉ. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, करनाल	1.08	1.20	1.35
12.	के.वी.डी.ए.वी. महिला कॉलेज, करनाल	6.75	5.61	6.24
13.	दयाल सिंह कॉलेज, करनाल	9.19	11.81	13.03
14.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल	2.62	3.11	2.15
15.	आई.बी. कॉलेज, पानीपत	6.29	6.37	6.56
16.	एस.डी. कॉलेज, पानीपत	-	7.55	8.28
17.	आर्य कॉलेज, पानीपत	6.78	5.94	6.65
18.	गांधी आदर्श कॉलेज, समालखा, पानीपत	0.80	1.07	0.79
19.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, समालखा (पानीपत)	2.26	1.65	1.77
20.	सी.आर. किसान कॉलेज, जींद	5.34	5.14	4.03
21.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	4.23	3.45	3.63
22.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद	1.39	1.54	1.63
23.	ग्रू नानक खालसा कॉलेज, यम्नानगर	-	11.11	13.66
24.	गुरू नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	11.37	9.72	11.09
25.	एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर	12.52	10.11	10.17
26.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	7.81	6.69	7.69
27.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर	5.82	4.61	5.22
28.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी	2.89	2.65	1.35
29.	एम.एल.एन. कॉलेज, रादौर	1.75	1.35	1.49
30.	डी.ए.वी. कॉलेज, सढ़ौरा	2.86	3.08	2.00
31.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	-	4.16	4.86
32.	आई.जी. नेशनल कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र	5.73	4.57	6.19
33.	भगवान परशुराम कॉलेज, कुरुक्षेत्र	6.49	5.3	4.94
34.	एम.एन. कॉलेज, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	5.09	3.96	4.25
35.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	6.58	5.44	5.34
36.	डी.ए.वी. कॉलेज, पेहोवा	6.29	3.97	4.63
37.	एस.एन.आर.एल. जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र	1.89	1.85	2.76
38.	आर.के.एस.डी. कॉलेज, कैथल	8.99	9.23	10.62
39.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	0.63	1.27	0.49
40.	डी.ए.वी. कॉलेज, पुंडरी	2.58	2.49	2.33
41.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुंडरी	5.54	4.85	4.98
42.	बी.ए.आर. जनता कॉलेज, कौल, कैथल	4.70	3.71	3.11
43.	डी.ए.वी. कॉलेज, चीका	4.59	3.68	2.77
44.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान, कैथल	5.23	4.71	5.52
45.	एम.एम. कॉलेज, फतेहाबाद	5.30	4.33	5.65
46.	सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज, सिरसा	4.08	3.92	4.65
47.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	1.75	1.47	1.94
48.	एम.पी. गर्ल्स कॉलेज, डबवाली	3.67	2.77	3.15

豖.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिन	के लेखे प्राप्त व	नहीं हुए थे
सं.	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज	2019-20	2020-21	2021-22
49.	बी.एस.के. शिक्षा कॉलेज, मंडी डबवाली	1.25	1.13	1.29
50.	सी.आर.एम. जाट कॉलेज, हिसार	6.84	6.84	6.71
51.	डी.एन. कॉलेज, हिसार	9.91	7.64	10.59
52.	एफ.सी. कॉलेज फॉर विमेन, हिसार	4.21	2.94	3.79
53.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, हिसार	1.46	1.82	1.91
54.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	1.20	1.56	1.37
55.	सी.आर.ए. कॉलेज, सोनीपत	6.04	4.52	4.88
56.	हिंदू कॉलेज, सोनीपत	10.00	7.96	9.53
57.	हिंदू कॉलेज ऑफ एज्केशन, सोनीपत	-	-	1.19
58.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	10.63	10.26	9.99
59.	टीआर कॉलेज ऑफ एज्केशन, सोनीपत	1.06	1.31	0.93
60.	गीता विदया मंदिर केएमवी, सोनीपत	11.33	9.03	10.71
61.	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा, सोनीपत	2.75	2.69	3.16
62.	वैश्य कॉलेज, भिवानी	7.41	6.64	6.95
63.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	5.64	4.13	4.54
64.	के.एम. कॉलेज ऑफ एज्केशन, भिवानी	0.89	1.11	1.24
65.	जेवीएम जीआरआर कॉलेज, चरखी दादरी	6.11	6.55	6.47
66.	एपीजे सरस्वती कन्या महाविदयालय, चरखी दादरी	1.32	1.08	0.99
67.	एम.एल.आर.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चरखी दादरी	1.01	1.09	1.24
68.	बीएलजे सुईवाला कॉलेज, तोशाम	3.08	3.09	3.72
69.	महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, भिवानी	1.17	1.38	1.81
70.	वाईएम डिग्री कॉलेज, नृंह	2.57	2.12	2.31
71.	निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, सोहना, गुरुग्राम	2.34	2.59	1.19
72.	आरएलएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिधरावली, गुरुग्राम	2.05	2.99	2.82
73.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	1.94	1.78	1.58
74.	एमए कॉलेज ऑफ वूमेन, झज्जर	3.8	3.64	4.06
75.	जीजीडीएसडी कॉलेज, पलवल	8.53	6.1	7.10
76.	अग्रवाल कॉलेज, बल्लबगढ़	6.76	6.2	6.75
77.	के.एल. मेहता डी.एन. कॉलेज फॉर व्मेन, फरीदाबाद	6.41	4.44	4.62
78.	डीएवी सेंटेनरी कॉलेज, फरीदाबाद	5.02	4.18	4.70
79.	सरस्वती महिला महाविदयालय, पलवल	3.95	3.00	3.14
80.	केएलपी कॉलेज, रेवाड़ी	9.49	8.14	9.25
81.	एसपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रेवाड़ी	1.26	1.12	1.25
82.	अहीर कॉलेज, रेवाड़ी	6.43	5.08	3.56
83.	आरबीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रेवाड़ी	0.71	0.62	0.65
84.	आरडीएस पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी	0.47	3.78	3.73
85.	अखिल भारतीय जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक	16.02	11.35	16.25
86.	जीबी डिग्री कॉलेज, रोहतक	3.34	1.89	2.82
87.	श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक	4.95	4.3	4.12
88.	वैश्य कॉलेज, रोहतक	6.44	7.42	6.64
89.	जीबी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोहतक	2.14	1.05	1.53
90.	वैश्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोहतक	0.92	0.73	1.42
91.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, रोहतक	5.85	4.38	4.23
92.	एसजेके कॉलेज, कलानौर, रोहतक	4.78	4.2	4.84
93.	सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोहतक	2.41	1.77	2.18
94.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	5.95	4.86	4.85
<b>υ</b> π.	कुल	442.58	408.54	446.40
	3"	(90 लेखे)	(93 लेखे)	(94 लेखे)
	कुल योग	,		1,297.52
	3			(277 लेखे)

### परिशिष्ट 5.1

### (संदर्भ: अनुच्छेद 5.3; पृष्ठ 136)

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	टिप्पणी
विद्युत	क्षेत्र	
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	कार्यरत
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	कार्यरत
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	कार्यरत
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	कार्यरत
वित्त क्षे	ৰ	
5	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	कार्यरत
6	हरियाणा अन्सूचित जाति वित एवं विकास निगम	कार्यरत
7	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	कार्यरत
8	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
9	हरियाणा वित्तीय निगम	कार्यरत
सेवा क्षे	<u> </u>	
10	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
11	हारट्रोन इंफॉर्मेंटिक्स लिमिटेड	कार्यरत
12	गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड।	कार्यरत
13	्र पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	कार्यरत
14	गुरूग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	कार्यरत
15	ु हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
16	हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
17	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	कार्यरत
18	हरियाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग एवं सूचना सेवाएं	कार्यरत
19	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	कार्यरत
20	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड	कार्यरत
अवसंरच	यनाक्षेत्र	
21	हरियाणा राज्य औदयोगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
22	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
23	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
24	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
25	हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
26	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
27	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
28	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
अन्य क्षे	ोत्र	
29	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
30	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
31	हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
32	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	कार्यरत
33	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
34	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	कार्यरत
35	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	निष्क्रिय
36	हरियाणा राज्य आवास वित निगम लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
37	हरियाणा राज्य लघ् सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	, निष्क्रिय

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.3; पृष्ठ 136)

30 सितंबर 2023 तक अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की सारांशित वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

(र करोड़ में)

5,489.17 3.25 71.77 143.02 16.47 121.62 356.13 139.48 5.50 61.49 27.43 9.74 264 8,609.26 0.09 29.91 2,676.01 4,478.43 21,252.87 (-) 7.47 (-) 2.17 नियोजित नुः (-) 57.47 1.25 18.5 129.58 (-) 7.85 (-) 0.26 (-) 13,194.33 (-) 26,510.42 (-)0.145.00 (-) 8.97 128.17 (-) 679.53 979.01 16.24 (-) 50.19 45.72 (-) 0.01 22.43 (-) 13,615.57 (-) 86.04 लाभ/हानि संचित 702.46 (-) 7.47 2,090.45 3.25 271.4 61.49 9.74 2,508.76 4,969.16 10,270.83 66.31 63.75 16.47 121.62 139.48 5.50 0.09 (-) 2.17 27.43 29.91 264.00 निवल मूल्य 0.10 37.76 3,990.15 2.00 50.07 45.25 207.66 321.59 9.90 0.50 14.72 50.00 6.80 5.00 10.00 134.78 3,188.29 13,896.79 16.61 15,706.02 36,781.25 मु सु 10.50 42.46 0.00 2.60 0.00 35.18 12.35 10.48 416.64 8,566.50 2,426.08 17,955.14 24,778.65 53,726.37 0.69 8.64 5.56 30.94 56.33 313.57 टर्नओवर 111.26 127.18 0.00 0.00 396.02 1.33 21.72 28.92 3.51 (-) 2.64 (-) 5.82 11.19 96.61 731.07 5.22 99.0 (-) 0.01 17.41 11.7 (-) 12.71 (-) 0.26 ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि 1,162.10 (-) 3.06 699.18 14.93 23.79 0.00 0.00 944.45 697.10 5.46 25.72 49.52 4.55 16.17 6.50 3.42 (-) 0.01 (-) 6.41 (-) 28.12 3,502.83 (-) 0.42 ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि 167.25 3,398.72 3,775.97 0.00 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.73 0.00 79.27 3,640.10 10,982.04 दीर्घकालिक 2022-23 2022-23 2020-21 2017-18 2018-19 2022-23 2022-23 2021-22 2022-23 2021-22 2021-22 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20 2019-20 2021-22 2020-21 नेखों की अवधि हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण हरियाणा अनुस्चित जाति वित एवं विकास निगम लिमिटेड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम निगम लिमिटेड दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हरियाणा विद्यूत उत्पादन निगम लिमिटेड हरियाणा वितीय निगम (सांविधिक निगम) हरियाणा विदय्त प्रसारण निगम लिमिटेड पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरशन हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास हरियाणा राज्य वितीय सेवा लिमिटेड गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड ड्रोन इमेजिंग एवं सूचना सेवाएं हारट्रोन इंफॉर्मेंटिक्स लिमिटेड हरियाणा टरिज्म लिमिटेड निगम लिमिटेड विद्युत क्षेत्र क्ति क्षेत्र

कुल क

सेवा क्षेत्र

कुल ग ज

कुल ख

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखों की अवधि	दीर्घकालिक ऋण	ब्याज और कर से पहले निवल	ब्याज और कर के बाद निवल	टर्नओवर	प्रदत मूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि	नियोजित प् <u>ं</u> जी
			लाभ/हानि	लाभ/हानि					
आधारभूत संरचना क्षेत्र									
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	4,327.38	1,000.87	171.03	1,758.35	48.87	2,794.99	2,646.69	7,122.37
फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	00.00	00.00	00:00	00.00	0.10	0.10	0.00	0.10
हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	98.77	1.80	(-) 5.65	0.84	31.91	22.51	(-) 9.40	121.28
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2020-21	00:00	16.23	23.41	1.42	122.04	295.21	168.89	295.21
हिरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2022-23	236.74	19.63	14.63	34.11	00'009	618.10	18.1	854.84
हरियाणा ऑबिटल रेल मॉपीरेशन लिमिटेड	2022-23	106.18	1.43	2.15	0	1,000	998.03	(-) 1.97	1,104.21
हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	305.50	33.96	(-)0.28	567.87	25.00	20.71	(-) 4.29	326.21
कुल घ		5,074.57	1,073.92	205.29	2,362.59	1,827.92	4,749.65	2,818.02	9,824.22
अन्य क्षेत्र									
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2019-20	00:00	6.23	3.98	146.06	2.00	13.05	8.05	13.05
हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2021-22	00'0	86.0	0.89	72.02	1.56	11.16	09.60	11.16
हिरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पीरेशन लिमिटेड	2021-22	19.62	5.69	(-) 22.99	107.73	4.14	(-) 204.39	(-) 208.53	(-) 184.77
हिरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	2022-23	4.00	69'0 (-)	(-) 0.69	00.00	1.00	(-) 0.78	(-) 1.78	3.22
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2021-22	00'0	12.78	9.05	96.05	0.2	08'69	9.69	08.69
हरियाणा भण्डारण निगम (सांविधिक निगम)	2021-22	88.26	34.43	31.44	238	5.84	25.24	19.40	113.50
कुल ङ		111.88	59.41	21.68	659.86	17.74	(-) 85.92	(-) 103.66	25.96
कुल क+ख+ग+घ+ङ		16,253.22	4,692.18	998.15	57,221.79	39,083.28	15,469.96	(-) 23,718.08	31,723.18

परिशिष्ट 5.3 (संदर्भः अनुच्छेद 5.7.2; पृष्ठ 145) नवीनतम वर्ष के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संचित हानि का सारांश, जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था

		,						(र करोड़ में)
æ. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	प्रदत प्ंजी	फ्री रिजर्व	संचित लाभ/हानि	निवल मूल्य
l <del>s</del>	कार्यरत सरकारी कंपनियां							
	विद्युत							
٦	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2022-23	2023-24	96.61	3,188.29	0.00	(-) 679.53	2,508.76
2	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	2023-24	111.26	15,706.02	0.00	(-) 13,615.57	2,090.45
3	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	2023-24	127.18	13,896.79	0.00	(-) 13,194.33	702.46
	वित							
4	हरियाणा महिला विकास निगम	2018-19		(-) 0.01	16.61	0.00	(-) 0.14	16.47
	सेवा क्षेत्र							
2	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	2022-23	2023-24	00.00	0.10	0.00	(-) 0.01	0.09
9	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	2021-22	2022-23	(-) 2.64	50.00	0.00	(-) 57.47	(-) 7.47
7	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉपरिशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	(-) 5.82	08'9	0.00	76.8 (-)	(-) 2.17
8	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2019-20	2022-23	(-) 12.71	37.76	0.00	(-) 7.85	29.91
6	हरियाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग एवं सूचना सेवाएं	2021-22	2022-23	(-) 0.26	10.00	0.00	(-) 0.26	9.74
	अवसरंचना क्षेत्र							
10	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	(-) 2.65	31.91	0.00	(-) 9.40	22.51
11	हरियाणा ऑबिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2023-24	2.15	1000.00	0	(-) 1.97	998.03
12	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉपीरेशन लिमिटेड	2018-19	2023-24	(-) 0.28	25.00	0.00	(-) 4.29	20.71
	अन्य क्षेत्र							
13	हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉपीरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	(-) 22.99	4.14	0	(-) 208.53	(-) 204.39
14	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	2022-23	2023-24	69'0 (-)	1.00	0.00	(-) 1.78	(-) 0.78
	कुल क						(-) 27,790.10	
ফ্র	सांविधिक निगम							
15	हरियाणा वितीय निगम (सांविधिक निगम)	2021-22	2022-23	21.72	207.66	00'0	(-) 86.04	121.62
	कुल ख						(-) 86.04	
	কুল ক+জ্ৰ						(-) 27,876.14	

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.11.2; पृष्ठ 150)

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखों के संबंध में जानकारी

क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की	वर्ष जिसमें अंतिम	वह वर्ष जिसके	लेखों की	कंपनी की
सं.		अवधि	रूप दिया गया	लेखे बकाया हैं	संख्या	स्थिति
1.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	2020-21 社 2022-23	3	कार्यरत
2.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2022-23	2021-22 社 2022-23	2	कार्यरत
3.	हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	2020-21	2022-23	2021-22 से 2022-23	2	कार्यरत
4.	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22	2021-22 से 2022-23	2	कार्यरत
5.	गुरूग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	2021-22	2022-23	2022-23	1	कार्यरत
6.	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	2022-23	1	कार्यरत
7.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	2018-19 社 2022-23	5	कार्यरत
8.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	2022-23	1	कार्यरत
9.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2018-19		2019-20 से 2022-23	4	कार्यरत
10.	हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2022-23	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
11.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	2022-23	1	कार्यरत
12.	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	2020-21	2022-23	2021-22 से 2022-23	2	कार्यरत
13.	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन	2021-22	2022-23	2022-23	1	कार्यरत
14.	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉपॉरिशन लिमिटेड	2018-19	2023-24	2019-20 से 2022-23	4	कार्यरत
15.	हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड	2019-20	2022-23	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
16.	ड्रोन इमेजिंग एवं सूचना सेवाएं	2021-22	2022-23	2022-23	1	कार्यरत
17.	हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	2022-23	1	कार्यरत
18.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
19.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	2022-23	1	कार्यरत
20.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2022-23	2021-22 社 2022-23	2	कार्यरत
21.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (निष्क्रिय)	2019-20	2021-22	2020-21 से 2022-23	3	निष्क्रिय
22.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (निष्क्रिय)	2020-21	2022-23	2021-22 से 2022-23	2	निष्क्रिय
23.	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड			2017-18 से 2022-23	6	कार्यरत
24.	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड			2019-20 से 2022-23	4	कार्यरत
25.	हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड			2021-22 से 2022-23	2	कार्यरत
				कुल	60	

© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक www.cag.gov.in